राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 11

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारिता, राजस्व, उद्योग, विद्युत पशु-पालन, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, अकाल सहायता, उपनिवेशन, व कृषि विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री विश्नोई !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 186।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 186 ! मैंने भी पूछा है।

सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध शिकायतें

186. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : एवं **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री मांगी लाल बालेचा, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्था कोटा थे ? अगर हां, तो कब।

(2) क्या यह भी सत्य है कि करीबन तीन चार साल पूर्व उनके विरुद्ध शिकायत होने पर सहकारी विभाग द्वारा उनके खिलाफ शिकायत की प्रारम्भिक जांच की गई थी ? अगर हां, तो किसके द्वारा और उस जांच का क्या नतीजा रहा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त विषय की प्रारम्भिक जांच के पश्चात कागजात सरकार को भेजे गए ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त विषय के कागजात प्राप्त होने पर दो सहकारी मन्त्रीयों द्वारा भिन्न भिन्न तिथियों पर अलग अलग आदेश दिये गये ? अगर हां, तो किस किस मंत्री द्वारा क्या क्या आदेश दिए गए ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सरकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में पिछले विधान सभा सत्र में किसी सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने पर सरकार द्वारा अपूर्ण जानकारी दी गई थी, और प्रश्न स्थगित किया गया था ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त अधिकारी को उस शिकायत पर उस स्थान से

Page No 2

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन एवं श्री देवीदत्त गाड़िया)

सरकार द्वारा ट्रान्सफर कर दिया गया था? अगर हां तो कब व कहां ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार ने आरोपों को देख कर निर्णय दो बार भिन्न तिथियों पर किया था कि आरोपों को देखते हुए अधिकारी का निलम्बन करना उचित नहीं है ? अगर हां, तो कब कब क्या क्या निर्णय किए गए थे ?

क्या उन्हीं आरोपों के आधार पर पुनः इतने समय बाद उक्त अधिकारी को सरकार द्वारा निलम्बित किया जा सकता है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ नियमित रूप से अब तक विभागीय कार्यवाही उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ? अब विभागीय कार्यवाही कब तक करा दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां । 9-3-66 से जून 67 के मध्य तक ।

(2) जी हां । श्री रामपाल परिहार, उप-रजिस्ट्रार ने प्रारम्भिक जांच की थी । जांच के परिणाम के अनुसार श्री बालेचा दोषी ठहराये गये थे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या ?

श्री रामदेवसिंह : जांच के परिणाम के अनुसार श्री बालेचा दोषी ठहराये गये थे ।

(3) जी हां । दिनांक 17-5-67 व 23-4-68 को तत्कालीन सहकारिता मंत्री श्री परसराम जी मदेरणा ने 2-6-67 को यह आदेश दिया था कि अभी तक पूरी जांच होकर नहीं आई है अतः निलम्बित किये जाने के प्रश्न पर उसी वक्त निर्णय लिया जावेगा। स्थानान्तरण "अभी कर दिया जावे"। और फिर 12-8-68 को श्री शोभाराम जी ने यह आदेश दिया कि "निलम्बित उस दशा में करना आवश्यक है जब कि पहले से ही यह अनुमान हो जावे कि दोषी अधिकारी को जांच के बाद राज्य सेवा से अलग किया जावेगा या इस बात का अंदेशा हो कि सम्बन्धित अधिकारी जांच में किसी प्रकार की रुकावट डालेगा । वर्तमान केस में अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि इन्क्वायरी के बाद निश्चित रूप से उसको राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है। दूसरी कन्डीशन का अभी अंदेशा नहीं है क्योंकि उस अधिकारी का अन्यत्र परिवर्तन हो चुका है । अतः अधिकारी को निलंबित करना अभी मैं आवश्यक नहीं समझता । विभागीय जांच के लिये पत्रादि नियुक्ति विभाग को भेज दिये जावें ।"

(4) प्रश्न स्थगित इसलिये किया गया पूरक सूचना में विस्तृत जानकारी चाही गई थी जो तत्काल देना सम्भव नहीं था । मामला विचाराधीन है ।

(5) जी हां, 3-6-67 को आदेश दिए गए थे व 17-7-67 को कुछ दिन मुख्यालय पर रिपोर्ट कर वे नागौर गये। प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो निर्णय तत्कालीन मंत्रियों ने लिये वह भाग (3) के उत्तर में बतला दिये गये हैं ।

Page No 3

(श्री रामदेवसिंह)

आरोपों पर प्रारम्भिक जांच की बात और थी। अब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा उन आरोपों के आधार पर निलंबन नियमानुसार अब भी किया जा सकता है।

(6) जी हां। नियमित विभागीय जांच के लिये आरोपपत्र व दोष पत्र बना लिये गये हैं और एक माह में जांच आरम्भ हो जावेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उसके विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे दी है तो सस्पेन्शन करने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामदेवसिंह : सवाल यह है कि सस्पेन्शन करना जरूरी है या नहीं यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किन परिस्थितियों में सस्पेन्शन किया जाता है।

श्री रामदेवसिंह : सस्पेन्शन उस वक्त किया जाता है जब कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से यह जाहिर हो कि यह सस्पेन्शन के लायक है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट दे दी है और उसके खिलाफ चार्जेज बनते हैं तो फिर क्या कठनाई है ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने निवेदन किया था कि इस केस को देखा जा रहा है कि सस्पेन्शन करने के लायक है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने फाइल पर यह लिखा था कि सस्पेन्ड नहीं किया जाय ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने दोनों मन्त्रियों को राय पढ़ कर सदन में सुना दी है।

श्री रामदेवसिंह : भूतपूर्व सहकारी मन्त्री तो कई हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की गई, जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट दी है उस प्रारम्भिक रिपोर्ट में क्या है ? दूसरे एन्टीकरप्शन ने जो रिपोर्ट दी बताई है उसमें क्या है ? तीसरे आपने कहा है कि इनके विरुद्ध प्रारम्भिक आरोप-पत्र तैयार कर लिये गये हैं—वह क्या है ?

श्री रामदेवसिंह : एन्टी करप्शन की रिपोर्ट तो अभी नहीं बताई जा सकती है लेकिन उसमें उन्होंने इसे दोषी पाया है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): फाइनल डिसीजन कब तक ले लिया जायगा ? पिछले तीन वर्षों में क्या हुआ ? इसका क्या कारण है कि चार पांच वर्ष तक यह मामला चलता रहा ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने कहा कि इसी माह में जांच शुरू हो जायगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एन्टी करप्शन ने कब दोषी ठहराया, एक्जेक्ट डेट क्या है ?

श्री रामदेवसिंह : एक्जेक्ट डेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जून 1969 में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जून, 1969 में दोषी पाने के बाद भी अभी तक सस्पेन्ड नहीं किया गया है इसका क्या कारण है ?

श्री रामदेवसिंह : रेगुलर इन्क्वायरी एक माह में शुरू हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान सहकारी मंत्री ने क्या इन्हें सस्पेन्ड करने के आदेश दिये हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह क्वेश्चन है कि क्या सस्पेन्शन करने के आदेश दिये थे ? यह ऑर्डर में लिखा है ? नहीं है साहब !

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : माननीय अध्यक्ष जी के पास फाइल भेज दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : आदेश दिये या नहीं ? वर्तमान सहकारी मंत्री ने सस्पेन्ड करने के आदेश दिये या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : हां, मैंने आदेश दिये थे । चूंकि नियुक्ति विभाग में जाता है फाइनल आदेश के लिए, फाइनल आदेश वहां से होता है इसलिए फाइल उनके पास भेज दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्रीमती मदन कौर ! (विराम) श्री जगन्नाथ ।

सवाई चक जमीन में किसानों के बाड़े

187. **श्री जगन्नाथ** (टोड़ारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) तहसील टोडारायसिंह में कितने किसानों के बाड़े सवाई चक में हैं ?

(2) कितने किसानों के बाड़ों की रिपोर्ट तहसील में अतिक्रमण के लिये आई है ?

(3) जिन बाड़ों की अतिक्रमण की रिपोर्ट आई है उनमें कितने बाड़े राजस्थान के बनने के पहले के हैं और कितने बाद के?

(4) जो बाड़े राजस्थान बनने से भी पहले के हैं उनको पुलिस के जरिये क्यों हटाया जा रहा है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें !

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसानों को बाड़ों से हटाया जा रहा है पुलिस के जरिये से ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए ही इस प्रश्न को स्थगित किया गया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्री जगन्नाथ : कब तक········

श्री दिग्विजयसिंह : बाड़ों के बारे में जो प्रश्न है उसका उत्तर चाहते हैं····

श्री जगन्नाथ : यह कब तक के लिए स्थगित किया गया है ?

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें तीन क्वेश्चन हैं । इसमें जानकारी करने का प्रश्न है, लेकिन जो चौथा आइटम है····

श्री अध्यक्ष : इस पर समय बहुत नहीं लें ।

श्री दिग्विजयसिंह : जिसमें पूछा है पुलिस के जरिये क्यों हटाया जा रहा है, उसके लिए तो कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। अब नहीं !

श्रीमती मदन कौर !

तहसील पचपदरा का औद्योगिक सर्वेक्षण

188. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील पचपदरा (बालोतरा सहित) का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मौजूदा में उपरोक्त कौन कौन क्या क्या उद्योग कहां कहां चल रहे हैं ? इनके विकास की ओर सरकार ने गत वर्षों में क्या कदम उठाए हैं ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) तहसील पचपदरा का औद्योगिक सर्वेक्षण लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा कराया गया है जो अभी तक उनके द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है।

बालोतरा का प्रारम्भिक सर्वेक्षण माह जून, 69 में कराया गया था, जिसकी सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में बालोतरा में कपड़े पर रंगाई एवं छपाई उद्योग, माचिस उद्योग, प्लास्टिक उद्योग एवं जूट पट्टी उद्योग, इत्यादि चल रहे हैं। कपड़े पर रंगाई व छपाई उद्योग भी जो कि इस क्षेत्र में मुख्यतः प्रचलित हैं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा रंग रसायन उपलब्ध कराने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन को सिफारिश की गई है तथा जूट पट्टी उद्योग को सेल्स टैक्स व पर्चेज टैक्स में रियायतें उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों के विकास के लिए बालोतरा में सहायता प्राप्त औद्योगिक वस्ती स्थापित करने हेतु जिलाधीश, बाड़मेर से उक्त क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए लिखा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि एक व्यक्ति के द्वारा लिखित फार्म में पचपदरा से प्राप्त होने वाले नमक से बाई-प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर ऐसी संभावना हो और कोई व्यक्ति हो तो आप उसे मेरे पास भेज दीजिये, मैं आवश्यक कार्यवाही कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! विद्युत मन्त्री !

बाड़मेर में सहायक अभियन्ता का मुख्यालय

1 9. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर जो कि बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है, में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
सहायक अभियन्ता विद्युत् का मुख्यालय नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय के न होने से बाड़मेर नगर में एवं आसपास के क्षेत्र में विद्युत् एवं पानी की व्यवस्था माकूल नहीं हो पाती जिससे जनता को कठिनाई एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(3) या यह सही है कि दिनांक 3 अप्रेल, 1969 को विधान सभा में विद्युत् मन्त्री ने यह सहमति प्रकट कर आश्वासन दिया था कि बाड़मेर नगर में जहां कि पावर हाउस लगा हुआ है. के भवन का निर्माण नगर की आबादी के बाहर किया जायगा ? यदि हां, तो इस आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मन्त्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) :
(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बाड़मेर में कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय है।

(3) विद्युत् मन्त्री जी के आश्वासन की जानकारी नहीं है परन्तु अभी तक पावर हाउस के भवन निर्माण के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पहले विद्युत् मंत्री जी ने सदन में पूर्ण आश्वासन दिया है कि शहर के बाहर पावर हाउस बनाया जायगा।

श्री खेतसिंह : अगर इस प्रकार का आश्वासन है तो अवश्य क्रियान्वित किया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : विद्युत् मन्त्री जी स्वयं बैठे हुए हैं इसमें अगर मगर का क्या सवाल है।

श्री खेतसिंह : यह भूतपूर्व का सवाल है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आपने पत्र लिख कर पूछा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सही है कि बाड़मेर टाउन के बिजली के कन्जम्प्शन के साथ साथ उत्तरलाई एयरोड्रोम, उत्तरलाई जिप्सम माईन्स, वूलग्रेडिंग सेंटर आदि को बाड़मेर के पावर हाउस से पावर दिया जाता है, इन सबका लौड करीब 1,500 किलोवाट का है.......

श्री अध्यक्ष : आप यह क्या पढ़ रहे हैं ? क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : बहुत बड़ा वक्तव्य था मैं समझता हूं आप यही चाहते हैं कि और बढ़ाया जाय ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इतनी क्षमता वाला पावर हाउस होते हुए ए० ई० एन० का हैडक्वार्टर बाड़मेर में नहीं रखना कहां तक उचित है ?

श्री खेतसिंह : बालोतरा के आसपास सिवाना आदि गांवों में काफी विद्युतीकरण हो चुका है, आपके डोमेस्टिक

Page No 7

(श्री खेतसिंह)
कन्जम्पशन से वहां के कुओं को जो बिजली दी जो रही है, उसका लोड ज्यादा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या आपको जानकारी है कि बाड़मेर पावर हाउस का कितना लोड है और बालोतरा सिवाना का कितना लोड हैं ?

श्री खेतसिंह : बालोतरा में ए० ई० एन० का हैडक्वार्टर इसलिए रखा गया है कि बालोतरा के आसपास सिवाना और दूसरे गांवों में जो बिजली दी गई है, उससे ज्यादा लोड पड़ता है। बाड़मेर में जे० ई० एन० का कार्यालय रखा गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या एक ही जिले में दो तीन ए० ई० एन० के कार्यालय नहीं रखे गये हैं ?

श्री खेतसिंह : यह तो लोड की क्षमता पर है। आपके यहां लोड बढ़ेगा तो आपके यहां पर भी ए० ई० एन० का कार्यालय रख दिया जायगा। फिलहाल आपके यहां जे० ई०एन० का कार्यालय है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो मैंने बताया कि 1,500 किलोवाट का लोड बाड़मेर पावर हाउस पर है, इसलिए तो मैंने इतनी चीजें बताई हैं; इनके लिए वहां ए० ई० एन० का हैडक्वार्टर होना आवश्यक है, डिफेन्स प्वाइन्ट ऑफ व्यू से भी उत्तरलाई एअरोड्रोम के लिए आवश्यक है, ट्यूब वेल्स के लिये आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है?

श्री खेतसिंह : आपने जैसा बताया कि लोड की क्षमता अधिक है तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 190 !

श्री महेन्द्रकुमार !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री लाभचन्द वेद !

ग्राम दूदू में बिजली

191. **श्री लाभचन्द वेद** (सुजानगढ़): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि फुलेरा सब-ग्रिड स्टेशन के ग्राम दूदू में आठ माह पूर्व विद्युत लाइन पहुंच गई थी ? अगर हां तो वहां कनेक्शन देने क्यों नहीं चालू किये गए ?

उप-मन्त्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : जी हां। दूदू में 38 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

श्री लाभचन्द वेद : और मांग नहीं है क्या ?

श्री खेतसिंह : मांग तो है लेकिन काम सब का सब एक साथ नहीं हो सकता। 38 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। आपने कहा है कि एक भी नहीं है तो मैंने बताया कि 38 कनेक्शन दिए गए हैं।

श्री लाभचन्द वेद : जब पूछा था तब तो एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अब कुल कितने कनेक्शन की मांग है और वे कनेक्शन्स कब तक दे दिए जायेंगे ?

श्री खेतसिंह : टोटल नम्बर ऑफ एप्लीकेशन्स रिसीव्ड इज 129। 38 को कनेक्शन्स दे दिए गये हैं, 91 पेंडिंग हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह कब तक ने दिये जायेंगे यह भी तो बताइये।

श्री खेतसिंह : निश्चित डेट तो मैं नहीं बता सकता पर ज्यों ज्यों फोर्मलिटीज पूरी हो जायेंगी कनेक्शन्स दे दिए जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि वहां इतने कनेक्शन्स नहीं दिये जा सकते क्योंकि इतना वर्क लोड बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ?

श्री खेतसिंह : फिलहाल मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कितनी क्षमता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जितने प्रार्थना-पत्र दिए गये हैं उनकी खानापूर्ति पूरी कर ली गई है ?

श्री खेतसिंह : जी सही नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : क्या आपको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं है ?

श्री खेतसिंह ! पूरा ज्ञान है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गंगासहाय !

कृषि स्नातकों को नौकरियां

192. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दो वर्षों में वेटेरिनरी कॉलेज बीकानेर से कितने व्यक्ति बी० वी० एस० सी० एण्ड० ए० एच० के स्नातक उत्तीर्ण होकर निकले हैं ?

(2) क्या उक्त कॉलेज से उत्तीर्ण सभी स्नातकों को सरकार ने उपयुक्त नौकरियां प्रदान करदी हैं ?

(3) क्या सरकारी नौकरी के अतिरिक्त इन स्नातकों की शिक्षा का कोई अन्य उपयोग भी हो सकता है ?

उप मन्त्री पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (1) 142 स्नातक पास हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितनी पोस्ट्स खाली हैं ?

श्री गंगासहाय : प्रश्न (3) में मैंने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी के अतिरिक्त इन स्नातकों की शिक्षा का कोई अन्य उपयोग भी हो सकता है ? आपने जी हां, कहा है तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तरह से उपयोग किया जायगा ?

श्री हरीसिंह : 70-71 में करीब ऐसे 36 स्नातकों को राज्य सेवा में एम्प्लोयमेंट दिया जा सकेगा। बाकी के म्युनिसिपल कारपोरेशन्स हैं उनमें जा सकते हैं। इसके अलावा बैंकों से स्वयं ऋण ले कर प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकते हैं, जूलोजिकल गार्डन्स हैं वहां जानवरों की चिकित्सा का कार्य प्राप्त कर सकते हैं।

श्री गंगासहाय : क्या सरकार ऐसे डाक्टरों को आर्थिक सहायता देगी ताकि वे अपनी ओर वे पशु चिकित्सालय खोल कर अपना निर्वाह कर सकें ?

श्री हरीसिंह : वैसी आर्थिक सहायता देने का तो प्रावधान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया 70-71 के वर्ष में ऐसे 36 स्नातकों को सरकारी सेवा में जॉब दिया जा सकेगा। बाकी म्युनिसिपल कारपोरेशन्स में काम प्राप्त कर सकते हैं, जूलोजिकल गार्डन्स में जहां पशु पक्षी रखे जाते हैं वहां पर काम प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं बैंकों से ऋण प्राप्त कर के अपना कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं।

श्री गंगासहाय : जिस प्रकार आपने एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स को जमीन और सहायता देकर कृषि करने के लिये प्रोत्साहित किया है, इसी तरह से इनको आर्थिक सहायता देना नहीं चाहते क्या ?

श्री हरीसिंह : एग्रीकल्चर ग्रेज्युट्स को जहां तक जमीन देने का प्रश्न है वह राजस्व मंत्रीजी से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री रामकुमार नन्दवाना !

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने यह बताया कि 36 स्नातकों को राज्य सेवा में इस वर्ष जगह दी जा सकती है तो यह पोस्ट्स कितने समय से खाली चल रही हैं और इनको नियुक्त क्यों नहीं किया ?

श्री हरीसिंह : यह मूल प्रश्न में पूछा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) अनएम्प्लोयड डॉक्टर्स और जो आगामी वर्ष में डाक्टर निकलेंगे उनके एम्प्लायमेंट के लिये क्या व्यवस्था की जाय इसके बारे में क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि उनको किस प्रकार से काम दिया जाय। सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकेगा तो उनको और कहां एम्प्लोयमेंट मिल सकता है ?

श्री हरीसिंह : यह अलग से योजना नहीं है। विभागीय जगहें खाली होंगी वहां उनको एब्जोर्ब किया जायगा इसके अलावा जो बाकी रह जायेंगे उनके लिये मैंने बताया कि सेमी-गवर्नमेंट संस्थाओं में उनको काम मिल सकता है और वे स्वयं बैंकों से ऋण प्राप्त कर के अपना काम प्रारम्भ कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि ऐसे अनएम्प्लोयड डॉक्टर्स के लिये उन्हें काम पर लगाने की कोई समुचित योजना बनायें ?

श्री हरीसिंह : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार ने जानकारी की है कि अन्य राज्यों में ऐसे डाक्टरों की आवश्यकता है ? और जहां आवश्यकता है वहां इनको भेजने का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामकुमार नन्दवाना।

Page No 10

विजय स्तम्भ देखने वालों पर टैक्स

193. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित विजय स्तम्भ को देखने पर यात्रियों पर कोई टैक्स लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या तथा यह टैक्स कब से लागू किया गया है तथा अब तक कुल कितना टैक्स जमा हुआ है ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि विजय स्तम्भ पर जो टैक्स लगाया गया है इससे यात्रियों को असुविधा है ? यदि हां, तो क्या इसे समाप्त करने का कोई विचार है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से होने के नाते यह उनको स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मूलचन्द डागा !

भू-राजस्व को रेशनेलाइज करने की सिफारिश

194. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन ने राजस्थान में भू-राजस्व को रेशनेलाइज करने हेतु सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है ? राज्य सरकार इस सिफारिश को कब तक लागू कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां ।

विस्तृत प्रावधान राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

राजस्थान हाउस, दिल्ली में टेलीफोन तथा ट्रंक कॉल पर व्यय

195. श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में टेलीफोन तथा ट्रंक कॉल्स के संबंध में कब से किस प्रकार की व्यवस्था है ? इस संबंध में कोई सरकार के आदेश हों तो कृपया उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि वहां पर इनका कोई समुचित रिकार्ड नहीं रखा जाता ? यदि नहीं, तो किस प्रकार का रिकार्ड रखा जाता है ?

(3) 1 अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक किस किस माह में टेलीफोन ट्रंककॉल्स का अलग अलग कितना कितना खर्चा आया है ? कृपया एक तालिका प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

(4) इस ही अवधि में वार्षिक बजट में इस मद के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान था और कितना वास्तविक व्यय हुआ है ?

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस सन् 1963 में चालू हुआ था। सितम्बर, 1965 तक वहां पर दो टेलीफोन थे जिससे ही सभी काम लेते थे। बाद में वहां पर पी. बी. एक्स. बोर्ड सन् 1965 में लगा जिसके द्वारा हर कमरे में एक एक एक्सटेंशन लगाया गया जिससे ठहरने वालों को कमरे में बात करा सकें। इस पी. बी. एक्स. बोर्ड में चार लाइनें हैं। और इसके लिए तीन टेलीफोन ऑपरेटर भी नियुक्त किए गए हैं। वहां से सभी मंत्री, उपमंत्री व अधीकारी टेलीफोन कर सकते हैं, यदि उन्हें बाहर ट्रंक कॉल करना होता है तो वहां से कर लेते हैं और ट्रंक कॉल रजिस्टर में इन्द्राज करा देते हैं।

(2) ट्रंक कॉल जो बाहर बुक किए जाते हैं उनका इन्द्राज होता है तथा उस अधिकारी या मंत्री, उप मंत्री के निजी सचिव के हस्ताक्षर लिए जाते हैं जिसके द्वारा ट्रंक कॉल बुक किया जाता है। स्थानीय (लोकल कॉल) का वहां पर किसी भी प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा जाता है और यह रेकार्ड रखना संभव नहीं है। दिल्ली से जो जयपुर आदि से डाइरेक्ट लाइन पर यदि बात की जाती है तो उनका इन्द्राज किसी भी रजिस्टर में नहीं किया जाता है क्योंकि ये सभी लोकल कॉल में आते हैं।

(3) तालिका प्रस्तुत है।

(4) तालिका प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरोंसिंह : यह डाइरेक्ट डॉयलिंग को आप लोकल कॉल्स पर किस आधार पर शुमार करते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोकल कॉल्स में इसलिए शुमार करते हैं कि जो डाइरेक्ट लाइन सिस्टम है उसका अलग हिसाब नहीं रखा जाता और लोकल कॉल बिल्स में लगकर आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्ट सिस्टम जहां जहां भी है, क्या सरकार इसके लिए उचित नहीं समझती कि बिना रजिस्टर में इसकी एन्ट्री किसे कोई डाइरेक्ट डॉयलिंग नहीं कर सकता ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं समझता हूं, सुझाव ठीक है जब भी कोई डाइरेक्ट डॉयलिंग करे तब भी इसका नोट करवा दिया जाना चाहिए जिससे रिकार्ड रह सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

राजलदेसर में कृषि भूमि पर आबाद हरिजन परिवार

196. श्री रावतराम (छापर सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा राजलदेसर (चूरू) के वार्ड नंबर 2 एवं वार्ड नंबर 10 के नजदीक कुछ हरिजन परिवार कृषि भूमि में बरसों से आबाद हैं ?

(2) क्या सही है कि उक्त हरिजनों ने जिलाधीश चूरू एवं संबंधित अधिकारियों

(श्री रावतराम) के पास तत्संबंधी कागजात प्रस्तुत किये थे कि हरिजन जिस कृषि भूमि पर अबाद हैं उसे नियमानुसार आबादी में घोषित किया जाय ? यदि हां, तो उक्त कागजात जिलाधीश कार्यालय में कब आये और जिलाधीश ने राजस्थान सरकार को इस बारे में कब लिखा ?

(3) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है तथा जिलाधीश चूरू ने इस संबंध में जो रिपोर्ट सरकार को भेजी है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां !

(2) वार्ड नंबर 10 के खसरा नंबर 850 रकबा 5 बीघा व खसरा नंबर 1101 रकबा 7 बीघा को आबादी में परिवर्तन कराने हेतु हरिजनों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र परगना अधिकारी, रतनगढ़, के समक्ष पेश किया गया था। इस पर उन्होंने दिनांक 24-1-68 को उक्त कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कर दिया । वार्ड नं. 2 के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । जिलाधीश कार्यालय में इस प्रकार के कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः सरकार को लिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रावतराम : आपने बताया कि वार्ड नं 10 की दरख्वास्त परगना अधिकारी को दी । तो उस बारे में आपने क्या फैसला किया है , वार्ड नं. 2 के लिए आप कहते हैं दरख्वास्त नहीं दी जबकि आपके जिलाधीश महोदय को वार्ड नं. 2 वालों ने दरख्वास्त दी है कि हमारा पुराना कब्जा है, इसको आबादी में घोषित किया जाय क्योंकि नगरपालिका के द्वारा निकाल दिया गया । खैर दो को जाने दीजिए। वार्ड नं० 10 का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए आप कहते हैं कि परगना अधिकारी को लिख दिया है और उसने सरकार को रिपोर्ट दी है, उस आधार पर क्या फैसला किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : परगना अधिकारी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी है, ऐसा मैंने निवेदन नहीं किया । भाग 2 के उत्तर में मैंने निवेदन किया है कि प्रार्थना-पत्र परगना अधिकारी, रतनगढ़ के समक्ष पेश किया गया था जिस पर उन्होंने दिनांक 24-1-68 को उक्त कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कर दिया । याने वह भूमि जो कृषि भूमि थी, उसको आबादी में बदल दिया, और यही उनकी प्रार्थना थी ।

श्री दौलतराम सारण (डुंगरगढ़) : कृषि को आबादी में बदलना परगना अधिकारी या जिलाधीश····

श्री गंगाराम चौधरी : परगना अधिकारी को दिया जा चुका है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप उचित नहीं समझते हैं कि वार्ड नं. 10 की तरह वार्ड नं. 2 के हरिजनों की भूमि को आबादी में बदलें ? क्या आप अपनी ओर से परगना अधिकारी को सूचना देंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रणाली है। या तो नगरपालिका या वहां के लोग या पंचायत अपना प्रस्ताव परगना अधिकारी के पास भेजें।

श्री रावतराम : आपके सामने जब प्रश्न आ गया और केस वही है जैसा कि वार्ड नं. 10, उनके साथ साथ दरख्वास्त दी थी। हो सकता है कि दरख्वास्त दब गई हो। कम से कम आप परगना अधिकारी को इस तरह के इन्सट्रक्शन्स तो जारी कर सकते हैं कि इस तरह दरख्वास्त है, उसको भी आबादी में कन्वर्ट किया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कन्वर्शन का शिड्यूल ऑफ पॉवर्स का नोटीफिकेशन····

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : शिडूल ऑफ पावर्स क्या हैं? ऐसे राजस्थान में हजारों केसेज हैं।

जय समंद झील में मछली पकड़ने का ठेका

197. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयसमंद झील में मछली पकड़ने का ठेका किस ठेकेदार को सन् 1969-70 में दे दिया गया है? यदि हां, तो किस ठेकेदार को किन किन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स व एग्रीमेंट के अन्तर्गत दिया गया? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त झील में मछली पकड़ने का ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में विभाग ने कोई सरक्यूलर व नोटिस आदि जारी किये थे? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उक्त झील में मछली पकड़ने का ठेका लेने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र व टेण्डर आदि किसी अन्य ठेकेदार ने भी दिए थे? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार ने टेण्डर व प्रार्थना-पत्र दिए? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त झील में मछली पकड़ने का कार्य विभाग द्वारा किये जाने से सम्बन्धित किसी अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की थी? यदि हां तो यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त झील में मछली पकड़ने का ठेका पुनः श्री एच. सी. कपूर को दिये जाने व इसमें हो रहे भारी घोटाले व षडयन्त्र आदि के सम्बन्ध की शिकायतों को लेकर कुछ विधायकों ने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखे थे? यदि हां, तो किस किस विधायक ने पत्र लिखे और उस पर क्या क्या कार्यवाही हुई? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने कष्ट करें?

उप मंत्री पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां। यह ठेका श्री एच. सी. कपूर

Page No 14

(श्री हरिसिंह)

को दिया गया है। टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि यह ठेका देने से पूर्व राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इस ठेके को नीलाम किया जायगा ?

श्री हरिसिंह : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया ओपन आक्शन के लिए। जो समिति बैठी थी यह विचार करने के लिए कि ओपन ऑक्शन करना ठीक है या रॉयल्टी पर ठीक है या डेड रेट पर ठीक है। उस समिति की राय और वित्त आयुक्त व विधि विभाग की राय प्राप्त करने पर यह तय हुआ कि डेड रेंट तय की जाय जिससे ज्यादा लाभ हो और ओपन ऑक्शन नहीं किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने यह निर्णय लिया था कि इस ठेके की नीलामी की जायगी ?

श्री हरिसिंह : जी नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुख्य मन्त्री को याद है, कि उन्होंने इस प्रकार का पत्र लिखकर मुझे इस बात का आश्वासन दिया था कि इस ठेके को नीलाम किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जहां तक मुझे याद है, मैंने लिखा था कि इस प्रश्न को ध्यान में रखा जायेगा या कुछ इस तरह से, अभी पूरा याद नहीं लेकिन उसके बाद सम्बन्धित मन्त्री को भेज दिया और उसके बाद सारी बात हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने विचार किया है कि ठेके पर देने से राज्य सरकार को आमदनी ज्यादा हो सकती है बनिस्बत इस प्रकार का एग्रीमेंट करने से ?

श्री हरिसिंह : जहां तक आय का प्रश्न है, यह सबसे मुख्य प्रश्न है और इसको पूरा महत्व दिया गया है और इसके समकक्ष जैसे रामगढ़ का बन्धा....

श्री भैरोंसिंह : उससे मेरा मतलब नहीं। एग्रीमेंट से ठेका दिया जाय या ओपन ऑक्शन से, किससे ज्यादा आय होगी, इस प्रश्न पर विचार किया गया था या नहीं ?

श्री हरिसिंह : 7-8 बड़े बड़े तालाब हैं जिनका डेड स्टोरेज है उनकी कम्परीजन के अन्दर, यह पहले के आंकड़े लिए गए हैं कि उससे रॉयल्टी और ओपन ऑक्शन से कितनी धन राशि प्राप्त हुई, कम्परीजन करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचे कि इसकी रॉयल्टी और ओपन ऑक्शन से अधिक डेड रेन्ट होगी और रामगढ़ बन्धे....

श्री भैरोंसिंह : रामगढ़-बन्धे का सवाल नहीं है।

श्री हरिसिंह : कम्पेरीजन कर रहा हूं कि वह इतना बड़ा तालाब है, इससे बड़ा उनका फिश पोटेन्शल है, ओपन ऑक्शन से कितनी आय प्राप्त होती है, रॉयल्टी से कितनी, दोनों फिगर्स को कम्पेयर करके उसके बाद में डेड रेंट का फार्मूला तय किया और डेड रेंट ही नहीं किया, फिश पोटेन्शल जितना मौजूद है उनको भी सेंट्रल फिशरीज कारपोरेशन के जो रेट्स निर्धारित हैं उनके आधार पर भी हमने हिसाब लगाया है कि इतना डेड रेंट मिलना चाहिए सवा लाख रुपये इसका फिश कैच करते हैं, वह ज्यादा होगा तो उतने ही अनुपात में सवा लाख से ज्यादा लगाया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयसमंद का ठेका कभी नीलामी में नहीं दिया गया और आया कम्पेरीजन किया नीलामी का, डेड-रेंट का ? जयसमंद की किसी प्रकार का पब्लिक ऑक्शन आज से पहले नहीं हुआ तो तुलना किस बेसिस पर की ?

श्री हरिसिंह : सबसे पहले 1953 में ऐग्रीमेंट हुआ उसके बाद 5-5 साल का ऑक्शन किया गया। अभी जो विभाग ने 3-3½ महीने फिशिंग किया उस आधार पर जो फिगर्स स्टेटिसटिक्स प्राप्त हुए, उसमें साढ़े तीन महीने के अन्दर 36 हजार रुपये सरकार ने प्राप्त किए और उसको देखें तो प्रति दिन करीब 400) रु. विभाग की आय हुई और उस आधार पर डेड रेंट तय किया है जो जुलाई-सितम्बर का पीरियड है क्लोज पीरियड उसको निकालने के बाद में जो 290 दिन हैं उनके अन्दर सवालाख की राशि को स्प्रेड किया जाय तो प्रतिदिन 421) पड़ते हैं। जो हमारे एक्चुअल फीगर्स हैं उस आधार से भी यह अधिक है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो कम्पेरिजन किया है वह डिपार्टमैंटल इन्कम से किया है, ऑक्शन से नहीं किया है।

श्री हरिसिंह : डिपार्टमैंट से जितने एरिया में होता है वह तो और ज्यादा एक्यूरेट फिगर्स हैं। ऑक्शन में भी बहुत सारे एसोशियेशन बनाकर काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय !

क्या यह सही है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया, खत्म होने पर अदालत में स्टे ऑर्डर प्राप्त किया।

श्री हरिसिंह : स्टे ऑर्डर वेकेट हो हो गया। एक्स पार्टी डिसिजन हुआ था कि सरकार तत्काल नियन्त्रण शुरू करदे। 3½ महिने का जैसा मैंने निवेदन किया डिपार्टमैंटल फिशिंग पर ही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक्सपार्टी ऑर्डर किस प्रकार हो गया था। क्या गवर्नमैंट की ओर से कोई एडवोकेट ऐपीयर नहीं हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिल्कुल इसी से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष : इसमें वह ध्वनि नहीं आती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नया एग्रीमैंट किस आधार पर किया था ? रिऑक्शन की तैयारी कर रहे थे, दावा कर दिया तो क्या वह खर्चा उससे वसूल किया ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) प्रश्न संख्या 198।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह लीज खत्म हुई तो नया एग्रीमेन्ट करके ठेका दिया। क्या सरकार ने इससे मछली पकड़ने का पैसा वसूल किया है ? नहीं, तो क्यों पकड़ने दिया ? स्टे ऑर्डर में यह नहीं लिखा था कि मछली पकड़ने दी जाय।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

माननीय मन्त्रीजी इसका उत्तर दीजिये।

श्री हरिसिंह : यह जो पीरियड है उसमें डिपार्टमैन्ट फिशिंग हुआ फरवरी तक। डिपार्टमेन्ट ने मछलियां निकाली हैं। मि. कपूर ने बाद में निकालना शुरु किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : श्री एच. सी. कपूर लगातार मछली पकड़ने का काम करता आरहा था इसने सरकार को रॉयल्टी दी थी ? क्या दूसरे ठेकेदारों को मछली पकड़ने के लिये आमन्त्रित किया गया था ? यदि हां, तो किन किन ठेकेदारों ने प्रार्थना पत्र दिये ?

श्री हरिसिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। दूसरे ठेकेदारों से भी टेण्डर इन्वाइट किये जाय इस पर विचार किया गया। एक डिपार्टमेन्टल कमेटी बनायी गयी। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स, डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी, डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ फिशरीज। उसने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया। क्योंकि यह बड़ी झील है, 28 स्क्वायर मील में होने के नाते छोटा मोटा ठेका होता है उस आधार पर तो इसका ठेका दिया नहीं जा सकता। न तो ठेकेदार फिशिंग कर रहा था और साधन वाला ठेकेदार न हो और डेड रेन्ट न दे सके तो किस प्रकार से ठेका दिया जा सकता था। इन सब संभावनाओं को देखते हुए डेड रेन्ट तय किया गया फिशिंग की पोटेन्शियलिटी को देखते हुए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न संख्या 198।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस झील में 15 हजार मछलियों का उत्पादन होता है। वेस्ट बंगाल में, हावड़ा में बेची जांय तो 7 रु. से 14 रु. किलो के दाम प्राप्त हुए होंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! राजस्व मंत्री !

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग की रिपोर्ट को छिपाया गया है ? और प्रश्न रखा तो माननीय मंत्री जी ने कहा·······

श्री अध्यक्ष : फिर तो अच्छा होगा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय ··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी ने आरोप लगाया वह गलत है और मैं चुनोती देता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जाकर जांच करायी जाय । यदि उन की बात सही नहीं निकली तो या तो वे स्तीफा दें और मैं जो कह रहा हूं वह गलत हो तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राज्य सरकार···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, आर्डर ।

अंकित न किया जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

अंकित न हो ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । ऑर्डर ऑर्डर !

नेक्स्ट । रेविन्यू मंत्री जी ···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय सदस्य ने जो व्यग्रता दिखायी है और मछलियों के ठेके की ओर ध्यान आकर्षित किया है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस मछली काण्ड में जबर्दस्त घोटाला है और जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा किया गया है···

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि सुखाड़िया जी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने में माहिर हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या जांच कमेटी बिठाने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक बवश्चन अध्यक्ष महोदय, वेरी इम्पोर्टेन्ट । जिस तरह से माइन्स का ठेका देने के लिए मिनरल कन्सेशन रूल्स बने हुए हैं उसी प्रकार मछलियों के ठेके के लिये क्या कोई नियम राज्य सरकार ने बनाये हैं ?

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिये ।

श्री हरिसिंह : ऑक्शन के बाकायदा रूल्स हैं, बनाने का क्या सवाल है । ओपन ऑक्शन होता है तो रूल्स के अनुसार ही होता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल्स बने हुए हैं, ओपन ऑक्शन से ही कान्ट्रेक्ट दे सकते हैं वैसे नहीं ?

श्री हरिसिंह : रूल्स के तहत ऑक्शन होता है तो रूल्स गाइड करेंगे । यह तय नहीं था कि डेड रेन्ट पर या ऑक्शन पर । डेड रेन्ट पर देना तय हुआ तो ऑक्शन के नियम लागू नहीं हुए । ऑक्शन के रूल्स के तहत ठेका दिया ही नहीं ।

+ + + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 18

राज्य मंत्री (श्री मनफूलसिंह) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि यदि राज्य सरकार ओक्शन पर देती है तो जो पार्टीज ऑक्शन पर लेती हैं वे आपस में मिल जाती हैं और इस कारण से ऑक्शन से हमारी जितनी भी लेक्स हैं उनकी रॉयल्टी बहुत थोड़ी आती है। वह सब हमने एक्सपर्ट से जांच करवायी है और रॉयल्टी परलेक्स हमने दीं उनका भी आज तक नतीजा ऐसा है कि बहुत थोड़ी रॉयल्टी है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में यह भेजा गया और राय ली गई और फाइनेन्स कमिश्नर ने यह राय दी कि इतनी बड़ी झील आक्शन पर नहीं देनी चाहिये उस आधार पर हमने लीज पर दी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। राजस्व मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। क्या यह सही है कि फिशिंग के राइट्स और कान्ट्रेक्ट देने के रूल्स बने हुए हैं उनमें ऑपन आक्शन के अलावा किसी प्रकार की कान्ट्रेक्ट देने की विधि नहीं है तो किस बेसिस पर कान्ट्रेक्ट दिया था ?

श्री मनफूलसिंह : सरकार के इन्टेरेस्ट की बात थी। फाइनेन्स कमिश्नर से पूछा था।

श्री भैरोंसिह : फाइनेन्स कमिश्नर रूल्स से बड़ा नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको किसी कारण से राज्य सरकार की आमदनी में घाटा होता था तो रूल्स को चेन्ज कर देते क्योंकि यह सदन भी नहीं चाहेगा कि सरकार की आमदनी में घाटा हो।

श्री मनफूलसिंह : फिशरीज डिपार्टमेन्ट इस बात को महसूस कर रहा है। जैसा पहले रॉयल्टी और आक्शन पर देते रहे उसको अब हम बदलने वाले हैं क्योंकि हमने इस बात का टारगेट किया है कि फिशरीज की इनकम 20-30 लाख होनी चाहिये वैसे 10-12 लाख से अधिक नहीं होती है और पिछले साल तो 8 लाख ही हुई। इसी साल हाइयेस्ट आमदनी हुई है 11 लाख रुपया। और आगे के लिये हमारा टारगेट यह है कि कम से कम अगले साल 20 लाख की आमदनी सरकार को हो और इस लिए यह सोचा है कि कम से कम 50 तालाब राजस्थान के ऐसे निकाले जायें जिनको हम डेड रेन्ट पर दे सकें। फाइनेन्स कमिश्नर और फाइनेन्स मिनिस्टर की राय से यह लागू किया जा रहा है……

श्री अध्यक्ष : यह पर्याप्त होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा कि फाइनेन्स कमिश्नर ने किस आधार पर यह डेड रेन्ट इस झील पर लागू किया है। किस की सिफारिश पर और किस क्राइटेरिया पर यह तय किया गया है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी आप भी सुन लें····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न होगा माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जो तालाब 300-400 रुपयों में बेच दिये जाते थे उन्हीं तालाबों को जो अब पंचायत समिति के पास आ गये

(श्री मुकटबिहारी गोयल)

हैं 80-80 हजार में बेचा जा रहा है जब कि विभाग में थे उनको तीन सौ-चार सौ रुपयों में ठेका दिया जाता था........

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय उन्हीं तालाबों का ठेका अब 80 हजार रुपयों में हो रहा है। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, राजस्व मंत्री !

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या इस ठेके से राज्य को लाभ हुआ है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो डेड रेन्ट लिया गया है वह किस की सिफारिश पर और किस क्राइटेरिया पर फिक्स किया गया है ?

श्री मनफूलसिंह : यह वित्त विभाग की सिफारिश पर किया गया है ?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सरकार को इसे डेड रेन्ट पर देने से गत वर्ष के बजाय इस वर्ष कितना फायदा हुआ है ?

श्री हरिसिंह : अब सवा लाख का फायदा हुआ है। नुकसान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या सरकार को फायदा हुआ है डेड रेन्ट पर देने से ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : सवाल फायदा या नुकसान का नहीं है। जब इसके कानून बने हुए हैं तो उस कानून के विपरीत क्यों कार्यवाही की जा रही है। यदि कानून के अनुसार देने में नुकसान होता है तो उस कानून को बदला जाये और उसके बाद यह दी जावे।

श्री मनफूलसिंह : राज्य सरकार कानून को बदलने पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बाढ़दार !

जयपुर में राजस्व मंडल की बैंच

198. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि राजस्व मंडल की एक बेंच नियमित रूप से सेल्स टैक्स के मुकदमों की सुनवाई के लिये जयपुर में बैठती है ?

(2) क्या सरकार राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिये जयपुर में बेंच की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी हां। माह में एक बार।

(2) जी नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह पूछा था ऐसा क्यों है ? क्या इसका कारण राजनैतिक है ।

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या प्रशासकीय है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या वैधानिक कारण है ।

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं । यूं तो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रावधान है कि राजस्व मण्डल अपनी इच्छानुसार कहीं भी राजस्थान में बेंच रख सकता है । लेकिन जहां तक जयपुर में अलग से बेंच रखने का प्रश्न है पहले भी एक बार इसका परीक्षण किया जा चुका है और राजस्व मण्डल ने इसको आवश्यक नहीं समझा है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि राजनैतिक, प्रशासनिक और वैधानिक कोई कारण नहीं है जबकि लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसके लिये प्राविजन है कि राजस्व मण्डल कहीं भी अपनी बेंच कायम कर सकता है और मुकदमों को सुन सकता है । जबकि सैल्स टैक्स के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक बेंच प्रति माह जयपुर में आती है और मुकदमों का निर्णय करती है । इसमें सरकार का ज्यादा खर्च होता है या कम । राजस्व के मुकदमों का निर्णय भी, वह कर सकती है । मैं तो समझता हूं, इसमें राजनैतिक कारण है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाये कि वे कौन से कारण हैं·······

श्री अध्यक्ष : समझ गये, पर्याप्त हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब सेल्स टैक्स के मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं तो राजस्व के मुकदमों की सुनवाई का उनको अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी ।

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): इसके इम्पलीकेशन्स को एग्जामिन कर लेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके बारे में मांग करते करते काफी अर्सा बीत चुका है । जयपुर की जनता काफी अर्से से इसकी मांग करती आ रही है और जब कभी मुख्य मन्त्री जी आश्वासन देते हैं तो वह ब्रह्मा का दिन है । उसका कोई अंत नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेल्टैक्स की बेंच होती है, तो माननीय राजस्व मन्त्री जी इसमें आपकी क्या राय है कि राजस्व के मामलों की भी वह सुनवाई करे ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है । मिनिस्टर की हैसियत से जो राय है वह मैंने बता दी है कि इस मामले की जांच करायेंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : राजस्व मंडल के कम से कम तीन अधिकारी प्रति दिन

(श्री मुकुटबिहारीलाल) जयपुर आते रहते हैं और महीने में 25 रोज वे जयपुर में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : और इस तरह से वे टी. ए. और डी. ए. कमाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : प्रश्न संख्या 199।

बूंदी जिले की विद्युत योजना

199. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में ऐसे कौन कौन से ग्राम हैं जो राज्य सरकार की विद्युत योजना की सूची में है? सूची तहसीलवार बतलाने की कृपा करें?

(2) कौन कौन से ऐसे ग्राम हैं जहां पर विद्युत पहुंच जाने पर भी कोई कनेक्शन न तो लिया ही है और न प्रार्थना-पत्र ही दिया गया है?

(3) ऐसे कौन कौन से ग्राम है जिनके द्वारा विद्युत के लिये प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने पर भी कोई लाइन अभी तक नहीं दी गई है? इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र कितने हैं और कब दिये गये थे?

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना में किस किस तहसील के कौन कौन से ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है? सूची सदन के पटल पर रखें।

श्री दुर्गालाल बादवार : क्या जयपुर में.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। विद्युत मन्त्री महोदय!

उप मन्त्री विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) बूंदी जिले के विद्युतीकरण के ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम मोतीपुरा, पंच की बावड़ी, टोकड़ा, खुराड़ और धीरपुरा में विद्युत पहुंच जाने पर भी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) ऐसे ग्रामों की सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें प्रार्थना-पत्रों की संख्या व प्राप्ति का समय बतलाया गया है।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष की योजनानुसार पांच ग्रामों में एवं स्पिल ओवर के दो ग्रामों में विद्युत पहुंचाई जा चुकी है। सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही है कि प्रश्न के खन्ड 3 में ग्रामों की जो संख्या दी गई है उनमें किन किन के प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं और उनमें कुकड़ा ग्राम शामिल नहीं है।

श्री खेतसिंह : इसमें जो ग्राम दिये गये हैं, वे हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन ग्रामों के व्यक्तियों ने

Page No 22

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
एक याचिका इस सदन में भी प्रस्तुत की थी और यह फैसला किया गया था कि जल्दी से कार्यवाही की जायेगी। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन ग्रामों ने याचिका प्रस्तुत की थी उन ग्रामों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? 30 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र हैं और उनको सालों बीत गये हैं और जबकि बिजली की लाइन वहां से केवल 5 मील की दूरी पर ही है और वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं है। वहां पर केवल कुओं से सिंचाई होती है। अगर बिजली वहां पर पहुंच जाये तो सिंचाई बढ़ाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है?

श्री खेतसिंह : इस बात की जानकारी हॉसिल करली जायेगी?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आपने जो सूची दी है उसमें क्लेक्टर महोदय ने जो गांव रिकमण्ड किये हैं वे शामिल नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : यह सूची मेरे पास नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : वह मैं आपको बता देता हूं·······Rural electrification programme in respect of villages at a distance of one to two miles from existing system in different localities, proposed by the Collector:—

Bundi

जो नाम कलेक्टर ने दिये हैं वे आपकी इस लिस्ट में नहीं है।

श्री खेतसिंह : ये आपके पास में किसी दूसरे प्रश्न का जवाब है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या बूंदी राजस्थान के बाहर है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्हें यह मालूम नहीं था कि आप सूची लेकर सदन में आयेंगे।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची है वह मेरे पास नहीं है जब तक मैं इसको कम्पेयर नहीं कर लूं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : एक निवेदन कर दूं जो कलेक्टर ने गांवों के नाम रिकमण्ड किये हैं उनको बोर्ड ने अपनी लिस्ट में नहीं लिया है·······

श्री खेतसिंह : जिनको रिकमण्ड कर के भेजा है वह सूची जब तक न हो मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री मदनसिंह : जो बूंदी की लिस्ट आई है यह डिफर करती है तो आपकी लिस्ट गलत है या कलेक्टर की यह तो बतादें।

श्री खेतसिंह : मैं इसको कम्पेयर करके ही बता सकता हूं·······

श्री दिग्विजयसिंह : विद्युत मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम उन गांवों को ले रहे हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी ने रिकमण्ड किये हैं···। क्या यह सही है?

श्री खेतसिंह : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : इसको देख लीजिये ।

नेक्स्ट । श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या 200 ।

गंगानगर जिले में चल रहा आन्दोलन

200. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर जिले में किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा है ? यदि हां तो वह आन्दोलन कब से चल रहा है तथा आन्दोलनकारियों की मांगे क्या हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार आन्दोलनकारियों की मांगों पर गौर करके उन समस्याओं का हल करना उचित नहीं समझती ?

(3) क्या यह सही है कि इस सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा रखी गई मांगों और समस्याओं पर गंगानगर ज़िले से राजस्थान सरकार के पास अनेक बार बड़े बड़े सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल आये और उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये तथा अनेक सम्मेलनों द्वारा प्रस्ताव भेजे गये हैं जिन पर राज्य सरकार ने कोई गौर नहीं किया ?

(4) राज्य सरकार जनता की उचित मांगों, प्रतिनिधि मन्डलों के प्रस्तावों तथा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करने पर भी ध्यान क्यों नहीं देती ?

(5) इस आन्दोलन के सम्बन्ध में अब राज्य सरकार का क्या रवैया है ?

राज्य मन्त्री (श्री मनफूलसिंह) : (1) गंगानगर जिले में किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में सत्याग्रह आन्दोलन दिनांक 3-11-69 से चल रहा है । किसान संघर्ष समिति द्वारा जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनके अनुसार उनकी मांगे निम्न प्रकार है:—

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लीजिये ।

श्री मनफूलसिंह : (1) भ्रष्टाचार और पक्षपात समाप्त किया जावे । भ्रष्टाचारियों की जांच करवाई जावे ।

(2) भूमिहीनों को भूमि दी जावे ।

(3) भूमिहीनों की परिभाषा में परिवर्तन किया जाकर शादी शुदा बालिग को परिवार स्वीकार किया जाये ।

(4) प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दो मुरब्बे कृषि भूमि दी जावें ।

(5) कम भूमि वाले किसानों को कमी पूर्ति में 2-2 मुरब्बे तक कृषि भूमि दी जाये ।

(6) खातेदारी अधिकारों से वंचित रखे गये (परगना टी. बी. तहसील भादरा और राजस्थान नहर क्षेत्र के किसानों को) खातेदारी अधिकार दिये जायें ।

(7) सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीनों को 2 मुरब्बे तक बेदखल किया जाये ।

Page No 24

(श्री मनफूलसिंह)

(8) नीलामी बन्द की जावे। नीलाम भूमि की नीलाम खारिज की जाये।

(9) सरकारी भूमि का नाजायज अलॉटमैंट रद्द किया जाये।

(10) भूमिहीन और कम भूमि वाले किसानों द्वारा खरीद की हुई भूमि को वैध माना जाये।

(11) किश्तों की अदायगी की अवधि के भीतर किश्त अदा न होने पर खारिज भूमि बहाल की जाये और भविष्य में अदायगी के अभाव से भूमि खारिज न की जाये।

(12) बढ़ाया गया मालिया (भू-राजस्व) और बढ़ाया गया आबियाना वापिस लिया जाये।

(13) सरचॉर्ज (अतिरिक्त भू-राजस्व) और खुशहाली टैक्स समाप्त किया जाये।

(14) कैश क्रॉप टैक्स समाप्त किया जाये।

(15) कृषि यन्त्रों को कर मुक्त किया जाये।

(16) कृषि के लिये ट्रैक्टर, तेल और खाद सस्ते भाव से मिलने की व्यवस्था की जाये।

(17) गंग कैनाल और भाखरा कैनाल में पानी की कमी को दूर किया जाये।

(18) राजस्थान कैनाल को शीघ्र पूरा किया जाये।

(19) नहरों की टेल तक पानी पहुँचाया जाये।

(20) गंग कैनाल को लालगढ़ और समाज शाखा को बारहमासी बनाया जाये।

(21) सिधमुख और नोहर (ओटू) कैनाल योजना प्रारम्भ की जाये।

(22) अप्रेल 1970 से पाकिस्तान से मिलने वाले पानी को लेने की योजना बनायी जाये।

(23) जिले की अनकमॉन्ड भूमि को लिफ्ट से पानी देने की व्यवस्था की जाये।

(24) मन्जूरशुदा मंडियों को आबाद कराया जाये।

(25) गांवों और शहरों में आबादी की समस्या को हल करने के लिये आवास की व्यवस्था फरमाई जावे।

(26) जमीदारों को खातेदारी अधिकार बिना मुआवजा दिये जावें।

(27) शरणार्थियों के साथ अलवर जिले के शरणार्थियों की तरह व्यवहार किया जावे।

(28) गांवों को बिजली और सड़कों से मिलाया जावे।

(29) कृषि के लिये नल कूपों को बिजली देने की व्यवस्था की जाये।

(30) कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाये।

(31) मैडिकल सहूलियत बढ़ाने के लिये जिले के होस्पिटल की हैसियत बढ़ाई

(श्री मनफूलसिंह)
जाकर मैडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।

(32) जिले का अवरुद्ध विकास प्रारम्भ किया जाये। कृषि उद्योग एवं अन्य यन्त्रों-धन्धों को स्थापित किया जाये।

(33) खाद और ट्रैक्टर के कारखाने स्थापित किये जायें।

2. इस विषय में मांगों पर चर्चा हो रही है।

3. राज्य सरकार समस्याओं पर अवश्य विचार कर रही है। अलग अलग विभागों से सम्बन्धित प्रश्न पर सम्बन्धित मन्त्री ही प्रकाश डाल सकते हैं।

4. सरकार सब मांगों पर ध्यान दे रही है।

5. मांगों पर चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद, सब पर सरकार एक साथ अपना निर्णय लेगी।

श्री दौलतराम सारण : वहां के प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार के पास आये और उन्होंने समय समय प्रतिवेदन भी दिये, प्रस्ताव भेजे गये उन पर राज्य सरकार ने विचार नहीं किया यह स्थिति क्यों पैदा हुई और अब राज्य सरकार द्वारा उन पर विचार करने का क्या कारण है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : 8 मार्च को जन आन्दोलन की मांगों के बारे में किसान संघर्ष समिति से वार्ता करना उचित क्यों नहीं समझा?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री केदारनाथ : क्या इस आन्दोलन में प्रमुख हाथ किसान संघर्ष समिति का है?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम): यह मामला उपनिवेशन विभाग से संबन्धित नहीं है।

श्री केदारनाथ : 8 मार्च को इस आन्दोलन की समाप्ति से पहले इस आन्दोलन के सिलसिले में किसान संघर्ष समिति को बिना शर्त वार्ता के लिये निमन्त्रण देना उचित क्यों नहीं समझा?

श्री शोभाराम : इस मामले में उपनिवेशन विभाग से उत्तर दिया जा रहा है। आन्दोलन किन किन समितियों की तरफ से था इस बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी दें।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना): जब उत्तर आपके विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, तो आपको ही इसका उत्तर देना चाहिये। आपकी जोइण्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न विरुद्ध रूप से आवेगा।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कुछ विशेष मुद्दे रखे हैं उनका संबन्ध मुख्य मंत्री से, वार्ता से या घोषणा से संबंधित नहीं हैं। राजस्थान सरकार के सामने समय समय पर अनेक बार गंगानगर के प्रतिनिधि मंडल

(श्री दौलतराम सारण)
ने वहां की समस्या सरकार के सामने रखी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये लेकिन राज्य सरकार ने किसी पर गौर नहीं किया इसके क्या कारण थे ? जब अन्तिम नोटिस दिया गया उसके बाद भी गौर नहीं किया गया इसका क्या कारण था ?

आन्दोलन के चलते हुये भी राज्य सरकार ने उसकी परवाह नहीं की इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह किससे पूछा था ।

श्री दौलतराम सारण : यह मैने मुख्य मंत्री जी से पूछा था आपके सचिवालय ने राजस्व मंत्री को कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न जब मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आयेगा उस समय आप पूछ सकते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : इसमें कोई नीति की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उस समय इस पर विशद् प्रकाश मिल सकेगा, उसमें ये सारे प्रश्न शामिल कर लिये जायेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : तो मेरा प्रश्न उस समय ले लिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस वार्तालाप से संवन्धित बातों पर अन्तिम तौर से वक्तव्य कब दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): तारीख 25 या 26 को ।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया आठ मार्च से पहले किसान संघर्ष समिति से बिना शर्त भाग लेने के लिये क्यों आमन्त्रित नहीं किया गया ?

प्रश्न संख्या 201

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह ।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ।

श्री सुखाड़िया : यह बात सब जानते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : अगर मुख्य मंत्री जी कहते हैं सब जानते हैं तो वह कारण सदन को क्यों नहीं बतलाये जाते ? यह कह कर मुख्य मंत्री जी ने और अधिक भ्रम फैला दिया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारे प्रयत्न हमेशा यह रहे हैं कि इस समस्या को शान्तिपूर्ण तरीके से हल किया जाय । मैंने यह बात सदन में भी कही । एक बार रिहाई भी कर दी गई फिर भी किसी भी पक्ष की तरफ से बातचीत द्वारा समस्या हल करने के बारे में वातावरण नजर नहीं आया इस वजह से बात नहीं कर पाये । उसके बाद सन्त चाननसिंह और उसके बाद किसान सभा के दोनों युनिट्स ने इस बात को कहा कि समस्या का हल बातचीत द्वारा निकाला जाय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने यह फरमाया कि इस बात के बारे में सब को मालूम है । सन्त चाननसिंह और किसान सभा ने कोई अकेले में आन्दोलन नहीं चलाया·······

श्री अध्यक्ष (श्री खेतसिंह से) : आप प्रश्न का उत्तर जोर से पढ़िये ।

ग्राम थावरिया व मैनसर में बिजली

202. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील-नोखा के ग्राम झाड़ेली से ग्राम थावरिया व मैनसर तक बिजली लाईन कब तक लगा दी जावेगी ?

(2) क्या सरकार सिंचाई के कुओं के लिये भी बिजली देने के सम्बन्ध में काश्तकारों को प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो मैनसर के इलाके में किसानों द्वारा अपने खेतों में जो लगभग 55 कुए खुदवाकर तैयार कर लिये गये हैं और बिजली के अभाव में किसान अन्न उपजाने में पूरे कामयाब नहीं हो सके हैं, उन पर क्या इस वर्ष बिजली देने का सरकार विचार रखती है ?

उप मन्त्री विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(2) जी हां । विद्युतिकृत ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर यदि कनेक्शन देना तकनीकी दृष्टि से लाभप्रद हो तो सीमित साधनों के अनुसार कनेक्शन दिये जाते हैं ।

(3) जी नहीं । हमारी रिपोर्ट में केवल 6 कुए दिखलाये गये हैं, जिसके अनुसार योजना लाभप्रद नहीं होने के कारण विचार नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या 203

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी ।

नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा दिया गया ऋण

204. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बीजाराम जाट निवासी पीलासर तहसील डीडवाना, जिला नागौर को जो रुपये 24,000 दिये गये उनको वसूल किये जाने के सरकार ने आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो वसूली में क्या अड़चन है ? इस वसूली हेतु क्या क्या कार्यवाहियां हुई हैं एवं क्या क्या कार्यवाही बाकी रही हैं ?

(2) क्या उक्त श्री रामचन्द्र इसी बैंक में ड्राइवरी की नौकरी पर है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो कब से नहीं ?

उप मंत्री, सहकारी विभाग (श्री रामदेवसिंह) : (1) नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा श्री रामचन्द्र पुत्र श्री जीवाराम जाट निवासी पालासर तहसील डीडवाना को जो 24,000) रु. ऋण के रूप में दिये गये उनकी वसूली के लिये राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश नहीं दिये गये । इसके लिये राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत जो संचालक गण अनिय-

(श्री राम देवसिंह)
मित रूप से उपरोक्त ऋण स्वीकृत करने के दोषी पाये गये उनके विरुद्ध आचरण की जांच कराई गई तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर संबन्धित संचालकों को आरोप-पत्र दिया जा रहा है। उपरोक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही होने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश जारी किये जा सकेंगे।

(2) श्री रामचन्द्र बैंक में इस समय ड्राईवर की नौकरी पर नहीं हैं। ये इस पद पर दिनांक 8-5-69 से नहीं हैं।

श्री रामसिंह कुडी : रामचन्द्र बैंक की नौकरी में है या नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : नहीं।

श्री रामसिंह कुडी : कब से ?

श्री रामदेव सिंह : 8-5-69 से।

श्री रामनारायण चौधरी : 24 हजार रुपया किस मकसद के लिये स्वीकार किया गया था ?

श्री रामदेवसिंह : ऋण के रूप में दिया गया था।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : किस कार्य के लिये कब दिया गया, ऋण दिया गया। क्या उस समय वह बैंक का कर्मचारी था ? उससे क्या सिक्यूरिटी ली गई ? सम्पत्ति की सिक्यूरिटी ली तो, क्या उसके पास सम्पत्ति थी या नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : डीडवाना में ब्रान्च खोलने के लिये उसका मकान था उसके अगेन्स्ट ऋण दिया गया।

श्री हरजीराम बुरडक : किस मद से रुपया दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री): यह ऋण अवैधानिक रूप से दिया गया था जो नहीं दिया जाना चाहिये था। यह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने दिया था। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से कहा गया कि वह ऋण आप से क्यों न वसूल किया जाय।

श्री हरजीराम बुरडक : ऋण वसूली के अलावा जो उन्होंने अनियमित कार्यवाही की 24 हजार रुपया बैंक का दिया उसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : नियमों के अनुसार और एक्ट के अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : जिन डाइरेक्टर्स ने लोन दिया क्या वे अभी हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : कार्यवाही चल रही है।

(12 मध्याह्न)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : कार्यवाही कब से चल रही है।

श्री रामसिंह कुडी : मैं जानकारी देता हूं कि श्री रामचन्द्र आज भी बैंक में कर्मचारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है।

श्री रामसिंह कुडी : और अभी बैंक की साधारण सभा की बैठक हुई थी उसमें

Page No 29

(श्री रामसिंह कुडी)
स्पष्ट तौर से इन अधिकारियों ने और संचालक मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि रामचन्द्र है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, यह गलत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि गलत सूचना दी गई है।

उप-मंत्री (श्री रामदेव सिंह) : नहीं दी गई।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, चरागाहों पर कब्जा कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हैं। कोई प्रश्न है या भाषण है? स्थान ग्रहण करें। प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले में मछली पकड़ने के ठेके

190. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में मत्स्य विभाग द्वारा किस किस तालाब से मछली पकड़ने के ठेके विगत 3 वर्षों में किस किस को कब कब दिए गए? ठेकेदारों द्वारा कितनी कितनी मछलियां पकड़ी गई व इससे सरकार को कितनी आमदनी हुई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि मछली उत्पादन के लिये एक तालाब से दूसरे तालाब में मछलियां छोड़ी जाती हैं? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत किस किस तालाब में इस कार्यक्रम को चलाया गया? उसमें कितनी मछलियां छोड़ी गई, व्यय कितना हुआ व सरकार की आमदनी कितनी बढ़ी?

(3) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर के गेवसागर तालाब से मछली पकड़ने का ठेका नहीं दिया गया है फिर भी मछलियां पकड़ी जाती हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो ठेका किस को व कब दिया गया?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, तालिका संलग्न है।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की नियुक्तियां

201. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने भूतपूर्व जागीरदारों एवं भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पद पर किन किन तारीखों को नियुक्त किया गया और उनकी सिनियोरिटी किस आधार पर

(श्री पृथवी सिंह)
तय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ;

(2) उक्त व्यक्तियों में से किन किन की पदोन्नति कब कब की गयी, एवं उन्हें कब कब स्थायी किया गया ? क्या इन्हें रिवाइज्ड वेतन शृङ्खला भी दी गयी है ?

(3) क्या इनसे बाद में रखे गये नई नियुक्तियों वाले व्यक्तियों में से किसी ने उन्हें सुपरसीड करके पदोन्नति पायी है ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों ने और उनके क्या क्या करण थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति व जिला परिषद् सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद

203. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 22 सितम्बर, 69 को यह अधिसूचना जारी की है कि पंचायत समिति व जिला परिषद् सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को यदि वह गैर सरकारी व्यक्ति हुआ तो वेतन 2 हजार रुपया माहवार दिया जायेगा ?

(2) उक्त पद पर अब तक कौन व्यक्ति कार्य कर रहा था और उसे क्या वेतन एवं अन्य सुविधायें दी जा रही थी ?

(3) राज्य में जब कि अकाल की भयानक स्थिति है, आर्थिक संकट के कारण कई विभागों में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है तब यह अनावश्यक पद एवं अर्थ व्यय कहां तक उचित है ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. उक्त पद पर श्री एम. ए. वासवानी अब तक कार्य कर रहे हैं । पूर्व में इन्हें 1200) रु. प्रति माह वेतन दिया जा रहा था ।

3. चूंकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को उक्त कार्य के अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का कार्य भी सौंपा गया है, अतः बढ़े हुए कार्यभार एवं जुम्मेदारी के लिये वेतन बढ़ाना आवश्यक था ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से सम्पर्क

257. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार का केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु नई दिल्ली में कोई सम्पर्क अधिकारी (Liaison Officer) नियुक्त है ? यदि हां, तो कितने और किस किस विभाग के लिये ? यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार से विभिन्न अनुदान और छात्रवृत्तियां आदि प्राप्त करने और अन्य राज्यों में हु ई

(श्रीमती मदनकौर)
प्रगति से सम्पर्क बनाये रखने की क्या मशीनरी है ?

उत्तर

जी नहीं।

केन्द्र सरकार से विभिन्न अनुदान और छात्रवृत्तियां आदि प्राप्त करने और अन्य राज्यों में हुई प्रगति के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग पृथक पृथक सम्पर्क स्थापित करते हैं।

भूतपूर्व राजस्व मंत्री द्वारा तहसील पाटन का दौरा

254. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 15 जनवरी, 1968 को भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री बृजसुन्दर शर्मा का दौरा तहसील पाटन जिला बून्दी में हुआ था ?

(2) मन्त्री जी के साथ दौरे में कितनी जीपें, कार व ट्रक थे और उनका पेट्रोल का क्या खर्चा आया ? जीपें किस किस विभाग की थीं व कार व ट्रक किस के थे ?

(3) एक मन्त्री की सुरक्षा की दृष्टि से कितना पुलिस जाप्ता अनुमन साथ रहता है ? इस अवसर पर पुलिस के कौन कौन उच्च अधिकारी व कितने सिपाही मन्त्री जी के साथ में थे ?

(4) राजस्व, पुलिस व पंचायत समिति पाटन व जिला परिषद के कितने प्रथम श्रेणी के अधिकारी व कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी साथ में थे और टी. ए. व डी. ए. क्या दिया गया ?

(5) यह दौरा मन्त्री की हैसियत से किया गया था या कांग्रेस पार्टी की आयोजित आम सभाओं के लिये किया गया था ?

(6) इस दौरे में मन्त्री जी ने कांग्रेस पार्टी की कितनी आम सभाओं में कितने भाषण दिये ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) मन्त्री जी के साथ दौरे में पंचायत समिति, जिला परिषद, राजस्व, कृषि एवं भू-संरक्षण के अधिकारी भी थे। इस दौरे में उन्हें चम्बल रेविन्स का मुआयना करना था।

(3) मन्त्री जी के स्वयं के लिये केवल एक जीप गई थी, जो जिला पूल की थी और उसका पेट्रोल व्यय रुपये 18.90 हुआ। इसके अतिरिक्त जो अन्य अधिकारी दौरे पर साथ थे, उनके द्वारा ले जाई गई 6 जीपें एवं एक पिक-अप और उनके पेट्रोल का विवरण निम्नांकित है:—

	रु.
[1] जिला भू-संरक्षण अधिकारी की जीप	55.84
[2] पंचायत समिति पाटन की जीप (प्रधान एवं विकास अधिकारी)	70.00
[3] जिला पूल की 2 जीपें (प्रधान) जिला परिषद एवं राजस्व अधिकारी)	37.80

(मुख्य मन्त्री)

[4] कृषि अधिकारी (कृषि विभाग की जीप) 28.47

[5] पुलिस विभाग की जीप एक व पिकअप-एक 195.31

दौरे पर मन्त्री की सुरक्षा की व्यवस्था तथा उसके लिये आवश्यक जाप्ता का निर्णय सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक स्थिति एवं समयानुसार करते हैं। उक्त दौरे में एक सी. ओ. 3 हैड कान्सटेबल व 12 कान्सटेबल साथ थे।

(4) मन्त्री जी के साथ कोई प्रथम श्रेणी का अधिकारी नहीं था। भाग 3 में वर्णित पुलिस कर्मचारियों के अतिरिक्त 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एक तहसील व एक पंचायत समिति) विभागीय कार्य हेतु गये थे, जिनको निम्न प्रकार से भत्ता चुकाया गया:—

(1) पुलिस कर्मचारियों को रु. 115.68

(2) पंचायत समिति के कर्मचारी को रु. 25.50

(3) राजस्व विभाग के कर्मचारी को रु. 51.90

(4) यह दौरा मन्त्री की हैसियत से किया गया था।

(5) केवल कापरेन में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में मन्त्री जी ने भाषण दिया था।

लिपिक कर्मचारियों में से प्रशासनिक सेवा में चयन

259. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लिपिक कर्मचारियों में से राजस्थान प्रशासन सेवा हेतु विभागीय कोटे में से विशेष चयन करने का प्रावधान रखा है? यदि हां, तो अब तक इस प्रावधान के अनुसार कितने ऐसे चयन कब कब हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार लिपिक वर्ग में से राजस्थान प्रशासन सेवा में चयन करने का जो कोटा रखा गया है वह बहुत ही कम है जिसके कारण उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कोटे को बढ़ाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि लिपिक वर्ग कर्मचारियों में से प्रशासनिक सेवा में चयन करने का जो प्रावधान है वैसा तहसीलदार सेवा से पदोन्नति करके लिपिक वर्ग में से चयन करने का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त सेवा नियमों में समानता लाने के लिये तहसीलदार सर्विस के चयन में भी उपरोक्त रूप से लिपिक वर्ग में से चयन करने के लिये कोई कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने

(श्री रामसिंह कुड़ी)
प्रतिशत का कोटा कब तक तय कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान प्रशासन सेवा नियमों के नियम 7 (डी) व 15 में विशेष चयन का प्रावधान किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिये नहीं है अपितु इन नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो इन नियमों की शर्तें पूर्ण करता हो अर्थात् जो स्थायी पद पर नियुक्त हो तथा जिसने चयन किये जाने वाले साल की पहली जनवरी को 5 साल की सेवा कर ली हो, चयन किया जा सकता है। अब तक इस प्रावधान के अनुसार 22 व्यक्ति चयनित हुये हैं, जिनमें 5 व्यक्ति लिपिक वर्ग के हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विशेष चयन के कोटे को बढ़ाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। जिलाधीश कार्यालय व राजस्व मण्डल के अधीक्षकों के लिये दस पद तहसीलदार सेवा में आरक्षित रखे जाकर, इस संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बीच विचार-विमर्श हुआ था, किन्तु लोक सेवा आयोग ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है और मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

पटवारियों के तबादले

260. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) एक सरकारी कर्मचारी (पटवारी, तहसीलदार व एस. डी. ओ.) एक स्थान पर कितने वर्षों तक निरन्तर रह सकता है ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग में कई सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर 10-10 और 12-12 वर्षों से जमे हुए हैं ? यदि हां तो सरकार उनका तबादला क्यों नहीं करती ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल से इस प्रकार के कोई नोटिस (हिदायतें) जारी किए हैं कि राजस्व विभाग के ऐसे कर्मचारी जो एक स्थान पर पांच सालों से अधिक सेवा में काम कर रहे हैं उनके तबादले कर दिये जावें ? यदि हां, तो ऐसी हिदायतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल ने सन् 1968-69 में भी ऐसा नोटिस जारी किया था ? यदि हां तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ङ) क्या सत्य है कि ऐसी हिदायतें होते हुए भी उनकी अनुपालना नहीं की गई ? यदि हां तो जो अधिकारी उन हिदायतों की अनुपालना नहीं करते, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

(च) क्या ऐसी हिदायतें जिला नागौर एवं अजमेर में पहुंची हैं ? यदि हां, तो वहां के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री परसराम गंगाराम)

(छ) तहसील परबतसर जिला नागौर से सन् 1968-69 में किन किन पटवारियों का तबादला किया गया ? उनकी पोस्टिंग कब से उस पटवार सर्किल में हुई और कितने वर्ष पटवारी उस ग्राम में रहे थे और किन कारणों से उनका तबादला किया गया था—का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(ज) ग्राम मेलाना, भकरी, मडसीया व भागोट तहसील परबतसर के पटवारी कितने वर्षों से वहां जमे हुए हैं और उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

केकड़ी नगरपालिका की भूमि

261. श्री देवीलाल बुरासिया : (केकड़ी) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी नगरपालिका की सीमा वृद्धि में राजस्व विभाग केकड़ी ने कितनी जमीन, किस किस नम्बर की केकड़ी नगरपालिका को सम्भलाई थी ? नम्बर व रकबे सहित सूची सदन में रखें।

(2) क्या उपरोक्त दी हुई जमीनों के अतिरिक्त भी राजस्व विभाग की पड़त जमीन पर नगरपालिका द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? अगर हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनधिकृत कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) नगरपालिका केकड़ी के सीमा वृद्धि में आई हुई आराजी की सूची नगरपालिका द्वारा तहसील कार्यालय में दिनांक 6-12-69 को प्राप्त हुई है जिसकी मौके की जांच कराई जा रही है। अभी नगरपालिका को जमीन नहीं संभलाई गई है।

(2) सरकारी भूमि पर नगरपालिका केकड़ी का कोई नाजायज कब्जा नहीं है।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मुडधसा में आवंटित भूमि

262. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फैज मोहम्मद साकिन बून्दी को मुडधसा में तहसीलदार, हिन्डोली ने आराजो खसरा नम्बर 486 का आवन्टन किस तारीख को किया था ?

(2) इसको किस हैसियत से जमीन का आवन्टन किया गया था ? इससे बोली लगा कर पैसे लिये अथवा बिना बोली लगाये ही जमीन खाते बान्ध दी है ?

(3) क्या यह सत्य नहीं है कि इसको तीन सालों का ट्रेसपासर बतला कर यह जमीन इसके खाते बान्धी गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि जो काश्तकार वाकई ट्रेसपासर थे उनको जमीनों से

(श्री केसरीसिंह हाडा)
बेदखल किया जा रहा है और उनसे जुर्माना वसूल किया जाकर फसलें नष्ट की जा रही हैं ?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार तहसीलदार, हिन्डोली की अवैधानिक कार्यवाही व मनमानी के सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सत्य है कि प्रमुख के दबाव से तहसीलदार ने जंगलात की जमीन चिमनकादरी की मान कर जागीरसिंह के नाम रजिस्ट्री की थी ? यदि हां, तो किस दिन व कितने बजे की थी ?

उत्तर

(1) श्री फैज मोहम्मद साकिन बूंदी को ग्राम मूडघसा में तहसीलदार, हिण्डोली ने खसरा नम्बर 486 में कोई भूमि आवंटन नहीं की है। ऐसी दशा में आवंटन की तारीख बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) यह सत्य नहीं है। यह जमीन इनके खाते नहीं बांधी गई है।

(4) जी नहीं, जो वास्तव में ट्रेसपासर हैं यदि नियमित सीमा व कानून में आते हैं तो अतिक्रमण नियमित किया जाता है अन्यथा नहीं। कोई फसल नष्ट नहीं की जा रही है अलबत्ता संवत् 2023 में चरागाहों के अतिक्रमणों की फसलों में संबन्धित गांववालों की मवेशी छुड़ाई गई थी।

(5) जी नहीं, तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा इस बारे में कोई अवैधानिक कार्यवाही व मनमानी नहीं की गई है। अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) रेकार्ड से ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसमें यह प्रकट हो कि श्री भैरवप्रकाश जी, जिला प्रमुख, के दबाव से तहसीलदार ने रजिस्ट्री की अलबत्ता दिनांक 8-9-67 को 11 बजे दिन सब रजिस्ट्रार, हिण्डोली के यहां एक बनामा हाजी अब्दुल कदुसखां आत्मज भूरे खां, अब्दुल हफीज खां, अब्दुल गफूर खां पिसरान अब्दुल कदुसखां चमन कादरी, बूंदी के द्वारा श्री उजागरसिंह आ० अत्तरसिंह सिख, साकिन बोवनवा व श्री जागीरसिंह आत्मज हरनामसिंह जाति सिख, निवासी भादुन्दा व जागीरसिंह आत्मज बाघसिंह सिख, निवासी भादुन्दा के हक में रजिस्टर्ड हुआ है जो राजकीय भूमि है।

ग्राम ललासरी में चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जे

263. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम ललासरी तहसील डीडवाना की चरागाह भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जे करके मकान, बाड़े आदि बना लिये हैं ? यदि हां, तो किन किन ने कब कब से कितनी कितनी भूमि पर और उनको हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) उक्त नाजायज कब्जों को कब तक हटा दिया जायगा।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) चरागाह भूमि पर कब्जा करने, मकान बना लेने पर उनको हटाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें कितना समय लग जाता है ?

(4) इतने लम्बे समय तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई और इसके लिए कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेवार हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) चरागाह भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

ग्राम पहाड़ी एवं केलवाडा में आवंटित भूमि

264. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि सुरेन्द्रसिंह पुत्र वीरबल जाट, तेजपालसिंह पुत्र बाबूसिंह जाट, अनन्तसिंह पुत्र होकमसिंह जाट विजयपालसिंह पुत्र विरखसिंह जाट के तहसील शाहबाद के ग्राम पहाड़ी एवं केलवाड़ा में सन् 1967 में भूमि आवंटन हुई है ?

(2) यदि हां, तो किस किस तारीख को कितनी कितनी बीघा भूमि किस किस खसरा नम्बर की आवन्टित हुई और किन नियमों के तहत हुई ?

(3) उक्त चारों व्यक्ति किस स्थान के रहने वाले हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पत्थर एवं अभ्रक के ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली

265. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में पत्थर एवं अभ्रक की खान खोदने के कौन कौन ठेकेदार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन ठेकेदारों से कितनी कितनी रायल्टी वसूल की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1969-70 की कुल कितनी रायल्टी वसूल की गई और कितनी किन किन में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में पत्थर एवं अभ्रक की खान खोदने के 20 ठेकेदार हैं, जिसकी सूची इसके साथ संलग्न है।

(2) इन ठेकेदारों से जितनी जितनी रायल्टी वसूल की जाती है वो सूची में हर ठेकेदार के नाम के आगे अंकित है।

(उद्योग मंत्री)

(3) वर्ष 69-70 की कुल रॉयल्टी का पता लगाना आज की तारीख में कठिन है क्योंकि 69-70 का वर्ष 31-3-70 को समाप्त होने पर ही हिसाब लगाया जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग ठेकों कि अवधि पृथक पृथक होने से वित्तीय वर्ष के अनुसार रायल्टी का हिसाब बताना सम्भव नहीं है क्योंकि हर ठेके कि रायल्टी का निर्धारण ठेके की अवधि पूरी होने पर किया जाता है। फिर भी जिन ठेकों का अधिशुल्क निर्धारण हो चुका है उनकी रायल्टी की देय रकम संलग्न सूची में अंकित है। जिन जिन ठेकेदारों में रकम बकाया है वह भी संलग्न सूचि में अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

उद्योगों को ऋण

266. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि छोटे उद्योग धन्धों को सरकार अपनी गारन्टी देकर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब तक इस योजना के तहत कितने रुपये का ऋण कितने उद्योग धन्धों को दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सब-लीज पर दी गई खानें

267. श्री रामकिशन (वैर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान में खनिज नियमों के अधीन लीजी द्वारा सब-लीज देने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या जिला भरतपुर तहसील बयाना की सैण्ड स्टोन खानों पर उत्तर प्रदेश के जो सब-लीजी खनन कार्य कर रहे हैं वे सरकार के नियमानुकूल हैं? यदि नहीं, तो उन्हें खनन कार्य करने की स्वीकृति किस नियम के अधीन दे रखी है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रति सदन की पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) कोई सब-लीजी खनन कार्य नहीं कर रहे हैं।

दरीबा खो कॉपर माइन्स

268. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की दरीबा खो कॉपरमाइन्स की गत 15 वर्षों में कितनी प्रगति हुई है?

(2) अब तक इस खान पर सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुका है?

(श्री गंगासहाय)

(3) क्या दरीवा खो में तांवा गलाने की कोई भट्टी लगाई गई थी ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की दरीवा खो कॉपर माइन्स पर गत 15 वर्षों में जिओलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण एवं प्रोस्पेक्टिंग का कार्य किया गया है। अतः इसकी प्रगति का विवरण भारत सरकार के पास ही उपलब्ध हो सकता है। राज्य सरकार के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) राज्य सरकार का कोई धन इस पर व्यय नहीं हुआ है।

(3) गत 15 वर्षों में तांबा गलाने को कोई भट्टी नहीं वनाई गई है। भट्टी खान से उपलब्ध होने वाले तांवे की मात्रा पर भी निर्भर करती है और उसकी तादाद की सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है जिससे कि भट्टी लगाने की योजना कार्यान्वित की जा सके।

देशनोक में रेगर कुम्हारान के मोहल्लों में बिजली

269. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला बीकानेर के कस्बा देशनोक में रेगरों व कुम्हरान के मोहल्ले में बिजली इस वर्ष लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

इन मोहल्लों में बिजली लगाने का विचार है या नहीं, यह समाज कल्याण विभाग बता सकता है, पर जहां तक विद्युत मन्डल का सम्बन्ध है, समाज कल्याण विभाग ने इन मोहल्लों के विद्युतिकरण हेतु न कोई प्रस्ताव भेजा है और न ही कोई धनराशि अभी तक उपलब्ध कराई है।

फालना में बिजली के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

270. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान विद्युत बोर्ड, फालना (जिला पाली) के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन देने के ऐसे कितने मामले पेंडिंग हैं जिनकी समस्त कार्यवाही नियमानुसार हो चुकी है (सिक्योरिटी की रकम एवं एस्टीमेट की रकम भरने आदि की) परन्तु उन्हें कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं ?

(2) कृषि एवं डोमेस्टिक लाइट के ऐसे मामलों की पृथक पृथक सूचियां सदन पटल पर रखी जाये व प्रत्येक मामले में कनेक्शन नहीं दिये जाने का कारण बताते हुए सिक्योरिटी एवं एस्टीमेट की रकमें तथा बोर्ड द्वारा प्राप्त की जाने की तारीखें बताई जावें।

उत्तर

(1) डोमेस्टिक लाइट व फैन हेतु 84 और कृषि हेतु 23 अर्जियां फालना उपखण्ड में पेंडिंग हैं। जैसा कि सूची 'ए' व 'बी' में अंतिम स्तम्भ में बताया गया है, अधिकांश

(विद्युत-मंत्री)

व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार सब कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई हैं। जिन्होंने 'एल' फार्म दिये हैं, वे प्रायः सभी फरवरी, 70 में दिये गये हैं तथा उन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) कृषि एवं डोमेस्टिक लाइट की पृथक पृथक सूचियां 'ए' व 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ढानी ढाबावाली में बिजली

271. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ढानी ढावा वाली तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) के कितने कितने विद्युत कनेक्शन कृषि पॉवर व लाइट के कब कब से चालू हैं ?

(2) उपरोक्त ढानी ढाबावाली किस ग्राम के रेवेन्यू रिकार्ड में और क्या इस रेवेन्यू रिकार्ड में अन्य कनेक्शन रोक रखे हैं? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पॉवर का एक 26-4-68 से व लाइट के दो एक 25-5-68 से तथा दूसरा 25-7-69 से। कृषि का कोई कनेक्शन ढानी ढावा वाली में चालू नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गीदावाली के रेवेन्यू क्षेत्र में है।

(2) जी हां, क्योंकि गीदावाली या ढानी ढाबावाली स्वीकृत नहीं है।

राज्य मंत्री के पास विचाराधीन मामले

272. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य मंत्री उपनिवेशन विभाग के पास जिला गंगानगर से अपीलों के रूप में आये कितने मामले कब कब से विचाराधीन हैं तथा उनमें स्टे आर्डर कब कब से दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त विचाराधीन मामलों में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें फैसले होने के बाद पुनः कार्यवाही शुरू की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले में वैज्ञानिक खड्डों पर व्यय

273. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अधिक अन्न उपजाओ अभियान के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में खाद के वैज्ञानिक खड्डे किन किन स्थानों में कितने बनाये गये, उनमें कितना रुपया लगा और आज कितने खड्डे मौजूद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा खाद के खड्डों के लिये कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। इस समय कितने खाद के खड्डे मौजूद है,

(कृषि मंत्री)

इसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पिछले 3 वर्षों में जो खाद के खड्डे खोदे गये हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	खोदे गये खाद के खड्डों की संख्या
1966-67	571
1967-68	663
1968-69	314

केकड़ी वृहद् ऋणदात्री सहकारी समिति

274. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) केकड़ी वृहद् ऋणदात्री सहकारी समिति की जांच सन् 1961 से अब तक किन किन विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई और उसका क्या क्या परिणाम रहा ?

(2) सन् 1961 में उक्त सहकारी समिति की वित्तीय स्थिति क्या थी और उसके पश्चात् साल वार वित्तीय स्थिति क्या रही ?

(3) (अ) उक्त समिति के कितने सदस्य हैं, और यह भी बतावें कि किस किस सदस्य में कितना कितना ऋण किस किस समय से बकाया है ?

(ब) सन् 1961 के पश्चात् किन किन सदस्यों को ऋण दिया गया ? सूची मय रकम नामवार सदन में रखें।

(स) सन् 1961 के पश्चात् कितनी कितनी वसूली की गई ? सूची नामवार रकमवार सदन में रखें।

(द) समिति की निजी पूंजी कितनी है और राज्य सरकार का कितना ऋण है ?

पूर्ण विवरण से सदन को अवगत करावें।

(य) समिति पर मासिक व्यय कितना पड़ता है ?

(4) क्या उक्त समिति और भी किसी तरह का कार्य कर रही है ? अगर हां, तो क्या क्या और उससे कितना कितना लाभ हुआ ?

उत्तर

(1) केकड़ी वृहद् ऋणदात्री सहकारी समिति लि. केकड़ी के लिये वर्ष 1961 से अब तक के समय में जांच कराने के लिये एक ही बार सहकारी प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, केकड़ी को दिनांक 9-8-66 को नियुक्त किया गया था। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केकड़ी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जांच रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्राप्त हो गई है। वहां से सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही कर सकेगा।

(2) उक्त सहकारी समिति की वर्ष 1961-62 की वित्तीय स्थिति की जानकारी संबंधित रिकार्ड न्यायालय में होने के कारण नहीं दी जा सकती है वर्ष

Page No 41

(सहकारिता मंत्री)

1962-63 से 30-6-69 तक की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिये इन वर्षों के संतुलन / चित्र का स्टेटमैन्ट परिशिष्ट "क" पर संलग्न किया जाता है।

3 (अ). इस समिति में वर्तमान में 60 सदस्य हैं। सदस्यवार बकाया ऋण की 30-6-69 की स्थिति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न स्टेटमैन्ट में अंकित की गई है। वर्ष 1958 से 1963 तक का रिकार्ड न्यायालय में होने के कारण सदस्यों में ऋण कब से बकाया है यह सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

3 (ब) व (स). वर्ष 1958 से 1963 तक का रिकार्ड न्यायालय में होने के फलस्वरूप वर्ष 1961 से 1963 तक वितरण किये गये व वसूली की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। 1-7-63 से 30-6-69 तक वितरण किये गये ऋण व वसूली की सूचना परिशिष्ट "ग" पर संलग्न सूची में अंकित की गई है।

3 (द). संस्था की वर्तमान निजी पूंजी 41010 रुपये है। राज्य सरकार का समिति पर कोई ऋण नहीं है।

3 (य). वर्तमान में संस्था पर मासिक व्यय 275) रुपये है।

4. हां। समिति ऋण वितरण अतिरिक्त खाद बीज एवं नियोजित वस्तुओं के वितरण तथा स्टेशनरी के विक्रय का कार्य भी कर रही है। प्रत्येक वर्ष में लाभ हानि का कार्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है। समिति को जो उपरोक्त व्यापार से वर्षवार लाभ हुआ है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	लाभ राशि
59-60	303.52
60-61	—
61-62	710.47
63-64	707.67
64-65	3322.46
65-66	1734.29
66-67	1919.66
67-68	580.61
68-69	70.13

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भेड़ पालकों को सहायता

275. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले में भेड़ पालकों की सहकारी समिति किस किस गांव में गठित की गई और भेड़ पालकों को कितनी कितनी राशि प्रति व्यक्ति सहायता दी गई ? इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बीकानेर जिले में भेड़ पालकों की सहकारी समितियां किस किस गांव में गठित की गई है, की सूची परिशिष्ट 'क', 'ख' संलग्न है। सहकारी समितियों के सदस्यों को (भेड़ पालकों को) प्रति व्यक्ति कोई सहायता नहीं दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)।

ग्राम मौजपुर में बीज गोदाम का निर्माण

276. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम मौजपुर जिला अलवर के बीच गोदाम निर्माण में गबन होने के मामले की जांच करने हेतु ग्राम सहकारी समिति, मौजपुर के समस्त सदस्यों ने एक पत्र माह फरवरी, 1970 में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर को भेजा था, जिसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर को भी भेजी गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

जी हां, शिकायत सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त हुई थी, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास विभाग, मुख्यावास भरतपुर को गोदाम की तकनीकी जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया है तथा रिपोर्ट न आने पर 13-3-70 को पुनः स्मरण कराया गया है। रजिस्ट्रार के कार्यालय में समिति के सदस्यों की सीधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा कृषि मंत्री जी को दी गई शिकायत सहकारी विभाग, राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 10-3-70 को प्राप्त हुई है। सहायक रजिस्ट्रार अलवर को शीघ्र जांच करके रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया है।

नागौर जिले की सहकारी समितियों की वार्षिक आम सभाएं

277. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नागौर जिले की सहकारी समितियों की वार्षिक आम सभाएं वर्ष 1967-68 में दिनांक 30-6-68 तक हो गई थी ? यदि नहीं तो कितनी समितियों की आम सभाएं नहीं हुई ? कितनी समितियों का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ ? कितनी समितियों ने वर्ष 67-68 में अपनी आम सभा में नई कार्यकारिणियां गठित की एवं कितनी समितियों में पुरानी कार्यकारिणियां कार्य कर रही हैं ? पंचायत समितिवार व शहरी इलाकों की एक सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

नागौर जिले की वर्ष 1967-68 में दिनांक 30-6-68 तक 953 सहकारी समितियों में से 200 सहकारी समितियों की वार्षिक आम सभाएं हो गई थीं। 753 सहकारी समितियों की आम सभाएं नहीं हुई। 222 सहकारी समितियां का ऑडिट अभी होना शेष है। वर्ष 1967-68 में 200 सहकारी समितियों ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया व 753 समितियों में पुरानी कार्यकारणी कार्य कर रही है। पंचायत समितिवार व शहरी इलाकों की अलग अलग सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सिरोही जिले में पशु संरक्षण एवं नस्ल सुधार योजना

278. **श्री मोतीलाल** (रेवदर सु.) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार सिरोही जिले के पशु संरक्षण एवं उनकी नस्ल सुधार हेतु सिरोही में की-विलेज सैन्टर स्थापित करने की योजना रखती है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह की-विलेज स्कीम सिरोही में इस वर्ष लागू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर जिले में नस्ल-सुधार कार्यक्रम

279. **श्रीमती मदनकौर** (पंचपदरा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले में नस्ल-सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कितने पशुओं को वन्ध्यकरण (Castrate) किया गया और कितने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया ? इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने उत्तम सांड वितरित किये गये ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1970-71 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य में और बाड़मेर जिले के लिये इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम तैयार किया, उसके लक्ष्य बतावें ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

गाड़ी पर व्यय

280. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

भेड़ ऊन निदेशालय की गाड़ी नम्बर आर. एस. एल. 6805 के संचालन व संधारण पर अब तक प्रत्येक वर्ष कितना कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्षवार खर्च की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पुनर्वास पर व्यय

281. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले तीन सालों में पुनर्वास विभाग ने किस किस को क्या क्या पुनर्वास दिया ? कहां कहां पर कितने मकान बनाये गये तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(2) पुनर्वास से कितने परिवार लाभान्वित हुए ?

उत्तर

1. पिछले तीन वर्षों में पुनर्वास विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार से व्यक्तियों की सहायता की है—

(पुनर्वास मंत्री)

(1) भारत पाक संघर्ष के फलस्वरूप पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी।

(2) विस्थापित परिवार जो संघर्ष के समय सीमा क्षेत्र छोड़कर राज्य के अन्दरूनी भाग में आगये थे।

(3) बर्मा विस्थापित परिवार।

(4) पश्चिमी पाकिस्तान से 1947 में आये शरणार्थी परिवार।

उक्त व्यक्तियों को निम्न प्रकार की सहायता व ऋण पुनर्वास हेतु दिया गया—

भारत-पाक संघर्ष से प्रभावित परिवार

(आइटम नं. 1 व 2)

1. केश डोल

2. निर्वाह भत्ता

3. कपड़े व रजाइयां

4. मारे गये, उड़ाये गये, घायल हुए व्यक्तियों को या उनके परिवारों को वित्तीय अनुदान।

5. मकानों, झोपड़ों व दुकानों के पुनर्निर्माण हेतु सहायता।

6. रियायती दर पर अनाज

7. कृषि ऋण।

8. व्यवसायिक ऋण

9. भेड़ पालन ऋण

1 बर्मा विस्थापित

(आईटम नं. 3)

व्यवसायिक ऋण

सन् 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी परिवार

(आईटम नं. 4)

1. पक्की दुकानें बनाकर अलॉट करना

गत तीन वर्षों में कोई नये मकान नहीं बनाये गये। अतः उनकी कीमत बतलाने का प्रश्न नहीं उठता।

2. 2636 परिवार।

प्रतापगढ़ डिवीजन में औषधालय

282. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में कहां कहां पर कितने आयुर्वेद औषधालय हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि इन औषधालयों में वैद्य कई वर्षों से एक ही जगह कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कितने कितने वर्षों से सविवरण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में कुल 11 औषधालय संचालित हैं जिनमें कार्यरत वैद्यों की सूची मय कार्यरत दिनांक एवं उनके गृह जिले के परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)।

होम्योपैथिक डाक्टरों के प्रमाण-पत्रों को मान्यता

283. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या होम्योपैथिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा एक ऐसी सूचना या आज्ञा निकाली गई है जिसके आज्ञानुसार होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र राजस्थान राज्य के कर्मचारियों के मामलों में किसी भी मतलब के लिए स्वीकार नहीं किए जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक ऐसा मेमोरेन्डम सन् 1967 में निकाला हुआ है जिसके अनुसार परपज आफ ग्रान्ट आफ लीव, फोर फिटनेस टू रिटर्न ओन ड्युटी के लिए होम्योपैथिक डाक्टरों के प्रमाण-पत्र मान्य हैं?

(3) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त संख्या 1 व 2 में विरोधाभास नहीं है या? यदि है, तो फिर उपर्युक्त सं. 1 वाली आज्ञा राजस्थान में चलेगी अथवा उपर्युक्त सं. 2 वाली आज्ञा राजस्थान में चलेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ऐसी कोई आज्ञा इस विभाग द्वारा प्रचलित नहीं की गई।

(2) जानकारी में नहीं है, यदि यह सही भी है तो भी वह राज्य के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मुझे मिली हैं वे इस प्रकार हैं :

श्री दुर्गालाल वाढ़दार, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर नगर में चौकड़ी पुरानी बस्ती की गत कुछ दिनों से गटर लाइनें भर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह भी कहा गया है कि गत वर्ष मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा गटर की बड़ी लाइनें बनवाने का आश्वासन दिये जाने पर भी उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व प्रो. केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में दिनांक 13 मार्च, 1970 को एक सत्याग्रही का उपचार न करने व उसको 24 घण्टे तक भोजन न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

तीसरा स्थगन प्रस्ताव श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा से मिला है । इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना में उन्होंने जिला नागौर में चेचक की बीमारी फैलने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेचक की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है ।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा से मिली है जिसमें कृषि विभाग द्वारा

(श्री अध्यक्ष)
जोधपुर के सुमेरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों अनुसंधान केन्द्रों को उदयपुर विश्वविद्यालय के फरवरी, 70 में सुपुर्द कर दिए जाने तथा शेष 3 अनुसन्धानों को शीघ्र ही उक्त विश्वविद्यालय को सौंप दिए जाने की कार्यवाही से पांचों कृषि अनुसंधानों के कर्मचारियों में उत्पन्न असन्तोष का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त चारों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : अभी तो मैं चल रहा हूं।

निम्नांकित और स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं :

डॉ. ओमदत्त भाटी, श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर शहर की इन्जीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में छात्रों द्वारा कानून और व्यवस्था भंग कर देने, अध्यापकों, लेक्चररों एवं प्रोफेसरों पर हमला करने, उन्हें ड़राने, धमकाने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। पुलिस की मांग पर दिनांक 26 मार्च, 70 को विचार किया जायेगा उस समय इ मामले को यदि माननीय सदस्य चाहें। उठा सकेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य, विधान सभा ने जवाई बांध पर लगाये गये अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सिंचाई की मांग पर कल दिनांक 21 मार्च, 70 को विचार किया जायेगा और उस समय सम्बन्धित माननीय सदस्य इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

ऊपर दिए गए कारणों के अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त जो जो स्थगन प्रस्ताव पेण्डिग रखे गये थे उनका भी मैं उल्लेख नीचे कर देना चाहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने नई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जगजीवनराम द्वारा गुजरात में स्वतन्त्र पार्टी द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में समर्थन की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें पुलिस इन्सपेक्टर, छबड़ा (कोटा) के विरुद्ध शिकायत की गई है। पुलिस की मांग पर सदन में विचार किया जाने वाला है। उस समय माननीय

(श्री अध्यक्ष)
सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव........

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : 13 मार्च को अस्पताल में भरती कराया था। 75 साल का आदमी है और चारपाई दिलाई गई पर वह भी छीन ली गई। नीचे सुलाया गया। कल मैं उससे मिला। न उसके पट्टी बान्धी गई न कोई उपचार किया गया। 24 घन्टों तक।

इस प्रकार से इस समाजवादी समाज की घोषणा करने वाली राज्य सरकार में हरिजन सत्याग्रही के साथ में और गरीबों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। इस प्रकार किसी भी गरीब को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। आज भी वह 75 साल का बुड्ढा नीचे सोया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव जानकारी के लिये भेजा गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : काफी चोटें उसके आई हैं अध्यक्ष महोदय+++

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलते हैं तो यह अध्यक्ष के प्रति असम्मान है और क्या यह सदन के लिये भी अपमान की बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : फिर बुला दिया आपने....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह समझा जाना चाहिये कि वे आपकी अनुमति से ही बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बड़ा महत्व का है। बिना अध्यक्ष की अनुमति से......

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इन्होंने आपत्ति किस रूल के अन्तर्गत उठाई है ?

श्री अध्यक्ष : मैं कह दूंगा। सदन की परम्पराओं के आधार पर भी अनुमति से तो नहीं, बिना अनुमति से चाहिये तो यह कि स्पीकर की आंखें पकड़ें। लेकिन स्थगन प्रस्ताव की जानकारी जिसमें प्राप्त की गई हो, उसमें तो फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्थगन प्रस्तावों पर स्टेटमैंट दिया गया हो उस पर भाषण नहीं होता। ये व्यवस्थाएं आसान से, सभापतियों द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा इस सदन और दूसरे सदनों में दी जाती रही हैं।

पर यह प्रश्न अलग से है इन माननीय सदस्य के लिये। आपने प्रश्न उठाया है। उन पर यह लागू होता है, पर मैं उदारतापूर्वक इसे अपवाद मान लेता हूं। इसलिये इस प्रश्न को यहीं रहने दिया जावे।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): श्री रामचन्द्र आर्य को पेनल आफ चेयरमैन में ले लिया जावे।

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो निवेदन किया था कि आप आजाओ तो मुझको सहूलियत मिल जावे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस काबिल नहीं हूं ....

श्री अध्यक्ष : यह आपने उस वक्त भी कहा था । अब भी कहता हूं । उचित नहीं है ऐसा कहना आपका ।

श्री मदनसिंह : मैंने समय पर रखा था । बंगाल में घटनाएं हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात । महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आने वाला है । बंगाल के प्रश्न पर आपने ही नहीं, बल्कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रस्ताव रक्खा है । मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि उस प्रान्त में विषमताओं का दौर चल रहा है, वह क्रम कहां तक जाकर रुकता है, इस को पहले देख लिया जाय, इसलिये तारीख आगे बढ़ाई थी । जानकारी आ गई है, कल व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो ठीक है । राष्ट्रपति शासन वहां लागू भी हो गया है, पर मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो घटनायें वहां घटित हो रही हैं उनका इलाज राष्ट्रपति शासन ही नहीं है और भी हैं । जो घटनायें घट रही हैं और जिस प्रकार हिंसा का नग्न तांडव वहां हो रहा है उससे जन जीवन असुरक्षित है । और जिस प्रकार का सारा सामाजिक, राजनैतिक वातावरण विक्षुब्ध हो रहा है, मैं समझता हूं बंगाल की घटनाओं पर देश ने चिन्ता नहीं की, सदन में विचार नहीं किया तो देश में अन्य घटनायें भी हो सकती हैं । बंगाल खतरे का संकेत है । हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति आजादी को सुरक्षित रखना चाहता है, उन पर विचार करना होगा । अध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं—एक छोटा सा उदाहरण है वहां पर एक शादी में महिलायें आई । 16 महिलायें तीन गाड़ियों में आई और वहां के लोगों ने····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महिलायें वापिस नहीं आ जायं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज ।

(श्री अध्यक्ष के बार बार आदेश देने पर भी श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्कूल में, कॉलेज में सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है····

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कल व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चाईनीज हथियार आ जायं, पाकिस्तानी हथियार आ जायं····

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर कल व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दुस्तान को सूचना है····और इसलिये बड़ी गंभीर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
स्थिति है। इस पर विचार होना बहुत आवश्यक है।

श्री वृध्दिचन्द्र जैन : आज ही व्यवस्था दी जाय तो अच्छा है।

श्री मोहन सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो अन्तर प्रादेशिक मामले हैं उन पर मैं समझता हूं अगर दूसरी विधान सभाओं में चर्चा की जाने लगेगी तो उचित नहीं होगा। जो प्रशासन के काम की बात हो तो उस पर चर्चा करने के लिये अपने दायरे से बाहर जाना होगा। इसके बारे में····

एक माननीय सदस्य : करेक्ट।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजनैतिक रूप में अलग तौर पर विचार किया जा सकता है। इस सदन के सदस्यों, जैसा मैंने पहले भी कहा था, विशेष तौर से यहां के प्रवासी भाइयों के बारे में अलग से चर्चा कर लें लेकिन यहां की चर्चा से किसी में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिये। यह विधान सभा वहां के सवालों के बारे में चर्चा में पड़ती है तो उचित नहीं होगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा दूसरे प्रदेशों के बारे में यहां चर्चा न करें।

श्री मदनसिंह :
श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : } माननीय मुख्य मंत्री जी ने·······

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय माननीय सदस्य नहीं हैं। यह एक सुझाव है मैंने इस पर अभी कोई व्यवस्था नहीं दी है। मैं इस पर चर्चा नहीं होने दूंगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक बात····

श्री अध्यक्ष : यहां नहीं।

श्री मदनसिंह : यह हमारे देश को ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे मजदूर वहां हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न मेरे पास विचारणीय है। माननीय सदस्य-प्रश्न मेरे पास पड़ा हुआ है। इस चर्चा को समाप्त कर दें।

श्री मदनसिंह : अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा दूसरे प्रदेश का मामला है इस प्रदेश में चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह बात बिलकुल ठीक है। हम किसी दूसरे प्रदेश की चीजों में हस्तक्षेप करना पसन्द नहीं करेंगे पर उसके साथ कुछ सीमाओं के भीतर राजनैतिक दृष्टि से और इस दृष्टि से लोकतन्त्र पर अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न खड़ा हो गया है देश भर के लिये। इसका लोक हित की दृष्टि से क्या सबक लें, क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न मेरे पास है, मुख्य मंत्री जी के पास नहीं है। यह विचारार्थ मेरे पास है—प्रश्न विचारार्थ मेरे पास है। मुख्य मंत्री जी के पास नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी बीच में ज्यादा बोलते हैं उनको रोकना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दुर्गालाल बाददार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकिन्ड····

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हुआ हूं तो एक सेकिन्ड नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : फिर मेरे लिये मौका नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र पर वक्तव्य········

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ नहीं होता है तब तक········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, आप भी पैरों पर हैं। मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र में मतपत्रों की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थागन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है शिरोधार्य है लेकिन मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आज स्थिति इस प्रकार की है, मैंने मुख्य मंत्री जी को सारा मौका दिखाया है·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहीं तो सीमा होनी चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वहां वर्षा····

श्री अध्यक्ष : वर्षा का प्रश्न नहीं है। अभी माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस पर जल्दी से जल्दी व्यवस्था दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री भैरोंसिंह शेखावत ने मेड़ता विधान सभा चुनाव में मत पत्रों में हेरफेर के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-2-70 के आधार पर जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में सदन की सूचनार्थ मैं निम्नांकित विवरण प्रस्तुत करता हूं :—

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव याचिका पर दिये गये अपने निर्णय दिनांक 22.8.67 में निर्वाचन अधिकारी श्री एस. डी. आर्य के विरुद्ध मतपत्रों में हेर फेर का दोषारोपण किया था। इस निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले को अपने आदेश दिनांक 3-5-68 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को मत पत्रों की पुनर्गणना हेतु वापिस रिमान्ड किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में रिमान्ड के बाद दूसरा निर्णय दिनांक 8.10.68 को दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11-2-69 द्वारा मत पत्रों में हेरफेर के विषय पर दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये मामला दुबारा राजस्थान उच्च न्यायालय को रिमान्ड किया। इस साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने अपील में अपना अन्तिम निर्णय दिनांक 20-2-70 को दिया जिसके द्वारा अपील अस्वीकृत की गई।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में यह निष्कर्ष दिया गया है कि मतपत्रों में मत

Page No 51

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गणना के पश्चात् हेरफेर (टेम्परिंग) हुआ है, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस हेरफेर के लिये निर्वाचन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया है। निर्णय के इससे सम्बन्धित अंश इस प्रकार हैं:—

"We have gone through the evidence which was led before the Trial Judge and we are unable to hold the Returning Officer guilty of tampering or being a party to the tampering."

इसमें आगे कहा गया है,

"It is a serious matter to hold that an officer has tampered with or assisted in the tampering and we are unable to find enough evidence to come to the conclusion that respondent No. 2 was in any way responsible for the tampering. We are unable on the material before us to decide whether it was the Tehsildar or respondent No. 2 or some other person who was responsible for the tampering of the ballot papers."

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मत गणना से सम्बन्धित अधिकारियों में से किसी को भी मत पत्रों में हेरफेर के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

चुनाव के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधिकार भारतीय संविधान की धारा 324 के अनुसार चुनाव आयोग में निहित हैं। संविधान की सूची 7 की प्रविष्टि सं. 72 के अनुसार चुनाव केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति भी रिप्रजन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 की धारा 21 के अन्तर्गत चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। अतः चुनाव के दौरान मत पत्रों में हेर-फेर आदि के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही की जा सकती है। वास्तव में इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त होने पर पहले श्री आर्य निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में अपील होने पर चुनाव आयोग के परामर्श के अनुसार यह कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग से आगे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी अधिकारी को मत पत्रों में गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है और न किसी प्रकार की जांच या कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

यह स्पष्टतः चुनाव से सम्बन्धित मामला है जिसमें कार्यवाही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही की जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है, यह मामला चुनाव

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
आयोग के विचाराधीन हैं, वहां से जो निर्देश होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सारे प्रश्न से राजस्थान सरकार को मुक्त करने की चेष्टा की है····

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य कुछ कहें····

श्री भैरोंसिंह : आप क्या बोल रहे हैं ? पॉइंट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं धारा 290 की तरफ····

श्री भैरोंसिंह : This is no point of order. I am not going to concede

श्री अध्यक्ष : आप पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नियमों के अन्तर्गत उठाते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि धारा 290 की अवहेलना हो रही है इसलिए····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री यशवन्तसिंह नाहर एवं अन्य सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री भैरोंसिंह : कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा है, उसे सुनने दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सुनने दीजिए और फिर बोलिये।

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर किस बात का है ? आप रूल बता दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन कर रहा था····

श्री भैरोंसिंह : आप रूल बता दें कौन से रूल में ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : रूल 290····

श्री भैरोंसिंह : 290 में कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया जा सकता।

श्री शंकरलाल : यह व्यवस्था अध्यक्ष महोदय को देनी है।

श्री भैरोंसिंह : वह मैं भी जानता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर किस रूल के अधीन होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : पहले पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर लिया जाना चाहिए।

श्री विजयसिंह : इस तरह से आप इन बातों को छिपा नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया माननीय सदस्य।

"A statement may be made by a Minister on a

(श्री अध्यक्ष)

matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

श्री मदनसिंह : स्टेटमेन्ट हो रहा है और यह डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इनको अकल का अजीर्ण हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rule 290 is not applicable in this case. It relates to the statement made by a Minister.

श्री अध्यक्ष : There is a rule ..

श्री मूलचन्द डागा : एक सवाल है। As a rule no discussion is allowed after the statement is made.

जब कोई मोशन नहीं है तो आपका कहना या बोलना कोई मायने नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष : क्लेरीफिकेशन सीक किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है···

श्री विजयसिंह : इस बात को छिपाना चाहते हैं। इसको छिपाया नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

आप बहस कर लीजिए इस पर और हम आपको प्रूफ कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर मैं रूल आउट करता हूं।

श्री विजयसिंह : बातों पर पर्दा डालते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह आरम्भ रखिये। क्लेरीफिकेशन की परम्परा रही है। स्टेटमेन्ट के बाद स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। माननीय सदस्य आरम्भ करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाईकोर्ट के जजमेन्ट का रेफरेन्स देकर उस जजमेन्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी किस प्रकार की राय व्यक्त की है उसका इस सदन में उल्लेख किया है। उन्होंने सुप्रीमकोर्ट के जजमेन्ट का तो उद्धरण इस सदन के सामने पढ़ कर सुनाया लेकिन हाई कोर्ट का उद्धरण नहीं सुनाया। हो सकता है उनके पास नहीं हो·····

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, नो इन्टरप्शन्स। आपका वाक्य समाप्त हो जाने दीजिये और आशय समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वह उद्धरण इस सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा ताकि सदन के माननीय सदस्य जो व्यग्र हो रहे हैं इतना समझकर चलें कि इस सदन की पवित्रता को किस प्रकार रखा जावे और इस सदन में डीकोरम किस प्रकार से मेन्टेन किया जाये·····

श्री मूलचन्द डागा : खुद तोड़ रहे हैं। अनुशासन हमें मत सिखाओ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री पद चाहते हैं। इनको बना दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किस प्रकार से डीकोरम मेन्टेन किया जाये उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे निर्वाचन किस प्रकार से पवित्र हों। मैं आपको यह कहकर चलना चाहता हूं कि इस सदन की परम्परा को जितना आप पवित्र बनायें उतना कम मैं निर्वाचन पद्धति की पवित्रता को कम महत्व नहीं देता। आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि हम सदन की पवित्रता के नाम पर मतपत्रों की पवित्रता को समाप्त कर दें और उसको बनाये रखने के लिए इस सदन में पवित्रता को लाने की चेष्टा करें और यहां पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायें तो यहां पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, या किसी का मुख बन्द कर देना काफी नहीं होगा। आपको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि जिन्होंने अपराध किया उनको किस प्रकार से दण्ड दिया जाये। मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मामूली सी बात कह कर अपने आपको बचाने की चेष्टा की है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट का तो रेफरेन्स दिया। हाई कोर्ट के जजमेन्ट में लिखा है :

"Ballot papers could not have been tampered with without the instigation of the petitioner who was a Cabinet Minister and without the active connivance of Shri S. D. Arya, the Returning Officer of Merta Assembly Constituency."

अब आपने आगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट का रेफरेन्स दिया है वह मैं भी इस सदन के अन्दर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। इसमें पिटीशनर का मतलब है आपके कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्री नाथूराम जी मिर्धा—जिनको आप जानते होंगे। जो मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र में हारे और इसलिए हारे कि वहां पर अनपोपुलर थे और इसको जीत में किस प्रकार से परिणित किया जाये इसलिए उन्होंने बैलट बॉक्सेज का टेम्परिंग किया। 1376 बैलट पेपर के ऊपर····

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत स्टेटमेन्ट है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह भाषण हो रहा है।

श्री शंकरलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर········

श्री भैरोंसिंह : 28 बन्डलों के अन्दर····

श्री शंकरलाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। आपने यह व्यवस्था तो दी····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यों पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर हुए तो आप स्वयं देख लें····

श्री मदनसिंह दांता : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर होता तो चीफ मिनिस्टर ने मिसाल दी उस समय भी होते। विरोधी दल के

(श्री मदनसिंह दांता)
लोग किसी हाई कोर्ट की मिसाल देते हैं तो उस पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं। चर्चा हो चुकी है और उसके संदर्भ में भैरोंसिंह जी कह रहे हैं—इस पर पॉइन्ट ऑफ आर्डर हो गया ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर अगर केवल ऑर्डर उठाने के लिए उठा रहे हैं और यह समझकर चलते हैं कि इसको बाई वे ऑफ इन्टेरप्शन बन्द कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने खुदने व्यवस्था दी थी कि यह मामला इतना तगड़ा है इसलिए कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप लोग इस तरह से हमको बैठाना चाहेंगे तो नहीं बैठ सकेंगे।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, 290 के तहत होने के बाद आपने कहा कि इसके लिए क्लेरीफिकेशन सीक किया जा सकता है लेकिन उसके लिए डिबेट या भाषण दे रहे हैं। क्या उसके तहत भाषण दिया जा सकता है। क्योंकि डिसकशन 127 के तहत ही किया जा सकता है "नोटिस ऑफ रेजिंग डिस्कशन" मैं व्यवस्था चाहूंगा, क्लेरीफिकेशन ही करें या उसके लिए पूरा भाषण दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में साफ है कि अगर मन्त्री महोदय जवाब नहीं देना चाहें तो उनको फोर्स नहीं कर सकते लेकिन जवाब देने के बाद ऑर्डर ऑफ रिप्लाई है।

(कई माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को डिसऑर्डर की तरह से न इस्तेमाल किया जाये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : He is creating disorder.

श्री कृष्णकुमार गोयल : By way of obstruction.

श्री अध्यक्ष : जहां तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, नियमों का प्रश्न है जो माननीय सदस्य ने उठाया है उसमें भी सार है। लेकिन उस नियम के अन्तर्गत क्लेरीफिकेशन के लिए प्रश्न हमारी परम्परायें और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर दिन प्रति दिन इस सदन में किये जाते रहे हैं। क्लेरीफिकेशन सीक करने की इजाजत माननीय सदस्यों को दी जाती रही है। अब प्रश्न रहा कि यह भाषण है या प्रश्न है....

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न नहीं है, भाषण है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए किसी प्रश्न में अधिक वाक्य भाषण के रूप में हो जायें और वह आगे चलकर प्रश्न ही रहता है अथवा क्या ? उस विषय पर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं खुद जागरूक हूं इस सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हो चुका है। आप बतायें इस मामले में इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है। इलेक्शन कमीशन एक क्वैसी जुडीशियल बॉडी है और वह क्वैसी जुडीशियल बॉडी किसी मामले में जांच कर रही है उसके दरमियान में क्या यहां चर्चा किया जाना मुनासिब होगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय श्री भैरोंसिंह जी अपना प्रश्न रखें।

(श्री मूलचन्द डागा के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेन्ट में लिखा है जो मुख्य मन्त्री ने पढ़कर सुनाया वह पढ़ रहा हूं।

"It is a serious matter to hold that an officer has tampered with or assisted in the tampering and we are unable to find enough evidence to come to the conclusion that respondent No. 2........"

श्री रामनारायण चौधरी : That is S. D. Arya.

श्री भैरोंसिंह : मेरी बात सुनिये........ was in any way responsible for the tampering.

अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने लिखा था कि यह टेम्परिंग नाथूराम जी के इन्सट्रक्शन्स के बिना नहीं हो सकता........

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत साबित हो गया।

श्री भैरोंसिंह : अब वह नहीं हो सकता उस प्रश्न को लेकर नाथूराम जी के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं की और कोई आपत्ति नहीं की इस कारण जिस व्यक्ति ने आपत्ति की रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 श्री सुखदेव आर्य ने आपत्ति की थी कि मैं इसके लिए रेस्पॉन्सीबल नहीं हूं और जितना हाई कोर्ट के पास मेटेरियल है उसके ग्राउन्ड पर मुझे इसके लिए रेस्पॉन्सीबल नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रश्न को लेकर अध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सुखदेव आर्य या तहसीलदार को रेस्पॉन्सीबल बनाने के लिए कोई आफ मेटेरियल नहीं है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को इसके लिए रेस्पॉन्सीबल नहीं ठहरा सकते। ऐसी स्थिति में........

श्री मूलचन्द डागा : (ऐनी अदर पंरसन) है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह प्रश्न बिलकुल स्पष्ट नहीं है ?........

श्री मूलचन्द डागा : ये Any other person'hai.

श्री किशनलाल शाह : अध्यक्ष महोदय, क्या आप डागा जी को नहीं कह सकते कि इतना इन्टरप्शन क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात साबित हो गयी कि क्या मुख्य मन्त्री जी स्वयं स्वीकार करेंगे कि हाईकोर्ट और सुप्रिमकोर्ट के जजमेन्ट में जो इस प्रकार वेरीयेशन रहा क्या वह वेरीयेशन इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि बैलेट बॉक्सेज के 28 बण्डल जिसके अन्दर 1376 मतपत्र थे जिसके ऊपर जाली सील लगाई गयी उस मामले के लिए नाथूराम जी उसके लिए दोषी नहीं हैं जो कि आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं·······

एक प्रश्न ! दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, क्लेरिफिकेशन के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाकर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान में होगा कि 1962 के आम चुनाव में गंगापुर निर्वाचन क्षेत्र से श्री गोविन्दसहाय वैद्य निर्वाचित होकर आये थे और गोविन्दसहाय ने जो रिटर्न फाइल किये थे रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किये थे तो उन रिटर्न्स को टेम्पर विद किया गया था और फर्जी रसीदें दखिल की गई हैं और फीगर्स को टेम्पर विद किया गया था तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया था और टेम्पर्ड विद डॉक्युमेन्टस को बरामद किया, और बरामद करने के बाद उस मामले में चालान पेश किया गया था, तो आज राजस्थान की हुकूमत यह कहकर चले कि इलेक्शन कमीशन ही इसमें सब कुछ कर सकता है, वह स्थिति मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन लॉ में फन्कशन्स दिये हुए हैं। हमारे रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को देखें और उसकी धारा 136 को पढ़े डागा साहब और अन्य व्यक्ति तो उनको मन्जूर करना पड़ेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वह बात महत्व के बिना नहीं है। राजस्थान सरकार यदि डाइरेक्टली एक्शन लेना चाहे तो आराम से ले सकती है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि धारा 136·····

श्री रामनारायण चौधरी : किस को सजा दिलायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : यों आप करेंगे तो मैं बैठने वाला नहीं हूं। आप हो हल्ला करेंगे तो मैं बैठने वाला नहीं हूं। आपके मुख्य मंत्रीजी खड़े हो जांय नहीं तो कहूंगा·····

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछ रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह : राजस्थान सरकार दोषी व्यक्तियों का संरक्षण करना चाहती है और प्रजातन्त्र की हत्या कर रही है। यह गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है यह बड़े शर्म की बात है। ऐसे हैं आपके लीडर····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : यह प्रश्न नहीं है भाषण····

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह : यू केन नॉट स्पीक····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रश्न कर सकते हैं। ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं। उनका भाषण हो रहा है....

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, एक बात है कि आपने प्रश्न की इजाजत दी है....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : खड़े नहीं हुये हैं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह पर्लियामेन्ट में पूछा गया है ...

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : उत्तर क्या ...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यही प्रश्न आपने पार्लियामेंट में उठाया था....

(व्यवधान)

आप भाषण दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह !

श्री मूलचन्द डागा : आप (श्री भैरोंसिह से) अनुशासन तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, श्री भैरों-सिंह प्रश्न आरम्भ रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाली से आने वाले माननीय सदस्य को इसका तो ध्यान होगा कि इस विधान सभा में जब अपन बैठते थे....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र डागा : आप अव्यवस्था फैला रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब 67 में विधान सभा में आये थे तो सबसे पहला काम अगर हमने किया था तो संविधान के प्रति निष्ठा की हमने शपथ ली थी....

श्री मूलचन्द डागा : उसको आप तोड़ रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप हिन्दुस्तान में एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कि जहां पर इस प्रकार से बैलट बॉक्सेज को टेम्पर विद किया गया है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है उसको आप नहीं मानते हैं ?....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी व्यथा को मैं समझता हूं, आपकी पार्टी की व्यथा को मैं समझता हूं क्यों कि वे आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप अनुशासन को तोड़ रहे हैं....

श्री मूलचन्द डागा : किसने किये हैं टेम्पर विद...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप हिन्दुस्तान में कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं ? आप ऐसे व्यक्ति को अपनी पी.सी.सी. का प्रेसीडेन्ट बनाये हुए हैं····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप कहते हैं उससे हो गया····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री आईदानसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर····

श्री शंकरलाल :
श्री मूलचन्द डागा : } एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके खड़े होकर हो हल्ला करने से हम दबने वाले नहीं हैं। हम भी हो हल्ला करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ....कांग्रेस का अध्यक्ष भ्रष्ट है वह विधान सभा में आये····

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिह !

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर····

श्री अध्यक्ष : No point of order this is disorder.

श्री मदनसिंह : सुप्रीमकोर्ट का फैसला····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : ····जो है उसको असेम्बली के मेम्बर-चेलेन्ज है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर····

श्री मदनसिंह : हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह से चेलेन्ज किया जा रहा है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज, माननीय श्री भैरोंसिह आप प्रश्न पूछें।

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रश्न पूछिये लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं। आप मुझे मत गाइड करिये। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : आप भाषण दे रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहूंगा कि····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

(व्यवधान)

इस बात को करके····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह : क्या आप यह कह रहे हैं कि बैलट-बॉक्सेज को टैम्पर विद करके यहां विधान सभा में आ सकते हैं····

(शोरगुल ! अश्रव्य।)

Page No 60

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ! ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर !

(शोरगुल ! अश्रव्य)

श्री जयनारायण सालोदिया ! ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल ! अश्रव्य)

श्री माननीय दांता ! ऑर्डर प्लीज !

ऑर्डर, ऑर्डर ! श्री भैरोंसिंह ! ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : फिर माननीय अध्यक्ष बीच में आ गया !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, ऑर्डर प्लीज ! इस प्रश्न पर उद्विग्नता पैदा न की जाय। मैंने पहले व्यवस्था दी है। माननीय सदस्य इसको प्रश्न के रूप में रखें। प्रश्न लम्बे हो सकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, बैठे बैठे नहीं, माननीय डागा ! (जब बैठे रह कर सदस्य बोलने लगे)

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं। आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सहिष्णुता दिखाये इस प्रश्न के लिऐ। मैं यह चाहता हूं, आगे डिमॉन्ड्स हैं। जो कुछ हो, जल्दी समाप्त हो। प्रश्न लम्बे हो जाय—यह बात हो सकती है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा, प्रश्न के आधार पर कहें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट में मुख्य मन्त्री ने इस बात को पढ़ा है, जिसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"We examined these ballot papers and we agree with the High Court that an examination of the ballot papers shows that tampering had been done and duplicate seal marks put on the ballot papers some time after the counting. In the Bundle relating to polling station No. 26 the top ballot papers of which is No. 023412, we find all the ballot papers bear seal marks in both the compartments. This is indeed a remarkable thing in itself. Secondly we find that about 40 ballot papers have prints of the seal marks made by the voters in the respondents column, but none has a print on the face of the ballot papers of any seal mark in the petitioner's (Appellant's) compartment. This seems to us to be almost conclusive to show that these seal marks were placed before the polling some marks would have been left on atleast some of the ballot papers on the other side when folding. It

(श्री भैरोंसिंह)

appears that no folding had taken place of these ballot papers after the seal marks had been placed by some persons on the appellant's compartment."

क्या मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार के बैलट पेपर्स भी देखें हैं कि जिसमें जो मतदाता ने बैलट पेपर के उपर सील लगाई उस स्थान के ऊपर दूसरी सील लगा दी और जैसे नोट गिनती का काम चलता है उस प्रकार से बैलट पेपर एक एक हटाते गये और उस पर सील लगाई गई और इस कारण वह सील दूसरे बैलट पेपर के ऊपर लगती गई ? मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये और सदन के परमानेन्ट रिकार्ड के लिए कि बैलट पेपर पर किस प्रकार से फोर्जेरी की गई एक बैलट पेपर की फोटोस्टेट कापी आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट की धारा 136 को आपने पढा है या नहीं जिसके अन्दर लिखा है :—

"a person shall be guilty of an electoral offence if at any election he—

(a) fraudulently defaces or destroys any nomination paper or

(b) fraudulently defaces destroys or removes any list or other document affixed by or under the authority of a Returning Officer.

(c) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper of the official mark on any ballot paper or any declaration of identity or official envolope used in connection with voting by postal ballot or"

मैं आगे की बात नहीं पढ़ना चाहता, आगे कई तरह के ऑफेन्स दिये हुए हैं। क्या मुख्य मंत्री जी ने इस धारा के नीचे पढा है :

"Any person guilty of an electoral offence under this section, if he is a Returning Officer or an Asstt. Returning Officer, or a presiding officer at a polling Station or any other officer or a clerk employed on official duty in connection with election, be punishable for a term which may extend to two years or with fine or with both."

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : यह भी बता दीजिये कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या रिटर्निंग ऑफिसर है ? कौन है ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दीजिये....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को पता नहीं है....

श्री दिग्विजयसिंह : आप इस पर व्यवस्था दीजिये कि यह बीच बीच में उठते हैं यह नियमानुकूल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इनकी शंका का निवारण कर देता हूं। इसमें आगे (बी) में लिखा है :

"If he is any other person punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both."

श्री रामनारायण चौधरी : हू इस दैट पर्सन ?

श्री भैरोंसिंह : नाथूराम मिर्धा इज दैट पर्सन !

श्री शंकरलाल : आपके कहने से नहीं हो सकता कि किसने मिलकर कराया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है। सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय के बाद भी यह कहना गलत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में इस प्रकार की बातें इस सदन में नहीं कहनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : If he is any other person be punishable with imprisonment for a term which may extened to six months or with fine or with both."

आगे लिखा है, अध्यक्ष महोदय, (4) में :

"An offence punishable under sub sec. (2) shall be congnizable."

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बात सिद्ध हो गई है कि बैलट बॉक्सेज का टैम्पर विद किया गया। यह बात भी सिद्ध हो गई है कि बैलट पेपर्स के ऊपर डबल मॉर्किंग किया गया। यह बात भी सिद्ध हो गई है कि बैलट बॉक्सेज की सील तोड़ी गई है। यह बात भी सिद्ध हो गई है कि बैलट बॉक्सेज में पड़े हुए बैलट पेपर्स थे उन पर डबल मॉर्क किया गया ? यह बात भी सिद्ध हो गई है कि इलेक्शन कानून के अन्तर्गत धारा 136 का उल्लंघन किया गया है, धारा 136 का अपराध किया गया है। यह बात भी इस कानून में लिखी हुई है कि यह कॉगनीजेबल ऑफेन्स है। मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की आड़ लेकर इस कॉगनीजेबल ऑफेन्स को क्यों नहीं रजिस्टर पुलिस में क्या किया गया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय !

(श्री भैरोंसिंह)
मैं यह नहीं कहता कि आज के दिन किसी व्यक्ति का नाम लें या नहीं लें....

श्री रामनारायण चौधरी : यह पॉइन्ट सुप्रिम कोर्ट में बताना भूल गये।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन इसमें दो बातें सही हैं, बैलट बॉक्सेज टैम्पर विद हुए हैं और बैलट बॉक्सेज में पड़े हुए बैलट पेपर पर फर्जी सील लगाई गई है। यह ऑफेन्स हो गया, तो मैं समझता हूं कि इससे न डागा जी इन्कार करेंगे और न रामनारायण जी इन्कार करेंगे....

श्री रामनारायण चौधरी : अबॉउट हूम ?

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल है....

श्री भैरोंसिंह : अबॉउट हूम छोड़िये, दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन !

श्री रामनारायण चौधरी : इन्वेस्टिगेशन हैज थोरोली बीन डन बाई कोर्ट !

श्री भैरोंसिंह : दुनियां में चोरी होती है, दुनियां में डाके पड़ते हैं तो पहले न चोर का पता लगता है और न डाकू का पता लगता है, लेकिन सबसे पहले पुलिस के अन्दर चोरी का मुकदका, डाके का मुकदमा रजिस्टर होता है और बाद में तफतीश से पता लगता है कि वास्तविक चोर कौन है, वास्तविक डाकू कौन है ? मैं नहीं कहता कि आज के दिन किसी को चोर कहें, या किसी को डाकू कहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी हो गई है, बैलट बॉक्सेज टैम्पर विद हो गये हैं, मत पत्रों के ऊपर सील फर्जी लगाई गई है। यह ऑफेन्स हो गया है....

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न हो गये !

श्री भैरोंसिंह : आगे जाकर कौन दोषी साबित होगा और किसको कितनी सजा मिलेगी। यह बात की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हो गया !

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य मन्त्री जी को नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं इस विधान सभा की पवित्रता बनाये रखने के लिए आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें, आपके बैलट बॉक्सेज को टैम्पर विद किया जाकर, आपके बैलट पेपर्स को निकाले जाने के बाद उन पर फर्जी सील लगाई जाती और आपको हराने की साजिश की जाती तो आपको क्या महसूस होता ? मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, लोकतन्त्र के इतिहास में इतना बड़ा जघन्य अपराध संसार में नहीं हुआ है, जैसा कि राजस्थान में हुआ है, उसमें केवल यह कहें कि इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि हम सब कुछ कर सकेंगे लेकिन इसके लिए हमें ताकत के साथ और साहस के साथ राजस्थान की हुकूमत के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा को, चाहे वह कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों न हों, हथकड़ियां डाल कर जेल में डालने की कार्यवाही की जाय। इन्होंने लोकतन्त्र की हत्या की है इसलिए लोकतन्त्र के हत्यारे को कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाय........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पर्याप्त हो गया !

श्री भैंरोंसिह : मैं निवेदन करूंगा कि कि मेरे इन प्रश्नों का मुख्य मन्त्री जी उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो प्रश्न रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह लोकतन्त्र की हत्या नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो जाय........

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या हो गया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : लोकतंत्र की हत्या की है। निर्णय के ऊपर कुछ कहते हैं वह लोकतन्त्र की हत्या नहीं है। इन्होंने लोकतन्त्र की हत्या की है यह हमारा गम्भीर आरोप है।

श्री मूलचन्द डागा : यह नियमों का पालन कर रहे हैं ! यह नियमों का पालन कर रहे है ! लोकतन्त्र की हत्या इस प्रकार होती है !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : डागा जी को पूरी जोरदारी के साथ में बोल लेने दिया जाय। वह पूरे जोर से बोल लें, पूरा प्रलाप कर लें इनको सुनने के बाद फिर कहें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर कुछ कहना है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था :

This court remanded to the Highcourt to enable both the parties to adduce such evidence as they thought fit.

हाईकोर्ट ने जजमेंट इनका कर दिया........

श्री भैंरोंसिह : किस बात का ?

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य ने प्रश्न मुख्य मन्त्री जी से कर लिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : आप ऑन बिहॉफ कुछ, बात नही करें, यह मैं चाहता हूं। दो चार प्रश्न होकर यह मामला समाप्त हो।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सुप्रीमकोर्ट का निर्णय होने के बाद यहां पर हमारी विधान सभा में उस निर्णय पर, जिसमें कोई किसी को दोषी नहीं माना गया है, इस प्रकार के प्रश्न उठायें—क्या यह वैधानिक अधिकार है ? यह गलत है। यह लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नम्बर एक !

श्री मूलचन्द डागा : दूसरा प्रश्न है....

श्री किशनलाल शाह (नावां) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर........

श्री मूलचन्द डागा : पालियामेन्ट में विरोधी नेताओं ने यह प्रश्न उठाया और उसका चह्वाण साहब दे उत्तर दिया, फिर भी यहां पर इस विधान सभा में उसी प्रश्न को एजीटेट कर सकते हैं। यह क्या संवैधानिक अधिकार है ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या यह सही है........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन्हें बोल लेने दें। इन्हें बोलने का पूरा राइट दिया जाना चाहिए।

श्री विजयसिंह : इन्हें बोल लेने दिया जाय ताकि हिन्दुस्तान को यह मालूम पड़ जाय कि लोकतन्त्र की हत्या के हामी कौन कौन हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जिस जजमेंट का माननीय सदस्य भैरोंसिह जी ने हवाला दिया है उसके बारे में लिखा है :

"This court made it clear that the burden of proving this allegation was on respondent No. 1 Gordhan Soni. This order was made without going into the merits of the finding on the tampering of ballot papers given by the Trial Judge."

क्या यह सही है ? इसके साथ ही साथ क्या यह भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई-कोर्ट के फैसले पर यह भी लिखा है :

"In reaching his conclusion the learned Judge entered upon a painstaking analysis of the oral evidence, and quoted several excerpts from the oral evidence. But the oral evidence was, in our judgement, highly interested and unsatisfactory, and no firm conclusion could be founded merely upon the oral evidence."

जिसके लिए यह कह रहे हैं.......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह रेस्पोडेण्ट नम्बर दो के लिए लिखा है।

श्री अध्यक्ष : हां, यह भी प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न !

श्री शंकरलाल : तीसरा प्रश्न यह है........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री शंकरलाल : तीसरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि एस. डी. आर्य और तहसीलदार दाऊलाल, जिनकी एवीडेंस हुई, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है :

"We have gone through the evidence which was led before the Trial Judge and we are unable to hold the Returning Officer guilty of tampering or being a party to the tampering."

इस के साथ में दूसरे के लिये लिखा है :

"The respondent is alleged to have called him to the House Shri Lekh Raj Advocate...."

(श्री शंकरलाल)

रेस्पोन्डेन्ट माननीय श्री गोर्धन सोनी "with the purpose of influencing him that he should deny that he had the keys with him, but he stuck to his position that he kept the keys with him and did not give them to respondent No. 2"

अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न है कि दाऊ लाल तहसीलदार, जिसके पास चाबियां थीं........

श्री अध्यक्ष : वह समझ में आ गया That will do.

श्री शंकरलाल : इन्होंने कोशिश की दाऊलाल को भड़काने की कि कह दो चाबियां मेरे पास नहीं थीं । ये दाऊलाल को लेखराज जी के पास ले गये और भड़काया और कहा कि कह दो चाबियां मेरे पास नहीं थीं । तो इन्होंने कोशिश कि किस तरह से मामले को फंसाया जाय । कोई गड़बड़ी हुई है तो, अध्यक्ष महोदय....

(एक माननीय सदस्य के अस्पष्ट स्वर में कुछ कहने पर, श्री शंकरलाल के रुकने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुन रहा हूं, आप जारी रखिये ।

श्री शंकरलाल : हाई कोर्ट ने कहा है कि सत्यदेव आर्य ने केबिनेट रैंक के मिनिस्टर नाथूराम जी कि कनाइवेंस के बगैर यह गड़बड़ नहीं की । सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जुर्म सत्यदेव ने नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री शंकरलाल : एक प्रश्न और है ।

हाई कोर्ट ने तहसीलदार और सत्यदेव आर्य के लिये कहा है :

"We are unable on the material before us to decide whether it was the Tehsildar or respondent No. 2 or some other person who was responsible for the tampering of the ballot papers."

इसका मतलब यह है कि सत्यदेव आर्य को नाथूराम जी ने कहा है । उसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं कह सकते कि यह किसने किया है । इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना कि नाथूरामजी इस के लिये जिम्मेदार हैं यह केवल कयासी और गलत दलील है । मैं तो कहूंगा कि इस सब के लिये नाथूरामजी नहीं बल्कि विरोधी पक्ष के वे माननीय सदस्य ही जिम्मेदार हैं ।

(विरोधी पक्ष की ओर से वाह वाह, शेम शेम की ध्वनि के साथ मेजों की थपथपाहट)

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : नाथूरामजी के वकील दुम दवा कर भाग गये ।

Page No 67

श्री शंकरलाल : इसके लिये किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता तो क्या राज्य सरकार बाध्य है कि उनको मुजरिम माने।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त।

"(श्री यशवन्तसिंह नाहर के बोलने के लिये खड़े होने पर) संक्षेप में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं बहुत लम्बा प्रश्न नहीं उठाऊंगा। दफा 161 रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट की तरफ मैं सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। इससे पहले मैं सदन के सामने यह कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का यह निर्णय है :

"The High Court, on examining the evidence, found that the ballot papers could not have been tampered with without the instigation of the petitioner who was Cabinet Minister and without the connivance of Shri S. D. Arya."

यह वेज्ड है, इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"In additional ground No. 4, respondent No. 1 alleged that he had strong reasons to apprehend that the appellant had abused his position as a minister; had caused the ballot papers tampered with while they had remained in the custody of res. No. 2 for six days after the declaration of the result and then filed the election petition taking advantage of the tampering committed by him. Respondent No. 2 in his reply denied any mistake or mixing up of any doubtful ballot papers with the ballot papers of res. No. 1 and in a further reply filed on Aug. 7, 1967 also denied the allegations of tampering alleged by resp. No. 1.

On these pleadings the Trial Judge framed, inter alia, one issue, viz – "Is the petitioner entitled to a recount ?"

और इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि केबिनेट मिनिस्टर नाथूरामजी की कनाइवेंस के बगैर आर्य यह नहीं कर सकते थे।....

श्री भैरोंसिंह : यह पहला जजमेंट है, इसके बाद तीन जजमेंट हुए हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह निर्णय दिया कि इसकी कोई एवीडेन्स नहीं है। यह निवेदन कर रहा हूं This was the point at issue.

मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों की पीड़ा को समझता हूं।

Page No 68

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

After the counting the ballot boxes were tampered with.

हाइयेस्ट अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है····

श्री डूंगाराम राजोरिया (दोसा सु.) : सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय यह दिया है····

(अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस समय कहा गया था····

(श्री डूंगाराम राजोरिया और श्री देवीदत्त गाड़िया के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री डूंगाराम राजोरिया : राज्य सरकार को चाहिए कि दोषियों पर मुकदमा चलाये····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कानून का मामला है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कानून किसी की बपौती नहीं है, इस पर सब बोल सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हम कानून यही मानते हैं कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर उनको सजा दी जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I will now read out Section 116 (b) of the Representation of the Peoples Act.

"The decision of the High Court on appeal under this Chapter and subject only to such decision, the order of the Tribunal under sec. 98 or sec. 99 shall be final and conclusive."

मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं, अगर हम कानून की दुनियां में रहते है····

श्री रामचन्द्र आर्य : कानून से बच सकते हो लेकिन इस तरह राजस्थान की दो करोड़ जनता के सामने दोषी ही रहोगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 162 में जो पॉइन्ट्स थे, जो इश्यू था, उसका अन्तिम निर्णय हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब प्रश्न सदन के सामने यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसका निर्णय हो चुका है उस पर फिर निर्णय करवाया जाय ? यह मेरा निवेदन है कि क्या इसकी एन्क्वायरी फिर करवाई जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय····

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमको भी समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी दूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : सदन में काफी गरमागरमी पैदा हो गई है। मैं चाहता हूं कि यह एक इम्पोर्टेन्ट इश्यू है, इसमें इम्मोशनल न होकर कुल हैडेड होकर सोचना चाहिए।

(श्री. पी. के. चौधरी)

अपोजिशन में बैठे माननीय सतीशचन्द्र जी, कृष्णकुमार जी, बाढ़दार जी are advocates. इलेक्शन के केसेज स्टडी किया करते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है। It rests on the person who alleges.

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की शुरुआत में कह दिया है कि····

"We make it very clear that the burden of proving the allegation was on respondent No. 1."

(1 म. प.)

एक तो पाइन्ट यह आता है। दूसरा पॉइन्ट आता है कि इलेक्शन केसेज में माना गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि करप्ट ओफेन्सेज मस्ट वी कन्क्लूजिवली प्रूव्ड इम्पलाइड या इन्फरेन्स से नहीं होता है। 'इम्पलाइड' नहीं होना चाहिये, 'कन्क्लूजिवली प्रूव' होना चाहिये। सवाल आता है कि टैम्परिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट ने माना। हम मानते हैं कि टैम्परिंग हुआ। सवाल आता है कि उसका इन्वेस्टीगेशन किया जाय। जैसे मुख्य मंत्री ने बताया उसका जो ओनस है इन्क्वायरी का, माननीय भेरोंसिह जी का एक पॉइन्ट था काग्नीजेबल ऑफेंस है, उसके बाद राज्य सरकार के एक्शन लेने का मौका तब आता है जहां आदमी जो आफेंस कमिट करता है····

श्री भेरोंसिह : नो नो।

श्री पी. के. चौधरी : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। You may differ with me but I have the right to say what happened. मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार उसकी काग्नीजेन्स तब लेती है जब वह आदमी सामने आता है that such and such has done it. सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन, जहां तक हमने अखबारों में देखा है इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है कि सी. बी. आई. से इन्वेस्टीगेशन कराया जायेगा और इन्वेस्टीगेशन करके जो आफेंडर मालूम होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की दो राय हैं। हम दो राय रखते हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेन्ट है, उसमें दो साबित होती हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट····

श्री अध्यक्ष : आपका तो भाषण हो गया।

श्री रामकिशन : भाषण लायक चीज है।

श्री पी. के. चौधरी : सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट है। उससे एक बात साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने लर्नेड हाईकोर्ट के जज के कन्क्लूजन और उनके इन्फरेन्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको क्वाश कर दिया है। पहले डिसीजन पर कहा है कि रीकाउटिंग का प्रश्न पैदा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया रीकाउंटिंग को। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है :

"The High court has recorded the conclusion that it

Page No 70

(श्री पी. के. चौधरी)
was rot proved that the bundles of doubtful votes were mixed up with the valid votes secured by the first respondent either deliberately or inadvertently and the allegation that one bundle of 50 valid votes which were secured for the appellant was counted for the first respondent was also not proved. In reaching his conclusion the learned judge entered upon a painstaking analysis of the oral evidence and quoted several excerpts from the evidence. But the oral evidence was, in our judgment, highly interested and unsatisfactory, and no firm conclusion could be founded merely upon the oral evidence."

एक तो उन्होंने यह कहा है, दूसरा जो इन्फरेन्स की बात है....

श्री भैरोंसिंह : यह एवीडेन्स है पिटीशनर की।

श्री पी. के. चौधरी : यह तो सुप्रीम कोर्ट का है। जब रीकाउंटिंग के लिए भेजा उस समय का है। मैं तो एक पोइन्ट पर बोल रहा था कि लर्नेड हाई कोर्ट जजेज ने जो भी कन्क्लूजन फैक्टस पर, एस्टेब्लिस्ड फैक्टस पर नहीं किया, इन्फरेन्स पर था, उनको उन्होंने नहीं माना।

दूसरा सवाल आता है, हाई कोर्ट ने कहा था; "It seems to us that it is conclusively proved that there was tempering after the counting."

यह हाई कोर्ट जजमेन्ट का पार्ट था। दूसरा पार्ट था : "The High Coert on examining the evidence found that the ballot papers could not have been tampered with without the instigation of the petitioner who was a Cabinet Minister and without the connivance of Shri S. D. Arya, Returning Officer for Merta Constituency and that the procuring of the envelopes could not have been difficult for those who had the daring to tamper with the ballot papers."

याने उन्होंने, हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि नाथूरामजी मिर्धा के इन्स्टीगेशन से नहीं, श्री एस. डी. आर्य की कनाइवेन्स से टैम्परिंग हुआ। यह एलीगेशन हुआ कि मेरे इन्स्टीगेशन से भैरोंसिंह जी ने मर्डर किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भैरोंसिह जी के लिए कह दिया कि देयर इज नो कन्क्लूजिव प्रूफ कि भैरोंसिहजी ने मर्डर किया तो आटोमैटिकली....

श्री भैरोंसिह : But there was murder and no instigation.

श्री पी० के० चौधरी : मर्डर से इन्कार नहीं करते लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात

(श्री पी. के. चौधरी)

को स्वीकार कर लिया कि मेरे इन्स्टीगेशन से भैरोंसिंह ने मर्डर नहीं किया। उन्होंने कहा भैरोंसिंह ने मर्डर नहीं किया। There is no proof.

श्री अध्यक्ष : क्यों खामखां माननीय सदस्य के नाम को घसीटते हो। उसके बजाय ए. बी. सी. लगा दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : भैरोंसिंह ने मर्डर नहीं किया तो मेरा इन्स्टीगेशन नहीं रहा जब मर्डर हुआ, तो एपरेन्टली लगता है कि मेरा राइवल मर गया, दुश्मन मर गया तो उसका कन्क्लूजन यह होता है कि क्योंकि मेरा दुश्मन मर गया है, इसलिए आई एम गिल्टी, आई एम रेस्पान्सीबल फोर दैट मर्डर। क्या सदन की राय हो सकती है कि·······

श्री किशनलाल शाह : इट इज नथिंग बट फिलासीफिक लोजिक।

श्री पी. के. चौधरी : इट इज ए कान्क्रीट इंग्जाम्पल।

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न को डिबेट बना रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : कम से कम इस बात को माननीय सदस्य क्या करें जब तक कन्क्लूजिवली प्रूव नहीं होता है हमें नहीं कहना चाहिए कि फलाने ने किया है। यू मस्ट नोट से हमारे मन में कई बातें हैं। हो सकता है, मेरे दुश्मन ने मेरे खिलाफ पर्चा निकाल दिया, क्यों निकाल दिया उनसे उनकी राइवलरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा

"If any person does anything which goes in favour of the other man·······"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. सी. सी. के सैक्रेटरी को जिम्मेदार नहीं बनाया है, क्योंकि पी. सी. सी. का प्रेजीडेन्ट फंसा हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : आपके मन में कुछ भी हो मेरे मन में कुछ भी हो लेकिन जब तक कन्क्लूजिवली प्रूव्ड नहीं होगा। जहां तक मांग है कि जांच होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए कागनीजेबल आफेंस है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कर।

श्री पी. के. चौधरी : न पोलिटिकल कलर दिया जाय न कैरेक्टर आसेसीनेशन का रूप दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि डिबेट क्यों होती है जब सुप्रीम कोर्ट मानता है कि टैम्परिंग हुआ है।

(शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या यह निर्विवाद बात नहीं है कि मतगणना के पश्चात् बैलट पेपर्स में टैम्परिंग हुआ? क्या उस फैसले के अनुसार हम यह स्पष्टतः नहीं समझ सकते कि बैलट बाक्सेज राज्य सरकार के कर्मचारियों के हाथ में थे या नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : थे।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन वह इलेक्शन कमीशन के नीचे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ····अध्यक्ष महोदय····

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं। ऑर्डर प्लीज। माननीय नेता बोल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह स्पष्ट है कि बैनिफिट ऑफ दी डाऊट देकर, उस कोर्ट ने किसी को गुनाहगार करार नहीं दिया है। यह हम सब को मुद्दा मान्य होना चाहिये। यह भी निर्विवाद बात है, किन्तु क्या यह सरकार उन बैलेट बक्सों को अपने पास रखते हुए यह अनुभव नहीं करती कि कोई न कोई सरकारी कर्मचारी इस सम्बन्ध में गुनाहगार है? यह निर्विवाद है कि श्री गोरधन सोनी या उनके कार्यकर्त्ता इस जघन्य अपराध के गुनाहगार नहीं हो सकते। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि श्री आर्य चाहे गुनाहगार हों या न हों, वे उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर थे। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि श्री आर्य को निर्वाचन के पश्चात् ही उनकी पदोन्नति कर के किसी दूसरी जगह भेज दिया? क्या सरकार ने जो कदम उठाया वह जनतन्त्र विरोधी है? अगर सरकार यह अनुभव करती है कि ऐसा अपराध जनतन्त्र का विरोधी है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि श्री आर्य को पदोन्नति जनतन्त्र के ऊपर एक पैना तीर छोड़ना है। इस सदन में विरोधी पक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं उनको यह कटु अनुभव हो चुका है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है अनुचित रूप से लोगों को हराने के लिये। क्या यह कारण सरकार समझती है कि ठीक है? क्या लोगों को मारने के पश्चात् कर्मचारियों को पुरुस्कृत करने के लिये उनको पदोन्नति की जाती है, यह बात ठीक है या नहीं है? इन सब बातों को देखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय, यह आरोप अगर लगाऊं कि राजस्थान शासन के मुख्य संचालक जो मुख्य मन्त्री हैं उनको भ्रष्टाचार के सम्राट् की उपाधि दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी········

श्री विशम्बरनाथ जोशी (राज्य मंत्री) : एक्सपन्ज किये जायं।

(शोरगुल-व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस बात के ऊपर विशेष विवेचन नहीं करना चाहता हूं कि कौन कौन और किस किस के हथकड़ी का पासा पड़े या न पड़े। यह एक चीज है। यह वास्तविकता से कुछ परे है, कानूनी दायरे से परे है, यह मैं अनुभव करता हूं, लेकिन सरकार अगर अपने आपको गुनाहगार मानती है और सरकार यह अनुभव करती है कि टैम्पर्ड विद बैलेट पेपर के होने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर की पदोन्नति की गई थी? सरकार अपने अपराध को मानते हुए वह उस पदोन्नति को मंसूख करे और कम से कम जो पदोन्नति की गई है उसको कैंसिल करके श्री आर्य जहां थे उस पद के ऊपर उनको रखना क्या सरकार उचित नहीं समझती? इन सब मुद्दों के सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि मुख्यमन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: राजवी श्री रूपसिंह ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, माननीय नेता महोदय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया मैं माननीय विरोधी दल के नेता के ति बहुत सम्मान रखता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि "भ्रष्टाचार के सम्राट" इस प्रकार के शब्दों का यूज करना उपयुक्त नहीं होगा और इन शब्दों के बारे में मैं अपना स्ट्रांग प्रोटेस्ट जाहिर करता हूं ।

श्री रामकिशन : आप तो ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे भ्रष्ट्राचार है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष: राजवी रूपसिंह ।

श्री राजवी रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय,

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलें । यहां तो ऐसे में ही बोलना पड़ेगा ।

श्री राजवी रूपसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस केस में मुख्य दो पाइन्ट हैं, दो मैन इश्यूज हैं । आया बैलेट्स के अन्दर टैम्परिंग विद हुआ है, वह किसने किया है और वह पहले हुआ है या नहीं ? इसकी जाच हमारे हाई कोर्ट के आनरेबल जस्टिस ने की है और इसकी एन्क्वारी करने के बाद उस केस के अन्दर टैम्परिंग विद हुआ है यह माना है और मिर्धा की इमदाद से किया है । इस के बाद इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, हाई कोर्ट की बात को सैट-असाइड करते हुए यह कह दिया है कि डाउट है । लेकिन इसमें एक बात है । दोनों कोर्टों ने माना है कि बैलेट टैम्पर्ड विद हुए हैं । जब बैलेट पेपर में टेम्पर्ड विद हुआ है । ऐसी सूरत में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिये आप इसकी जांच करायेंगे कि किसने किया है और क्यों हुआ ? किसके पास यह डाक्युमेंट्स थे और वह बतलायें कि टैम्परिंग कैसे हुआ और किसने किया है....

श्री मूलचंद डागा : यह जांच चुनाव आयोग ही करेगा और कोई नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष: देट इज ए रिलेवंट क्वेश्चन !

श्री किशनलाल शाह : संविधान की धारा 171 के तहत राजस्थान सरकार इसकी जांच कर सकती है ....

श्री राजवी रूपसिंह : जांच करायेगा तो इलेक्शन कमीशन ही । मेरी राय के के अन्दर इलेक्शन कमीशन ही जांच करवा सकता है दूसरा कोई नहीं करा सकता । परन्तु हमारी राजस्थान सरकार चाहे तो वह भी एन्क्वायरी कर सकती है लेकिन वास्तव में एन्क्वायरी कराना इलेक्शन कमीशन का ही काम है ।

श्री अध्यक्ष: श्री मुकटबिहारीलाल ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने इस सदन में कानूनी और राजनैतिक इन दो दृष्टियों से इस प्रश्न

Page No 74

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

को सुना । मैं समझता हूं कि जो राजनैतिक प्रश्न है वह अपने स्थान पर है । अगर आज हिन्दुस्तान के अन्दर यह हवा, अध्यक्ष महोदय, चल पड़ी है...

श्री अध्यक्ष: इस तरह का भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह हवा चली इस देश के अन्दर बुलेट के द्वारा इस प्रकार जनता की हत्या की जाती रही तो याद रखें कि इस देश की जनता पर ये सफल नहीं हो सकेंगे और जनतंत्र सफल नहीं हो सका तो इस शासन तंत्र को उलटने का केवल एक ही सहारा लिया जायेगा और वह होगा गोली का, बुलेट का बैलेट का नहीं ।

अब सवाल यह है कि आज हमें शासनतंत्र को बदलने के लिये क्या सहारा लेना चाहिये । इसके लिये दो तरीके हैं । एक बैलेट का और दूसरा बुलेट का । अगर बैलेट की सैंक्टिटी को हम इसी तरह से खत्म करते रहे तो निश्चित रूप से, निश्चित तरीके से बुलेट का रास्ता आयेगा जिसको कि हम पसन्द नहीं करते हैं । इसलिये आज यह सोचना है यहां पर अध्यक्ष महोदय कि हमें कौनसा रास्ता पसन्द है । मैं निहायत नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय····

श्री मूलचंद डागा : आप कानूनी तरीका अख्तियार करें बुलेट का नहीं····

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इनके दिल में पीड़ा है····

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न करें ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इनके दिल में पीड़ा है । मैं यह निवेदन कर रहा था····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ये डागा जी इनक्योरेबिल डिसीज है जिसको हमें मान कर चलना पड़ेगा, परन्तु इन तमाम चीजों के बाद भी····

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार गोली से ही मानेगी···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिये इस राज्य को जनता गोली से बदलेगी····

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं निहायत नम्रता के साथ यह निवेदन कर रहा था····

श्री शीशराम (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर । यह कानूनी मामला है इसलिये श्री रामचन्द्र जी आर्य को सुनें तो अच्छा रहेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसी तरह से इस सरकार को चेंज किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष: वे संविधान के एक्सपर्ट हैं कानून के नहीं ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इन दो कानूनी दृष्टियों से कई दलीलें यहां पर रखी गईं हमको यह सोच कर चलना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के सामने या ट्रिब्युनल के सामने पॉइन्ट एट इश्यू क्या था और हाई कोर्ट का फैसला किस पॉइन्ट पर कन्क्ल्यूजिव था और किस

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
पॉइन्ट पर कन्क्ल्युजिव नहीं था। यदि मैं गलती नहीं करता हूं यो अभी अभी....

श्री रामचन्द्र आर्य : वैरी कमीशन की रिपोर्ट को यह सरकार खा गयी तो इस मामले को कैसे नहीं खा जावेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय नाहर साहब बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने विद्वत्तापूर्वक अपना पक्ष सदन में रखा था, और अभी अभी सदन में रिप्रेजेन्टशन ओफ पिपुल्स एक्ट की धारा 116 (बी) रखी। उस 116 (बी) के अन्दर यह प्रावधान है :

"The decision of High Court on appeal under this chapter and subject to such decision, the order of the Tribunal under section 98 and 99 shall be final and conclusive."

अब प्रश्न यह है कि 98 और 99 के अन्तर्गत जो फैसला सुप्रीम कोर्ट या अदालत अपील हाई कोर्ट करे वह फैसला कन्क्ल्यूजिव होगा, फाइनल होगा, और सवाल यह है....

श्री मूलचन्द डागा : सुप्रीम कोर्ट की बात करें।

श्री पी. के. चौधरी : पॉइन्ट आफ इनफ़ोर्मेशन, सर। Trial court was the High Court. Supreme Court is an Appellate body.

श्री अध्यक्ष : इतनी नाइसिटीज ऑफ लॉ पर जा रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं।

श्री मुकुटबिहारी गोयल : Decision of the tribunal........

श्री अध्यक्ष : आप किसको सुना रहे हैं ? मैं जज नहीं हूं, स्पीकर हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जो कान्क्लयुजिव प्रूफ है, 98 और 99 में यह बात कही है 'डिसिजन ऑफ ट्रिब्युनल' किस पॉइन्ट पर डिसिजन ऑफ ट्रिब्युनल ? इसमें यह लिखा है।

"At the conclusion of the trial of an election petition, the tribunal shall make an order...."

क्या ऑर्डर करेगा ? डिस्मिसिंग दी इलेक्शन पीटीशन।

श्री अध्यक्ष : Why not we convert ourselves into a court?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सवाल यह पैदा होता है कि....

श्री मूलचन्द डागा : Is it possible to sit on the decision of the Supreme Court ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस केस में हाई कोर्ट ट्रिब्युनल था। स्कोप यह है कि इलेक्शन पिटीशन को डिस्मिस कर देगा या स्वीकार कर लेगा या फ्रेश इलेक्शन की इजाजत देगा या हारा हुआ है उसको जिता देगा या जीता हुआ है उसको हारा हुआ

Page No 76

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

माना जावेगा और 99 में कॉस्ट वगैराह है । सवाल यह है This is only scope under section 116 (b).

रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट के अन्तर्गत केवल यह स्कोप है—"Decision of the High Court on appeal under this chapter and subject only to such decision or of the tribunal under sec. 98 or section 99 shall be final and conclusive". कन्क्लुजिव और फाइनल जजमेन्ट होने वाला है । क्या हाई कोर्ट यह फैसला दे सकती थी कि ए के लिये 6 महीने की सजा या ए फाइन ऑफ देनी । फाइनल केस में कर सकती थी ? नहीं कर सकती थी । उनके सामने पॉइन्ट एट इश्यू इलेक्शन पिटीशन थी । Election petition is a civil matter. During the course of judiciary proceedings, it has been noticed that something has been done regarding tampering of the ballot boxes. That was noticed during the course of judiciary proceedings.

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ प्रोसिडिंग्स में यह नोटिस में आया कि कुछ टेम्पर किया है बैलेट पेपर्स को । यह बन गया पीनल । यह बन गया फौजदारी अपराध । अपराध के लिए कौनसी कोर्ट सक्षम है ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप सुनिए । फिर माननीय सदस्य कहेंगे कि मेरे लिए विद्वान् नहीं कहा, पंडित नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष : आप उधर देखते ही क्यों हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : निवेदन यह है कि फौजदारी कानून की ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की जो दफा 12 वगैरह है उसमें यह लिखा है कि जिस सीमा के भीतर, जिस थाने के भीतर, कोई भी अपराध किया गया, राजस्थान सरकार सक्षम है कोई ऑफिसर नियुक्त कर सके । लेकिन ट्रायल के लिए चालान पेश होगा वह मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा, और कानून के अन्तर्गत 466 के अन्तर्गत होगा । फौजदारी केस कमिटेड केस है । ट्रायल बाई सेशन जज । उसको पॉवर्स हैं । सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया । उसने यह कहा कि वह इस बात पर फैसला नहीं दे सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा रिकार्डेड मैटर नहीं है कि रेस्पोन्डेन्ट नं० 2 ने ही ऐसा किया है, वह ओनरेबल हाई कोर्ट के ऑब्जरवेशन हैं कि यह बात बगैर नाथूराम जी मिर्धा के इन्स्टीगेशन के बैलेट पेपर्स का टेम्परिंग विद हो ही नहीं सकता था । यह ऐसा वरडिक्ट है जिसको न तो सुप्रीम कोर्ट ने टच किया है और न किसी ने । अब किस लाइट में देखना है ? लम्बा चौड़ा सवाल नहीं है । अगर आप पसन्द करते हैं कि देश में जनतन्त्र फले-फूले, जनतान्त्रिक परम्परायें विकसित हों, सन्देह से परे ऐसी चीजें चाहते हैं तो निश्चित तरीके से इस बात पर कदम उठाना पड़ेगा । लेकिन सवाल है कि सत्ता के बल पर कोई चीज कर सकते हैं ? शंकरलाल जी ने बात

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
कही कि यह तो सोनी साहब ने टेम्पर विध कराये हैं।

श्री शंकरलाल : उनकी भी रिकाउन्टिंग की पिटीशन थी। यह नहीं कह सकते कि नाथूराम जी ने ही टेम्पर विध कराये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर सोनी साहब ने टेम्पर विध कराये तो बड़ा अपराध है। जनतन्त्र के खिलाफ है। आइये आप, हिम्मत करिए जांच कराइए। मैं नहीं समझता कि आप करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब ऐसी चीजें चलती रही, अगर ये परम्परायें चलती रहीं तो देश में तानाशाही आवेगी। मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता।

श्री रामनारायण चौधरी : तानाशाही के लिए कोई गुन्जाइश नहीं है। डेमोक्रेसी रहेगी।

श्री मदनसिंह : यह बंगाल में डेमोक्रेसी हो रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : डेमोक्रेसी किसे कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इधर, इधर।

श्री रामनारायण चौधरी : डेमोक्रेसी किसे कहते हैं आपको पता ही नहीं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप जनतन्त्र का मतलब ही नहीं जानते यह किस चिड़िया का नाम है ? डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है ? आप डेमोक्रेसी की स्पेलिंग भी नहीं बता सकते ?

श्री अध्यक्ष : आप उधर मत देखिए। चेयर के सामने देख कर बोलें।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय जी, यह तो वकीलों की बहस है वकील लोग जिधर चाहें उधर इसको घुमा देते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बाबाजी से ही कहलवा दीजिए गंगाजली हाथ में देकर धर्म और ईमान से बात कहला दीजिए कि बेईमानी नहीं हुई ये कहदें ?

श्री जगन्नाथ पटेल : बेईमानी नहीं हुई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस प्रश्न को इस नजरिये से देखा जाय। यह जहां कानूनी प्रश्न है वहां राजनैतिक भी है। आप यदि जनतन्त्र की परम्पराओं की रक्षा करना चाहते हैं तो यह जो सालाजार की हकूमत की तरह ड्रामा होता है जितने मतदाता नहीं होते उससे अधिक मतपत्र पेटियों में निकल आया करते हैं, यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो जनतन्त्र की सुरक्षा नहीं रह सकती।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको मौका दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह : अगर नाथूरामजी ने फर्जी वोट नहीं कराये तो यहां नाथूराम जी क्यों नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष : जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको प्रश्न पूछने की पहले इजाजत दी जायगी। श्री विजयसिंह, मकराना!

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि सन् 67 के चुनाव मेड़ता क्षेत्र के 15 फरवरी, 1967 में हुए ?

क्या यह सही है कि मतगणना 21 फरवरी, 67 को हुई ?

क्या यह सही है कि उस मतगणना में श्री नाथूराम मिर्धा एज ए मन्त्री मौजूद थे ?

क्या यह सही है कि श्री मिर्धा ने और श्री आर्य ने मिलकर वोटों में गड़बड़ी और चोरी कराई ?

क्या यह सही है कि इस वजह से श्री गोरधन सोनी ने इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली को इस बारे में शिकायत की ?

क्या यह सही है कि श्री आर्य और श्री नाथूराम मिर्धा, दोनों मिलकर यह चाहते थे कि उसी रोज मिर्धा की जीत की घोषणा कर दी जाय ? क्या यह सही है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की मत गणना रोकने का आदेश दिया ?

श्री अध्यक्ष : ये सब प्रश्न इलेक्शन कमीशन के सामने आये हैं।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि जब 22 फरवरी, 67 का रिजल्ट निकला उसमें श्री मिर्धा को पराजित घोषित किया गया ?

क्या यह सही है कि उसके बाद में बैलेट बॉक्सेज राज्य सरकार के पास में रहे ?

वे बैलेट बॉक्स श्री आर्य और वहां के तहसीलदार श्री दाऊलाल माथुर की निगरानी में थे, वे उसके जिम्मेदार थे ?

क्या यह सही है कि श्री दाऊलाल तहसीलदार और श्री आर्य दोनों ही श्री मिर्धा से दबे हुए रहते हैं ?

उसके अन्दर मत पेटियों को तोड़कर मतगणना में जालसाजी की गई। सील जो लगी हुई थी वह तोड़ी गई जब कि वह दो आदमियों की मौजूदगी में रखी रहती थी।

एक बैलेट पत्र पर जिस प्रकार से सील लगाते गये उसकी स्याही दूसरे बैलट पेपर पर पड़ती रही थी। ये प्रमाण जो मेरे पास ज्यादा कीमती हैं उनको भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

क्या यह सही है कि इन मतगणना में हेर फेर करने के बाद श्री मिर्धा ने जाकर यह चैलेन्ज किया कि मेरे मत पत्रों में गड़बड़ी हुई है ?

क्या यह सही है कि श्री मिर्धा को हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी ? जब मिर्धा हाई कोर्ट में मुंह की खा गये तो सुप्रीम कोर्ट में गये ?

श्री अध्यक्ष : ये सब सवाल हाई कोर्ट के सामने आगये ?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह भी सही है कि सरकार को भी मुंह की खानी पड़ेगी।

श्री विजयसिंह : इस समय सवाल है लोकतन्त्र का । हर व्यक्ति चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष हो और मत गणना ठीक प्रकार से हो । यदि इसी तरह से मतगणना गड़बड़ी होती रही हो चुनाव लड़ना असम्भव हो जायगा ।

इन वोटों में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिये श्री नाथूराम मिर्धा, श्री आर्य, श्री दाऊलाल की जांच कराई जाय और जो दोषी पाये जायं उनको गांव के छोटे घोड़े पर बिठाकर ग्राम ग्राम में घुमाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों में हेराफेरी की, जालसाजी के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की थी उस सम्बन्ध में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं । इस हेराफेरी, जालसाजी से जिस व्यक्ति का सम्बन्ध है वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो मैं समझता हूं माननीय सदस्य अधिक से अधिक शान्ति के साथ जुडिशियल वे में विचार करते। इस पर उत्तेजना आने की आवश्यकता नहीं । सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो तथ्य सामने आये हैं उनके राजनैतिक परिणाम निकलने वाले हैं वे अलग से निकलेंगे। उसके सम्बन्ध में चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । यह तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के सोचने की बात है । इस प्रकार के व्यक्ति जिसने मिलकर लोकतन्त्री शासन व्यवस्था में ऐसा कलंकित उदाहरण प्रस्तुत किया उसे वे अपना प्रदेश अध्यक्ष रखें यह उनके स्वयं के सोचने की बात है । मैं इस बारे में परामर्श देने वाला नहीं हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कहना ठीक नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने क्या बात कही उसको आप रिपीट तो कर दें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : ये सो रहे थे और दिवास्वप्न देख रहे थे ।

श्री अध्यक्ष : यह रिपीटिशन का प्रश्न है इसको अलाऊ नहीं करूंगा ।

(1.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाषा की दृष्टि से कोई भावावेश की बात हो तो अलग बात है ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस व्यक्ति से सम्बन्ध है या नहीं यह तो बाद की बात है । अलग से प्रश्न है यह । लेकिन इसका जो कानूनी पहलू हमारे सामने आया है इसमें यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों में 1376 मतपत्रों में हेराफेरी की गई । जालसाजी की गई इनमें इस बात को राजस्थान के हाईकोर्ट ने साबित माना और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस पर मोहर लगा दी ।

अब प्रश्न केवल इतना सा है कि इसकी जवाबदारी किस पर है। इसकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जिम्मेदारी किस पर है। कौन इसके लिये उत्तरदायी है, कसूरवार है, किसने यह सब किया किस तरह से किया और मैं समझता हूं कि यहां पर जैसा भाई शंकरलाल जी ने यह कहा कि इसकी जिम्मेदारी विरोधियों पर है तो मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। यह तो ऐसा ही आरोप हमारे पर हुआ जैसा····

श्री शंकरलाल : जैसा आपने कहा है नाथूरामजी की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह माना है कि इसके लिये इनको रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं ठहरा सकते। इसके बाद भी अगर वे नाथूरामजी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो वे भी जिम्मेदार हो सकते हैं ! उन्होंने खुद ने भी अपने वोट काउन्ट करने की दरखास्त दी थी और कई बार ऐसा होता है कि वे खुद भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब तक यह साबित न हो कि किसने ऐसा किया तब तक किसी को कसूरवार नहीं कहा जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इनके इस कथन से सहमत हूं। अगर केस रजिस्टर करना है इसको साबित करने के लिये कि यह किसने किया, तो आपका सुझाव यह हो सकता है कि आई. पी. सी. में वह किया जावे। साथ ही गोरधन सोनी को भी पकड़ा जावे और भी इसमें इन्वोल्व्ड आप समझते हों तो उनको भी किया जावे। पकड़ा जावे।

श्री शंकरलाल : यह साबित करने का काम उनका होता है। नाथूरामजी का नहीं।

(शोरगुल : एक साथ कई सदस्य बोलने लगे : अश्रव्य : व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब प्रश्न दो हैं। एक तो यह कि कुछ लोगों ने यह कह कर इस मामले को टालने की कोशिश की है कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इसमें कोई भी कार्यवाही इलेक्शन कमीशन को करने की है। मैं इस से सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में जिसमें ऐसा ऑफेन्स हुआ हो या होता हो और जो काग्नीजेबल हो, उन काग्नीजेबल ऑफेन्स का काग्नीजेन्स लेने का अधिकार उस राज्य सरकार को है, उस राज्य की पुलिस को है, उस राज्य के प्रशासन तन्त्र को है यानि उस राज्य सरकार को है। यह सी. आर. पी. सी. का प्रोवीजन बिलकुल क्लीयर है और श्री नाहर साहब मेरे से इस बात में सहमत होंगे।

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ऑफेन्सेज सी. आर. पी. सी. में निर्धारित हैं। उनके और भी ऑफेन्सेज हैं। उनका काग्नीजेन्स लेने का अधिकार भी स्टेट गवर्नमेन्ट को है तो देखना यह रह गया कि इसमें ऐसा आफेन्स भी बनता है कि नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय रूपसिहजी ने इस बारे में कहा है कि यह इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं रूपसिहजी से सहमत हूं। यह उनकी राय है। इलेक्शन कमीशन कर सकता है यह वे अपन राय व्यत कर सकते हैं। पर मेरी राय और भी है। और यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार भी कर सकती है।

तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निश्चित है कि फोर्जरी इसमें हुई है। अब किसने की, कैसे की यह मामला इन्वेस्टिगेशन का है। केस रजिस्टर होगा। तब पता लगेगा। अब केस किस किस के खिलाफ होगा। यह भी छोड़ दीजिये। पहले इस बात पर तो पहुंचें कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो इन्वस्टिगेशन होगा तो प्रोसीक्यूशन भी होगा और फिर किस जुर्म में होगा। यह अलग चीज है। यह अलग विषय है। पर उपाध्यक्ष महोदय अभी तो यही सन्देह व्यक्त किया जा रहा है कि आई. पी. सी. का या सी. आर. पी. सी. का यह ऑफेन्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी 136 आर. पी. ए. को भैरोंसिंहजी ने पढ़ा है। अब मैं भी थोड़ा पढ़ देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह है 464 धारा जो डिफाइन करती है फोर्जरी को। 465 है जो कहती है पनिशमेन्ट फोर फोर्जरी और यह 466 है जो कहती है फोर्जरी ऑफ रेकार्ड ओर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा। अब 461 में सजा है दो साल की, 466 में सजा है सात साल की और 467 में सजा है लाइफ इम्प्रिज़नमेन्ट की या दस साल की या और फाइन की। अब आप जिसे ठीक समझें चूज़ कर लिजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप 466 पसन्द करते हों तो वह कर लीजिये। इसमें सात साल में ही आप का पिंड छूट जावेगा। और अगर इससे पिंड नहीं छुड़वाना है तो 467 ले लीजिये इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट और दस साल की सजा और जुर्माना है।

मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पेश करता हूं जो इसी प्रकार के कुछ सरकम्स्टॉन्सेज में एक मिनिस्टर इन्वाल्व्ड थे, उनके सम्बन्ध में है। एक डॉकूमेन्ट का मामला है यह। गवर्नमेन्ट रेकार्ड में फोर्जरी करने का मसला है। माननीय उपाध्यक्ष, आपकी इजाजत से 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 322 की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। लाइब्रेरी से मैंने यह किताब मंगाई। पर दुर्भाग्य से अवेलेबल नहीं है अभी तक। इसमें कमेन्टरी में है वह मैं पढ देता हूं:

"Accused, a minister of State, ante-dated an application for resumption of mining licence and also the resumption order passed by him. Accused held guilty under section 465 and 466".

श्री शंकरलाल : इसमें फोर्जरी कमिट करने की बात रही है। आप कनाइवेंन्स की बात कहते हैं। उन्होंने किया ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम यहां फैसला नहीं कर रहे हैं। केस तो रजिस्टर हो सकता है न? मेरा स्ट्रेस इस बात पर है कि आप इस ऑफेन्स के लिये, केस रजिस्टर करिये। फिर इन्वेस्टिगेशन करिये।

श्री मदनसिंह : He must have been declared accused.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Supreme Court was not sitting as a court of criminal appeal; it was sitting as a first court for election petition.

Page No 82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और इस लिए उस केस के दौरान उनके ध्यान में जो बात आई उन्होंने उस फैसले में लिख दिया और इसके बाद राजस्थान सरकार इलेक्शन कमीशन की आड लेकर बच नहीं सकती । यह आई. पी. सी. का ऑफेन्स है । इस सिलसिले में केस रजिस्टर करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेन्ट की है । और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित मत का हूं कि आपके यह पूरी तरह से अधिकार में है कि आप आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. की धाराओं में यह केस रजिस्टर करें । फिर आप वैसे भी कैसे इन्कार कर सकते हैं, क्या आपने अपने लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली है, अपने एडवोकेट जनरल की राय ली है ? और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार अगर यह समझे कि इस केस में वह मजबूर है तो इसकी इन्वेस्टीगेशन के लिए इस केस को आप सी. बी. आई. के हाथ में देकर देखिये । आप केवल केश रजिस्टर कर लीजिये । मैं यह नहीं कहता कि आप केस रजिस्टर करने से पहले श्री नाथूरामजी मिर्धा को हथकड़ी बेड़ी डालकर सेन्ट्रल जेल में डाल दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : किस बात के लिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि आप नाथूरामजी के हथकड़ी डाल दें या आर्य के डाल दें । मेरी धारणा है कि इस षड़यन्त्र में इस फोर्जरी में इनका हाथ है । फिर भी मैं नहीं कह कह रहा हूं कि उनके हथकड़ी डाल दो ।

तो मैं एक निवेदन छोटा सा कहना चाहूंगा कि मेरी निश्चित धारणा है कि नाथूरामजी मिर्धा एस. डी. आर्य और दाऊलाल माथुर इन तीनों के खिलाफ जो एवीडेनसेज अभी तक हैं उनके खिलाफ आई. पी. सी. की 465, 466, 467 या 468 धाराओं में से किसी भी धारा में जिसमें आप चाहें केस रजिस्टर किया जाना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : किस बात के लिये क्यों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात, श्रीमान् आप मूलचन्दजी डागा शान्त रहिये । मैं इसको आपके लिये नहीं रेफर कर रहा हूं । मैं निवेदन कर रहा हूं यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट पेज दस है : "It seems to us that it is conclusively proved that there was tempering after the counting. The High court, on examining the evidence, found that the ballot papers could not have been tampered with without the instigation of the petitioner who was a Cabinet Minister, and without the connivance of Shri S. D. Arya, Returninng officer for Merta Constituency, and that the procuring of the envelopes could not have been defficult for those who had the daring to temper with the ballot papers" अब जांच का ही तो सवाल है ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब इसके बाद पढ़िये- "The learned counsel, Mr Gupte, who appears for respondent No. 2, the Returning Officer, says that there is no material to come to a positive finding that it was with the active connivance of the Returning Officer that the ballot papers had been tampered with."

गुप्ते का आरग्यूमेंट है। मिस्टर गुप्ते का आरग्यूमेंट है जो रिटर्निंग आफिर का वकील है, नाथूराम जी का वकील नहीं है। इस लिये यह आरग्यूमेंट नाथूराम जी को मदद नहीं करता है।

श्री रामनारायण चौधरी: अजी पढ़िये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "We have gone through the evidence which was led before the trial judge and we are unable to hold the Returning Officer guilty of tempering or being a party to the tempering.

श्री रामकिशन : कौन ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री सुखदेव आर्य।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आप भी वकालत कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो इन्होंने कहा है - "Be that as it may, there is no evidence as to the kind of lock that was used and as to the possibility of any other person coming and opening the room during these days."

श्री मूलचन्द डागा : इसमें आगे अपनी लाइन पढ़िये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजी यहां है, "when respondent No. 2 originally...

श्री मूलचन्द डागा : "No question was put to him suggesting to him that he was responsible for tampering with the ballot papers.

जब विटनेस अपीयर हुई तो आप मे हिम्मत नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : जो लाइन आपकी फेवर की हो उसे तो आप पढ़ लेते हो और जो फेवर की लाइन नहीं है उसे नहीं पढ़ते हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डागा साहब यह बता दीजिये नाथूराम जी द्वारा या उन के ऐडवोकेट ने कहीं पर फैसला दिया है जो रेफरेन्स है। वह सारी की सारी सुखदेव के आरग्यूमेंट के अन्दर है यह कोशिश नहीं की गई है। इसके अन्दर किस प्रकार जाल-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
साजी, टेम्परिंग विद हुआ है यह तो आरग्यूमेंट में नहीं आया। केवल सुखदेव आर्य का है और उस पर ही जजमेंट हुआ है। नाथूरामजी मिर्धा के लिये तो हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किये हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : हाई कोर्ट ने यह कहा है सुखदेव आर्य ने किया और नाथूराम जी की कनाइवेन्स थी।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह : ऐलीगेशन तीन पर है, दो को रखा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We are not going to decide the whole issue It may be your point of view I am putting my point of view before the House. It is my argument.

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : (मौन अस्वीकृति)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि आप एक बात बता दीजिये अगर नीचे की कोर्ट फैसला करती है और ऊपर की कोर्ट रिवर्स नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स नहीं किया है....

श्री शंकरलाल : इस मुद्दे पर किया है।

श्री मदनसिंह : अगर सब का कर दिया होता तो आज नाथूराम जी यहां बैठे होते –

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : आज सारे को खत्म कर देते तो नाथूराम जी यहां आ जाते।

(शोरगुल, अश्रव्य)

वोट के अन्दर गन्दगी करनी है....

श्री मूलचन्द डागा : हम तो जानते ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ने की इजाजत चाहता हूं।

"It is a serious matter to hold that an officer has tampered with or assisted in the tampering and we are unable to find enough evidence to come to the conclusion that respondent No. 2 (i.e. the Returning Officer, Shri S. D. Arya) was in any way responsible for the tampering. We are unable, on the material before us, to decide whether it was the Tehsildar or

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

respondent No. 2 (meaning S. D. Arya) or some other person who was responsible for the tampering of the ballot papers."

श्री शंकरलाल : "Or some other person"" "

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कब इन्कार कर रहा हूं । इन्वेस्टीगेशन का मामला रहा न ? प्राइमाफेसी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है । इनफ ऐवीडेन्स नहीं है । इतना मेटीरियल नहीं है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सुखदेव आर्य ने टेम्परिंग किया है या श्री दाऊलाल माथुर ने किया है या किसी और ने किया है । इसीलिये हम कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिये. दीनदयाल जी के मामले में सेशन जज का फैसला हो गया था लेकिन फिर भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया है । कमीशन जांच कर रहा है····

(शोरगुल, अश्रव्य)

मरडंर की कॉन्सीपिरेसी की जांच हो रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं आप करें या न करें इसकी कोई मियाद नहीं जाती है—Offences against the society,

इसकी मियाद नहीं जाती है । आप हैल्दी ट्रेडीशन रखिये तो अच्छी बात है । अगर 1948 में गान्धी जी का कड़ा भारी स्पेशल जज का फैसला होने के बाद लोगों को फांसी होने के बाद 20 साल बाद भी कमीशन बैठा सकते हैं तो यह बात मानकर चलिये कि यह हुकुमत बैठाये या न बैठाये लेकिन इस सारे जालसाजी को मत-पत्रों की जांच के लिये—इन्वेस्टीगेशन आज होगा तो बहुत अच्छा है, आप डेमोक्रेसी को बचा लेंगे लोकतन्त्र को बचायेंगे नहीं तो आपने लोकतन्त्र की हत्या की है और मैं समझता हूं राजस्थान में, हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा मिस्टर नाथूराम मिर्धा और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने····

(भयंकर शोरगुल, अश्रव्य)

Mr. Nathu Ram Mirdha and the Congress Party of Rajasthan committed a rape of the democracy.

मैं समझता हूं इसकी जांच करायें तो अच्छा होगा, और अगर आप नींद में सोते रहे तो····

श्रीमती कांता कथूरिया : सुप्रीम कोर्ट की आड़ में विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने राजनैतिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए बड़े भावनात्मक ढंग से अपने भाव प्रदर्शित किये हैं—

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जैसे आपको बचाया वैसे ही कर रही है । आपको बचाने के लिये माथुर साहब ऑर्डिनेन्स लाये थे वैसा ही कोई आर्डिनेन्स ले आओ ।

(अश्रव्य)

श्रीमती कांता कथूरिया : मैं इस बात को कहती हूं····।

एक माननीय सदस्य : आप तो माथुर साहब से कह दो ऐसा ही कोई ऑर्डिनेन्स ला दें।

श्रीमती कांता कथूरिया : सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको कोई व्यक्ति तो क्या पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है चाहे जिस तरह उसको इन्टरप्रेट करें। मैं निवेदन करूंगी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ लिखा है कि टैम्परिंग किसने किया.यह नहीं कहा जा सकता।

(माननीय सदस्य श्री देवीदत्त गाड़िया के व्यवधान करने पर)

माननीय सदस्य आप परेशान क्यों हो रहे हैं। आप बोल चुके हैं आप दूसरों की सुनिये। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इसमें टेम्परिंग विद हुआ है, वह किसने किया है, आप इसका फ़ैसला नहीं दे सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि दोषी कौन है? इसलिये किसी का दोषी सिद्ध नहीं होता है.। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात करता है तो यहां पर ज्यादा बडबड़ करने से नाथूरामजी.को दोषी नही बनाया जा सकता।(शोरगुल-अश्रव्य) ....आप लोग तो यह चाहते हैं कि कोई भी किसी के अधिकार इस्तेमाल करे। संविधान की दुहाई देने वाले संविधान को ताक पर रख कर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिसको कोर्ट ने दोषी नहीं कहा उसको दोषी कहते हैं।.... मुख्यमंत्री को चाहिये कि स्पीकर को कहने के बजाय.... (अश्रव्य) ....संविधान को मानते हैं तो संविधान को तरीके से मानना पड़ेगा। इलेक्शन स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। इलेक्शन सेन्ट्रल सब्जेक्ट है। अब इलेक्शन कमीशन ने इसका इनवेस्टीगेशन अपने हाथ में लिया है। यह उसी तरह की बात है जिसे विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य इस तरह की बात कहते हैं कि जो अधिकार स्पीकर में निहित है मसलन सदन की व्यवस्था बनाये रखना, वह छीन कर खुद ले लें।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : गोली से उड़वा दो। उपाध्यक्ष महोदय गोली से उड़ाने का अध्यादेश जारी करवा दो।

(अश्रव्य)

(माननीय श्री मुकुटविहारीलाल गोयल व माननीय श्रीमती कान्ता कथूरिया दोनों साथ साथ बोलते रहे,)

श्रीमती कान्ता कथूरिया : ....संविधान की दुहाई देने वाले खुद संविधान को तोड़ने की बात करते हैं न कि कोई और जिसको अधिकार नहीं जो सेन्ट्रल सब्जेक्ट है उसमें राज्य सरकार जबरदस्ती हस्तक्षेप करना चाहती है आपके घर से चोरी हो जाये तो पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी कहते हैं कि राज्य सरकार की Custody में Tampering हुआ है—कैसे हो गया? आपके घर से चोरी होजाती है आपकी custody होती है चोरी कैसे हो गई आपकी custody से? जिस तरह आपके चोरी की आप report दर्ज करवायेंगे और पुलिस उसकी जांच करके चोरों को ढूंढेगी और जुर्म साबित होगा तो उसको दण्ड दिया जायेगा उसी तरह श्री गुमानमल लोढा के दरखास्त जो उन्होंने election commission को दी उसके ऊपर कार्यवाही election commission के द्वारा चल रही है।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

(2 म. प.)

कोई लाउडस्पीकर उठा कर मारे तो उसकी कानूनी तरीके से व्यवस्था होती है यह नहीं कि बदले में जाकर मारा जाता है। यह संविधान की शराफत दिखाने वाले संविधान की यहां दुहाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने यह मसला है और इसको वह तय करेगा। अगर नाथूराम जी दोषी पाये जायेंगे तो यह राज्य सरकार उनको कोई बक्शने वाली नहीं है आज तो कांग्रेस सरकार है, कल कोई और हो सकती है। यह किसी का ठेका नहीं है लेकिन संविधान कायम रहेगा और उसको कायम रखा जायेगा और इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य अपना खून देकर भी संविधान की रक्षा करेंगे। यह खामखां में भावनात्मक ढंग से प्रेस को सुनाने के लिए और पब्लिक गेलेरी को सुनाने के लिए कहा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस मसले का निर्णय इलेक्शन कमीशन करेगा अपने अधिकारों के आगे बढ़ना कम से कम कांग्रेस सरकार नहीं सीखी है। और वह अपना फैसले के अनुसार इसके ऊपर कार्यवाही करेगी और अगर वह दोषी पाये जायेंगे तो राजस्थान सरकार सबसे पहले कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछूंगा आपके अधिकार में प्रिवीपर्स का और प्रिवलेजेज का प्रश्न नहीं है तो उसको लेकर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं और यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट हैं उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाली सदस्या ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं बिलकुल सहमत हूं। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कतई भी स्टेट गवर्नमैन्ट का सबजेक्ट नहीं है और यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सबजेक्ट है। इसलिए यह अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था वह क्लियरली जजमेंट से ही स्पष्ट होता है कि वह कन्जेक्चर है, प्रिजम्पशन है और हाई कोर्ट ने जजमैन्ट किया था उस समय कोई भी इश्यू फ्रेम नहीं किये थे कोई भी एवीडेन्स नहीं हुई थी और सिर्फ कन्जक्चर और प्रिजम्पशन के बेसस पर जजमैंट दिया था और हाई कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस पर एवीडेन्स लेकर निर्णय लिया जायगा। पर जब एवीडेन्स ली गयी और हाईकोर्ट ने ली और हाईकोर्ट ने एवीडेन्स पर जजमेंट नहीं दी बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एवीडेन्सेस भेजी गयी और सुप्रीम कोर्ट ने एवीडेन्स पर जजमेंट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एवीडेन्स पर जजमेंट दिया है तो रियेली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ कन्जक्चर था, सिर्फ प्रिजम्पशन था। कोई कनक्लुजिव प्रिजम्पशन नहीं है और किसी एवीडेन्स पर बेस्ड नहीं था। इसलिए हाईकोर्ट का जजमेंट कोई वकत नहीं रखता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लियरली यह लिखा गया है कि कोई भी किसी भी तरीके से न नाथूराम जी रेस्पॉन्सीबल हैं और न रिटर्निंग ऑफिसर है ही। और जब रिटर्निंग ऑफिसर ही जिम्मेदार नहीं है तो नाथूराम जी का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कनाईवेन्स लेने का प्रश्न नहीं उठता। जब इलेक्शन कमीशन में यह मसला चल रहा है तो राजस्थान सरकार के लिये कोई आवश्यक नहीं है कि इस मसले को ले और इस मसले के बारे में कोई कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अब इस पर चर्चा समाप्त कर दी जाये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : संक्षेप में बोलें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन केवल वकीलों के लिए ही नहीं है और मैं अर्ज करूंगा कि इस संबन्ध में दूसरे भी बोलना चाहते हैं और ऐसा है तो हम सब चले जायें और वकीलों को रख कर तय करा लें। यह गलत बात है। क्या इलेक्शन हमने नहीं लड़ा है? क्या यह लॉ कॉमनसेन्स का नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इसको किसने इन्कार किया। ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री मदनसिंह दांता : मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य इस पर कुछ कहना चाहें तो दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाढ़दार—संक्षेप में बोलें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, जो संविधान और रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की दुहाई देते हैं मुझे केवल एक ही बात याद आ रही है और मैं कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान की सरकार निरपराध व्यक्तियों पर गोलियां चलाये तब तो संविधान के सिद्धान्त कहां चले जाते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णयों को सम्माननीय सदस्य मानते हैं और इसका ठेका, इसकी इन्टीग्रिटी का ठेका केवल राज्य पक्ष का ही नहीं है और केवल उसी ने नहीं लिया कि संविधान का केवल यही सम्मान करना जानते हैं। इनसे ज्यादा सम्मान करना हम भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उस प्रश्न को साइडट्रेक करने की चेष्टा की जा रही है राज्य पक्ष के द्वारा। आपके सामने केवल दो मसले हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हम किसी अमुक व्यक्ति को इसका अपराधी करार नहीं देते। हमारा प्रश्न तो यह है कि राज्य सरकार का दायित्व क्या है और इसको आपको दृष्टिकोण में रखना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, वरिष्ठ न्यायालय का निर्णय हुआ और उसमें दो मुद्दों पर निर्णय दिया गया। यह निर्विवाद सत्य है कि टेम्परिंग विद हुआ बैलट पेपर्स का, यह भी निर्विवाद सत्य है कि वह बैलट पेपर्स की कस्टेडी केवल राज्य के अधिकारियों के पास रहती थी और यह भी सत्य है कि राज्य के अधिकारी किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को उस तक एप्रोच नहीं करने देते थे। अब दूसरा प्रश्न पैदा होता है, इलजाम लगाया गया है उनकी तरफ से गोरधन सोनी के आदमी भी टेम्पर विद कर सकते थे तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मन्त्री जी से खास तौर से पूछना चाहूंगा कि अगर यह व्यवस्था करें, यह इन्तजाम करें और इस प्रकार के ऑफिसर नियुक्त करें कि एवरी टाम, डिक एण्ड

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हेरी जाकर उनको एप्रोच कर सकता है तो दोष किसका है ? वह राजस्थान सरकार का दोष है। इस प्रकार का अगर किसी पर दायित्व आता है तो राज्य सरकार पर आता है। इसलिए मुख्य मन्त्री जी मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके अधिकार-क्षेत्र से परे यह बात आप मानते हैं, अगर आप इसको सेन्ट्रल सब्जेक्ट कहकर चलते हैं, तो क्या यह आपका उत्तरदायित्व नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी को एप्रोच करें, इलेक्शन मशीनरी को एप्रोच करें। आप अपने उत्तरदायित्व को साइड-ट्रैक करके नहीं चल सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कम से कम राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि ला 'डिपार्टमेंट से चैक करा लें कि इस 'विषय में मत प्रकट करने की बात आपके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं, लेकिन इतनी अपेक्षा आपसे जरूर कर सकते हैं कि आप अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करेंगे और अनुभव करने के बाद कम से कम यह करने की चेष्टा करेंगे कि यदि सेन्ट्रल सब्जेक्ट है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मूव करेंगे। पचासों ऐसे विषय हैं जिन पर आप प्रस्ताव पास करते हैं और सुझाव सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास देते हैं, आप नोट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं, तो यहां कौनसा ऐसा प्रश्न आता है कि इस विषय में आप किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहते ? उसके पीछे कारण क्या है यह तो आप जानें, लेकिन न्याय के अन्दर आस्था रखने वाले लोग आपसे यह अपेक्षा करके चलते हैं कि आप न्याय के प्रति आस्था रखेंगे। वोटिंग पेपर्स के टेम्परिंग की अगर यह प्रणाली चल गई तो उसका परिणाम क्या होगा ? एक तरफ तो आप दुहाई देते हैं कि हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, हम प्रजातन्त्र की पालना करते हैं और एक तरफ आप प्रजातन्त्र का गला घोंटते जाते हैं। तो इसलिए यदि आप प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं, यदि आप समाजवाद के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं तो चाहे आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो तो भी आप सेन्ट्रल गवर्नमैंट को मूव करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन को मूव करेंगे, और इसको मूव करने का जो वास्तविक स्थिति है इस पर कम से कम एक्शन लेने का आश्वाशन देंगे। यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं और इसको साइडट्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने उत्तर-दायित्व को समझेंगे और यह आश्वासन देंगे कि जो एक्शन लीगली यह राज्य सरकार ले सकती है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से एप्रोच करने का या इलेक्शन कमीशन को एप्रोच करने का उसके अन्दर कोई पीछे कदम नहीं उठायेगी। तभी आप जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे और तभी आप इस बात पर दावा कर सकते हैं कि आप वास्तव में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आखिर में यदि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की चर्चा हो, तो कुछ समझ में बैठ सकता है यह इलेक्शन है इसकी वजह से इस ऑफिसर ने दब कर यह किया

(श्री मदनसिंह)

है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कन्डेम उस ऑफिसर को नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यू चलते हैं उन्हीं को वह लेती है और दूसरे इश्यूज में नहीं उलझती है इस प्रकार से अगर किसी इश्यू को उसने छोड़ दिया है तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक चार्ज लगाया है कि इनकी वजह से यह हुआ हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई कहने का हक नहीं था ? वे यह कह सकते थे कि नाथूराम जी इसमें इन्वाल्ड नहीं है। वे इसके लिये दो लाइन लिख सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट का जो जजमेन्ट है उसको उन्होंने यों ही रखा····

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं छोड़ा है।

श्री मदनसिंह : अगर नहीं छोड़ा है मानलें कि नाथूराम जी के सम्बन्ध में कह दिया है कि नहीं, तो, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह आती है कि असल में यह घटना कहां हुई ? यह सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। राजस्थान सरकार इसको समझेगी कि यह घटना किस जगह हुई। वह पब्लिक मैदान में नहीं हुई, वह रामलीला मैदान में नहीं हुई (हंसी) यह घटना इलेक्शन ऑफिस में हुई है जहां कि 5-7 अफसर रहते हैं या उनकी तरफ से कोई रहता है। जो जीतता है वह टेम्पर विद नहीं कर सकता है। कोई हारा हुआ ही यह कोशिश करेगा चाहे वह किसी चपरासी से कराये, चाहे वोटर से कराये या चाहे किसी ऑफिसर से कराये। टेम्पर विद कौन करायेगा ? वह जीतने वाला नहीं, हारने वाला करायेगा। हारने वाला कौन केन्डीडेट था। यह साबित हो सकता है कि कोई ऑफिसर इन्टरस्टेड है या खुद हारने वाला इन्टरस्टेड है। यह तो सुप्रीम कोर्ट में होल्ड किया है कि इसमें टेम्पर हुए हैं।

अब राजस्थान गवर्नमेंन्ट यह समझे तो मैं नाथूराम जी से अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर इतनी छींटाकशी होती है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कुछ नहीं कहा तो भी मोरल के नाम पर, अध्यक्ष के नाते आप चीफ मिनिस्टर को कहने को तैयार हों कि मैं खुला हूं और मेरे पर जितने भी एलीगेशन्स सदन के लोग और राजस्थान की जनता लगाती है तो कानूनन जो कुछ भी जांच होना चाहिये उसके लिये मैं तैयार हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि घोड़ा और ला यह सवार के ऊपर और वकील के ऊपर रहते हैं कि जिधर भी टांग लगायेंगे उधर मुड़ जाते हैं। इसलिये इस बात को बारीकी से देख सकते हैं तो कोई बात नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित रूप से कह दिया हो कि जस्टिस फलाने का जो आरोप है नाथूराम जी के ऊपर उस आरोप को हटाया गया हो। यह दोषी नहीं है। लेकिन जो क्रिमीनल केस है और वह इलेक्शन के जो लोग हैं वह अगर हुए तो मुझे ऐसा शक है कि जहां से यह आया है वहां इलेक्शन कमिश्नर के पास बैलेट आये थे तो उन्होंने छापा होगा तो उनको गिरफ्तार करें। कम से कम गिरफ्तार करके इलजाम के लिये राजस्थान गवर्नमेंन्ट को एनाउन्स तो करना पड़ेगा कि इसकी जांच करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
कोर्ट के फैसलों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बात निश्चित है कि फोर्जरी हुई है और यह बात भी निर्विरोध सिद्ध है कि फोर्जरी जब हुई तो वह सारा रेकार्ड राजस्थान गवर्नमेन्ट के इलेक्शन डिपार्टमेन्ट के चार्ज में था, चाहे वह तहसीलदार हो, चाहे एस. डी. ओ. हो, चाहे कलेक्टर हो। राजस्थान गवर्नमेन्ट इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि टेम्परिंग हुआ है, यह फोर्जरी जो हुई है तो उसके लिए राजस्थान गवर्नमेन्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह सारा जो रेकार्ड है उसके लिए कानून बना हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट के इलेक्शन डिपार्टमेंट की सील में और उसके ताले के अन्दर रहता है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ी लज्जा की बात नहीं हो सकती है कि उसकी कस्टेडी में सारा रेकार्ड था तो उस वक्त टेम्परिंग हुआ है और आप सरकारी पक्ष में बैठने वाले कहते हैं कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है जिसकी कस्टेडी में यह सारा हुआ है। इस बात पर राजस्थान सरकार में थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो उसे स्तीफा दे देना चाहिये। (हियर, हियर) मुझे अफसोस तो इस बात पर हो रहा है कि बड़े बड़े वकील यह कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी नहीं हैं। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी राजस्थान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फोर्जरी हुई है तो फोर्जरी काग्नीजेबल आफेन्स है तो फिर काग्नीजेबल आफेन्स की काग्नीजेन्स लेना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी गांव में मर्डर होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। हरेक आदमी को उसकी इत्तिला करना चाहिए। हरेक आदमी की यह जिम्मेदारी है, वर्ना वह जुर्म करता है। इत्तिला होने के बाद में केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और राजस्थान गवर्नमेंट यह जजमेंट आने के बाद कोई केस रजिस्टर न करे तो मुझे बड़ा अफसोस है। अब यह सवाल उठाया जाता है कि जिम्मेदारी किस की है। जब फोर्जरी हुई है तो जिम्मेदारी किस की है? इस बात का जवाब देना गवर्नमेंट का काम है। किसी ने यह कहा कि गोरधन सोनी ने किया हो। मान लें कि कल कहीं मर्डर होता है तो वह किसने किया है इस बात को मालूम करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अगर कहीं डाका हुआ है तो डाका डालने वाला कौन है इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वह पता लगाये कि कौन आया था और कौन नहीं आया था। अगर यह नहीं होता उसको काग्नीजेबल आफेन्स नहीं रखते। काग्नीजेबल आफेन्स इसीलिए बनाया गया है। तो फोर्जरी को भी काग्नीजेबल आफेन्स इसीलिए बनाया गया है कि जिस आदमी ने फोर्जरी की है उसको इन्वेस्टीगेट करना चाहिए। वह नाथूराम जी भी हो सकते हैं और गोरधन सोनी भी हो सकता है। अगर गोरधन सोनी है तो क्या कठिनाई है? हम तो कहते हैं कि केस रजिस्टर किया जाना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ चालान किया जाना चाहिए। इसमें कोई कानून के अन्दर दो राय नहीं हो सकती है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि फोर्जरी के केस रजिस्टर नहीं हों और उसका इन्वेस्टीगेशन नह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किया जाय । मैं जानता हूं कि जो आदमी कानून जानता है वह इस बात का विचार नहीं कर सकता है ।

इसलिए मैं नम्रता से कहूंगा कि बहुत कुछ हो गया है । सरकार ने प्रजातन्त्र की हत्या कर ली और बहुत सी बातों में की है एक में ही नहीं जब इसका इतिहास लिखा जायगा तब यह मालूम होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है । एक किताब निकली है "दलबदलू" उसमें राजस्थान पर एक चैप्टर दिया हुआ है । वह हमारी लायब्रेरी के अन्दर मौजूद है । उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आदमी का सर शर्म से झुक जायेगा । सुखाड़िया जी कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है । राजस्थान में दलबदलुओं से कांग्रेस सरकार बनाती है तो वह बहुत अच्छी है । उस किताब को माननीय सदस्य पढ़ें । वह हमारी लायब्रेरी में मौजूद है । इस तरह की कार्यवाहियां की गई हैं । आज ही नहीं लगातार प्रजातन्त्र की हत्या राजस्थान सरकार करती रही है । इस मामले में फोर्जरी हुई है और मैं कहता हूं कि अगर इसके लिए गोरधन सोनी जिम्मेदार है तो आप इन्वेस्टीगेशन करें । हम यह कहते हैं कि जिम्मेदारी नाथूराम जी की है । सवाल तो यही है कि फोर्जरी हुई है तो जिम्मेदारी किस की है ? इसका इन्वेस्टीगेशन करें ।

सबसे बड़ी दलील तो यह दी जाती है कि यह सैन्ट्रल सब्जेक्ट है ।' मर्डर, डेकोआइटी, या फोर्जरी यह काग्नीजेबल ऑफेन्स हैं और जिस किसी भी एरिया में वह होता है वह वहां की पुलिस और वहां की गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है । यह, श्रीमान जी, फोर्जरी सेन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्शन सेन्ट्रल सब्जेक्ट है । आप कानून से वाकिफ नहीं हैं । मैंने 30 साल कानून की वकालात की है और आज भी कर रहा हूं । आप एडवोकेट जनरल को हाउस में बुला लें और वह कह दें कि राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो हम मान लेंगे । हम जब कहते हैं कि गोरधन सोनी की जिम्मेदारी नहीं है तो आप कहते हैं कि गोरधन सोनी की जिम्मेदारी है तो हम कहते हैं की अगर जिम्मेदारी है, अगर वह अपराधी है तो आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर कीजिये, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि केस रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे····

श्री मदनसिंह : इन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं करेंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : या तो खड़े होकर यह मानलें कि फोर्जरी हुई है और जांच करेंगे या इलेक्शन डिपार्टमेंट को लिख दें कि यह फोर्जरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो केस को रजिस्टर करके वह कार्यवाही करें । यह केस राजस्थान में हुआ है इसलिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है । यह उस एरिया का जुरिस्डिक्शन होता है जिस एरिया में आफेन्स होता है । तो यह राजस्थान में आफेन्स हुआ है इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है । अगर कोई इन्कार करता है तो खड़े होकर कहें । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अब भी इस मामले को सरकार को समझना चाहिये और उनमें कोई लज्जा या शर्म बाकी है तो उनको इस केस को रजिस्टर करना चाहिए····

श्री मदनसिंह : होम मिनिस्टर साहब से पूछा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी !

श्री गोरधन सोनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में अपनी बात कहें !

श्री गोरधन सोनी : जो स्पष्टीकरण किया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैलट बाक्सेज को टेम्पर विद करने के इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई खिलाफ बात नहीं कही है अपने जजमेंट में। इससे यह साफ जाहिर होता है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का राजस्थान सरकार को अधिकार है और इसलिए राजस्थान सरकार को दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह काम किसने किया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लोकतन्त्र की रक्षा करने का समर्थक हूं, उस लोकतंत्र की हत्या की गई है, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गोरधन सोनी भी यह काम कर सकता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं लोकतन्त्र को अपने से ज्यादा महत्व देता हूं इसलिये मैंने अगर यह काम किया है तो तुरन्त बड़ी से बड़ी सजा मुझे दी जाय। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की हत्या करना एक सबसे बड़ा अपराध है और जिसने यह अपराध किया है उस अपराधी को मदद देना एक बड़ी बेशर्मी की बात है, एक लज्जाजनक बात है इस सदन की मर्यादा को चोट पहुंचाने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह तरीका अपनाया जाता है कि जो अपराध करता है, जो पाप करता है उस अपराधी और पापी की वकालत इस हाउस के अन्दर होती है। इस बात को देख कर मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह काम किसने किया है....

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज, ! पॉइन्ट आफ आर्डर है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह माननीय सदस्य ने कहा है कि अपराधी और पापी की वकालत इस हाउस के अन्दर होती है, यह शब्द आपत्तिजनक हैं और इनको एक्सपंज करना चाहिए।

श्री विजयसिंह : आपने की है। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं।

श्री मदनसिंह : इलेक्शन के मामले में इस प्रकार की कार्यवाही होती है और उसके लिए यहां कहा जाता है तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस काम से श्री नाथूराम मिर्धा को फायदा होने वाला था इसलिए उन्होंने जानबूझ कर मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब 21-22 तारीख को काउन्टिंग हो रहा था, उस समय श्री मिर्धा, मेड़ता के अन्दर मौजूद थे, उनका इलेक्शन एजेंट काउन्टिंग के वक्त में मौजूद था। लेकिन

(श्री गोरधन सोनी)
उन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायत नहीं की कि पचास पचास के बण्डल इधर उधर पड़े हैं···

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मै एक बात पूछना चाहता हूं···

श्री गोरधन सोनी : इससे साफ जाहिर होता है कि या तो उन्होंने यह काम खुद किया है या करवाया है····

श्री शंकरलाल : में एक बात पूछना चाहता हूं····

श्री गोरधन सोनी : अगर यह बात नहीं होती तो वह मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन नहीं करते····

श्री शंकरलाल : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप थोड़ी देर के लिए भाषण बन्द कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाद में जो जानना चाहें वह पूछ लें।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, काउन्टिग के समय मेरे और उनके एजेंट बैठे हुए थे और यह रिपोर्ट ले रहे थे कि किसको कितने वोट आये हैं, रिजल्ट अनाउन्स हो रहा था, उस समय जब 21-22 को काउन्टिग हो रहा तो उन्होंने 21 को जो यह ग्यारह सो, साढ़े ग्यारह सो की गड़बड़ बताई गई है, उसके सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं किया····

श्री गिरधारीलाल व्यास : किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : किया है, वहां ऐतराज किया है। यह कोर्ट के जजमेंट लिखा हुआ है।

श्री शंकरलाल : इन्होंने भी किया है और आपने भी किया है।

श्री गोरधन सोनी : आप रिपोर्ट की तारीख देखिये, माननीय व्यास जी !

श्री गिरधारी लाल व्यास : 21 तारीख को ऐतराज किया है।

श्री गोरधन सोनी : 21 तारीख को मिर्धा जी के इलेक्शन एजेंट ने कोई ऐतराज नहीं किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : किया है, नाथूराम जी ने, काउन्टिग के सम्बन्ध में 22 तारीख को ऐतराज किया है।

श्री गोरधन सोनी : यह बिल्कुल गलत बात है। 21 तारीख को जो साढ़े ग्यारह सौ की गड़बड़ी बतलाई गई उसके सम्बन्ध में उस वक्त न तो नाथूराम जी के एजेंट ने और न स्वयं नाथूराम जी ने किसी प्रकार का एतराज किया। उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात मैं निवेदन कर दूं, जो तथ्य आपकी इलेक्शन पिटीशन या जजमेंट में आये हुए हैं, उनको दोहराने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है। उनमें जो तथ्य हैं, वह हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है।

श्री गोरधन सोनी : जिस मुद्दे को यहां उठाया गया उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं········

श्री शंकरलाल : जो आपने कहा, उसका बर्डन आफ प्रूफ आप पर था, आप कोई कोर्ट के सामने वह साबित नहीं कर सके, अब यहां साबित करना चाहते हैं ?

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं. फिर आप हमको उलाहना मत देना।

श्री गोरधन सोनी : यह जो पाइन्ट है, इसका स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं। कोई लम्बा चौड़ा वक्तव्य नहीं देना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश की थी, जिसका आशय था कि मेरे बैलेट पेपर ज्यादा रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन उनके लिए फार्म नं० 16 नहीं भराया जा रहा है। लेकिन मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें मैंने कहा कि फार्म नं० 16 भरवायें जो कि नियमानुसार भरवाये जाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एप्लीकेशन को रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, सब काम नियमानुसार हो रहा है इसलिए आपकी एप्लीकेशन खारिज की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां इस तरह मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की.......

श्री उपाध्यक्ष : यह सब का सब उसमें आ चुका है।

श्री गोरधन सोनी : लेकिन हाई कोर्ट के सामने यह कहा गया कि पचास पचास के बन्डल इस तरह मिले। उपाध्यक्ष महोदय, पचास पचास के बण्डल इस तरह मिले हों तो फार्म नं० 16 भरवाने की कार्यवाही की गई होती। वह नहीं की गई और जब मैंने एतराज किया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कहा कि नियमानसार सब काम हो रहा है। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ग्यारह जगह यह एलीगेशन लगाया है कि इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, पिटीशनर को मदद करने की कोशिश की। इस प्रकार के इल्जाम हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ लगाए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 21-22, दो दिन, काउंटिंग हुआ उस दौरान में नाथूराम जी वहां पर थे, उनको यदि कोई रिपोर्ट मिली, फिर भी उन्होंने यह नहीं कहा कि पचास पचास के बण्डल इधर उधर मिल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पचास पचास के बण्डल का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि नाथूराम जी एक सशक्त कैन्डीडेट थे, अगर ऐसा होता तो वह रिटर्निंग ऑफिसर को कहते। लेकिन उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं कहा कि पचास पचास के बण्डल मिल रहे हैं, राजस्थान के इलेक्शन कमिश्नर और हिन्दुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ हो रही है। तो फिर इसमें क्या रहस्य है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जब देखा कि मेरे बैलेट पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं तो मैंने लिखा, कलेक्टर को तार दिया, इलेक्शन कमिश्नर को तार दिया.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें कोर्ट में कही जा चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं, यह सब तथ्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, उसके बाद में उसने फैसला दिया है। यहां पर जो विषय है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि मत पत्रों में फोर्जरी हुई है या फेर बदल हुई है, तो उसके बारे में आप जो कहना चाहें तो कहें। यह जो एवीडेंस है, आप जो बात कह रहे हैं यह तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और उनके बारे में उसने फैसला दिया है। इसलिए उनके बारे में न कह कर और जो कहना चाहें वह संक्षेप में कहें।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं.........

श्री उपाध्यक्ष ; सारे केस को सदन के सामने अर्ज करें तो इसमें कोई मकसद हल नहीं होता।

श्री गोरधन सोनी : सब काम उनके सामने हुए हैं और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने या आपके वकील ने कही हैं।

श्री गोरधन सोनी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है.........

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि श्री गोरधन सोनी दाऊलाल तहसीलदार को सिखा कर लाये और इन्फ्लूएन्स करके उसकी बात को टेप रिकार्ड किया है। उसको उन्होंने इन्फ्लूएन्स करने की कोशिश की है.........

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही नहीं है कि यह आरोप आप पर लगाया है ?

श्री गोरधन सोनी : आप इस तरह की बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : आप अपनी बात कह दें।

श्री विजयसिंह : यह सदन को क्या पूरे राजस्थान को गुमराह करने वाले हैं।

श्री गोरधन सोनी : रैस्पोंडेंट नं०. 2, गुप्ते जो वकील थे, उन गुप्ते ने किया, यह नहीं कहा कि गोरधन सोनी ने कोशिश की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने कह दिया है।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, इस दाऊलाल तहसीलदार को 20 मार्च को, जहां तक मुझे तारीख याद है, माननीय मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में वित मंत्री जी ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह नाथूराम जी के पक्ष में झूठी गवाही दे। उसको इस बात के लिए दबाया गया। यह उसने मुझ से स्वयं कहा....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से परे हट रहे हैं। यह सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने थे। इनको वापिस दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन काउन्टिंग के टाइम पर जो आदमी मौजूद हो, इलेक्शन के टाइम पर मौजूद हो, काउन्टिंग के टाइम पर काउन्टिंग एजेन्ट बैठे हों—यह सारी बातें होने के बाद भी वोटों को टेम्पर करके मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन कर दें, इससे मालूम होता है कि····

श्री उपाध्यक्ष: एक बात मेरी सुन लीजिये, जो तथ्य आपके पास थे, यह सब जो नाथूराम जी और एस. डी. आर्य के खिलाफ दे रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। उस सम्बन्ध में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया वह फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि टेम्पर्ड विथ हुए हैं, उसके बारे में जो कहना चाहें वह कहें बजाय उन सारी बातों को दोहराने के····

श्री रामनारायण चौधरी : सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौका दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दें।

श्री मदनसिंह : इनको मौका दिया है कि और एवीडेन्स लायें।

श्री गोरधन सोनी : मैं निवेदन कर दूं कि नागौर के अन्दर जो भी ऑफिसर जाते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : वह सब बातें कोर्ट के सामने थीं।

श्री गोरधन सोनी : मैं निवेदन कर दूं कि नागौर में वही कलेक्टर जाता है जिसके लिए नाथूराम जी कहें, वही एस. डी. ओ. जाता है जिसके लिए नाथूराम जी कहें, ऐसी स्थिति में जितने भी वहां पर सरकारी अहलकार हैं उनसे मुझे क्या मिल सकती है। मेरा निवेदन है कि मेरे जितने भी गवाह थे, उनको टेम्पर विद करने का प्रयत्न किया गया, हर तरह से मुझ पर अत्याचार करने का प्रयत्न किया गया और इलेक्शन के अन्दर मुझसे हारने के बाद बैलेट बाक्सेज को टेम्पर विद करके मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन कर दी गई फिर भी ऐसे अपराधी की लोग बेशर्मी के तौर पर मदद करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं इससे ज्यादा बेइन्साफी की बात कोई हो नहीं सकती। मैं आखिर में इतना ही कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हाई कोर्ट ने चॉर्जेज सुखदेव आर्य के खिलाफ ग्यारह जगह अपने जजमेंट में लगाये हैं, उन चार्जेज को सुप्रीम कोर्ट ने विथड्रा नहीं किया है इसलिए राजस्थान सरकार के लिए यह वाजिब बात होती कि वह उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेती। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, यह एक ऐसा बहुत बड़ा काण्ड हुआ जिसके द्वारा राजस्थान के ऊपर एक कलंक इस बात का लगा कि राजस्थान के एक क्षेत्र में वोट टेम्पर विथ कर दिये गये और इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर दी गई····

श्री उपाध्यक्ष: यह कह चुके हैं, और भी माननीय सदस्य कह चुके हैं। अब आप समाप्त कर दें।

श्री गोरधन सोनी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की राजस्थान सरकार को जांच करनी चाहिए, नहीं

(श्री गोरधन सोनी)

तो फिर सेन्ट्रल जांच ब्यूरो से इसकी जांच करानी चाहिए और जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसके अन्दर अगर मैं भी जिम्मेदार हूं तो मैं भी इससे इन्कार करने की जरूरत नहीं समझता। उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी बुद्धि वाले व्यक्ति समझ सकते हैं कि जो टेम्पर विथ कराये हैं वैलट वह किसने कराये हैं, वैलट वही टेम्पर विथ करा सकता है, जिसका कोई इन्ट्रेस्ट है, कोई लालच है....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह चुके हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : यह सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा ?

श्री गोरधन सोनी : इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, आप समाजवाद में आस्था रखते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाजवाद कहां से आ गया ? समाजवाद में सभी तरीके काम में आ सकते हैं। आप लोकतंत्र की बात कह रहे थे। समाजवाद में तो बहुत से तरीके काम में आ सकते हैं।

श्री मदनसिंह : राजाओं की पावर खत्म करके आप राजाओं को नीचे लाना चाहते हैं तो क्या आप कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ साधारण तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल !

श्री किशनलाल शाह (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में प्रश्न ही पूछूंगा। पहला प्रश्न यह है कि मतदान पत्रों में हेर फेर हुआ और गड़बड़ी हुई और उसमें उच्च न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ।

प्रश्न यह है कि क्या इन निर्णयों के बाद किसी विषय पर दुबारा जांच की जा सकती है ? अगर की जा सकती है तो यह इलेक्शन के सम्बन्ध में गड़बड़ी जो हुई उसमें जांच करने का दायरा इलेक्शन कमीशन का है या राजस्थान सरकार का है ?

ये दो प्रश्न हैं। जहां तक पहला प्रश्न है मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने किसी क्रिमिनल ऑफेन्स के बारे में अपना निर्णय नहीं दिया है। हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के सामने तो मामला था वह एक केन्डीडेट के द्वारा दूसरे केन्डीडेन्ट के इलेक्शन को अयोग्य घोषित करवाने, अवैध घोषित करवाने के सम्बन्ध में जो रिट की गई उसका फैसला था। क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्स के आधार पर एक लिंक नहीं मिलने से दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उनको बरी घोषित नहीं किया है। जैसे क्रिमिनल लॉ में डिस्चार्ज की स्थिति होती है, क्रिमिनल लॉ में डिस्चार्ज कर दिये जाने पर भी उसमें दूसरी बार चालान हो सकता है, उसी तरह इस पर दुबारा जांच हो सकती है....

विरोधी पक्ष की ओर के कई माननीय सदस्य : बहुत अच्छे।

श्री किशनलाल शाह : दूसरा प्रश्न यह है कि यह प्रश्न इलेक्शन कमीशन का है या राजस्थान सरकार का है, इस विषय में मैं एक पर्टीक्यूलर प्रश्न पूछूंगा कि क्या मतदान के परिणाम घोषित किये जाने के बाद, आफ्टर दी डिक्लेरेशन ऑफ

(श्री किशनलाल शाह)

इलेक्शन रिजल्ट माननीय एस. डी. आर्य, रिटर्निंग ऑफीसर कहे जा सकते थे, या उसके तत्काल पश्चात ही उनकी रिटर्निंग ऑफीसर की हैसियत खत्म हो गई और वे केवल राज्य सरकार के एक अधिकारी मात्र रह गये ? उसके बाद में टेम्परिंग विथ हुआ है तो वह उन्होंने रिटर्निंग ऑफीसर की हैसियत से किया या इलेक्शन पोलिंग एजेंट की हैसियत से किया ? क्या राजस्थान सरकार के अधिकारी की कस्टडी में मतदान पेटियां रहते पर यह टेम्पर विथ हुआ ? इसका मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

जब रिटर्निंग ऑफीसर की हैसियत से मतदान रिजल्ट की घोषणा के तुरन्त बाद मत पेटियों को कलेक्टोरेट में जमा कराने की बात थी तो उन्होंने रिजल्ट की घोषणा के बाद भी मत पेटियों को अपने पास क्यों रखा ? कलेक्टोरेट में जमा क्यों नहीं करवाई ? उसकी शिकायत माननीय गोरधन जी सोनी ने इलेक्शन कमीशनर के पास की। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस गया, उसको नहीं दी, कलेक्टर गया तब दी, उसने वह हैसियत राजस्थान सरकार के अफसर के अपने पास क्यों रखी ? अगर रखी तो उसके बाद टेम्परिंग विथ कैसे हुआ, इसका एक्स्प्लेनेशन उन पर है।

इनकी इस दलील को कि मतदाताओं ने जो सील लगाई उसकी स्याही गीली होने के कारण सीलों का डबलिंग हुआ, इसको हाई कोर्ट ने नहीं माना। जब अभियुक्त के खिलाफ आरोप होता है, जब उससे एक्स्प्लेनेशन मांगा जाता है तो एक्स्प्लेनेशन में प्रूफ देने की उसकी जिम्मेदारी होती है। एक सरकारी ऑफीसर खजान्ची है, उसको 10 हजार रुपया एन्ट्रस्ट करते हैं, 10 हजार रुपया उसकी कस्टडी में तिजोरी में है, तिजोरी की चाबी उसके पास है। वह रुपया चोरी चला जाता है तो, आप किसको पूछोगे? उसी को पूछा जायगा कि साबित करो कि वह पैसा कहां गया। अगर वह नहीं करता है तो फाल डाउन हो जाता है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आती है कि इस टेम्परिंग विथ से फायदा किसका होने वाला था? गोरधन जी तो अपने पक्ष में, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारते ? इसलिये जब तक आप निष्पक्ष जांच से इस मामले को साफ नहीं कर देते, तब तक हमारा स्पष्ट आरोप है कि यह टेम्परिंग विथ नाथूराम जी ने करवाया। क्या नाथूराम जी के कहने से आपने एस. डी. आर्य को प्रोमोशन नहीं दिया ? ए. डी. एम. नहीं बनाया ? यह सारी बातें होने के बाद यह साफ है कि रिटर्निंग ऑफीसर का इस प्रकार का ऑफेन्स इन्डियन पेनल लॉ का ऑफेन्स बनता है। अगर एक ही ऑफेंस सब्जेक्ट मेटर राज्य का भी है और केन्द्र सरकार का भी है और वह दोनों के कानून के दायरे में आता है, इलेक्शन लॉ में आता है, रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में आता है, जो स्पेशल लॉ है, दूसरा पेनल लॉ में आता है जो जनरल लॉ है, तो उसको जनरल लॉ में ही लिया जायगा। उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से आप इसका निर्णय करवा सकते हैं कि यह राज्य सरकार के दायरे में आता है या केन्द्र सरकार के दायरे में आता है।

एक मामला 409 में आता है, वह प्रिवेन्शन ऑफ एन्टीकरप्शन एक्ट की धार

(श्री किशनलाल शाह)
5 में आता है। यह राज्य सरकार के दायरे का है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनरल लॉ विल प्रिवेल।

श्री किशनलाल शाह : इलेक्शन कमीशन इसकी एन्क्वायरी कर सकता है, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो से, लोकल पुलिस से करवा सकता है, पर अन्ततोगत्वा उसी कोर्ट में वह केस जायगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वह क्षेत्र आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : हाई कोर्ट की एन्क्वायरी को नहीं मानते ?

श्री शंकरलाल : वहां एवीडेन्सेज ली गई थीं।

श्री रामनारायण चौधरी : हर मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राय मानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी ओपिनियन ले लीजिये। एटोर्नी जनरल की राय ले लीजिये।

श्री किशनलाल शाह : तो इसलिये माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका उत्तर दें कि किसके दायरे में केस चलाना चाहते हैं ? अगर नहीं चलाना चाहते तो क्यों नहीं चलाना चाहते ? इलेक्शन कमीशन पर ही क्यों छोड़ना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट ने की है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री किशनलाल शाह : हाई कोर्ट से निर्णय करा लीजिये कि किसके जुरिस्डिक्शन में आता है। इसका निर्णय माननीय चौधरी जी हाई कोर्ट से ले लें।

मैं अन्त में माननीय चौधरी जी से, डागा जी से, मुख्य मन्त्री जी से और गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, वे यह बता दें कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में कहां लिखा है कि इसकी एन्क्वायरी इलेक्शन कमीशन करेगा ? पुलिस नहीं करेगी। लॉ बता दीजिये ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish first.

श्री किशनलाल शाह : वह प्रोसीजर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री यशवन्तसिंह नाहर के खड़े होने पर) : पहले उनको समाप्त करने दें।

श्री किशनलाल शाह : कुछ तो बता दो रूल।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो मिनट बिराजिए, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की। मेरे पास किताब है, उसमें से बोलूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई नहीं है रूल।

श्री किशनलाल शाह : रिप्रेजन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का प्रोसीजर बता दो और बता दो कि दूसरी एजेन्सी द्वारा

(श्री किशनलाल शाह)
इन्वेस्टीगेशन करके चालान नहीं कर सकते, तो मैं मान लूंगा और विरोधी दल वालों से कहूंगा कि उठें ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री आलिम अली के खड़े होने पर) : यह कानून का मसला है।

श्री आलिमअली : महात्मा गांधी के टाइम में कांग्रेस वाले जब आन्दोलन करते, किसी को अगर गाली दे दी तो गांधी जी उसी जगह कह देते थे कि आंदोलन फेल कर दूंगा, गाली देना गुनाह है। भूल गए गांधी जी की बात को? आप लोग राजा महाराजाओं की बुराई करो, बीकानेर राजा गंगासिंह को लड़को एक लड़की के छेड़ने को पब्लिक ने आरोप लगायो, तो राजा के लड़के की राजा के डर से महल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई और गोली खाकर मर गयो। आज गांधी जी को नाम लेते शर्म नहीं आवे? आज हर जगह खुली बदमाशी हो रही है। कांग्रेस के नाम से हर जगह लूट है। मैं नहीं कह रह्यो हूं, यह बात तो गांधी जी का छोटा भाई सरहदी गांधी कह गया कि हिन्दुस्तान में मैंने कांग्रेस में एक भी ईमानदार नहीं मिलियो सब जगह डाकू मिला। हर बात की सही इन्क्वायरी हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है।

श्री आलिमअली : माननीय सदस्य रामनारायण जी, आप बार बार को हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को फैसलो करयोड़ो है। फोर्जरी और 109 की इन्क्वायरी तो पुलिस ही करे है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही करे है। मैं थारी लुगाई को ले भाग जाऊं तो थे सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगा न? थाने पुलिस में जाने की जरूरत कोनी?

(शोरगुल)

श्री पी. के. चौधरी : दिस शुड बी एक्सपंज्ड।

श्री आलिमअली : चोरी करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट होवे है या हाई कोर्ट में? चौबीसों घंटा हर बात में कानून ही कानून राखोगा तो इन्सानियत को जो कानून है वह भी कोई कीमत राखे? कानून को छोड़ कर इन्सानियत को कानून अपनाओ। इन्सानियत को कानून जब तक नहीं अपनाओगा तब तक दूध को दूध और पानी का पानी नहीं हो सकेगो।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री आलिमअली : नाथूराम मिर्धा का ये फेवर नहीं कर रह्या है। ये तो वींका दुश्मन है। उनकी अगर भलाई चाहता तो खुला कहता कि इन्कुवारी कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री आलिमअली : इन्कुवायरी जरूर कराई जाय तो सब बात साफ हो जावे ली।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य मंत्री। चर्चा को समाप्त किया जाय।

श्री रामकिशन : चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपकी ओर से श्री मुकटबिहारी जी बहुत बोले है।

श्री रामकिशन : एक जानकारी माननीय नाहर साहब दे रहे हैं उसके बाद में बोलूंगा। मेरे मन में कुछ शंका है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : माननीय किशनलाल जी ने एक पाइंट उठाया कि क्या इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो अधिकारी है वह अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी पर माना जाना चाहिए या नहीं। इलेक्शन लॉ में कम्पलीट जवाब है उन सब सवालों का जो उन्होंने रेज किए हैं जैसा मुख्य मंत्री, सदन के नेता ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस सम्बन्ध में एक एन्कवायरी करवा रहा था और हमारे यहां का····

श्री देवीदत्त गाडिया : कहा था कि····

श्री उपाध्यक्ष : बीच में न बोलें।

श्री यशवंतसिंह नाहर : पहली बात यह है कि एन्क्वायरी के लिए सैक्शन 106 (बी) का हवाला दिया था। एक सेकन्ड पॉइन्ट आ रहा था उसके साथ। कुछ आगे बढ़े उससे पहले सदन के क्षेत्र, सदन की सीमा पर आते हैं। यह स्थगन प्रस्ताव है और उस पर सदन के नेता ने स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट पर कुछ सवाल होते होते हम कुछ डिस्कशन पर उतर आए हैं। तो कुछ पॉइन्ट्स रेज हुए कि वह राज्य सरकार के कस्टडी में थे, राज्य सरकार क्यों नहीं एन्कवायरी करवा रही है। यह इलेक्शन लॉ है। इलेक्शन ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस इन सब बातों का कम्पलीट एनसर रिप्रेजन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में दिया हुआ है। माननीय किशनलाल शाह ने जिन पॉइंट्स को रेज किया, उन्हीं पॉइंट्स को रेज करना मैं चाहता था। 136 के लिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एक ऑफेंस बनता है और वह इलेक्टोरल ऑफेंस इस बात का है कि कोई डिफेस कर दे, डबल मार्किंग कर दे, तो इट इज एन इलेक्शन आफेंस अंडर सेक्शन 136। उसके लिए 136 में प्रोवीजन दिया हुआ है। 136 में फाइनल जजमेंट के लिए लिखा है कि उसके बाद कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल या ऑथोरिटी उस संबंध में बहस नहीं कर सकती इलेक्शन मैटर्स में और उसमें पॉइन्ट था : Whether, at the instance of the petitioner—appellant who was the Cabinet Minister, Mr. Arya has committed tampering of the ballot papers.

उसने होल्ड किया कि किसी आदमी के सम्बन्ध में कोई ऑफेन्स नहीं है। काऊन्टिग के बाद इलेक्शन ऑफेंस रहा। तो उस सम्बन्ध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने तूफान उठाया कि राज्य सरकार की कस्टडी में वह डाक्यूमेंट्स रहे। तहसीलदार की एवीडेन्स है कि 22 से 28 तक मेरी कस्टडी में रहे हैं। तो विश्वास किया जा सकता है तहसीलदार का कि किया होगा, संभव है। इसमें है : Section 137:—

"If the Election Commission or a Regional Commis-

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

sioner appointed under clause (4) of Article 324 or the Chief Electoral Officer of the State has reason to believe that any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (a) of sub-section (2) of section 136 has been committed in reference to any election within a State, it shall be the duty of the Election Commission, the Regional Commissioner or the Chief Electoral Officer, as the case may be, to cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him or it to require."

इस सम्बन्ध में मैं सेक्शन 136 सब-सेक्शन (3) को पहले नोट करूंगा:—

"For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or a part of an election, including the counting of votes...."

मैं इस प्रश्न पर जोर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट आप सेक्शन 167 पढ़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए सेक्शन 137 रिपील हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पुरानी किताब है जो पढ़ रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 136 पढ़ रहा हूं।

श्री विजयसिंह : सारी रामायण पढ़ ली, लेकिन यह पता नहीं कि सीता कौन थी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 136 रिपील नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपील कब हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 137 कब हुआ ? यह किताब में लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : 1967 में। 1967 का लेटेस्ट एडीशन है 137 रिपील हो गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 136 की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह : आपने तो ध्यान आकर्षित कर दिया। Why waste time?

श्री उपाध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे दें तो ठीक है।

श्री मदनसिंह : ऐसी बातों से बाहर की प्रेक्टिस और मारी जावेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन कर रहा था सब क्लाज (3) 136 रिपील नहीं हुआ है।

"For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

the conduct of an election or part of an election, inculding counting of votes, or to be responsible after an election, for the use of ballot papers and other documents in connection with such election; but the expression "official duty" shall not include any duty imposed otherwise than by or under this Act."

तो मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि 136 के तहत after the counting of votes, if they are in the custody of an official, it also comes under section 136.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्षमा करें। चुनाव हुआ, परिणाम हो गया। डिब्बे रख दिये, कलेक्टोरेट में भेज रहे हैं उस दौरान में कोई आदमी डिब्बे को उठा कर कुए में पटक देता है तो आप क्या करेंगे?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें और इसमें बड़ा अन्तर है।

श्री मदनसिंह : उनको····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोई सेक्शन तो बता दें?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वही बता रहा हूं After the declaration of the result, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद बैलट पेपर्स किसके पास जाते हैं। 137 रिपील हुआ है आई एम स्टिल डाउटफुल Sec. 136 लागू होता है।

श्री मदनसिंह : राजाओं के समय की किताब उठा लाये हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इससे परे यह निवेदन कर रहा था कि मैंने फाइनेलिटी ऑफ जजमेन्ट की तरफ ध्यान आकर्षित किया और वह इलेक्टोरल ऑफेंस डिसाइडेड बाई दी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके ऊपर न तो यह सदन विचार कर रहा है····

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही माननीय सदस्य एक ही विषय पर कितनी बार बोल सकता है? ये माननीय सदस्य इसी विषय पर तीन दफा तो बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन!

संक्षेप में कहें।

श्री रामकिशन (वैर) : यह बात मेरी समझ में आ जाती तो मैं बोलता ही नहीं। जो मुद्दे सदन के सामने हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बैलट बॉक्स में बैलट टेम्पर हुए यह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अपराधी को पकड़ना है तो इनिशियेटिव राज्य सरकार ले सकती है। या इलेक्शन कमीशन? 137 के अन्तर्गत बाध्य कर दिया गया होता कि इलेक्शन कमीशन करेगा तो राज्य सरकार कुछ नहीं

(श्रीं रामकिशन)
कर सकती। मुख्य मन्त्रीजी जानकारी दें कि कहां तक इलेक्शन कमीशन को कार्यवाही करनी चाहिये और उसके लिए प्रोविजन राज्य सरकार के लिए कहां रखा गया है ? यह साफ हो जाय तो बहस का परिणाम साफ निकल आ सकता है। अपराधी कौन है ? अपराध किसने किया है यह प्रमाणित नहीं कर सका जो भी गवाहियां पेश की उनके पास उनसे। लेकिन अपराध हुआ है यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसमें राज्य सरकार को दिक्कत कहां आ रही है ? इलेक्शन कमीशन कर दे लेकिन अपराध हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन तो हो जाना चाहिए। जांच के बाद इलेक्शन कमीशन यह कहे कि हम ही कर सकते हैं तो दुबारा विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति नहीं है। आप जांच करा सकते हैं। रोका नहीं गया है। भैरोंसिंह जी ने बात कही गंगापुर में क्या हुआ था इलेक्शन का मेटर था, हिसाब में चेंज किया था। क्या राजस्थान सरकार ने उसको हाथ में नहीं लिया था और जिसने अपराध किया था उसको दंड नहीं दिया था ? क्या इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि कार्यवाही करो ? गंगापुर के मामले में कर सकते हैं तो मेड़ता के मामले में क्या अड़चन है ? इसमें किसने रोका है आपको ? किस दृष्टि से मान कर चलते हैं कि अधिकार नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे प्रश्न और भी है। टेक्निकल और कानूनी मामलों को लेकर चलेंगे तो देश और प्रजातन्त्र को बहुत ही नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। कोई आज कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है, बड़े से बड़ा आदमी हो सकता है और लोभ के कारण बड़े से बड़ा अपराधी हो सकता है यह मनुष्य की अपनी कमजोरी मानता हूं। आपके दिमाग में यह असर रहेगा कि फलां आदमी अपराध करने के कारण लोकतन्त्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। यह कहा गया कि मिर्धा साहब के कहने और उनके इशारे पर यह कार्यवाही हुई। मैं मान सकता हूं, गलत भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच हो जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बाधा न डालें।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रामनारायण जी, मूलचन्द जी आदमियों को देख लिया करें। कुछ आदमियों को छेड़ सकते हैं। सदन में यह नहीं होना चाहिये। आप में यह आदत पड़ गयी है। विधान सभा के लायक नहीं है। 32 साल के हो सकते हैं लेकिन विधान सभा में छेड़छाड़ नहीं। बात करनी हो तो बाहर जाओ। सदन के अन्दर तो सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा न जाकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास किसी कानून के तहत इस बात के लिए नहीं रखा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता और इलेक्शन कमीशन ही इनीशियेटिव लेगा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ लोकतन्त्र का सवाल जुड़ा हुआ है। देश की और राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्योंकि सारे देश को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि इस प्रकार

(श्री रामकिशन)

नाथूराम जी के द्वारा किया गया है, आप चाहें न माने, अपराध तो किया है, दस पांच अपराध और कर जाओ तो हमें जल्दी फायदा होगा। टेक्निकल बातों पर अड़े रह कर इलेक्शन कमीशन ही करेगा तो लोकतन्त्र की सेवा नहीं कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल नयी बात।

(3 म. प.)

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के आभारी हैं कि इतने समय से जिस प्रश्न पर बहस चल रही थी, जिस पर वे बोल रहे थे, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। जिस सेक्शन का हवाला वे दे रहे थे जब वह रिपील हो गया और जब उन्हें यह बताया गया उस पर उन्होंने बोलना बन्द कर दिया। यह सेक्शन 136 अपनी जगह मौजूद है। आपने सेक्शन 136 का हवाला दिया है इस आधार पर कि केस कोगनीजीवल होने के कारण राजस्थान सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। प्रश्न यह उठा था कि इस रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत कोई इस प्रकार का ऑफेन्स इलेक्शन कमीशन रेफर नहीं करे तब तक कोई कोगनीजेन्स नहीं लिया जा सकता। 1962 तक यह स्थिति थी। परन्तु उसके बाद जो सेक्शन रिपील हुआ है वह मैं पढ़ना चाहूंगा....

श्री शंकरलाल : बहुत पढ़ लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोगनीजीबल ऑफेंस 136 में बताते हुए सेक्शन 137 में इसको डिबार किया हुआ है—

"No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (a) of sub-section (2) of section 136, unless there is a complaint made by order of, or under authority from, the Election Commission or a Regional Commissioner appointed under clause (4) of Article 324 or the Chief Electoral Officer of the State."

यह 137 है। इसको रिपील कर दिया गया है। इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसके रिपील हो जाने के बाद, रिप्रजन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत पहले जो यह व्यवस्था थी कि कोई कोगनीजीबल ऑफेंस हो जाता है और जब तक इलेक्शन कमीशन उसकी रिटन में रिपोर्ट नहीं करे तब तक कोई कोर्ट उसका कोगनीजेंस नहीं करेगी, यह बात अब समाप्त हो गई है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन रेफर करे तब तक राज्य सरकार बैठी रहे, उसका इन्तजार करती रहे। मैं यह निवेदन करूंगा और दुबारा माननीय सदस्य का आभार मानता हूं कि उनकी वजह से आज यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है चाहे वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो। हरेक जजमेंट पब्लिक डाक्यूमेंट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
होते हैं, प्राईवेट डाक्यूमैंट नहीं होते हैं। और पब्लिक डाक्यूमैंट की नालेज सरकार को, राजस्थान सरकार को होना आवश्यक है और राजस्थान सरकार को इसकी नॉलेज है भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह होल्ड कर लिया है कि वैलट टैम्परड विथ हुए हैं। यह किसने किया है, यह छानवीन का सवाल है? जहां एक वार आॅफेंस कमिट हो जाता है तो लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है। जो सेक्शन रिपील हुआ है, उसकी मन्शा को देखते हुए, उसकी इच्छा को देखते हुए, अब राजस्थान सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है कि इलेक्शन कमीशन इस केस को रेफर करे। राज्य सरकार अपनी पुलिस के द्वारा तो नहीं सी. बी. आई. के द्वारा इस सारे मामले की तफतीश करायेगी, यह मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आपस में बात न करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इस स्थगन प्रस्ताव पर यहां पर कई मुद्दे, जिनमें कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहस हो चुकी है, उनके जिक्र से और कई दूसरों के प्रश्नों के ऊपर यहां चर्चा हुई। मैंने जो वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य में मैंने यह बताया था कि जब से यह मेड़ता का चुनाव वाला केस हाई कोर्ट में गया उसके बाद शायद माननीय सदस्यों को पता है कि हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया उस मौके पर इलैक्शन कमीशन ने हमको तुरन्त लिखकर भेजा था कि श्री एस. बी. आर्या के खिलाफ डिसीप्लीनरी प्रोसिडिंग्स इमीडियेटली चालू की जाय। राजस्थान सरकार ने उन को सस्पेंड कर दिया था और सस्पेंड करके एन्क्वायरी की कार्यवाही शुरू कर दी थी। इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तब फिर इलेक्शन कमीशन ने हमको लिख कर भेजा कि डिसीप्लीनरी एक्शन को अभी रोक दिया जाये क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया है इलेक्शन कमीशन ने वक्त वक्त पर इस केस में, इस केस के बारे में जैसे जैसे सिच्वेशन अराइज हुई है, वह हमें हिदायत देता रहा है। उस समय भी मैंने जो कुछ यहां पर कहा माननीय उपाध्यक्ष जी यह एक विशेष प्रकार की स्थिति पैदा हुई है जिसमें कि टैम्परिंग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है दूसरी तरफ किसी भी व्यक्ति को जिनके बारे में यहां चर्चा चलती है जिम्मेदारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी है। इन हालातों के अन्दर····

श्री भैरोंसिंह: यह बात नहीं है। यह आप गलत इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह मैंने जिक्र किया है कि जिन व्यक्तियों के बारे में यहां चर्चा होती है उसके लिये कहा गया है कि इनएवीडेन्स नहीं होने की वजह से उनको इस मामले में रेस्पान्सीबिल नहीं माना जा सकता····

श्री रामनारायण चौधरी: नाथूराम जी शामिल नहीं हैं····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेन्ट दिया है, उस जजमेन्ट के अन्दर उसने खुद ने जो कहा है वह यह है : "We are unable on the material before us to decide whether it was the Tehsildar or respondent No. 2 or some other person who was responsible for the tampering of the ballot papers."

"सम अदर परसन" इसके अन्दर स्पष्ट तौर से कह दिया है और आज जो जजमेन्ट यहां पर दिया गया है........

श्री भेरोंसिंह : इसमें रेस्पोंडेन्ट नम्बर दो है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसको स्वयं आपसे निवेदन कर चुका हूं, यह चीज थी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें आर्य के साथ नाथूराम जी को जोड़ा था। अगर 'सम परसन' न यूज किया जाता और आर्या को रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है तो नाथूराम जी की मिल कर कांग्रेसी होना अपने आप ड्रोप हो जाता है........

(शोरगुल—नहीं नहीं की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे यह निवेदन कर दूं........(शोरगुल) आप मेरी बात तो सुन लें........(शोरगुल)........ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैम्परिंग हुआ, यह गम्भीर बात है। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते यह इस्टेब्लिश्ड है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर रहे हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने, उनने खुद ने इलेक्शन कमीशन को मूव किया और उसके अन्दर उन्होंने लिखा कि यह जो केस है:—

"This now puts the duty of detailed investigation squarely on the Commission."

यह राजस्थान जनसंघ के प्रेसीडेण्ट ने लिखा है। वे आगे लिखते है :

"Whose ability and integrity is beyond any doubt...."

यह जो मैंने निवेदन किया है हम इलेक्शन कमीशन से सीज्ड हैं इस मामले में। माननीय सदस्य यह जानते होंगे राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष ही नहीं कुछ एम० पीज० ने भी इस बारे में रिप्रेजेन्ट किया है और जब इस सम्बन्ध में एडजोर्नमेण्ट मोशन आया तो मैंने भारत सरकार के गृह मन्त्री से भी पूछा कि जो रिप्रेजेन्टेशन वहां पर दिया गया उसकी स्थिति क्या है ? उनका जवाब मिला कि इलेक्शन कमीशन में सारा मामला सीज्ड है। आज जो हिन्दुस्तान की एक इन्डीपेन्डेन्ट बॉडी है इलेक्शन कमीशन जिसको संविधान के अन्दर इन्डीपेन्डेन्ट जजमेंट के बारे में विधान के अनुसार अधिकार है यह इस प्रकार की बॉडी है। उसके सम्बन्ध में कहा है यह मामला इलेक्शन कमिशन में सीज्ड है वे जो कुछ कार्यवाही करने के लिए हमें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कहेंगे या वे स्वयं करेंगे उसके लिए तैयार होंगे ।

श्री भैरोंसिह : आपने पूछा है क्या उन्हें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे इस प्रोब्लेम्स से सीज्ड हैं । सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में पाबन्द किया है वे स्वयं करना चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने पूछा है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम जितनी गंभीरता से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारे इन्टेंशन को जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको पॉलिटिकल कलर देने का प्रयत्न न करें ।

श्री भैरोंसिह : आप अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ? आप पोलिटिकल कलर की बातें कर रहे हैं जबकि यह क्रिमिनल ऑफेन्स है और आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इसका पोलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं आप अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बचाना चाहते हैं, आप इस मामले को दवाना चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें दबाने वाली बात करने का प्रश्न नहीं है इलेक्शन कमिशन से ताल्लुक रखता है वह जिस प्रकार की गॉइडेन्स या आर्डर दे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कमिशन को पूछा है क्या ?

एक माननीय सदस्य : सुखदेव आर्य को एस० डी० एम० से ए० डी० एम० कैसे बनाया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर हमने आज कोई इन्क्वायरी शुरू करदी होती तो आप और तरह का इन्टरप्रिटेशन करते । यह स्पेशल तरीके का मामला है जिसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर क्या क्या कार्यवाही की जानी चाहिए । इसलिए मैंने कहा है कि यह मामला इलेक्शन कमिशन से सीज्ड है । इलेक्शन कमिशन के डाइरेक्शन के मुताबिक राजस्थान सरकार कार्यवाही करेगी । हम उन्हीं के आदेश के अनुसार एक्ट करेंगे । खुद भी कार्यवाही कर सकते हैं । They are independent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने इलेक्शन कमिशन को पत्र लिखा है या कोई गॉइडेन्स सीक की है इस बारे में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Not necessary.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार ने इलेक्शन कमिशन से इस सम्बन्ध में पूछा है कि राज्य सरकार इसका कॉगनीजेन्स ले सकती है ? हम इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करें इस बारे में उनसे आपने पूछा है क्या ?

श्री किशनलाल शाह : यह कैसे हो गया जबकि बैलट बॉक्स एस० डी० एम० और

Page No 110

(श्री किशनलाल शाह)
दाऊलाल तहसीलदार की कस्टडी में थे उनसे पूछा क्या ?

श्री भैरोंसिह : मैं दो तीन सवाल करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अब इस बारे में सवाल नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मदनसिह जी आप भी स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिह : आज जब कांग्रेस के अध्यक्ष पर यह आरोप आता है तो उधर से एक दम आठ दस सदस्य बोलने लग जाते हैं। अगर इसमें कोई विरोधी दल का सदस्य होता तो कभी का जेल में रख दिया जाता।

आज जब उन पर आरोप आता है तो आठ दस सदस्य एक साथ बोलने लग जाते हैं। अगर भैरोंसिह जी का मामला होता तो आप कहते यह क्या तमाशा बना रखा है।

श्री भैरोंसिह : ये तो इसी प्रकार× ×

(श्री मूलचन्द डागा और रामनारायण चौधरी एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी और रामनारायण जी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिह : मैं तीन जानकारी करना चाहता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष : × × × एक्सपन्ज।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिस क्वत हमने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया तो उसके लिये हमें बोलने नहीं देते। अगर इसी तरह आपका व्यवहार रहा तो इसके परिणाम भयंकर होंगे यह सदन चलेगा नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर माननीय भैरोंसिह जी जो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने अभी अभी फरमाया है कि× × ×हैं यह एक्सपन्ज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपन्ज कर दिया।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये तो इसी प्रकार बकवास करते रहेंगे।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह अधिकार नहीं है कि आप बगैर सदन की अनुमति के किसी शब्द को कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दें। चेयर की तरफ से यह रूलिंग हुआ है कि बकना शब्द अन पार्लियामेन्टरी नहीं है। मेरे से बिना जानकारी किये आप इन शब्दों को एक्सपन्ज नहीं कर सकते। यह मेरा इन प्रोटेस्ट यह निवेदन है और मैं इस पर सख्त ऐतराज लेता हूं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय यह विरोधी दल के साथ पक्षपात है।

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द किस संदर्भ में प्रयोग में लिया जाता है उसके ऊपर यह निर्भर करता है।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

एक माननीय सदस्य : आपके मुंह से व्यवस्था हो जाने के बाद भी उसको कन्टेस्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या बकवास अन पार्लियामेन्टरी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप तो अपराधियों को मदद दे रहे हैं उन पर स्पष्ट आरोप हैं।

श्री भैरोंसिह : मेरे तीन प्रश्न हैं। मुख्य मंत्री जी ने बहुत होशियारी से अपनी बात कही है कि इलेक्शन कमिशन से फरमान आयगा उसको मानने के लिये तैयार हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि इलेक्शन कमिशन के कहने से आपने एस. डी. आर्य को सस्पेंड किया या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह किया गया था।

श्री भैरोंसिह : फिर रिइन्स्टेट क्यों किया गया? क्या इलेक्शन कमिशन ने उनको वापिस रिइन्स्टेट करने के लिये कहा गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया वहां से स्टे ऑर्डर हो गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपने इलेक्शन कमिशन के कहने के अनुसार सस्पेन्ड किया तो क्या रिइन्स्टेट करने के लिए क्या कमिशन ने आपको कहा था ?

श्री भैरोंसिह : इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करे इस पक्ष में नहीं है।

दूसरा प्रश्न इलेक्शन कमिशन से राय आने से पूर्व यहां के माननीय सदस्यों ने सदन में कहा था कि इस बारे में एटॉरनी जनरल की राय ली जाय और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि राजस्थान सरकार लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लें कि राज्य सरकार इस बारे में इन्डीपेन्डेन्ट एक्शन इनीशियेट कर सकती है या नहीं? और मैंने इसलिये पूछा है कि लॉ डिपार्टमेंट और थोड़ा बहुत भी कानून में विश्वास रख कर चलेगा तो यह सलाह नहीं दे सकता कभी भी राजस्थान की सरकार अपनी ओर से कोई इनीशियेटिव लेकर इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती या केस रजिस्टर नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह : तो इन दो प्रश्नों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेना चाहते इसमें इसके प्रमाण में मैंने प्रारम्भ में कहा था कि गंगापुर के निर्वाचन क्षेत्र में एप्लीकेशन इलेक्शन कमिशन ने नहीं लिखी थी। मैं स्वयं सवाई माधोपुर गया था। केस रजिस्टर करवाया तो इसमें न इलेक्शन कमिशन

(श्री भैरोंसिंह)

बीच में आया न किसी के गॉईडेन्स की आवश्यकता हुई। राजस्थान की पुलिस ने खुद ने ही इनीशियेटिव लेकर केस रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन किया। तो आपके सामने उदाहरण भी है। कानून की व्यवस्था भी है। अब इन दोनों बातों के सामने होते हुए भी जब आप इसमें कुछ करना नहीं चाहते तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका इस प्रकार का व्यवहार है इलेक्शन के साथ, इलेक्शन की पवित्रता के संबन्ध में यह व्यवहार है इससे आप स्वयं लोकतन्त्र पर आघात कर रहे हैं और राजनैतिक कारणों से कर रहे हैं अगर विरोधी दल का कोई सदस्य इस स्थिति में होता या अन्य सामान्य नागरिक होता तो अभी तक कभी का आप उसे जेल में भेज देते। आपको कोई विचार तब नहीं आता। पर यहां इस मामले में चूंकि आपके संगठन के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इन्वॉल्व्ड हैं। उनके खिलाफ कुछ करने की आपकी हिम्मत नहीं है अगर करते हैं तो आपकी यह कुर्सी छिनने का भय और संकट पैदा हो सकता है और इस अपने स्वार्थ के लिये अपनी कुर्सियां बचाने के लिये आज राजस्थान की हुकूमत लोकतन्त्र की हत्या करने पर तुली हुई है, लोकतन्त्र में इस पवित्र चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों की आस्था को समाप्त करने पर तुली हुई है। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतन्त्र को और लोकतन्त्र में इस इलेक्शन पद्धति की पवित्रता को बचाया जाय। अगर यह पवित्रता नहीं बची तो ऐसे चुनावों की कोई कीमत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई इस पर।

(शोरगुल) एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे (अश्रव्य व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्यमन्त्री जी इसका उत्तर दें। भैरोंसिंह जी ने जो कहा उसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अगर मुख्यमन्त्री जी ने इतनी स्पष्ट और सीधी बात का भी जवाब नहीं दिया तो हम यह मानकर चलेंगे कि राजस्थान की सरकार चुनाव पद्धति की पवित्रता पर आघात करने वाले, बैलट पेपरों को टेम्पर विथ करने वाले नाथूरामजी को और इस चुनाव पद्धति को कलंकित करने वाले उनके सरकारी साथियों को बचाना चाहती है। सुखाड़िया जी उनको बचाना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिये अपने स्वार्थ के लिये बचाना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते कहीं उनकी सत्ता चली न जावे और अगर कुछ उनके खिलाफ किया तो दूसरे उनके साथी आपका साथ न छोड़ दें। इस डर से मुख्य मन्त्री जी इस फोर्जरी के केस को दबाना चाहते हैं। इस केस में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जावे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। केवल एक

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
प्रश्न। यह पार्लियामेन्ट में क्वेश्चन आया था इसके सिलसिले में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस कार्यवाही को और लम्बा कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। पार्लियामेन्ट में उठाये गये प्रश्न का क्लेरिफिकेशन यहां सदन में कोई माननीय सदस्य मांग सकता है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको अपनी बात कहने दीजिये। फिर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आवेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मेरी बात भी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय सदस्य बोलेंगे तभी तो यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठेगा। उन्होंने हो अभी पार्लियामेन्ट में क्वेश्चन आया इतना ही कहा है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, जब अध्यक्ष महोदय, यहां बोल रहे थे और श्री रामचन्द्रजी आर्य अध्यक्ष महोदय, आसन पर खड़े थे तब बोल गये। इस पर इन्हीं श्री रामनारायण जी ने प्रश्न उठाया था उस बात का और इस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मैं आसन पर खड़ा हूं उस समय बोलेंगे तो उनका कथन सदन की कार्यवाही में अंकित नहीं किया जावेगा तो इसी तरह माननीय सदस्य, जो मंडावा से आये हैं आप आसन पर खड़े थे तब बोल गये। तो सदन की परम्परा के नाते विरोधी दल से बोलने वाले के साथ एक तरह की व्यवस्था हो और शासक दल की ओर से बोलने वाले के साथ दूसरी तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि आपके खड़े रहते वे जो भी बोल गये हैं वह भी सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जावे अंकित न किया जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह परम्परा कायम कर दी जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, उनको यह नहीं मालूम कि वे चाहे जितना जिस तरह से भी बोलें कोई उनको मन्त्री नहीं बनावेगा। वे मन्त्री बनने वाले नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह इम्पोर्टेन्ट मामला है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न किया कि पार्लियामेन्ट में उठाये गये प्रश्न के बारे में यहां स्पष्टीकरण दिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं क्या पूछ रहा हूं, चलो, यही बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी : पार्लियामेन्ट में उठाये गये प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां मांग सकते हैं क्या ? मेरा ऐसा निवेदन है। आप मेरी बात नहीं सुनते।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप उनकी नहीं सुनते।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन में प्रश्न की जानकारी की जा सकती है, पर संसद में किये गये प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां मांगा जा सकता है क्या ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, वे सदन के लिये नहीं बोल रहे हैं, वे अपनी वफादारी प्रकट करने के लिये पूंछ हिला रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष : यह किस सम्बन्ध में भाषण हो रहा है। ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सुनने के बाद वे भी मानेंगे·······

श्री शंकरलाल : यह पूंछ हिलाना शब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसे एक्सपन्ज किया जावे।

श्री भैरोंसिंह : शंकरलालजी कह रहे हैं कि पूंछ हिलाना शब्द अनपार्लियामेंटरी है। इसको भी स्पष्ट कर दियां जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सतीशचन्द्रजी ! डिस्टर्ब न किया जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : डागाजी म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमैन रह चुके हैं एक जबान हिलाई कि टट्टियां साफ हो जाया करती थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं····

श्री मदनसिंह : पंचायतों में भी ऐसी बाते नहीं होती हैं। अब तो हम मान गये।

श्री भैरोंसिंह : डागाजी को थोडे दिनों के लिये जयपुर को उधार दे दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेड़ता के चुनाव अधिकारी आर्य के विरुद्ध निलम्बन आदेश रद्द कर दिया गया, यह सूचना लोक सभा में दी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने इस सस्पेन्शन के ऑर्डर को वापिस लिया या जिसको कंसिल किया उसकी कोई तारीख तो नहीं बता सकते, पर क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने से पूर्व ही आपने सस्पेन्शन ऑर्डर को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला होने से पहले ही 69 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ पहले जिसमें केस रिमाण्ड किया गया उससे पहले ही आपने सस्पेन्शन ऑर्डर को रद्द कर किया था ?

श्री मदनसिंह दांता : It was a urgent order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और क्या इस तरह से रद्द करने की सिफारिश या आदेश इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार को दी थी और क्या हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था जिसमें श्री आर्य के विरुद्ध भी स्ट्रिक्चर्स पास हुए थे क्या श्री आर्य ने

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के किसी फैसले के खिलाफ अपील की थी आपने स्वयं के स्ट्रिक्चर्स को हटाने के लिए ? या अपने बारे में ओब्जर्वेशन्स दिये हैं उसके सिलसिले में अपील या रिप्रेजेन्टेशन सुप्रीम कोर्ट में किया था। किया था तो कहां, किस तरह और फिर आपने उनका प्रोमोशन कैसे कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वहां स्टे ऑर्डर हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमिशन ने जो पहले डिसिप्लीनरी प्रोसीजर लेने के बारे में लिखा था····

श्री भैरोंसिह : स्टे किस बात का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई स्टे नहीं हुआ और न आर्य ने कोई अपील या एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी थी।

श्री मोहनलाल सुखड़ायिा : मैं सुप्रीम कोर्ट की कह रहा हूं तो इसके बाद हमने यहां से इलेक्शन कमीशन को यह लिखा की सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपील की गई है इसकी लाइट में उनकी क्या एडवाइज है, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो डिसप्लीनरी प्रोसीडिंग्स उनके अगेन्स्ट में ली जा रही है, उसको रोक दिया जावे। रोक दिये जाने वाली एडवाइस आई तो 28-1-69 को रिइन्स्टेट कर दिया गया और सीनियोरिटी के मुताबिक उनको ऑफिसियेटिंग ए. डी. एम. की जगह लगाया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग स्टे करने के लिये या ड्रोप करने के लिये इलेक्शन कमीशन ने लिखा था राईटिंग में राजस्थान सरकार को कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो चुकी है इसलिये अपील होने के कारण से उनके खिलाफ डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स कम्पलीटली ड्रोप कर दी जावे। यह अगर लिखकर भेजा इलेक्शन कमीशन ने तो कब भेजा किस तारीख को। थोड़ा उसे पढ़कर सुना दीजिये उस पत्र को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैंने निवेदन किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलेक्शन कमीशन का लेटर पढ़ दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा ड्रोप कर दिया जाय, स्टे के लिये नहीं कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स स्टे रहती है····क्या यह सही है कि····

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्रोसीडिंग्स ड्रोप कर दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स चलाने के बाद अब स्टेज नहीं है इस वक्त।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य ने अपील हाई कोर्ट में की और रिप्रजन्टेशन किया उस आधार पर गवर्नमेंट ने फैसला किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उससे क्या अन्तर पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असर पड़ता है, आप वताइये न ? आप छिपा रहे है। सुखदेव आर्य ने अपील की है....

श्री उपाध्यक्ष : यह बिलकुल नया मामला हो जायगा, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखदेव आर्य ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में खुद ने अपील की है। उस अपील का क्या फैसला हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरी जानकारी है श्री आर्य भी अपील में गये थे आपने या किसी ने रेफरेन्स दिया था गुप्ते उनकी तरफ से प्लीड कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अनुदानों की मांगों पर विचार वित्त मंत्री जी।

अनुदान की मांगों का उपस्थापन

श्री मथुरादास मायुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं मांग सं. 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त उयपाल महोदय को 1,76,42,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 4 मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 87,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि मांग सं. 6 मुख्य शीर्षक 14—स्टॉम्पस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,22,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : परिवहन मंत्री !

श्री मथुरादास मायुर : उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 3 मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 2, 4, 5, 6, 7 व 3 पर निम्नांकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या 2

1. **श्री हरीवल्लभ शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (अनाधिकृत शराब निकालने की रोक में शिथिल विभागीय नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 4

2. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अपीलेट ऑथोरिटी कार्यालय अजमेर में किन्तु स्थगन आदेश अधिकारी, कोटा में रखे जाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

3. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर चैक पोस्ट नियत किए जाने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन)।

4. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिना रसीद बहीखाते जब्त किए जाने तथा महिनों नहीं लौटाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 7

6. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सब रजिस्ट्रार्स (तहसीलदारों) द्वारा पंजीयन करते वक्त डाक बंगला-व्यय वसूल किए जाने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 3

7. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पैसेन्जर्स टैक्स वाहन मालिकों से नकद वसूल न कर स्टाम्प के जरिए वसूल किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

8. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (आबकारी कर सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 4

9. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बिक्री कर व्यवस्था के सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

10. मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत इस मांग

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (मनोरंजन कर तथा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 3

11. मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर वसूली की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

12. **श्री जयनारायण सालोदिया**(निवाई): मांग संख्या 2. मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जायं (राज्य की पूर्व घोषित नीति के खिलाफ सरकार द्वारा आचरण करने के कारण सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

13. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की दुकानें सार्वजनिक स्थानों, सड़क के पास नहीं रखी जायं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

14. मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें (बिक्री कर व्यवस्था के सरलीकरण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

15. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन सम्बन्धी बकाया करों की वसूली समय पर नहीं हो रही है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

16. मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें (मोटर मालिकों से बकाया टेक्सों की वसूली उचित रूप से नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक 11—गाडियोंपर कर के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें (गाड़ियों के मालिकों द्वारा जनता से वसूल किया जारहा कर सरकार को पूर्व रूप से न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

18. श्री **गोरधन सोनी** (मेड़ता): मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया काम कर दिया जाय (शराब बन्दी की राज्य में आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

19. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–विक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बढ़ी हुई विक्री दरों को कम करने एवं व्यापारियों को सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

20. मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री गोरधन सोनी)
(मनोरंजन की बढ़ी हुई दरें घटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

21. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहनों व मालिकों को पर्याप्त सुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

22. श्री दुर्गालाल बाददार (हवा महल जयपुर) मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकों में अनियमिताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

23. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए.सी.टी. ओज द्वारा दुकानदारों से आगे की तारीख के करों की अग्रिम वसूली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

24. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत निरीक्षकों द्वारा ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण राज्य सरकार को होने वाली आर्थिक हानि पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 3

25. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवहन विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): 26. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया का कर दिया जाय (सन् 72 तक पूर्ण नशाबन्दी कैसे हो, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

27. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर इस प्रकार लगे कि गरीब जनता पर भार कम से कम पड़े, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

28. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब लोगों पर मनोरंजन कर का कम से कम भार पड़े, इसको ध्यान में रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 7

29. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन का सरल तरीका अपनाया जाये, ताकि लोगों

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
को बार बार कष्ट न उठाना पड़े, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

30. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्धन जनता को यातायात सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हों, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

31. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पूर्ण मद्यनिषेध की घोषणा के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

32. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में तथा वसूल की गई टैक्स की रकम खजाने में जमा नहीं होती है उसके बचाव की बजट में कोई व्यवस्था नहीं है. इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

33. **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मद्यनिषेध नीति में राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

34. **पृथ्वीसिंह** (बाली): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की मद्यनिषेध नीति की क्रियान्विति की मंद चाल के सम्बन्ध में)।

35. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर की बकाया की वसूली एवं इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

36. **श्री नन्दलाल बेरवा** (पाटन सु०): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मजदूर क्षेत्रों में शराब की दूकानें न लगाने तथा लगी हुई को हटाये जाने पर चर्चा के लिए)।

37. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार का करोड़ों रुपया आबकारी बिक्री कर एवं अन्य करों का बकाया चल रहा है, एक और सरकार नये टैक्स लगा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

38. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के सैकड़ों गांवों में नाजायज शराब निकाली जा रही है उनकी रोकथाम तथा शराब के ठेकों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

(श्री हंसराज आर्य)

मांग संख्या 4

39. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायें (बिक्री कर की लाखों रुपये की चोरी हो रही है सरकार उसे रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 6

40. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे छोटे कस्बों में नलकूपों की सहूलियत के लिए इस विभाग में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

41. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायें (गाड़ियों पर जो कर आरोपित हैं उसकी बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है; इस चोरी को रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

42. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग द्वारा लाखों रुपयों की बकाया होने पर भी उसकी वसूली के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

43. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

44. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरन्जन कर से सरकार को पूरी आय नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 6

45. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टॉम्पस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टॉम्पस के फ़ीस का बोझा जनता पर अत्यधिक है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 7

46. मांग संख्या 7 मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन शुल्क के साथ साथ अजमेर नगर के सब-रजिस्ट्रार लाखों रुपये रिश्वत कमाते हैं, चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

47. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर का पूरा भुगतान नहीं हो पाता, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

48. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (देशी शराब के ठेकों की प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

49. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा आबकारी के ठेकों को राशि समुचित रूप से वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

50. **श्री कृष्णकुमार गोयल**(कोटा): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकरी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

51. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की उचित वसूली न होने के कारण राज्य व्यापार को होने वाली हानि के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

52. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (पोस्त डोडा में लगे टैक्स व विभाग में हो रहे खर्चे में कमी करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

53. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में जीपों के खर्चे व अनावश्यक चुंगी पोस्टें कम करने तथा बिक्री कर वसूली व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

54. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बसों के यात्री कर में होने वाली चोरियों पर रोक लगाये जाने के बाबत चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रकों पर बढ़ाये गये टैक्स के कारण ट्रक व्यवसाय पर होने वाले भारी नुकसान तथा स्थान स्थान पर विभिन्न विभाग अधिकारियों द्वारा की जाने वाली चैकिंग से उत्पन्न असन्तोषजनक स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

56. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

Page No 123

(श्री रूपसिंह)

57. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले रवैये पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग द्वारा ठेकेदारों को ठेके देने में अनुचित लाभ देने व ठेकों के पैसे वक्त पर वसूल न करने पर चर्चा के लिए)।

59. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में विदेशी शराब के लाइसेन्स किसी न्यायिक आधार पर न देकर पक्षपातपूर्ण आधार पर देने की बाबत चर्चा के लिए)।

60. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी के ठेकेदार गांवों में बिना मंजूरी शराब बेचते हैं और सरकार को कर नहीं देते, इस पर चर्चा के लिए)।

61. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों से बकाया वसूली के बारे में व शराब बन्दी क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

62. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12.–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वित्तीय वर्ष 1969-70 में कर वसूल करने में ढिलाई के कारण कम वसूली होने व अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

63. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत गाड़ियां अवाप्त की जाकर काम में ली गई और तीन माह का गाड़ियों पर कर माफ करने के बारे में घोषणा कर आज तक उनको माफ नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

64. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा सु.): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10– राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में नशाबन्दी पर चर्चा के लिए)।

65. **श्री फूलचंद बाफना** (सुमेरपुर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि इससे साधारण जनता बरबाद हो रही है, उस पर चर्चा के लिए)।

(श्री फूलचन्द बाफना)

मांग संख्या 4

66. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में अव्यवस्था है और इससे दुकानदार बहुत परेशान हैं, उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

67. श्री चुन्नीलाल (खण्डार सु) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर व खण्डार में हरिजनों के मोहल्लों से शराब की दुकानें हटाने के बारे में चर्चा के लिए)।

68. श्री शिवनार्यसिंह (गुढ़ा) : मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर की बकाया की वसूली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

69. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की बकाया वसूली पर चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में चोरियां रोकने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

71. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री कर की अदायगी में चोरी के बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

72. श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी क्षेत्र में राज्य अधिकारी शराब पीते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

73. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी क्षेत्र में राज्य के बाहर से मदिरा आती है, इस पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

74. श्री नथमल चौहला (लक्ष्मणगढ़) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में राजकीय आबकारी विभाग द्वारा गड़बड़ी के बाबत चर्चा के लिए)।

75. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों द्वारा शराब के ठेकों के स्थल के अलावा

(श्री हरजीराम बुरडक)
दूसरी जगह गांवों में ले जाकर शराब बेचने पर चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नियुक्तियों व पदोन्नतियों में पक्षपात बरतने पर चर्चा पर के लिए)।

77. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों से बकाया राशि वसूल करने में सरकार द्वारा पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी की जो घोषणा की गई थी उनका सरकार द्वारा पालन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

79. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टैक्स की चोरी के मामले में पक्षपात पूर्ण रवैया अपना कर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीड़वाना में हुये कांग्रेस अधिवेशन के समय बिक्री कर विभाग के अधिकारियों द्वारा चन्दा वसूल किया गया तथा कोई रसीदें नहीं दी गई, उस पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नतियों में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के सेवा नियम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

83. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टॉम्प बिक्री के लिए जो प्रणाली अपनाई जा रही है उसका सरलीकरण नहीं करने के कारण जनसाधारण को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 7

84. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

85. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर टैक्स की रकम के समय पर वसूल नहीं किये जाने पर चर्चा) के लिए।

86. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से

(श्री हरजीराम बुरडक)
100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन गाड़ियों पर टैक्स की रकम बकाया है उनका बिना क्लियरेन्स के गाड़ी का स्थानान्तरण न करने पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिना मालिक की अनुमति के यात्री गाड़ियों का स्थानान्तरण दूसरों के नाम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

88. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी कर लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

89. मांग संख्या 4 मुख्य शिर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर ठीक प्रकारसे उगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

90. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर की वसूली पूर्ण रूप से करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 7

91. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन शुल्क लगाने सम्बन्धी सरकार की नीति असफल रही है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

92. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर पूर्ण कर वसूली में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

93. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर): मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी क्षेत्रों में शराब की बेहद बिक्री के बारे में चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी सम्बन्धी सरकार की नीति के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

95. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय यातायात ऑफिसेज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

Page No 127

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

96. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैकेनिकल निरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की आम शिकायतों की चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

98. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में आबकारी कर वसूल करने में विभाग की ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शराब के ठेकेदारों से बकाया वसूल करने में विभाग की मनमानी पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शराब के ठेकेदारों में लाखों की बकाया बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

101. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बिक्री कर की रकमों को वसूल करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में हो रही बिक्री कर की चोरियों को रोकने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

103. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मनोरंजन कर वसूल करने व चोरियां रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

104. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में यात्री कर की चोरियों रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में विभाग द्वारा फैले भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्डावर-करौली रूट पर चलने वाली यात्री गाड़ियों पर यात्री टैक्स की चोरियां रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

107. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शराब निषेध (नशाबन्दी) सरकार द्वारा मद्यनिषेध संबंधी घोषित नीति की क्रियान्विती के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

108. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

109. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में होने वाली धांधलियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

110. **श्री रतनलाल रौत** (चौरासी सु.) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में नशाबन्दी की आवश्यकता एवं वहां ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाय जो नशा न करें, इस पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में नशाबन्दी की सख्त रोक के लिए महुए की बिक्री रोके जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

112. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में गाड़ियों पर कर वसूली ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 2

113. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बांरा) : मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज व शाहबाद तहसील क्षेत्र में (आदिवासी) सहरियों की बस्ती में शराब की दुकानें सरकारी नीति के विरुद्ध हैं इस पर चर्चा के लिए)।

114. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में बारां रेल्वे स्टेशन के निकट मजदूरों की कॉलोनी के पास शराब की दुकान अभी तक नहीं हटाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

115. मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिला की किशनगंज व शाहबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम सूंडा आदि में चल रही अवैधानिक शराब की भट्टियों के संबंध में चर्चा के लिए)।

116. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देशी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
व विदेशी शराब की दुकानों का ठेका दिए जाने की सरकारी नीति गलत व पक्षपातपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

117. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12— बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री करों की लाखों रुपयों की रकम बकाया है, इस पर चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सीमेंन्ट फैक्ट्री की तरफ दो लाख रुपया बिक्री कर का बकाया है, इस पर चर्चा के लिए)।

119. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी में भारी पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

120. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13 अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिय जाय (यात्री बसों के मालिकों द्वारा यात्री कर की हजारों रुपयों की, की जाने वाली चोरियों के संबन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

121. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा): मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की आये दिन होने वाली चोरी की रोकथाम पर चर्चा के लिए)।

122. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर सु०) : मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

123. श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (बिक्री कर की दरें बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रवृत्ति के बारे में नीति का अनुमोदन)।

124. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूल करने हेतु जो चौकियां कायम की गई हैं उनसे पिछड़े लोगों द्वारा उद्योग स्थापित करने में कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 6

125. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक, 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कार्यालयों से स्टाम्पस की चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

126. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से

(श्री गंगासहाय)
100 रुपये कम कर दिये जायें (मोटर गाड़ियों के निरीक्षण में धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

127. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली): मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में पंजीयन अधिकारियों ने हजारों रुपये की Revenue कम की, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

128. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोड़ारायसिंह): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में मोटर गाड़ियों पर अधिक कर लिया जाता है, इस पर चर्चा के लिए)।

129. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भोम): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

130. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर. टी. ए., एस. टी. ए. के सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दुर्गालाल बाढ़दार!

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय आज राज्य सरकार की ओर से इस सदन के सामने मांगे प्रस्तुत हुई हैं। मैं अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा निम्नलिखित बातें बताना चाहता हूं:—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैंने बजट के भाषण को बहुत पढ़ा और अबकी बार जो बजट का भाषण पढ़ा और उस बजट के भाषण में सबसे विशेष बात जो देखने में आई राजस्थान के वित्त मंत्री जी इस राजस्थान की विधान सभा में एक साकी के रूप में करों से भरा हुआ जाम लेकर सदस्यों के सामने उपस्थित होते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान के वित्त मंत्री जी की अब तक इस राजस्थान की दो करोड जनता में से बहुत सों को अपने कर का जाम पिला चुके हैं मगर कुछ आदमी बाकी रह गये जिनकी तरफ उनकी निगाह नहीं पड़ी और अब उनकी तरफ भी निगाह फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण के अन्त में कहा है—

सब तरह के लोग साकी
आज तेरी महफिल में है।
जिस तरफ देखा न अब तक
उस तरफ देखा तो है॥

(3.36 म. प.)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया सभानेत्री पदासीन)

बड़ी मेहरबानी करके हमारे वित्त मंत्रीजी ने अब उनकी ओर देखा तो सही मगर वित्त मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं—

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

बहुत जामे पिलाकर अब इधर नजर गई है-नजर तो गई लेकिन कैसी नजर गई जैसे कातिल अपने शिकार पर नजर बढ़ाता है ।

एक माननीय सदस्य : कविता होती है ।

श्री मथुरादास माथुर : अब कविता होने दो मैं जवाब देता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वित्त मंत्री जी केवल यह बात सोचना चाहते है जिस प्रकार आपने करों का भार बढ़ाने की चेष्टा की है आशा तो हम यह करते थे कि जिस समय बजट अभिभाषण के पश्चात आप खड़े हुये बहुत से ऐसे अहम मुद्दे, जैसे विद्यार्थियों के फीस के मुद्दे चावल पर टैक्स के मुद्दे को बदलेंगे लेकिन दुर्भाग्य की बात है आपका दृष्टिकोण नहीं पड़ सका और जो कुछ छूट आपने दी है उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं। लेकिन वास्तविकता और समाजवाद के सिद्धान्त को लेकर आगे बढ़ने का दम भरते हैं तो उस दृष्टि से विचार नहीं किया ।

इन कटौती प्रस्तावों के द्वारा में स्थानीय समस्यायें है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक शराब के ठेके का प्रश्न है ऐसी बहुत सी शिकायतें आपके पास आई होगी मैं पहले व्यक्तिगत रूप से भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि कुछ शराब के ठेके आपने जयपुर शहर में ऐसे स्थानों पर कायम कर रखे है जहां मदिरा पीने के बाद वह अपना सर्वस्व भूल जाया करता है और इस प्रकार के कार्य किया करता है जो वास्तव में असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन देता है । इस प्रकार की बातें किया करते हैं उदाहरण के लिये सुभाष चौक के चौराहे पर एक ठेके की दुकान है जहां अक्सर सिर तोड़ने के किस्से और चाकू, छुरे बाजी की घटनायें होती रहती है । दूसरे पोस्ट आफिस के पास पहली चौपड़ पर जहां सब्जी वाले बैठते है । वहां प्रायः औरतें सब्जी खरीदने आया करती है और मदिरा पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं रहता है और इधर उधर गाली बका करता है । यह शोभा की बात नहीं है । ये सारी परिस्थितियां ऐसी है जिन पर विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात में आपके सामने रखना चाहूंगा और वह यह है कि बिक्री कर के अन्दर जिस प्रकार से आपने ज्वैलरी पर टैक्स लगाया है । मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा यह बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कुछ अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आपकी दृष्टि नहीं गई है या फिर आपका ज्ञान नहीं है । सारे देश में आपको यह मानना पड़ेगा, जयपुर ऐसा नगर है जहां इसको फोरन कन्ट्रीज से कच्ची खरड़ को लाया जाता है और उसको लाने के बाद सुन्दरता का रूप देकर उसको ज्वैलरी के रूप में बेचा जाता है और जिसको विदेशी बड़ी मुद्रा देकर ले जाते है । इस काम के लिये हमारे यहां करीब 40 हजार आदमी सम्भवतः इस व्यवस्था को जयपुर नगर मे और इसके आस पास के क्षेत्र में करते है । यह प्रश्न सीधा सम्बन्ध उन गरीब मजदूरों से रखता है तो जिस प्रकार के सन् 62 तक इस ज्वैलरी और डाइमण्ड्स वगैरह और जो ऊंचे प्रेशश स्टोन्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था । सबसे पहले आपने लगाया तो फर्स्ट पोइन्ट पर लगाया और

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
फिर लास्ट पोइन्ट पर आप कन्सीड कर गए.......

श्री मुकुटबिहारीलाल : सभानेत्रीजी हाउस का कोरम ऐसा दिखता है जो चलने काबिल नहीं है।

(घंटी)

कोरम बैल बजाने का नियम हुआ करता है।

(गणपूरक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन को चलाने के लिए मुख्य सचेतक महोदय आप हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो आपका ही इन्तजाम कर रहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पक्ष वाले आपकी बात नहीं सुनना चाहते।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आपका पक्ष तो ऐसा है कि जैसे मृदंग बजाया।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री बैठे हैं और आपके नेता गायब हैं।

श्री विजयसिंह : गायब नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार . तो फर्स्ट पोइन्ट का और लास्ट पोइन्ट का जवाब आया तो यह डिपार्टमेन्ट के लिए बड़ा मुश्किल था और आपके लिए भी बड़ा मुश्किल था कि किस तरह से उसको फर्स्ट पोइन्ट माना जाये और किस तरह से लास्ट पोइन्ट माना जाए। तो आपने टर्नओवर के ऊपर सब्सीक्वेन्ट स्टेज के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउन्ट तय कर दिया और जहां तक मेरी जानकारी है उसके आधार पर 25 रुपये से प्रारम्भ करने के बाद 800 तक गए और इसके ऊपर आपने एक स्लैब बना दिया। अब प्रश्न यह है कि वर्तमान सूरत में 3 गुना से ज्यादा इसके ऊपर टर्नओवर टैक्स या जो फी स्लैब रखा है वह 3 गुना चला जाता है। वह आंकड़े भी मैं आपको दे दूंगा। इन सारे प्रश्नों से मेरा कहने का आशय यह है कि जो इन्डस्ट्री हमारे यहां की है और जिस इन्डस्ट्री में गरीब तबका काम करता है उसको काम करने का अवसर प्राप्त होगा या नहीं.......

श्री मथुरादास माथुर : पूरा होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह आपका दृष्टिकोण हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नहीं। जनता का दृष्टिकोण है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज उदाहरण के लिए प्रेशश स्टोन 10 हजार का बिकता है और 10 हजार रुपये के ऊपर यह तो मानकर चलना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में उसका मार्केट नहीं है। उसका मार्केट फौरन कन्ट्रीज में ही है। हिन्दुस्तान में आपने ऐसे आदमी नहीं रखे जो इन प्रेशश स्टोन्स को खरीद सकें। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे हों जो कि इन स्टोन्स को खरीदें लेकिन जिन्हें शौक था स्टोन्स खरीदने का उनको तो आपने हिन्दुस्तान में रखा नहीं.......

श्री मथुरादास माथुर : हमारे सामने तो आप ही प्रेशस स्टोन हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसलिए उसका मार्केट यहां नहीं है तो वह तो फौरेन कन्ट्रीज के अन्दर ही जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उसके ऊपर कुछ नहीं लगाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो 10 हजार की कीमत हुई तो उसको दूसरा आदमी खरीदे तो टैक्स देगा। जैसे जयपुर के व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को दिया और दूसरे व्यापारी ने तीसरे बम्बई के व्यापारी को दिया है तो उस पर कास्ट आफ दी स्टोन प्लस टैक्सेसन और सैकिण्ड स्टेज पर जाने के बाद 'दैट विल बी दी ओरीजनल कास्ट प्लस टैक्सेशन' तो कितनी स्टेजेज पर जाकर उसकी परिस्थिति होगी, इस दृष्टिकोण से विचार करें तो जब व्यापारी ठप्प होगा तो मजदूरों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं वकालत करता हूं उन गरीब मजदूरों की कि जो इसका निर्माण करते हैं। निर्माण करने वालों के व्यवसाय की ओर भी आपने ध्यान नहीं दिया। आपने वित्त मन्त्री जी यह तो बडी सरलता से कह दिया कि उन गरीबों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इम्पेक्ट जो होता है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। पहले आपने स्वर्ण नियंत्रण कानून बनाया और जब आपके सामने विरोध किया गया, पार्लियामेंट में विरोध हुआ तो राज्य की तरफ से यही उत्तर आया कि इसका इम्पेक्ट गरीबों पर नहीं होगा। लेकिन जब इसका इम्पेक्ट गरीबों पर हुआ तो राज्य सरकार को विवश होना पड़ा और उनको रीहेबिलीटेट करने के लिए प्रावधान करना पड़ा। मैं आपसे कहता हूं कि यह दृष्टिकोण है राज्य सरकार का कि वह किस नीति पर चलना चाहते हैं। आपके समाजवाद का कौनसा सिद्धान्त है इस पर मैं विवेचन नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार के गरीब तबके के लोग प्रभावित होते हैं तो आपको यह एश्योरेन्स देना होगा कि गरीब तबके के लोग प्रभावित होते हैं तो इसके लिए आपको प्रावधान रखना पड़ेगा। इस दृष्टि को आपको ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरे महत्व की बात तो मैं कहता हूं—जहां तक मुझे जानकारी दी गई है उसके आधार पर कुछ व्यक्ति इस प्रकार की मांग लेकर आपसे भी मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रजातन्त्र में आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले वित्त मंत्री जी जो व्यक्ति उनसे सम्पर्क स्थापित करना चाहें या इन्टरव्यू सीक करें तो उनके प्रति उदारता का रुख ही रखना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार आपने उन आदमियों को कि जो इनकी मांगों को लेकर आपके सामने गये थे तो यह उत्तर दिया कि हमें आपको सुनना नहीं आप चाहें तो राज्य छोड़ कर जा सकते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है। ऐरा गैरा कहने से यह बात नहीं कहना चाहिए। "आई टेक ए सीरियस आब्जेक्शन" कि मैंने कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है और तुम राज्य छोड कर जा सकते हो। यह हाउस का एटीकेट है कि आप पहले मुझसे बात कर लेते और फिर हाउस में कहते। मेरे घर पर क्या डेपुटेशन आया और क्या बात करी तो कोई भी बात करने के पहले मुझसे बात कर लें। जो घर पर आयें उनकी चर्चा यहां नहीं करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं भी तो आपको यही कह रहा था कि जो मुझे जानकारी दी गयी है कि इस प्रकार का व्यवहार आपका रहा। मैं इसलिए आपके दृष्टिकोण में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारा यह कर्त्तव्य है कि जनता से सम्पर्क रखते हुए चाहे मंत्री हो या कोई साधारण एम. एल. ए. हो हमारे संबंध जनता से बहुत हैं। ऐसे व्यक्ति यदि आते हैं तो उनकी बातों को सुनना हमारा पुनीत कर्त्तव्य होता है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको बिलकुल गलत कहा गया है। उन्होंने मुझे मेमोरेण्डम लिख कर दिया। जो सभी लिखकर देते हैं। वह मेरे पास मौजूद है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यदि यह बात है तो मुझे सन्तोष है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने मिलने के लिए टाइम दिया तो जब मैंने ही बुलाया तो मैं कैसे कहता कि मिलने के लिए क्यों आये। फिर आप ऐसी क्या बात करते हैं। मुझे यह कहा कि मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं और जवाहरात के धंधे करते हैं। हमारा धंधा छूट जायगा और हमें जवाहरात का धंधा छोड़ना पड़ेगा और इसकी जवाबदारी आपकी होगी। मैंने कहा कि अगर आपका धंधा नहीं चलता तो मैं कहां तक छूट दूंगा। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप कम से कम इस धंधे के लिए मानते हैं कि जो गरीब हैं वही इस धंधे को करते हैं। अगर करोड़पति आता है या कोई गरीब आता है तो वित्त मंत्री से अपेक्षा नहीं करते कि यह कहें कि चले जाओ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने नहीं कहा कि छोड़ कर चले आओ। उन्होंने ही कहा कि हमारा धंधा ठप्प हो जायेगा और हमें जयपुर छोड़ना पड़ेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने किस किस को नहीं कहा यह दृष्टिकोण दूसरा है। बहरहाल आपने कहा वह दृष्टिकोण का अन्तर है.........

श्री मथुरादास माथुर : कुछ भी हो आपको सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बहरहाल आपने कहा और किस को कहा यह जाने दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : जो मुझसे मिलने आता है उसको अधिकार है कहने का और मुझे कहने का। किस सन्दर्भ में कहा ? क्या आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों के ऊपर टैक्स कम कर दूं ? आप उनकी पैरवी कर रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिस प्रकार से स्वर्ण नियन्त्रण कानून से इफेक्ट हुआ तो उसके लिए आपको प्रावधान करना पड़ा। यदि इम्पैक्ट होता है तो उसके लिए भी आपको प्रावधान रखना होगा। यह मेरा एक दृष्टिकोण है जो मैंने आपके सामने रखा।

तो माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहता था कि जिनके द्वारा जो टैक्स की प्रणाली है और इस टैक्स की प्रणाली से जिस प्रकार से कर बढ़ाये गये हैं

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)
इन करों से राज्य सरकार को लाभ होगा या हानि होगी इस दृष्टिकोण से हमारे वित्त मन्त्री जी को विचार करना होगा।

माननीय वित्त मन्त्री जी, मैं इस बात को निश्चित रूप से और जिस प्रकार से मैंने बजट का अध्ययन किया है आपके आंकड़ों का उसके आधार पर स्पष्ट रूप से आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन करों की वृद्धि के द्वारा राज्य सरकार की आय की कल्पना करके जो आप चलते हैं वह सही होता प्रतीत नहीं होता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

5 मिनट में समाप्त करता हूं। जो इन करों को वसूल करने की प्रणाली है उन करों की वसूली करने की प्रणाली में जब तक आप विशेष परिवर्तन लाने की चेष्टा नहीं करेंगे यह कर इवेड होते जायेंगे। जितना ज्यादा करों का भार होगा तो यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अधिक से अधिक भार को इवेड करने की चेष्टा करता है। इस ह्यूमन साइकोलॉजी का इलाज आप अगर नहीं करते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए आप एक आदमी पर उतना ही भार डालें जितने भार को वह वहन कर सकता है। तो मैं यह कहता हूं कि अधिकांश कर लगाने से जो लोगों की सद्भावना सरकार को कर देने की होती है वह सद्भावना दूर होती है, और एक प्रकार से उनके मन में बेईमानी पैदा होती है और करों से किसी भी प्रकार आदमी बचना चाहता है और उसके लिए उसको प्रेरणा मिलती है। तो यह एक नीति का प्रश्न है और इस पर यह विचार करके चलें कि जितना कर-भार वह वहन कर सके उतना ही उस पर डालें तो उतनी ही सुलभता से वह आपको प्राप्त हो सकेगा। मैं नीति के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अनुदान और ग्रान्ट के रूप में लाखों रुपया लोगों को देते हो, और आज भी वह आपकी योजना है, लेकिन कोई भी मद ऐसा नहीं है जिसमें रुपये की सिक्योरिटी हो और एक बार दिये जाने के बाद रुपया वसूल नहीं होता है, और हर साल आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। हर साल आपको लाखों रुपया बड़े बड़े ठेकेदारों में और बड़े लोगों का राइट ऑफ करना पड़ता है और उसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। एक तरफ तो लाखों रुपया आप बड़े ठेकेदारों और आदमियों में माफ करते हुए चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ टैक्सेशन लगाते जा रहे हैं। इस प्रकार की आपकी गलत नीति है इससे आप समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते हैं।

मैं अन्त में यह जो गाड़ी का प्रश्न है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि यह गाड़ियों के कर विभाग में जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के तहत अगर मान लिया जाय कि कोई अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सरेन्डर कर देता है तो सरेन्डर करने बाद में जो सरेन्डर का पीरीयड है उस पीरीयड का टैक्स उससे नहीं लिया जाता है। लेकिन कतिपय शिकायतें हैं और उन शिकायतों के आधार पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ टैक्सेशन विभाग

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
आपके इस प्रकार के हैं जिनमें सरेन्डर पीरीयड में दुबारा रिन्युअल कराये जाते हैं तो टेक्स लेते हैं और कहीं कहीं तो पैनल्टी भी मांगने को तैयार होते हैं। इसमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो नियमों का ज्ञान अधिकारियों को नहीं है या नियमों का ज्ञान होते हुए भी अधिकारी अनुचित रूप से वसूली की चेष्टा करते हैं। बहरहाल यह व्यवस्था है तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य है और राज्य सरकार को यह देखना चाहिए कि यदि किसी विभाग····

श्री मथुरादास माथुर : आप कोई रेन्डिविजुवल केस बतायें कि जहां पर लोगों ने सरेन्डर कर दिया और वापस रिन्युअल कराने के लिए गये हैं तो सरेन्डर के पीरियड का टैक्स मांगा हो। यह आप बता दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : देखिये, वित्त मन्त्रीजी, मेरे पास इन्स्टान्सेज आयेंगे तो मैं जरूर दूंगा और जो मेरे पास इन्स्टान्सेज आये हैं वह मैं बता दूंगा, लेकिन एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक हो गई है कि कम से कम इसको परम्परा तो आप नहीं बनायें कि इस विधान सभा में कोई तथ्य, कोई जानकारी, कोई मुद्दा माननीय सदस्य को किसी सोर्स से ले आते हैं तो यह हमारा प्रिविलेज है कि कोई इन्फर्मेशन आगई है तो उसको फ्लोर ऑफ दी हाउस में डिसकस करते हैं, परन्तु मन्त्रीगण इस बात के लिए चेष्टा करते हैं कि श्रीमान् बतायेंगे कि आपके पास क्या सबूत है····

श्री मथुरादास माथुर : मैं सोर्स नहीं पूछ रहा हूं। नाम पूछ रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह इन्फर्मेशन डिपार्टमेंट ने दी हो या पब्लिक ने दी हो।

श्री मथुरादास माथुर : केस कौनसा है बता दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह मैं बताऊंगा। आप इस बात को समझ लें····

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आपके दल की ओर से और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सिर्फ दो मिनिट।

प्रत्येक केस हम ही आपके सामने दें लेकिन कोई दोषी हैं तो स्वयं आप भी तो देखें। लेकिन मेरी भावना क्या है? मेरी भावना को समझने की चेष्टा कीजिए। ऐसी शिकायतें आई हैं तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि आया निर्देश दें और विचार करें। इस प्रकार की गड़बड़ होती है तो उसकी रोक थाम करने की कम से कम यह अपेक्षा तो आपसे करके चलते हैं। अगर कोई अपराधी होगा तो जरूर शिकायत करेंगे। मेरा दृष्टिकोण किसी इन्डिविजुअल की शिकायत करने का नहीं होता है। इसलिए कोई केस नोटिस में लाते हैं तो क्या आप अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं?

दूसरी बात जहां तक करों का सम्बन्ध है हम खुद आपको देते हैं, सवारियां चलाने वाले और प्राइवेट व्हीकल्स वाले देते हैं, और सरकारी रोडवेज हैं उसमें क्या कर रहे हैं? उनसे रोड टैक्स वगैरह तो लेते हैं। तो टैक्सेशन विभाग का इस बात का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

भी उत्तरदायित्व है कि वाहनों की क्या दुर्गति होती जा रही है। विषयान्तर जरूर है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दो चार दिन साल भर, में महीने में तो इतना समय नहीं दे सकते, लेकिन साल भर में दो तीन दिन इस इस प्रकार के दे दें कि सरकारी गाड़ी और आपकी निजी गाड़ी हैं उनके अलावा आप रोड़वेज की बस में सफर यहां से जोधपुर तक करके देख लें, और जब देख लेंगे तो व्यक्तिगत अनुभव हो जायेगा कि कितने यात्रियों को कठिनाइयों को उठाना पड़ता है। (समय समाप्ति-सूचक-घंटी) इन सारी व्यवस्थाओं को करेंगे ऐसी में आशा करता हूं।

बातें तो बहुत सी कहनी थी लेकिन समय का अभाव है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके विभाग में जो गड़बड़ियां होती हैं उन पर नियन्त्रण करने की चेष्टा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब····

श्री मथुरादास माथुर : शराब की दुकानें हैं उनको उठाना चाहते हैं····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : महाराज मैं कहता हूं कि आप शराब बेचने से रुकेंगे नहीं और मेरे कहने से रुकेंगे नहीं। अगर आपको शराब बेचना है तो बेचें लेकिन उसको एक जगह तो रख दें ताकि लोग पीने वाले गड़बड़ न करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभानेत्री महोदया, मैं····

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे टाइम दिया जाये। ये रामनारायणजी तो बारबार बोल रहे थे। मुझे दिया जाय 5-7 मिनिट का टाइम।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं इस बात को मानता हूं, वित्त मंत्री जी, कि आपकी आमदनी का साधन बिक्री कर और आबकारी से होने वाली आमदनी के अलावा दूसरे साधन बहुत कम हैं। मैं शराब की आमदनी के बारे में सदैव से विरोधी रहा हूं। लेकिन आपकी यह दलील कि 12 करोड़ की आमदनी का घाटा किस प्रकार से पूरा किया जाय, यह भी एक विचारणीय विषय है। सभापति महोदया, गांधी जी ने शराबबन्दी के ऊपर बहुत जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि अपने जीवन काल में एक दिन भी उनकी चले तो एक दिन में ही शराब को बन्द कर देना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की थी और 1973 तक सम्पूर्ण नशाबन्दी करने का ऐलान उन्होंने किया था। अब की बार उनके बजट भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने उस वायदे से मुकर रहे हैं। उन्होंने इसमें ऐलान किया है कि जैसलमेर बाड़मेर, जालौर सिरोही और कुछ उदयपुर जिलों की तहसीलों के लिए उन्होंने कहा है कि इनमें पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया है। ये वे जिले हैं जहां पर लगातार 4-5 वर्षों से भयंकर अकाल है और वहां पर शराब की कोई खपत नहीं है। जो ज़िले शराब के लिए मशहूर हैं जैसे कि गंगानगर और जयपुर डिवीजन यदि उनके किसी एक जिले में भी शराबबन्दी की वित्त मंत्री जी घोषणा करते तो हम उसका स्वागत करते। गंगानगर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है

(श्री रामनारायण चौधरी)

जहां पर जबरदस्त शराब की आमदनी है, और शराब पीकर जितने जुर्म वहां पर बढ़ते हैं और कानून और व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता है और सरकार को करोड़ों रुपयों का बजट इस शराब की वजह से लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने में खर्च होता है। वे शराबन्दी के जरिये उसको बचा सकते हैं। मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि वित्त मंत्री महोदय, सरकारी कारखाने शराब के बनाते जायं। क्या होगा इस देश का? हम शराब बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं....

श्री मथुरादास माथुर : हम शराब नहीं बनाते हैं। हम स्प्रिट बनाते हैं जो इन्डस्ट्री के अन्दर काम आती है।

श्री रामनारायण चौधरी : गंगानगर शुगर फैक्ट्री में बनाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जो बनाते हैं वह स्प्रिट बनाते हैं जो इन्डस्ट्री के काम आती है, अस्पतालों में भी वह काम आती है, और एज्यूकेशन में कालेजेज में वह काम आती है। मैं आपको गुजरात का बताऊं कि वहां 10-12 डिस्टिलेरियां चल रही हैं हम से ज्यादा स्प्रिट पैदा कर रही हैं।

(4 म. प.)

श्री रामनारायण चौधरी : खैर। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप एकदम बारह करोड़ की आमदनी को कम नहीं कर सकते—यह भी राजस्थान में इस वक्त विचारणीय विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी, जो आपकी शराबबन्दी की निष्ठा है, इस निष्ठा में कमी नहीं आने देंगे। आपको इस निष्ठा को साबित करना चाहिए और इस निष्ठा को साबित करने के लिए, वित्त मंत्री जी, एक क्रांतिकारी कदम आप यह भी उठायें कि जितने भी आपके सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए आप यह नियम लागू करें कि वह शराब नहीं पीयें! आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं आपको सुझाव देता हूं, और मैं ऐसा समझता हूं कि आप उसको स्वीकार करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि आप अपने प्रशासकीय आदेश के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करें कि अधिकारीगण अपने मातहत अधिकारियों की कॉन्फिडेन्सियल रिपोर्ट देते वक्त यह बात भी लिखें कि यह अधिकारी शराब पीता है या शराब नहीं पीता है और इस प्रकार जो शराब पीने वाले अधिकारी हैं उनका प्रमोशन रोका जाय, ऐसे शराब पीने वाले अधिकारियों का प्रमोशन रोका जाना चाहिए। यह ऐसा कदम होगा जिसके द्वारा आप शराब पीने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निरुत्साहित कर सकते हैं और शराब न पीने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे उनको बाध्य कर सकते हैं कि वह शराब का प्रयोग न करें। आज सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि जब ऑफीसरों की पार्टी होती है, जब ऑफीसरों की क्लबों में पार्टी होती है, फेअरवेल पार्टी स्थानान्तरण पर होती है, जब एक अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उस फेअरवेल पार्टी के अन्दर शराब एक अनिवार्य चीज होती है, शराब उन पार्टियों में परोसी जाती है। यह बड़े दुःख की बात है कि सरकारी अधिकारी के ट्रान्सफर

(श्री रामनारायण चौधरी)

के वक्त में शराब की पार्टी हो। इससे अधिक दुःख की बात क्या होगी, इसके साथ ही वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शराब से आमदनी करना चाहते हैं तो वह आमदनी आप ईमानदारी से तो करें। बीकानेर के बारे में आपको जानकारी है, वहां पर पन्द्रह लाख का ठेका होने वाला था, लेकिन वहां लोगों ने कागज़ों में हेर फेर करके ग्यारह लाख में वह ठेका दे दिया है। वह ग्यारह लाख में भी। जब दिया गया जब कि आपको यह मालूम हुआ कि वह ठेका सात लाख में दे दिया गया है, तो आपने यहां से उनको डांट पिलाई कि यह सात लाख में ठेका कैसे दिया गया है। आपकी डांट के ऊपर यह ठेका ग्यारह लाख का कागजों में दिखाया गया है। अगर इस ठेके का ऑक्शन होता तो वह पन्द्रह लाख से कम में नहीं होता। आपका यह विभाग है; और आप एक मजबूत आदमी हैं, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, तो भी आपके विभाग में आमदनी के स्रोत में इस प्रकार की गड़बड़ी होती है, इसके लिए आप विचार करें कि इसको आप कैसे रोक सकेंगे।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री टैक्स से होने वाली आमदनी को आप बढ़ाइये। आज से एक साल पहले राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों को आपने स्वयं ने फरमाया था कि राजस्थान के अन्दर इनसे होने वाली आमदनी का चालीस प्रतिशत टैक्स चोरी होता है, टैक्स इवेजन होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस चालीस प्रतिशत चोरी को आप अपने मातहत अधिकारियों के सामने मानते हैं उस चालीस प्रतिशत चोरी को रोकने के लिए आपने क्या कारगर कदम उठाया है या उठा रहे हैं? इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। आज यह बड़े दुःख की बात है कि चालीस प्रतिशत टैक्स की चोरी हो जाय. टैक्स को वसूल करने वाले लोग टैक्स को बीच में ही हजम कर जाएं। यह बड़े दुःख की बात है कि जो टैक्सेज को वसूल करने वाले लोग हैं वह लोगों के पैसे को बीच में ही खा जाते हैं और वह पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता है। यह बड़े दुःख की बात है।

दूसरे मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि पैसेन्जर टैक्स की चोरी के ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए। पैसेन्जर टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि जो आदमी गरीब है, साधारण लोग हैं, 85 प्रतिशत किसान जो बसों और मोटरों में बैठ कर चलते हैं, उनसे वसूल होता है। मैं नहीं कहता कि दूसरी जगहों पर क्या पोजीशन है. लेकिन मैं मेरे क्षेत्र के लिए जयपुर से लोहारू, झुंझनूं, सीकर और चूरू तक चलने वाली बसों के लिए कह सकता हूं कि जितना टैक्स हम देते हैं उसका तीस पर्सेन्ट, चालीस पर्सेन्ट टैक्स सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग टैक्स दे दें लेकिन उसको बीच में वसूल करने वाले लोग खा जायें और वह इस सरकार के खजाने में नहीं पहुंचे। मेरा निवेदन है कि इसके लिए सरकार को कानून में कोई परिवर्तन करना चाहिए और कानून में परिवर्तन करके ऐसी एजेंसी

(श्री रामनारायण चौधरी)

कायम करनी चाहिए जिससे टैक्स की चोरी न हो या फिर जिस प्रकार का सिस्टम हरियाणा और पंजाब में है कि जो टिकट काटते हैं उस पर एक स्टाम्प होता है। अगर आप स्टाम्प वाली बात को व्यवहारिक नहीं समझते हैं तो मैं उसको मानने के लिए आपसे इन्सिस्ट नहीं करता, मेरा केवल यह निवेदन करना है कि कैसे भी हो, जो टैक्स का पैसा जनता से आता है वह पूरा वसूल होकर बीच में ही नहीं रह जाय बल्कि पूरा सरकारी खजाने में आ जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो टैक्स वसूल होता है वह जितना वसूल हो जाता है वह सरकारी खजाने मे आये। सेल्स टैक्स विभाग में, मुझे खुशी है इस बात की, आपने राजस्थान के अच्छे अधिकारियों को लाकर, छांट कर लाकर रखा है लेकिन आप उन अधिकारियों से यह ताकीद कीजिएगा कि जनता से आया हुआ पैसा बिचौलियों के पास नहीं रहे और वह सीधा सरकारी खजाने में आकर जमा हो। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं और इन शब्दों के साथ में अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुकुटबिहारी लाल !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आदरणीया सभानेत्री महोदया, आज यहां पर हम टैक्सेशन से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न मांगों की मदों के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेशन की जो नीति है उस नीति के आधार पर ही किसी क्षेत्र के विकास, किसी इन्डस्ट्री या उद्योग के विकास या बरबादी का कारण बनता है। मैं यह बात मान कर नहीं चलता कि किसी भी प्रणाली के अन्दर चाहे वह समाजवादी प्रणाली हो या दूसरे तरीके की प्रणाली हो उसमें टैक्सेशन जरूरी नहीं हैं। वगैर टैक्स के सरकार का काम चल नहीं सकता है। हम टैक्स देना चाहते हैं। उसके साथ ही हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वह हमसे टैक्स जरूर ले परन्तु हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे आपकी मार्फत कि टैक्सेशन के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति बना कर चलो। आज अनिश्चितता और दिशाहीनता के कारण जहां आम जनता को, जन साधारण को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है, वह तो उठानी पड़ रही है, उसके साथ साथ टैक्स का इवेजन हो रहा है जिसको सब्सटेंटिव विभिन्न तरीके से रोक सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार की टैक्सेशन की प्रणाली को अपनायें जिससे निश्चितता का आधार बन जाय और घपलेबाजी नहीं हो, टैक्स का इवेजन है वह रुक जाय और जो टैक्सेज से पैसा आये उससे जनता को कुछ राहत मिल सके। मैं निहायत नम्रता के साथ पहले रोड़ टैक्स की बात लेकर चलता हूं। रोड टैक्स के बारे में आपने प्रणाली बनाई है, उसके आधार पर मोटर व्हीकल्स पर, सभानेत्री महोदया, दो तीन प्रकार के टैक्स लगाते हैं—एक तो रजिस्ट्रेशन टैक्स, एक रोड टैक्स और एक पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स। अब सवाल यह पैदा होता है कि तीनों प्रकार के टैक्सेज की व्यवस्था के सम्बन्ध में बात कह कर मैं चलना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा समय नहीं लेकर केवल एक ही बात कहना चाहूंगा और वह

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

यह है कि जो तमाम टैक्सेज के क्लेक्शन का काम है चाहे आप एक तरह का टैक्स रखिये, चाहे पच्चीस तरह का टैक्स रखें, परन्तु इनके लिए अधिकारी एक हो। आज इसमें क्या हो रहा है, इसमें घपलेबाजी हो रही है। मान लीजिये कि एक मोटर वाला गया रोड टैक्स जमा कराने के लिए तो इसके अन्दर जैसा कि विधान बना हुआ है, जो टोकन, क्वार्टलो टोकन मिलता है वह टोकन देने वाला टोकन बाबू कहता है कि तब तक टोकन नहीं देंगे जब तक कि क्लियरेन्स सर्टीफिकेट गुड्स एन्ड पैसेन्जर टैक्स वाला नहीं हो और गुड्स एण्ड पैसेन्जर टैक्स का बाबू है जब तक उसके पास पच्चीस दफा दण्डौत नहीं हो, उसको चढ़ावा नहीं पहुंचे तब तक वह क्लियरेंस सर्टीफिकेट नहीं देगा। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी को वह यह है कि आप यह चाहते हैं कि यह प्रेस्क्राइब करें तो जिस तरह रोड टैक्स का टोकन होता है उसी तरह से आप पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स का भी टोकन जारी करायें, या आप ऐसा करिये कि इस रोड टैक्स का कलेक्शन है, पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स का क्लेक्शन है उसका इन्चार्ज एक ही व्यक्ति को बनायें। इसके अलावा क्या हो, आज विभिन्न तरीके की एजेंसियां इस मोटरबाजी के अन्दर हैं, मैं कोई लम्बाई चौड़ाई में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आज जो चैक करने के लिए पुलिस की एजेंसी हैं उसके साथ ही गुड्स एण्ड पैसेन्जर वाले अलग हैं, उसके लिए रोड टैक्स वाले अलग हैं, ट्रान्सपोर्ट वाले अलग हैं, तो विभिन्न एजेंसियों की मार्फत करने के बजाय एक ही अधिकारी एक ही व्यक्ति को उसका इन्चार्ज बना दें तो लोगों को चार जगह तो रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी।

खानों में महिना बंधा हुआ है एक्साईज में पैसा बंधा हुआ है, रोड टैक्स में पैसा बंधा हुआ है, ट्रान्सपोर्ट में पैसा बन्धा हुआ है। इससे इवेजन ऑफ टैक्स कितना होता है, कितनी मुफ्त सवारियां चलती हैं, यह सर्व विदित है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप रिश्वत को तो समाप्त नहीं कर सकते पर एक विभाग हो तो मोटर वालों को एक जगह ही राम राम करनी पड़े एक जगह ही पैसा बांधना पड़े!

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुड्स एण्ड पैसेन्जर्स टैक्स की बात रामनारायणजी ने रखी। आज यह बिलकुल हकीकत है, यह मंजूर करके चलिये कि आज मोटर वाले जितनी रसीदें काटते हैं उसकी उनके पास डुप्लीकेट होती है। 50 की रसीद काटते हैं तो शाम को जब हिसाब लिखने बैठते हैं उस समय 10 रुपये को रसीदें ही रखते हैं बाकी सब फाड़ फेंकते हैं।

पिछले सत्र में मन्त्री प्रवर ने घोषणा की थी कि हम पैसेन्जर्स के टिकिटों पर स्टेम्प्स लगायेंगे पर यह प्रणाली आज तक लागू नहीं हुई है। कई दबाव आये होंगे, चन्देबाजी चुनावों में हो गई होगी, वित्त मंत्रीजी के लिये तो नहीं कह सकता क्योंकि इनको इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : जो बिल दिया है उसमें आप कहते हैं वह सब प्रावधान रखे है।

Page No 142

श्री रामकिशन (त्रैर) : आयेगा तब समझेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : आ गया है, सबको वितरित कर दिया है आपने पढ़ने का कष्ट नहीं किया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गुड्स के वारे में एक निश्चित नीति बना लोजिये । सभानेत्री जी जिस प्रकार ट्रक्स के लिये निश्चित कर रखा है कि एक क्वार्टर में इतना पैसा लिया जायेगा. उसी तरह से पैसेन्जर्स टैक्स के बारे में भी निश्चित कर दीजिये कि इस इस रूट पर एक क्वार्टर का इतना इतना टैक्स लेंगे । उत्तर प्रदेश ने इस प्रणाली को इन्ट्रोड्यूस किया है । चाहे फिर वह एक रुपये का टिकट काटे, आपको देखने की चैकिंग करने की जरूरत नहीं, किसी तरह से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : आपको वात मंजूर है ।

श्री रामकिशन : ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कहां हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब दूंगा ।

श्री रामकिशन : ये बच्चे बैठा रखे हैं, एक एक कुल्हड दूध पिला दोगे तभी खुश हो जावेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे विभाग में दूध नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शराब है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मोटरों के परमिट देने के सम्बन्ध में बड़ा भारी घपला है । मैं समझता हूं ये परमिट किस तरह से उपलब्ध होते हैं । जो पत्रकार, पत्रकार के गार्व में ब्लैक मैलिंग करते हैं, मैं एक एक पत्रकार का नाम बता सकता हूं वे किसी न किसी की टोपी उछालने में लगे रहते हैं जो भी उनका विरोध करें उनकी टोपियां उछालते हैं, मंत्रियों की टोपियां उछाल देते हैं, ऐसे एक एक पत्रकार ने दस, दस परमिट लिये हैं और एक एक परमिट आठ आठ हजार, दस दस हजार रुपयों में बेचे हैं । वे लोग हमारे दल के नेता रामकिशन जी पर कीचड़ उछाल सकते हैं, मुकुट के ऊपर कीचड उछाल सकते है, मंत्रीजी आप पर भी कीचड उछाल सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : कीचड़ उछालने का काम हमारा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपका काम तो कीचड़ साफ करने का है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो अच्छा काम है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि एक पत्रकार जयपुर से एक साप्ताहिक 'शान्तिदूत' निकालते हैं, इस साप्ताहिक के मालिक ने कम से कम दस परमिट लिये हैं । यह लिस्ट मेरे पास है, आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा कि किन किन नामों से परमिट प्राप्त किये हैं और एक एक परमिट आठ आठ हजार, दस दस हजार, बारह बारह हजार, में बेचा है । डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे छोटे छोटे ब्रचकाने लोगों को जो जनतन्त्र को गन्दा करते हैं,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

क्या उनके लिये खुला रास्ता बनाना चाहते हैं ?

'दूसरे' जगन्नाथ पहाड़िया के रिश्तेदार हैं पहाड़िया तो पहाड़ पर पैदा हुए इसलिए नाम रख दिया 'दूसरे' ताराचन्दजी बन गये उन्होंने दस, बीस परमिट ले लिये। इस तरह के घपले परमिटों में होते हैं। आप जानकारी चाहें तो डिटेल्स में पूरी जानकारी आपकी सेवा में पेश होकर दे सकता हूं।

रूट्स के बारे में निवेदन कर दूं, भरतपुर से बयाना का रूट इन्होंने लिया और बेच दिया। भरतपुर से पहाड़ी का लिया और बेच दिया, बयाना से भुसावर का लिया और बेच दिया, बयाना से खेड़ली का इन्होंने परमिट लिया और बेच दिया। इस तरह कितने ही रूट्स हैं।

आबकारी के बारे में आप अपने मन से पूछ सकते हैं। आप साफ साफ सदन में रख दो कि आखिर आपकी निश्चित नीति क्या है ? ब्रिटिश हुकूमत ने इस शराबखोरी को किस तरह इन्ट्रोड्यूस किया। सब से पहले शराब पर टैक्स लगाया ब्रिटिश हुकूमत ने और शराब की आमदनी को मार्क कर दिया शिक्षा के लिये कि शराब से जो आमदनी होगी वह सारी शिक्षा पर खर्च की जायगी। जब पोपुलर सरकारें हुई, देश भक्तों की सरकारों ने जिम्मा लिया तो उन्होंने शराबखोरी को हटाने की बात की तो फाईनेन्स डिपार्टमेंट ने कहा कि शराबखोरी को हटा दो पर शिक्षा को बन्द करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं चाहूंगा, चाहे हमें हमारे बालक बालिकाओं की शिक्षा बिलकुल बन्द करनी पड़े, पर मैं शराबखोरी को बन्द कर दूंगा।

आपने लॉटरी जुआ सिस्टम जारी किया और कहा कि बाल कल्याण के लिये इसकी सारी आमदनी को मार्क करते हैं। सभानेत्री जी भगवान् करे आप भी जल्दी से जल्दी मिनिस्टर बनें और उस वक्त बाल कल्याण का महकमा आपके पास आयेगा और आप कहेंगी कि इसके लिये और पैसा दो तो वित्त मन्त्रीजी कहेंगे कि शराबखोरी को इन्ट्रोड्यूस करो।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चहाता हूं भरतपुर स्टेट का जमाना था, भरतपुर स्टेट का नक्शा मेरे पास है, इसके अन्दर चरस, गांजा, भंग, शराब पर भरतपुर स्टेट की आमदनी होती थी, उसके सब आंकड़े इस नक्शे में बताये गये हैं। 1905–1906 में पूरी भरतपुर रियासत में जो आज कल भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 19,128 बोतलें शराब की बिक्री थी। इस तरह के आंकड़े दर्ज हैं।

श्री मूलचन्द डागा : औथेन्टिकेटेड है क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बिलकुल औथेन्टिक है। शंकरलालजी आप भी देख लो और उनको भी बता दो।

1906-1907 में 22,605 बोतलें शराब की बिक्री। 1907-1908 में 18,702 बोतलें शराब की बिक्री। उसके बाद कम किया 1908-1909 में 15,150 बोतलें शराब की बिक्री। जिस फ्यूडल ऑर्डर की आप बुराई करते हैं, जिन राजाओं को आप शराबी राजा कहते हैं, उसके फ्यूडल ऑर्डर में शराब की बिक्री के आंकड़े मैंने बताये और

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)
आज उस भरतपुर जिले में 15 लाख का ठेका होता है। शराब का।

श्री जयकिशन : कारण आप जानते हैं कि भरतपुर में क्यों इतनी बिकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी रंगरेलियां ही कारण हैं जो सभा सोसायटियों में जा कर आप करते हैं। यह शिवचरणजी को पूछ लो कि क्या होता है।

श्री शिवचरणसिंह (उपमंत्री) : मेरा तो सुसराल है वहां।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बहती गंगा में आप हाथ धो लो और शराबखोरी को एक आर्डर में ही खत्म कर दो ताकि लोग हमेशा के लिये आपको याद करें कि एक प्रगतिशील मंत्री आया, उसने बाहदुरी के साथ इस प्रकार का प्रगतिशील कदम उठाया। शराब कलंक को राजस्थान से धो दिया, यह समय है। राजस्थान में रोडवेज के बारे में एक बात कहता हूं। बड़ा घपला है। अभी बताया गया है। कि कुछ आमदनी हो रही है, आय हो रही है 25 लाख की। मैं निवेदन करूं कि आज इतनी सारी मोटर गाड़ियां हैं, सभी खचरा बन गई हैं। राजस्थान के मुकाबले में ग्वालियर मेल देखिये, यू. पी. रोडवेज की गाड़ियां देखें तो उनकी तुलना में कितनी उनकी अच्छी सर्विस है।

रेवेन्यू का लीकेज कहां है? लाखों रुपयों का घोटाला है बाड़ी बिल्डिंग्स के बारे में, किस तरह से लीकेज आफ रेवेन्यू हैं स्टोर्स परचेज के नाम पर, लाखों रुपया का घोटाला है। आखिर रेवेन्यू जाती कहां है? सवारियां तो ओवरलोडेड हैं।

सेल्स टैक्स के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया, आप निश्चित नीति लेकर चलें। वित्त मंत्री ने फार्मूला समझा है वह यह कि 2 करोड़ की आमदनी बढ़ानी है तो 2 प्रतिशत बढ़ा दो बिक्री कर में या आमदनी को डबल करना है तो जिस पर 5 प्रतिशत बिक्री कर है, उसको 10 प्रतिशत कर दो डबल आमदनी आ जायेगी। यह बात अगर वित्त मंत्री ने समझी है तो भूल करते हैं? इससे क्या होगा? यहां पर तो व्यापार व उद्योग डूब जायेगा और बिजनेस दूसरे प्रान्तों में डाइवर्ट हो जायेगा। जैसा वित्त मंत्री ने अगले साल देखा, आपने मोटर पार्ट्स पर बिक्री कर बढ़ाई, इसका नतीजा यह हुआ कि लोग सीधे बम्बई से खरीदने लगे और यहां से लोगों ने नहीं खरीदा। ठीक उसी तरह से हमारी एक निश्चित नीति होनी चाहिए वह नहीं है। आज ऑर्डर हैं, 6 महिने पीछे नहीं बल्कि एक महिने के बाद बदल जायगा। इसके बाद तीन महीने पीछे दूसरा आर्डर आ जायगा। अगर नीति अनिश्चित है, परिपक्व नहीं है, सिद्धान्त नहीं है, तो निश्चित तौर से राजस्थान का व्यापार व उद्योग खतम हो जायगा।

इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूं कि भरतपुर के अंदर तेल उद्योग है। यहां पर कच्ची घानी का तेल बिकता है और तेल सरसों या दूसरी जिन्सों से बनाया जाता है यह कच्ची घानी के तेल की जो खपत है, वह राजस्थान में ही नहीं बल्कि उसकी बाजार असम, कलकत्ता, बिहार व उड़ीसा भी है। लेकिन स्थिति क्या है? आज

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

भरतपुर जिले का जो तेल उद्योग है राजस्थान के दूसरे हिस्सो में कच्ची घानी का तेल नहीं बनता है, परन्तु भरतपुर में कच्ची घानी का तेल बनता है। इसमें सीधा काम्पीटीशन है, कंट थ्रोट काम्पीटीशन है राज्यों के बीच में, वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से। उत्तर प्रदेश में या तो कहना चाहिए कि हमारा सौभाग्य था और उनका दुर्भाग्य था कि उन्होंने टैक्सेशन को खासकर सेल्स टैक्स को बहुत हैवी कर दिया। भरतपुर का तेल उद्योग पनपा और विकास करने का मौका मिला। परन्तु राजस्थान की जो गलत टैक्सेशन की नीति है, उसका परिणाम यह हो रहा है कि शायद यह उद्योग बिल्कुल समाप्त हो जाय और इसी का नतीजा यह है कि भरतपुर के सेठ रतनलाल ने जमीन का प्लॉट भरतपुर में खरीदा था। भरतपुर में 10-15 लाख लगाते। परन्तु जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार का टैक्सेशन हैवी हो गया, मैं उत्तर प्रदेश के टैक्सेशन के नियम लाया हूं, उनके नोटिफिकेशन्स लाया हूं, जब उन्होंने देखा कि वहां कई सहूलियतें हैं तो भरतपुर का विचार त्याग दिया और 5-10 दिन के अन्दर वह उद्योग आगरा में चालू हो जाएगा। भरतपुर में उद्योग स्थापित नहीं हुआ। इसके अलावा जो वर्तमान उद्योगपति हैं वह भी अपने को बेबशी की स्थिति में समझते हैं। अगर यह उद्योग समाप्त हो गया तो उसका नतीजा यह होगा कि वहां के सीड ग्रोवर्स ग्रो करना बन्द कर देंगे, इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या फैलेगी। अगर तेल उद्योग भरतपुर में खतम हो गया तो उससे मिलने वाला सेल्स टैक्स भी खतम हो जायगा। केवल भरतपुर से ही आपको डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली 25 लाख का टैक्स मिलता है। हम चाहते हैं कि ज्यादा व्यापार हो, आपके लिए ज्यादा टैक्स दें लेकिन हमारी व्यवहारिक कठिनाई है।

(घंटी)

ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति : मेरे पास लम्बी लिस्ट है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गोकुल प्रसाद जी तो दूसरी तरह से बोलते हैं, मैं तो आपकी आज्ञा से ही बोलता हूं। अक्टूबर, 1960 से पहले आपने एक टैक्सेशन की नीति बनाई उद्योगों के बारे में कि जिन उद्योगों ने 10 रुपए का एग्जेम्पशन सर्टीफिकेट ले लिया है तो उनको रा-मैटीरियल्स खरीदनें पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अक्टूबर, 1960 के बाद नीति बदल गई और आपने परचेजेज टैक्स इन्ट्रोड्यूस कर लिया। कानून में संशोधन करके एक सैक्शन और जोड़ दिया जिसके कारण परचेज टैक्स इन्ट्रोड्यूस किया। मैं नम्बर्स दे सकता हूं।

इसके बाद एग्जेम्पशन्स पर आपने कन्डोशन्स लगाई और आपने दो कन्डोशन्स इन्ट्रोड्यूस की। नोटीफिकेशन नं० एफ० 5 (15) ई० एन० टी० 62/3, दिनांक 26-3-62 के अन्तर्गत आपने क्या किया? आपने लगा दिया कि अगर इन्टर स्टेट के अन्दर बेचा जाय या राजस्थान में बेचा जाय तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 26/3 से यह शर्त लगा

Page No 146

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
दी और इसके साथ दो मार्च, 1963 को जितने एग्जेम्पशन्स थे, सब विथड्रा किए। आपने एफ० 5 (40) एफ० डी०/आर० एन० टी०/63, दिनांक 2 मार्च, 1963 को वापस लिया। कानून में सशोधन करके और आपने 5 (सी) इन्ट्रोड्यूस किया। उसके अन्दर एक प्रतिशत टैक्स लगाया और कह दिया कि पेनल्टी वसूल की जायेगी। परन्तु यह स्थिती भी ज्यादा दिन नहीं चली। उसके बाद 23 मार्च, 1963 को थोड़े दिनों में आदेश हुआ कि रा-मैटीरियल्स पर यह पूरा टैक्स अदा करते हैं तो जो तेल बनेगा, उसमें राहत दी जायगी।

फिर विज्ञप्ति निकली थोड़े दिन पीछे दो अप्रैल को कि इन्टर स्टेट की भी ये कन्सेशन देते हैं। यह पोजीशन ज्यादा दिन नहीं चली, 1-11-65 तक चली और वह उद्योगों के लिए गोल्डन पीरियड था। भरतपुर के अन्दर 8-8 उद्योग स्थापित हुए, उद्योग विकसित हुए. टैक्स भी सरकार ने काफी ली। 2-11-65 से तमाम एग्जेम्पशन्स को आपने विथड्रा कर लिया और 5 (सी) के अन्तर्गत एक प्रतिशत आपने चालू कर दिया और कह दिया कि राजस्थान में अगर तेल की बिक्री होगी तो 5 प्रतिशत और इन्टर स्टेट में 3 प्रतिशत।

मैं यह तमाम बातें इन बातों का सबस्टेनशियेट करने के लिए कह रहा हूं कि आपकी समय समय पर नीति बदलती रही है। वर्तमान पोजीशन यह है कि आपके टैक्स जो आज मौजूदा प्रिवेल करते हैं वह तीन तीन महीने में बदलते रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कट शोर्ट कर रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ गया हूं। आइ हेव फालोड यू।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लेटेस्ट पोजीशन यू० पी० में है वह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्री जी सूझ बूझ वाले व्यक्ति हैं। पहले से ही तमाम बातों को सोच लेते हैं। आपका यह एक गुण है। आपने इन्डस्ट्री की बातों को भी समझा होगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो आपका गुण है कि आधी बात कहते हैं और पूरी समझा देते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज यह स्थिति है कि राजस्थान में आइल सीड कलेक्ट करते हैं वह केवल भरतपुर से आते हों ऐसी बात नहीं है। नैनीताल, हरियाणा, पंजाब से मंगाये हैं। अलीगढ़, हाथरस, अचनेरा, जगनेर। सरसों वहां से लेकर आइल बनाते हैं और आप टैक्स लेते हैं। यू० पी० की क्या पोजीशन है यह भी देखिये। वहां पर दूसरी दूसरी फैसिलिटीज हैं। बिजली, कुशल लेबर मिलता है। पार्ट्स वगैरा मिलते हैं। यहां पर पार्ट्स लायें तो उस पर टैक्स। स्किल्ड लेबर मिले नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मिले नहीं। इन तमाम चीजों के होते हुए भी यू० पी० में दो परसेन्ट आइल सीड पर दे दीजिये और कोई कन्डीशन नहीं है। केवल लाइसेन्स लेना पड़ता है। आप पता लगाइये। कितना भरतपुर का आइल सीड है डाइवर्ट होकर आगरा जा रहा है। जितना ट्रेड है वह डाइवर्ट होता जा रहा है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
आप पता लगा लीजिये। फसल का टाइम है। यू० पी० की तरफ क्यों डाइवर्ट हो रहा है ? दो परसेन्ट दे दीजिये, तेल बेचते हैं तो 1 परसेन्ट दे दीजिये और मौज उड़ाइये। यह कोई पूछने वाला नहीं कि कहां से लाये। इन्टर स्टेट हो और कुछ हो 1 परसेन्ट। खली, आइल, रा-मेटिरियल पर आप टैक्स लगाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आप से एक बात समझ लेता हूं। आप के कहने से दो और 3 परसेन्ट टैक्स लगाया जाता है और मेरा यह कहना है कि 3 और 4 परसेन्ट लेते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नहीं साहब 6 परसेन्ट लगता है। 5 (सी) के अन्तर्गत रा-मेटिरियल पर 1 परसेन्ट लेते हैं और आइल पर 5 परसेन्ट, और खली पर 1 परसेन्ट और ले लेंगे। अगर आप यह देखते हैं कि इस आइल को सेन्ट्रल स्टेट इन्टर टैक्स में जायं तो 3 परसेन्ट और 1 परसेन्ट।

श्री मथुरादास माथुर : 3 परसेन्ट और 1 परसेन्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खली जाती तो बाहर है। एक इन्डस्ट्रियलिस्ट को यही तो बच जाती है। खली में ही प्रोफ़िट मिलता है। खली पर टैक्स लग जाता है तो जेब कट जाती है। इन तमाम मुद्दों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान बहुरंगा प्रदेश है। सभानेत्री जी आप रंग बिरंगी साड़ी नहीं पहिनती हैं ? कभी पहिनती हैं। चौपड़ पर खड़े हो जायं, कोई मेला हो, चाहे तीज का हो, राजस्थान शानदार रंगों में खिल उठेगा। लाल पगड़ी, लाल ही गुड़ा। लोगों की तबियत बाग बाग हो जाती है। कलकत्ता, बम्बई चले जायं वह आनन्द नहीं आवेगा। जो राजस्थान के रंग बिरंग से आवेगा। रंग पर भी आपने कुठाराघात कर दिया। 10 से 12 परसेन्ट। गुजरात में 3 परसेन्ट है यू.पी. में 6 परसेन्ट है, हरियाणा में 6 परसेन्ट और पंजाब में 6 परसेन्ट यहां पर चुनंड़ियां बनती हैं। कुछ कमी कर दी। धन्यवाद। मूल जो कलर है हमारे यहां, परम आकर्षण का है उस तरफ तो तीखी नजर न रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपनी अपनी Choice का सवाल है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक टैक्सेशन की नीति लेकर चलें। यू. पी. का सरकूलर साथ लाया हूं। 2 परसेन्ट है। चाहे तो देख सकते हैं।

एक बात और रह गयी। बारदाना का सवाल है। 11-8-68 को एक नोटिफिकेशन के अन्तर्गत यह तय कर दिया कि जो पैकिंग है, बारदाना है उसको एक्जम्पशन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ। आपने टैक्स मांगना शुरू किया। कई इन्टरप्रिटेशन निकालना शुरू किया। घासीराम मांगीलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ। सभानेत्री जी जैसे आप सुप्रीम कोर्ट गयीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : "सभानेत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट गयीं", सभानेत्री जी हैं या मजाक। सभानेत्री जी "नहीं गयीं"। कांता जी गयी होंगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अच्छा साहब। उन्होंने रोब गालिब कर दिया। उनको कोई बात कहनी थी तो शालीनता के साथ कह सकते थे, मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते थे। लेकिन अकड़ करके अपनी औकात और असलीयत सिद्ध कर दी। मुझे उससे बुराई नहीं है। जो व्यवहार जिस केडर का हुआ, जितनी वुद्धि होगी उसी तरह की वुद्धि से मुझे डांट कर कह दिया मान लिया।

यह घासीराम मांगीलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट में जाने पर वहां तय हो गया।

श्रीमती सभानेत्री : बस करिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यही बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। पैकिंग मैटिरियल पर कोई टैक्स नहीं लिया जावेगा यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सरकार को मालूम है। साल्ट पर टैक्स नहीं बोरियों पर लगा। 11-8-68 के नोटिफिकेशन में यह होल्ड कर दिया। वित्त मंत्री जी सदन में आये। 69 में आकर वेलिडेशन एक्ट के अन्तर्गत इन्ट्रोड्यूस किया। रीजन क्या बताया? टैक्स वसूल किया, लायेबिलिटी होगी, जो वसूल किया उसको लीगेलाइज कर दें और इस सदन ने उन बातों को मान लिया और कानूनी रूप दे दिया। अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि जिन लोगों से टैक्स वसूल नहीं हुआ था उनके केसेज रिओपन किये जा रहे हैं। वेलिडेशन के नाम पर, दुवारा असेसमेंट किये जा रहे हैं, पैनेल्टी इम्पोज की जा रही है नये असेसमेन्ट किये जा रहे हैं। व्योपारियों में बड़ी बेचैनी है। वेलीडेशन एक्ट लागू कर दिया इसलिये उनसे असेस करके वसूल किया जा रहा है।

नोटिफिकेशन इस तरह से निकाला गया उस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत अगर व्यापारियों ने कोई टैक्स नहीं लिया तो आप कहां से वसूल करेंगे। जो टैक्स है उसका वेलिडेशन बाद में आया है। बाद में उसे इफैक्ट दिया गया है। तो इसको रोका जाना चाहिये। राजस्थान के कई मामलों में ऐसी बात हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारदाने के ऊपर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है, 11 साल बाद आप फिर वेलिडेशन एक्ट लाना चाहते हैं और इसकी मार्फत आप पिछला सारा टैक्स वसूल करना चाहते हैं जब कि व्यापारियों ने इस टैक्स को वसूल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वित्त मंत्री जी आप चाहें तो मुझ से ले सकते हैं। रेफरेंस के लिये चाहें तो आप मुझ से ले सकते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास भी है।

श्रीमती सभानेत्री : आप समाप्त करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सभानेत्री जी मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप इस पर विचार करेंगे। आप टैक्स लीजिये, हम आपको टैक्स देंगे परन्तु एक चीज से हमें नफरत है, हम नापसन्द करते हैं कि इन सेल्स टैक्स अधिकारियों का महीना बंधा रहता है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

और वे इस तरह टैक्स के असेसमेंट में गड़बड़ी कर देते हैं। इसमें घोटाला है। इसलिये आप इस तरफ देखें और आप इन तमाम चीजों को खतम करें और परिपक्वता के साथ ऐसी नीति को अपनावें जिससे इन्डस्ट्रीज को राहत मिले और लोगों को भी। मैं पुरजोर शब्दों के साथ आपसे यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान की, भरतपुर की इन्डस्ट्रीज और विशेष कर कलर की इन्डस्ट्रीज के बारे में और इसी तरह की जो इन्डस्ट्री हैं उनके क्या हालात हैं, उनकी तरफ आप देख कर टैक्स लगावें और उन पर इस तरह से टैक्स लगावें कि वे कम्पीटिशन के मार्केट में स्टे कर सकें। आप एकदम डेढ़ा टैक्स उनके ऊपर नहीं लगावें। यह मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है (घंटी) उसके पेट पर आप इतना जोर से वार न करें कि वह मुर्गी मर जाये और जो रेगुलर अंडा वह देती है, जो रेगूलर अंडा उससे आपको मिल रहा है वह भी मिलना बंद हो जाये। अगर आप ऐसा करते रहे तो यहां का ट्रेड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जावेगा और राजस्थान में अनइम्पलाइमेंट की प्राब्लम फैल जावेगी इसलिये मैं आपसे पुरजोर शब्दों के साथ यह निवेदन करता हूं और सभानेत्री जी आपने मुझे बहुत समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हुआ मैं फिर आपका आभार प्रदर्शित करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : बड़ी मेहरबानी की आपने बिना मांगे ही समय दे दिया····

श्री रामचन्द्र आर्य : मांगने वालों को तो समय ही नहीं दिया है····

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभानेत्री जी जब आपने समय दे दिया है, इजाजत दे दी है तो दो-चार मिनिट बोलूंगी।

सभानेत्री महोदया, जब हर साल बजट पेश होता है, कई तरह के टैक्स लगाये जाते हैं कई टैक्सों में कमियां की जाती है और कुछ टैक्सों में बढ़ा दिया जाता है। इस बार भी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने वही किया है, ऐसा नजर आता है। जिस तरह से टैक्स बढ़ाया गया है उसे मैं गुनाह-बेलज्जत कहूं तो कोई बेजा बात नहीं है। सरकार यहां टैक्स लगाती है लेकिन उनको वसूल नहीं करती है। अगर सरकार लगाया हुआ टैक्स ही वसूल कर सके तो मैं सोचती हूं कि नया टैक्स लगाने की सरकार को जरूरत ही नहीं पड़े। इसके लिये मैं आपके सामने मिसाल पेश करूंगी—वह है पैसेन्जर टैक्स। बसों और ट्रकों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वह उनसे वसूल नहीं किया जाता है और लाखों की संख्या में यह पैसेन्जर टैक्स लोगों में बकाया है जिसको सरकार वसूल नहीं कर रही है। कारण यह है कि जो बसों को चलाने वाले हैं वे पैसे वाले आदमी हैं और उनकी ऊपर तक पहुंच होती है और वे किसी न किसी तरह अपने टैक्स को आगे खिसकाये जाते हैं। यदि हम इस टैक्स को वसूल कर सकते तो शायद हमें नये टैक्स को लगाने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिये मैं बहुत ही नम्रता के साथ सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि अब तक जो पैसेन्जर टैक्स बकाया है उसको वह वसूल करने के लिये क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है और

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
बार-बार उनकी जो बकाया है वह क्यों बढ़ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो टैक्स हम लगाते हैं उसको सख्ती के साथ वसूल किया जाये। इसी तरह से हम सेल्स पर नजर डालते हैं तो यह नजरिया नजर आता है। सेल्स टैक्स के बारे में हम रोजाना देखते हैं सेल्स टैक्स की कितनी चोरी होती है। लोग उसका बिल तक नहीं बनाते हैं और इस प्रकार सेल्स टैक्स जो राज्य सरकार लगाती है उसमें बराबर चोरी होती है? इसलिए बेहतर तो यह होगा कि जो कुछ टैक्स लगा दिया गया है उसको वसूल किया जाये। नया टैक्स लगाने में सरकार की बदनामी होती है और लोगों को फायदा भी नहीं होता है और जिस ढंग से उसकी वसूली होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

इस बार कुछ नये टैक्स लगाये गये है—उन टैक्सों में जो गोटा किनारी पर टैक्स लगाया गया है उसका मैं जिक्र करूंगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने राहत दे दी है।

श्री रामकिशन : वापस ले लिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : नहीं लिया है। लेना न लेना बराबर है। आपने बताया है कि बादला काम में नहीं आता है। उसके ऊपर टैक्स छोड़ दिया। मुझे डर है शायद वित्त मन्त्री जी को यह पता नहीं है कि बादला क्या है और किस काम मे लिया जाता है। जो गोटे का काम हो रहा है वह बादले के बिना नहीं हो सकता और जब बादले के ऊपर टैक्स लगाया है....

श्री रामकिशन : 22 साल पहले गोटा खरीदा था, अब इन्हें क्या पता?

श्री मथुरादास माथुर : बादला ही नहीं कहा—गोटा, किनारी, सलमा सितारा, जो सोने, चाँदी और स्टेनलैस स्टील का बना हुआ है उस पर मेरा टैक्स है 5 प्रतिशत और जो इसके बिना है उस पर 3 प्रतिशत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसके बिना किस का बनता है?

श्री मथुरादास माथुर : कापर, ब्रास, सिन्थेटिक फाइबर का भी बनता है उसको गरीब लोग अधिकतर पहनते हैं और जो सोना, चाँदी का बनता है उसको अमीर लोग पहनते हैं....

श्री रामकिशन : आप कौनसा पहनते है?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं विरोध करती हूं। आज जो गोटा-किनारी का काम होता है उससे हमारे जयपुर शहर की औरत कारीगरों को मजदूरी मिलती है और ऐसी 7-8 हजार औरतें हैं जिनकी आजीविका इसी काम से चलती है। हमने इस पर जो टैक्स बढ़ाया है तो हमारा कम्पीटिशन बेंगलोर, हैदराबाद के दूसरी तरह का गोटा-किनारी से होगा और इस वजह से गोटे के काम में कम्पीटिशन में हम बाहर नहीं जा सकेंगे। जिस समाजवाद की बात आप कहते हैं? आप कहते हैं कि अमीर लोग यह पहनने वाले हैं, मैं कहती हूं कि गरीब लोग इसको

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

चलाने वाले हैं और उनकी आजीविका इस काम से चलती है। आज जितने हैन्डीक्राफ्ट का काम करने वाले हैं, वे सब गरीब लोग होते हैं और विशेषकर यह काम करने वाली औरतें हैं और लाखों का गोटा किनारी का काम यहीं होता है, चाहे वह चून्दरी का काम हो, चाहे रंगने का काम हो वह सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। फिर वित्त मन्त्री जी कहते हैं हमने राहत दी है मैं कहती हूं उन्होंने औरतों के पेट के ऊपर वार किया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कभी भी औरतों पर वार नहीं करता हूं।

श्री रामकिशन : कभी कभी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप इस तरह से उनके पेट पर छुरी चला रहे हैं। आप डाइरेक्ट वार कर रहे हैं। इस तरह से हैन्डीक्राफ्ट पर जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है उसका मैं विरोध करती हूं और पुरजोर शब्दों में करूंगी। इस तरह आपने हैन्डीक्राफ्ट पर जो सेल्स टैक्स लगाया है मैं ताकीद करती हूं कि राजस्थान अपने रंगों के लिए प्रसिद्ध है हिन्दुस्तान भर में कि राजस्थान में इतने किस्म के रंग रंगे जाते हैं और उनको काम में लिया जाता है। इस सेल्स टैक्स से हजारों के रूप में सरकार को आमदनी नहीं होती है लेकिन इस तरह से टैक्स लगाकर हमारी संस्कृति के ऊपर और काम करने वाली औरतों के ऊपर प्रहार किया जाता है उसका मैं विरोध करती हूं और उसका विरोध किये बिना नहीं रह सकती हूं। सवाल यह है कि राज्य इन छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाता है। हम यह कह सकते हैं कि मुहर तो लगाई जाती है कोयले के ऊपर, सील मुहर लगाई जाती है कोयले के ऊपर, यह नीति है हमारे राज्य के विभाग की। और अशर्फियां लुटाई जा रही हैं और जो कोयला होता है उसके ऊपर मुहर लगाई जाती है। यह आज आपकी नीति है लेकिन दूसरी तरफ आपका अनाप-शनाप खर्चा हो रहा है। उसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है लेकिन हम टैक्स लगाते हैं छोटे छोटे गरीबों के ऊपर। उधर आपने पापड़ के ऊपर टैक्स उठाया उसकी कोई मिसाल नहीं। कह दिया है वह हाजमा है। गरीबों के लिये है। लेकिन वित्त मंत्री महोदय आपको पता नहीं है हर साल बीकानेर से 70-80 लाख का पापड़ बाहर जाता है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और हैदराबाद को। इसको खाने वाले कोई गरीब नहीं हैं, इसको खाने वाले अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर से तो आपने टैक्स उठाया है और जो गरीब औरतों को मजदूरी मिलती है उन पर लगा दिया है····

श्री मथुरादास माथुर : पापड़ और बड़ी बनाने का काम भी गरीब औरतें ही करती हैं जिस तरह से गोटा-किनारी का काम गरीब औरतें जयपुर शहर में करती हैं और जिस तरह से उसके पहनने वाले अमीर लोग हैं, पापड़ को खाने वाले भी बड़े लोग हो सकते हैं। कई विधवाएं पापड़, बड़ी के काम में लगी हुई हैं इसका तो आपने जिक्र नहीं किया, इसका मुझे खेद है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं इसका कारण बतलाती हूं पापड़ बनाने का कम्पीटिशन नहीं हो रहा है। मंहगा होगा तो भी लोग इसको खायेंगे····

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं पापड़ बनाने की मशीनें बन गई हैं। कलकत्ता लुधियाना में मशीनें बन चुकी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मशीनें बन सकती हैं, फैक्टरियां लग सकती हैं लेकिन बीकानेर के बने हुए पापड़ में जो लज्जत है वह दूसरे पापड़ों में नहीं आ सकती और जो लोग बाहर रहते हैं मारवाड़ी लोग वे बीकानेर के ही पापड़ खायेंगे चाहे वह कितना ही मंहगा क्यों न हो।

इसी तरह से सभानेत्री महोदया आपने पेट्रोल पर कर लगाया है इस तरह से जिन लोगों ने स्कूटर ले लिये थे उनको आप वापस साईकिल की ओर धकेल रहे हो। होना तो यह चाहिये था कि इनको आप कार की तरफ आकर्षित करते। आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप सरकारी कार में घूमते हो........

श्री मथुरादास माथुर : घर की है। तीस राशन कार्ड हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हो सकती है। सरकार पैसा चुका देती है इसलिए आपको पता नहीं है। होना तो यह चाहिए आप स्कूटर वालों को गाड़ियां लेने की प्रेरणा देते आज स्कूटर छोड़ कर साईकिल भी नहीं रख सकते।

सभानेत्री महोदया, राजस्थान रोड़वेज के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। राजस्थान रोड़वेज की जो दुर्दशा है........

श्री रावतराम (छापर) : आप कभी रोड़वेज में बैठी भी हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मुझे पास बुक मिली है। वह आप देख सकते हैं कितनी भरी हुई है। मुझे इस बात का कितना तजुर्बा है वह आपको पता चल जायेगा। सब से बड़े दुःख की बात यह है कि राजस्थान सरकार ने रूट्स राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। एक दफा जोश भी दिखाया नये चेयरमैन के आते आते गंगानगर-हनुमानगढ़ रूट का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद राष्ट्रीयकरण की आवाज तक नहीं सुनने को मिलती न तो प्लानिंग में है और न विचार में। मेरी समझ में यह नहीं आता बार-बार यह कहा गया कि पब्लिक का चेयरमैन आते ही इसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं रहेगी। आते ही नये चेयरमैन महोदय ने जोश बताया लेकिन उसके बाद बिल्कुल शान्ति चल रही है। मालूम पड़ता है इस बारे में सोचने की न तो विभाग को फुरसत है और न चेयरमैन महोदय को........

श्री जयनारायण सालोदिया : एक झटके में ही ठंडे होगए।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरा झटका आने वाला है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसी तरह से सभानेत्री महोदया, एक बार राजस्थान रोड़वेज ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया। सरकार का कानून यह कहता है कि तीन प्रतिशत बोनस चाहे घाटे में चलता हो तो भी लेबरर्स को बोनस देना अनिवार्य है। सरकार के अलावा दूसरे जो प्राइवेट कारखाने हैं वे देते है। लेकिन हमारी स्टेट अण्डरटेकिंग जो सबसे बड़ा अण्डरटेकिंग है फिर भी बोनस नहीं दिया

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

गया। मैं, वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगी किस आधार पर रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है। जब कि इस बार बड़े घमण्ड के साथ वित्त मंत्री जी ने यह ऐलान किया है हमारी रोड़वेज नफे में चल रही है। इतना लाभ कमा रही है तो फिर उन लोगों को बोनस क्यों नहीं देते।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से मेडिकल एड दूसरे कर्मचारियों को दी जाती है लेकिन रोडवेज के बुकिंग क्लर्कस्, ड्राइवर्स और कण्डक्टर्स को नहीं दी जाती है। सर्विसेज में भी यह भेदभाव क्यों? राजस्थान रोडवेज के जो अन्य कर्मचारी हैं उच्च अधिकारी वर्ग है उन सब को तो मेडिकल एड मिलती है केवल बुकिंग क्लर्क, कण्डक्टर ड्राइवर्स को नहीं दी जाती यह भेदभाव क्यों?

मेरे लिये आपने यह कहा कि बस की सवारी का आपको अनुभव नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहती हूं आपने कभी बस में तसरीफ रखी है?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपके लिये नहीं कहा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अजमेर के बस स्टेशन को जिस किसी ने देखा है उसको देखकर बड़ी शर्म आती है····

श्री मथुरादास माथुर : चुनाव में हार गया तो कह नहीं सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि ऐसी आज्ञा निकाली जाय कि जो मिनिस्टर जिस अण्डरटेकिंग का इन्चार्ज है वह पर्सनल अनुभव हासिल करने के लिए बसेज में सफर करें। अगर आप अजमेर के बस स्टेशन को देखेंगे तो आपको शर्म अनुभव होगी। हमारी रोडवेज का एक स्टेशन ऐसा गन्दा भी है। जहां क्लर्क बैठते हैं, ऑफिसेज हैं, जहां बस खड़ी होती हैं, यात्री खड़े रहते हैं वहां इतनी दुर्गन्ध रहती है कि उसके मारे खड़ा रहा नहीं जाता। न वहां मूत्रालय है और न शौचालय। ऐसा पता चलता है कर्मचारी बस स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी नरक के स्थान पर खड़े हैं। इतनी भयंकर बदबू आती है। बारबार कहा जाता है कि हम दूसरी जमीन का प्रबन्ध कर रहे हैं। यह सुनते सुनते 7-8 वर्ष हो गये लेकिन अभी तक दूसरे स्टेशन का इन्तजाम भी नहीं किया गया है। अगर वह किसी कारण वश प्रबन्ध नहीं कर पायी तो क्या इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं कि वहां पर सफाई का प्रबन्ध किया जाय और शौचालय और मूत्रालय का प्रबन्ध हो। इस तरह की सफाई हो ताकि वहां के कर्मचारी और यात्री दो मिनिट तो शान्ति के साथ खड़े रह सकें। इस बारे में मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि यातायात मंत्री स्वयं जाकर देखें वहां इन्सान खड़ा रह सकता है या नहीं। इतनी भयंकर बदबू आती रहती है। इसी तरह से मैंने दो चार अन्य बातों की ओर आपका ध्यान दिलाया है उनके उत्तर दे सकें तो दें लेकिन अजमेर स्टेशन का तो प्रबन्ध किया ही जाना चाहिये वहां पर इतनी गन्दगी है····

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक दम सही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इतनी हालत बुरी है कि कोई भी आदमी दो मिनिट भी खड़ा नहीं रह सकता ।

दूसरा रोडवेज के जो कांच लगे हुए उनकी हालत भी इतनी बुरी है कि नीचे कांच गिरे हुए रहते हैं उनको ऊपर चढ़ा भी नहीं सकते, चढ़ाते हैं तो ऊपर स्प्रिंग के अभाव में टिकते नहीं हैं। ऐसी हालत में बस में बैठना मानो एक तरह से बिल्कुल बन्द कमरे में बैठने के समान हो जाता है, अन्दर घुटन सी महसूस होती है। दूसरी राज्यों की रोड़वेड को जब हम देखते हैं, वे कितनी अच्छी हैं और हमारी रोडवेज इतनी बुरी हालत में क्यों है ? हमारे राज्य का सबसे बड़ा स्टेट अण्डरटेकिंग है आखिर इसकी इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है ? यह एक सोचनीय प्रश्न है। हम तो उम्मीद यह करते थे कि रोड्स का राष्ट्रीयकरण होजाने के बाद हमारी बसेज में सुचारु रूप से व्यवस्था होगी। लेकिन आज की रोड़वेज की जिस प्रकार की स्थिति है उस हालत में मैं तो यह कहना चाहती हूं कि अगर राष्ट्रीयकरण न भी हो तो अच्छा है। छोटे मोटे बस वाले....

श्री मथुरादास माथुर : यह आपकी जबान से शोभा नहीं देता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने कहा है अगर जिस प्रकार की रोडवेज अण्डरटेकिंग की हालत है उसको देखते हुए तो राष्ट्रीयकरण न होना ही अच्छा है ।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से मांगों के पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है ।

(5 म० प०)

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदया, मैं बिक्री कर के सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो आप सालाना साल दर साल बिक्री कर बढ़ाते जा रहे हैं इसका असर सारे गरीबों पर जाकर पड़ता है। बिक्री कर से छोटे व्यापारी बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि आपकी वसूली का तरीका बड़ा गलत है। इस पुराने तरीके को आपको बदलना चाहिये क्योंकि इसके अन्दर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पनप गया है। इसलिये कोई ऐसी प्रणाली आपको अपनानी चाहिये जिससे सरकार को भी पूरा पैसा मिल सके और छोटे व्यापारियों को तकलीफें भी न हों। रोजाना वे अपनी वहियां छिपाते फिरते हैं और कई आदमी जो टैक्स पूरा देते हैं तो टैक्स देने पर भी उनको गिरफ्तार कर लेते हैं उनका चालान कर लेते हैं और अनेक व्यापारी जिस तरह से पहले इस राजस्थान के अन्दर भील घूमते थे और कमान लेकर इस तरह की स्थिति व्यापारियों की बना दी है। व्यापारी शहरों में टैक्स वालों को देखकर थर थर कांपते हैं और दिन में दस दस इन्सपेक्टर पहुंचते हैं तो आपका एक इन्सपेक्टर रहना चाहिये न कि दस दस। अलग अलग जितने लाइसेन्स हैं जिस जिस प्रकार से उनके मातहत टैक्स लगाये गये हैं अलग अलग विभागों के द्वारा उनका एकीकरण होना चाहिये। जितने टैक्स आपको लगाने हों एक ही तरह से लगावें और वसूल करें और इसकी सही तरीके से निगरानी करनी चाहिये। ताकि जो टैक्स जनता से आवे वह अधिकांश जो भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता हैं, वह सरकार के खजाने में आ सके।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पैसेन्जर टैक्स आपने बढ़ाया इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूसरे प्रान्तों से भी आंकड़े लेते हैं। राजस्थान की भोली भाली जनता और देहाती लोगों को कुचलने के लिये क्योंकि राजस्थान में इस टैक्स के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। अगर कलकत्ता में ट्राम के भाड़े में एक पैसा बढ़ जाता है तो एजीटेशन होता है और बसों तक को जला देते हैं। पर यह शासन टैक्स बढ़ाता जा रहा है इस लिए जनता की नासमझी के कारण नाजायज फायदा उठाते हैं और आप और अपनी मरजी से टैक्स उन पर थोपते जाते हैं। यह तरीका ठीक नहीं। पड़ौसी राज्यों के समान ही उनको टैक्स रखने चाहिये और साल दर साल इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिये। जो भी सालाना बजट होता है इस सरकार का कुछ न कुछ टैक्स यह सरकार जरूर बढ़ा देती है इसलिये मुझे इसमें खास आपत्ति है और आशा है आप इस पर विचार करेंगे और पैसेन्जर टैक्स और माल पर जो टैक्स आपने लगाया है वह वापिस ले लेंगे। पहले ही किराया बहुत ज्यादा है। इसके कारण राजस्थान की जनता पीड़ित है। लोगों को सफर करने के लिये साधन नहीं मिलते, वे बसों में बैठकर जाते हैं उनको डबल किराया देना पड़ता है तो राजस्थान में पैसेन्जर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये।

पर आपको तो पैसा चाहिये। वह चाहे फिर शराब से मिले, या किसी भी मद से मिले। आपको पैसे की जरूरत है। लोगों की भलाई आपके ध्यान में नहीं है। लोगों के आराम के लिए उनके फायदे के लिये आप राज नहीं करते हैं। राज तो आप अपने लिए कर रहे हैं। अपने मन से ही टैक्स लगा रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का तरीका आपका अच्छा नहीं है। जो रामनारायणजी ने शराब के बारे में कहा। टैक्स बढ़ाया पर मैं कहता हूं शराब की आमदनी से आप राज चलाते हैं इससे बढ़कर शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है। इसके बदले तो आप दूसरे टैक्स लगाओ। शराब को खतम कर दो।

एक तरफ आप गांधी जी की दुहाई देते हैं और काम आप करते हैं हैवानों जैसे। गांधी जी का नाम बेचकर तो आप उसे कभी का खा चुके हैं गांधीजी के नाम से जितना फायदा आपने इन पिछले 20 सालों में उठाया है उतना कोई भी सरकार नहीं उठा सकती। गांधी जी की आत्मा आज आप के कारनामों को देखकर कराह रही है। आपने उनके बताये मार्ग को छोड़ दिया है। आज मंत्री मण्डल के लोग शराब पीते हैं। अधिकारियों के लिए कहते हैं कि वे शराब न पीवें पर वे खुद पीते हैं। मालिक शराब पीता है तो नौकर तो पीवेगा। अगर मालिक नहीं पिता है तो आंख के इशारे पर नौकर चलेगा। नौकर तो मालिक के मुंह की तरफ देखता है। मालिक जिस तरह चलता है, नौकर भी उसी तरह चलेगा। करप्शन भी इस राज के कारण है क्योंकि सरकारी अधिकारियों को भी इस राज के ऊंचे से ऊंचे आदमियों को हिस्सा देना पड़ता है। रोजाना इसकी शिकायतें होती हैं। किसी अधिकारी को कहते हैं तो वह कहता है मुझे भी तो ऊपर देना पड़ता है इसलिये क्या करू, मजबूर हूं। जो अधिकारी नहीं देता है उसको बरबाद हो जाना पड़ता

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है। रोजाना बिस्तर उठाए उठाए मारे मारे फिरना पड़ता है। अपने बीबी बच्चों में वह नहीं रह सकता और जो उनके साथ रहकर गुलछर्रे उड़ाता है, खाता खिलाता है, वे मौज करते हैं। राजाओं, नवाबों, जागीरदारों जैसे ठाठबाट से रहते हैं, खूब शराब पीते हैं, ऐश करते हैं, बंगलों में रहते हैं, जीपें दौड़ रही हैं, सरकारी पेट्रोल फुंक रहा है। झूठे टी., ए. डी. ए. बनाये जा रहे हैं। सरकार की यह नीति है। यह सरकार निकम्मी है। इसलिए इस राजस्थान के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट कर दिये गए हैं। कोई भी उनमें से यह नहीं चाहता कि उनके बाल बच्चे तकलीफ पावें। कोई नहीं चाहता कि कोई भी कष्ट उठाने को तैयार रहें। वे तो समझते हैं कि उनको तो नौकरी करनी है अपने बच्चों का पेट भरना है। इस लिए जो कहो वे तो करने को तैयार हैं, जी हुजूरी उनको इसलिए करनी पड़ती है। तो आपको इस पर विचार करना चाहिये। और आपको विचार ही नहीं करना चाहिये आप इस राजस्थान को बचाना चाहते हैं इसकी तरक्की करना चाहते हैं इस राज का भला चाहते हैं तो इस कुर्सी को छोड़ दीजिये। अभी राजी खुशी से छोड़ दीजिये, नहीं तो ऐसा न हो कि जबरदस्ती से छोड़ना पडे और तब काफी पछताना पड़े। क्योंकि बीस साल के शासन में राजस्थान के अन्दर जितनी बुराई आई है मेरे ख्याल में उतनी बुराई पिछले किसी शासन में नहीं आई होगी। पर आप तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक जिस तरह से आपने इस राज को प्राप्त किया है उसी तरह से आपसे इसे छुड़ाया नहीं जावेगा। राजी खुशी आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह दिन भर नाथूरामजी के बारे में चर्चा होती रही एक मन्त्री होते हुए मतपत्रों से गोलमाल कराया गया। खुल्लमखुल्ला सत्ता का दुरुपयोग करते पाये गये तो राजस्थान का आगे चल कर इन लोगों के हाथों क्या होने वाला है।

(5.05 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

इसलिए मैं इन टैक्सों के बारे में कहता हूं कि रोजाना गरीबों पर अगर इसी तरह से टैक्स बढ़ाते रहोगे तो एक दिन आवेगा कि लोग देने से इन्कार कर देंगे। जैसे गंगानगर के लोगों ने बार बार आपसे कहा आप नहीं माने। तो लोग खड़े हो गये आपके घुटने टिका दिये।

इसी तरह राजस्थान के लोगों ने इस बात को समझ लिया कि हमारी मरजी के बगैर क्षमता के बगैर टैक्स हमारे पर लगा रहे हैं तो आपको वह नहीं टिकने देगें। इसलिए आपने यह जो टैक्स गाड़ियों पर माल पर लगाया है उसको तो वापिस ले लेना चाहिये क्यों कि इसका भार गरीबों पर पड़ने वाला है।

दूसरी बात जो मैंने व्यवस्था के बारे में कही है आप कुछ नहीं कर सकते। वित्त-मन्त्री कुछ नहीं कर सकते जब तक मुख्य मंत्री नहीं चाहते। पर राजस्थान के मुख्य-मन्त्री इसको बदलने को तैयार नहीं हैं। उनको तो अपनी कुर्सी से मोह है। बाकी दो करोड़ जनता से कोई उनको लेना देना नहीं है। जनता से उनको मोह हो तो इस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

प्रकार के टैक्स और बदइन्तजामी वे वर्दाश्त नहीं कर सकते। पर समय की बात है। दुर्भाग्य की बात है। राजस्थान के लोगों का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे आदमी शासन में टिके हुए हैं कि न उनका कोई आचरण है न सिद्धान्त है और न कोई उनकी नीति है। इस तरह का शासन भी चल रहा है मैं तो इस बात पर अफसोस कर रहा हूं कि किस कारण से यह राज चल रहा है। इस कारण से ही चल रहा है कि राज की दो करोड़ जनता पिछड़ी हुई 22 रियासतों से आई हुई है। रियासतें पिछड़ी हुई थी। उनके पिछड़ेपन के कारण ही आप इस तरह से खरीद फरोख्त करके राज कायम किये हुए है। नहीं तो देश में तमाम प्रान्तों में सरकारें बदल गई। प्रजातन्त्र में हुकूमतें बदलती रहनी चाहिये पर हार आपको स्वीकार नहीं है। जिसका परिणाम नाथूराम जी हैं। इस प्रकार के भेद भावपूर्ण तरीकों से इस शासन में इस तरह टैक्स लगा रहे हैं इसका परिणाम आपको भुगतनें होंगे। इन टैक्सों को वापिस लें और नये तरीके से और आज विज्ञान के युग में ऐसे टैक्स लगाने चाहिये ताकि माल पर वह लगे थोक माल पर लगे। परचूनी पर नहीं। एक एक आदमी को टैक्स के लिये परेशान न किया जावे। थोक माल आता है उस पर लगाइये इससे जो वसूली होगी वह सही तरीके से होगी। क्या नमक मिर्च वेचने वाले तमाम पर पैसा वसूल करने की क्यों तोहमत लगा रखी है। आज आपके इन्सपेक्टर और नीचे के लोग ही सारा रुपया खा जाते हैं। क्या आप समझते हैं वे लोग इन लोगों से लेकर सारा रुपया राज के खजाने में लाकर जमा कराते हैं? नहीं कराते हैं। हमारी आंखों के सामने इस प्रकार के काण्ड रोजाना होते रहते हैं। गरीबों को लूटा जा रहा है और आप अपने बंगलों में बैठे ऐश करते जाते हैं आपके ठाठ बढ़ते जाते हैं दिन दूने रात चौगुने। शराब का दौर चलता जाता है। बढ़ता जाता है, आपकी रंगरेलियां बढ़ती जाती हैं। इसलिये यह जो सरकार की टैक्स सम्बन्धी नीति है, मैं उसकी निन्दा करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि यह आज की टैक्स लगाने की प्रणाली बदली जावे अगर आप में क्षमता है और सूझबूझ है तो। नहीं है तो लगाते जाइये। आखिर इसका भी अन्त आवेगा और आप भी चले जावेंगे और आपके टैक्स भी चले जावेंगे।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति जी यहां राजस्थान में हिन्दुस्तान का तरह ही आखिर किस बात की कमी है। क्या हमारे यहां बान्ध नहीं बने, सड़कें बनीं बनी और क्या काम नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में एक करोड़ से 30 करोड़ का बजट हो गया लेकिन एक चीज नहीं आई और वह नैतिकता—

बान्ध बंधा बणवा सड़कां
भली मदरसा खोल।
नैतिकता बिन देश को
नी कोड़ी रो मोल।

नैतिकता नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। नैतिकता को सबसे पहले दूर हटाने वाली बात है तो वह है शराब। आप टैक्स

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लगाते हैं, चाहे आप कितना ही टैक्स लगायें उससे गरीबों को कोई असर नहीं होता है जितना शराब से होता। शराब सबसे ज्यादा चोट करती हैं दो व्यक्तियों को एक तो माता को और दूसरा बच्चों को। शराब के कारण पिता का बच्चा बिन खिला ही मुरझा जाता हैं और दूसरी शराब की शिकार होती है माता जिसका पति शराब पीकर मारता है, पति की वह बुरी तरह मार खाती है। आप ऐसी शराब की आमदनी को समाप्त करिये। कम से कम राजस्थान ने घोषणा की है और कहा है कि शराबबन्दी में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इससे कोई हमें निराशा नहीं होती हैं। आपने जिलेवार इसको बन्द करने के लिये कहा है, उसकी हमें खुशी है, यह ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिस तरह आप बात करते हैं कि शनैः शनैः शराब वन्दी बढ़ायेंगे। मेरा पूछना यह है कि कहीं आप अवधि 72 से अधिक तो नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री विजयसिंह : बढ़ायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने घोषणा की है, राज्यपाल महोदय से आपने घोषणा करवाई है। पहले के लोग तो ऐसे होते थे जो न घोषणा करते थे और न लिखित में दिया करते थे और न ही कहीं शिलालेखों में लिखाया करते थे—

शिला लेख खोदे नहीं, नीं मोंडें कागद।
मुख सो खोले बात जो पूरी करे मरद ॥

जो मुख से खोल देते थे उस बात को पूरी करते थे। अब सुना है आपने इस साल नई डिस्टलरी खोली है तो गान्धी शताब्दी वर्ष में डिस्टलरी खोल कर क्या गान्धी जी के चरणों में डिस्टलरी अर्पित कर रहे हैं ? अगर आप शराब बन्द नहीं करना चाहते हैं तो कह दीजिये नहीं करना चाहते हैं लेकिन करें कुछ और कहें कुछ। आपकी कथनी और करनी में मेल नहीं बैठेगा तो सब व्यर्थ है। इसलिये आपकी कथनी और करनी में अन्तर न आने दीजिये। शराब की दुकानें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भीषण अकाल और शराब की आमदनी बढ़ रही है। जहां भंयकर अकाल है वहां आप एक भी शराब की दुकान न रखिये। अगर आपको 72 तक पूर्ण नशा वन्दी करनी है तो उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा पाली जिलों को लीजिये और भरतपुर जहां सर्व सम्मति से तय हुआ था उसको भी लीजिये। आप इस तरह से बढ़ेंगें तो जो आपकी घोषित नीति है एक अप्रेल 72 तक पूर्ण नसा वन्दी करने की वह पूरी होगी।

एक बात मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ निवेदन कर दूं अगर आप इसी प्रकार चले तो एक अप्रेल 72 तक पूर्ण नशाबन्दी होने वाले नहीं है। मैं आपको अधिक दोष नहीं दूंगा। अधिक दोष तो हम अपने ऊपर देंगे कि हम कैसे सहन करेंगे उस बात को हम इस बात को सहन करने वाले नहीं है। गान्धी जी के रास्ते से जो कुछ होगा, वह होगा लेकिन राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वह निश्चय ही उसका पालन करेगी, ऐसी मुझे आशा है। सत्ताधारी दल में भी बहुत से सदस्यों को इसकी पीड़ा है कि शराबबन्दी होनी चाहिये और इधर के लोग चाहते हैं और जहां सब लोग चाहते हैं और आप शराब वन्दी न करें यह एक विडम्बना होगी मेरा निवेदन है आप स्थिति को नहीं भूलेंगे 72 की एक अप्रेल को पूर्ण नशाबन्दी होनी है और अगर यह हो गई तो आप

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

निश्चय समझिये नैतिक स्तर ऊंचा बढ़ेगा, फिर आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टैक्स है वह फिर आसानी से दे सकेंगे। शराब नहीं पीयेंगे तो हालत सुधरेगी और हालत सुधरेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश खुशहाल होगा। आज गुजरात की आमदनी बराबर बढ़ रही है मैं 5-7 छोटी छोटी बात अर्ज करूंगा। चन्द्रगुप्त के सम्राज्य में प्रबल सैन्य बल था। एक दिन चाणक्य को निरीक्षण के लिये लेकर गये तो उन्होंने उनके सैन्य बल की प्रशंसा की। पर साथ ही उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा वत्स ! यह ध्यान में रखो अगर राष्ट्र के पास अजेय सैना है लेकिन देश में चारित्र्य न हो तो सैन्य बल प्रबल होते हुये भी इस दुर्बलता के कारण बड़े से बड़ा राष्ट्र नष्ट हो जाता है अगर हमें नष्ट होने से बचना है तो जाने दीजिये चाणक्य की तो पुरानी बात है। गान्धी जी ने कहा है अगर मुझे एक घंटे के लिये भी डिक्टेटरशिप दी जाय तो सबसे पहले मैं तमाम शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिये बन्द कर दूंगा। 4-4-29 के पत्र में उन्होंने कहा है जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है कहना चाहिये विनाश उसके लिये मुंह बाये खड़ा है। इतिहास इस बात का प्रमाण है जिसने इस बुराई को अपनाया वही राष्ट्र मिट्टी में मिल गया है। ऐसे देश में जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस देश से इसे बाहर निकाल फेंकिये। इस बिमारी के कारण रोम नष्ट हो गया। लोकमान्य तिलक ने कहा है अगर ईश्वर भी मद्य पान का हिमायती हो तो उसे भी त्याग दो। अरे विनोबा जी जो आज मौजूद हैं उन्होंने कहा है यह देश शराब के कारण झपाटे के साथ पतन के गर्त में चला जायगा।

आज समाजवाद का नारा लग रहा है लेकिन क्या समाजवाद शराब की आमदनी से आयेगा, कभी नहीं आयेगा। शराब के कारण सर्वनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर सर्वनाश से बचना है तो ऐसी चीजों को त्यागना ही होगा। यदि नहीं त्यागे तो समाजवाद नहीं सर्वनाशवाद आयेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपका अधिक समय न लेता हुआ मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि 72 तक पूर्ण नशाबन्दी कर दी जाय। जिले और बढ़ा दिये जायं और खास तौर से जिन जिलों में शराबबन्द की गई है उनके आस पास 10-10 मील दूर तक शराब की दुकान नहीं हो ताकि ड्राई जिले में असर न पड़े। सवाई-माधोपुर में डिस्टलरी खोलने का विचार किया हो तो कृपा करके न खोलें। और ऐसे स्थानों पर भी शराब की दुकानें न खोले जहां मन्दिर हो, मस्जिद हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो। मोटर स्टेन्ड के क्षेत्र में कभी दुकान नहीं खोलें, अकाल क्षेत्र में किसी को भी इजाजत न दें। औद्योगिक बस्तियों में जहां आदमी मेहनत करके कमाता है वहां शराब की दुकान कृपा करके नहीं खोलें, वहां से बिलकुल हटा दीजिये। आपके अधिकारियों के लिये आदेश निकालिये, वे शराब न पीवें। इस शराब ने आपकी सारी प्रतिष्ठा गिरा दी है। आपके आई. ए. एस. ऑफिसर, आर. ए. एस. ऑफिसर शराब पीते हैं तो कृपा कर उनके न पीने के लिये आदेश निकालिये। शराब

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
पीने से उनकी इज्जत का सवाल नहीं रहेगा। किसी वेलफेयर स्टेट को व्यसन के व्यापार का कोई अधिकार नहीं है। जूवा और शराब को आप कतई बन्द कर दीजिये।

कभी कभी यह भी कहा जाता है मंत्रीगण भी शराब पीते हैं, मैं नहीं मानता हूं लेकिन अगर पीते हैं, तो इससे बढ़कर शर्म, कलंक और लज्जा की बात हो नहीं सकती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एम. एल. ए. भी पीते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गांधीजी की दुहाई देते हैं और वास्तव में शराब बन्द करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि निष्ठा के इस काम में लग जायें।

श्री मदनसिंह : शराब से मर रहे हैं तो मरने दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : थोड़ी सी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं चन्द्रलोक में आज लोग पहुंच गये हैं। लेकिन आज हम आजादी के 23 साल बाद भी पंचायत हैड क्वार्टर्स के पास बस नहीं पहुंचा पाये। कई औरतें ऐसी हैं जिन्होंने बस देखी तक नहीं। कृपा करके वहां पर बस पहुंचाई जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नये रूट निकालिये। आज कई लोगों ने धन्धा बना रखा है बस के परमिट लेते हैं और बेच देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक परमिट लेकर उसको ब्लैक से बेचें और एक बार नहीं कई बार परमिट लेकर उसको बेच दें और उसमें से अधिकांश कांग्रेस के राज्य करने वाली पार्टी के लोग हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कांग्रेस को डूबने से बचाइये और लोगों की तकलीफ को दूर करिये। इसलिये मेरा निवेदन है परमिट कोई बेच नहीं सके। कानून होते हुए भी परमिट बेचा है और आपने एक्शन नहीं लिया। एक परमिट के बाद एक बेचा है और आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर आमदनी बढ़ानी है तो कई धन्धे ऐसे हैं कि जिनके जरिये आमदनी बढ़ सकती है लेकिन राष्ट्रीयकरण अच्छा चलना चाहिए। संयोग से रोडवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ आप करोड़ों रुपया कमा सकते थे, अच्छी व्यवस्था दे सकते थे। बड़ी खुशी होती है कि जब नन्दाजी ट्रेन में जाते हैं। भीड़ में लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं तो कह कहते हैं कि ठीक है मैं बिना टिकट हूं। यहां रोडवेज में, गाड़ियों में स्टेपनी नहीं, कम्पलेन्ट बुक नहीं, लाइट नहीं, यह हालत है। फिर आप ऐसा कीजिए कि कोई भी रोडवेज का कर्मचारी शराब पीने वाला न हो। अगर शराब पीने वाला होगा तो आपको डुबोयेगा, हमें डुबोयेगा और राजस्थान को डुबोयेगा। वह खुद भी मरेगा और हमको भी मारेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो कि रोडवेज का कर्मचारी शराब पीने वाला न हो। जहां जहां आपके जिले नशाबन्दी में लाये गये हैं उनमें कोई भी राज्य कर्मचारी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जो शराब पीने वाले हों। अगर ऐसा व्यक्ति कोई जायेगा तो वहां कल्याण का काम नहीं कर सकेगा। माननीय गाड़िया जी ने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

थोड़े दिन पहले बांसवाड़ा की एक फोटो बताई थी कि जहां जिले में प्रॉहीबीशन है लेकिन जब रिलीफ काम करके इंजीनियर रवाना हुआ तो उनको दी गई दावत में शराब की बोतलें थीं। कृपा करके इसका ध्यान रखिये। अगर हम निष्ठा के साथ लग जायें तो इसमें शक नहीं कि हमारे राजस्थान में ताकत है। वित्त मन्त्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शक्तिशाली व्यक्तियों में से हैं लेकिन बस आप निष्ठा के साथ लग जायें। आपको धुन होनी चाहिए कि मुझे नशाबन्दी करनी है और करनी कब है 1 अप्रैल, 1972 को कम्पलीट प्रॉहीबीशन होगी। जहां चाह है तो राह निकल जायेगी। आप चिन्ता मत कीजिए कि क्या होगा। जहां 500 करोड़ कर्जा ले रखा है मान लें कि ऐसी स्थिति आती है तो जहां 500 करोड़ वहां 550 करोड़। लेकिन बाद में जो स्थिति आयेगी वह आप देखेंगे कि आपकी बहुत आमदनी होगी। आप तो सेल्स टैक्स भी खा गये और शराब की आमदनी भी खा गये। जब श्री मुरारजी भाई वित्त मन्त्री थे तो उनके सामने एक समझौता हुआ था और हमारे मुख्य मन्त्री जी भी थे और डॉक्टर सुशीला नैय्यर उस समय स्वास्थ्य मन्त्री थीं तो समझौता हुआ था कि शराबबन्दी से जितना नुकसान होगा उसका भारत सरकार आधा देगी। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि जिलेवार होगा तो हम देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो इस हिसाब से इस बार हमारे वित्त मंत्री जी ने जिलेवार लिया है। दो दिन जब ड्राई करने से नुकसान हुआ है तो भारत सरकार को पहले का तो देना चाहिए। आपसे मैंने प्रार्थना की है कि 5-6 जिले आप और लीजिए। सबसे बड़ी बात निष्ठा की है। निष्ठा के साथ लग जायें तो क्या नहीं कर सकते। हम आपके साथ पूरे तैयार हैं।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति जी, सबसे पहले क्योंकि शराबबन्दी की बात आ रही है तो आबकारी पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आबकारी मन्त्री जी का बड़ा आभार मानता हूं कि उन्होंने सारे प्रान्त में शराबबन्दी की घोषणा इस वर्ष की है लेकिन जहां तक शराब की बिक्री कम होने का सवाल है ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है कि पिछले साल में एक दिन, दो दिन बन्द करने से नाममात्र को राज्य के कोष से ठेकेदारों को कम पैसा देना पड़ा। यह तो लाभ हुआ ठेकेदारों को लेकिन शराब पीना बन्द नहीं हुआ। मैं माननीय मनोहरसिंह जी से एक बात में इत्तफाक नहीं रखता हूं। उनका फरमाना है कि देश में शराब बहुत ज्यादा पी जा रही है। राजस्थान जब बना था शराब पर बहुत कम टैक्स था। सारे राजस्थान की आय 12 करोड़ की थी। उस समय 4 करोड़ के आसपास सिर्फ शराब की आय थी और राजस्थान में जागीरदारों की भट्टियां शराब निकालती थीं वह मुफ्त में निकलती थी। सरकार ने सारी प्राईवेट भट्टियां बन्द कर दीं और उसके बाद भी अब 8-9 करोड़ से ज्यादा की आमदनी है। टैक्स ज्यादा बढ़ा है उससे तो आमदनी बढ़ी हुई नजर आती है लेकिन शराब जितनी पहले पी जाती थी उतनी अब नहीं। सस्ती बोतल थी और हर आदमी गांव में पीता था। शराब कुछ गरीब तबका भी पीता था और उसने भी छोड़ी है और काफी लोगों ने इसे

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

छुड़वाया है समाज सुधार के नाम पर। कई जो ऊपर में दिखाई देते हैं, जो आसमान में अपना मकान समझते हैं वे कुछ ज्यादा पीने लगे हैं या फिर नीचे के कुछ लोगों में पुरानी आदत थी, वह है। शराब की आमदनी शराब लोग पीने लगे, इसलिए नहीं है। शराब की आमदनी ज्यादा टैक्स बढ़ाने से दिखाई देती है लेकिन पीने वालों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत बढ़ी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चोरी से पीते होंगे सो पहले भी पीते थे। सन् 1948 में आमदनी कुल 8 करोड़ की थी जिसमें करीब 4 करोड़ तो शराब की थी और बाकी की दूसरी आमदनी थी। उस 4 करोड़ के जब तक 8 करोड़ होते हैं तो टैक्स उससे दस गुना बढ़ा है। राज्य की खपत ज्यादा नहीं है। जो चोरी से बनाते हैं उनकी आपको भी खबर देनी चाहिए कि फलां जगह चोरी से शराब बनती है और बिकती है। अगर ऐसी खबर आयेगी तो उसके लिए कार्यवाही होगी। मेरा निवेदन करना यह है कि शराब की आमदनी राज्य से नहीं होनी चाहिए और शराब कतई बन्द होनी चाहिए। हम टैक्स जहां बढ़ा रहे हैं और बढ़ा कर पूरी आमदनी करते जा रहे हैं आज शराब पीने वाले कम हैं उसके उपरान्त हमें यह चाहिए कि शराब की छोटी सी आमदनी जो सरकार के पास जा रही है यह आय बहुत बड़ी नहीं है और हम इसे बन्द कर सकते हैं। सभापति महोदय, जहां तक मालगुजारी का सवाल है लैंण्ड रेवेन्यू को 4½ करोड़ रुपये की आमदनी थी राजस्थान बना उस समय 3½ करोड़ शराब की थी और कुछ टैक्स की थी, कस्टम की। इस तरह से 12 करोड़ की आय बनती थी। बाद में जब जागीरें ले लीं तो मालगुजारी की आमदनी जहां 4 करोड़ की थी वह 8½-9 करोड़ की हुई तो वह कोई ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू नहीं बढ़ा। जमीन लाखों बीघा अलॉट की पर मालूम नहीं लगान लेते हैं या नहीं। कितना रुपया बाकी पड़ा है। नया अलॉटमेन्ट किया उसका पैसा लिया जा रहा है या नहीं लेकिन सन् 48 से आज तक लेण्ड रेवेन्यू की आमदनी बढ़ी हुई नहीं मान सकते। 4½ करोड़ तो जागीरदारों की और 4½ करोड़ हमारी आमदनी हुई। तो लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा नहीं, शराब की आमदनी बढ़ी नहीं और शराब को बन्द करना चाहते हैं। हमने बन्द करने के लिए दूसरा रास्ता निकाला। पहले इस पर कस्टम लगती थी जगह जगह चुंगी लगती थी। उसको बन्द किया और उसकी जगह सेल्स टैक्स लगाया। उस समय कस्टम को 3½ करोड़ की आमदनी और सेल्स लगाया तो 8-9 करोड़ तो ज्यादा नहीं हुई। धीरे धीरे कस्टम बिलकुल बन्द और सेल्स टैक्स बढ़ा और आज उसकी 28 करोड़ की आय है। अब यह आय उन लोगों से है जो कि खरीद कर पीने वाले हैं। तो खरीद कर पीने वालों में 3 करोड़ के बजाय 28 करोड़ हुई। याने 9-10 गुना टैक्स उनके ऊपर बढ़ा और आज भी यह समझते हैं कि जब हमारे वित्त मंत्रीजी अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं तो यों कहते हैं कि यह सेल्स टैक्स मेरे लिए कामधेनु है अर्थात् खरीदकर पीने वाले, उनसे पैसा लेना यही आमदनी है जैसे ही सेल्स बढ़ता है उसी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

वक्त आपके नौकर ज्यादा तनख्वाहों की मांग कर लेते हैं, और जब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो फिर बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। तो एक तो सवा पर्सेन्ट लोग आपके राज्य में नौकरी करते हैं लेकिन उनके सिवाय जो और खरीद कर खाने वाले लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सेल्स टैक्स बढ़ जाता है तो बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, रोजगार उन लोगों के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे कि किसान अपने नाज की कीमत बढ़ा सकता है तो कितने आपके प्रान्त में ऐसे किसान हैं कि जो अपने खेत में नाज पैदा करके बाजार में लाने योग्य हैं? कितने पर्सेन्ट हैं? मैं कई ज़िले ऐसे जानता हूं जिन में 5-10 बीघे से ज्यादा जमीन लोगों के पास में नहीं है जो कि पैदा करके अपने आप खा लें इससे ज्यादा की उनके पास गुन्जाइश नहीं है। वे इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि वे नाज बाहर लेकर आ सकें। ऐसे किसान बहुत थोड़े हैं जो नाज लाते हैं, लेकिन वे स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं और मजदूरों से काम कराते हैं और मजदूरों को पुरानी रेट ही दी जाती है और आज भी मिनिमम रेट दो रुपये सवा पांच आना है। मजदूरी देने के बाद गेहूं से जो आमदनी होती है वह तो किसान खा जाता है और उसके लिये उसके मजदूर मेहनत करते हैं और उनको जो मजदूरी मिलती है तो टैक्स बढ़ते हैं तो बाजार में महंगाई बढ़ती है। इस तरह से गरीब व्यक्ति पिसता जा रहा है। जो ज्यादा मालदार हैं, जिसकी आमदनी ज्यादा है उनको फिक्र नहीं है, या जो उत्पादन कर रहा है घर बैठा है उसको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग मजदूरी करने जाते हैं तो उनको जूता भी पहनना पड़ता है, नहीं तो पत्थर गड़ जाय, कांटा लग जाय, तो जूता लें तो गांव में भी एक जूता 16-17 रुपये से कम में नहीं आता है। उससे कम में नहीं मिलेगा। आज सवा रुपये में जूता नहीं मिलता है। एक जूता अपने लिए लिया और दूसरा अपनी पत्नी के लिए तो हो गई उसके महीने भर की तनख्वाह। अगर अपनी पत्नी के लिए घाघरा और धोती ले आये तो उसकी धोती नहीं आ सकती है। वह उसके लिए मुश्किल हो जायगा। सेल्स टैक्स को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इस पर विचार करें। जो खरीद कर खाने वाले हैं उन पर टैक्स बढता जायेगा तो पता नहीं चलेगा। सुरसा का मुख बढ़ता है तो हनुमान जी उससे चौगुना रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से तो सेल्स टैक्स से तो महंगाई बढ़ती ही जायेगी, तो कहीं जाकर जमें तो सही कि इससे ज्यादा नहीं बढेगा। 6-7 पर्सेन्ट से 10 पर्सेन्ट कर दिया। आप जवाहरात पर टैक्स लगा दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। आपने टैक्स लगाया है रोटी पर, होटल और रेस्त्रां पर जहां जाकर गरीब मजदूर रोटी खायेगा। होटलबाजी करने वाले बहुत थोड़े हैं। बाहर से जो लोग आते हैं किसी मुकद्दमे में या हमारे जैसे वे होटल में जाते हैं या वे खाते हैं जिनमें कोयला जलाने की क्षमता नहीं है और होटल में जाकर दो रोटी खा ली और पानी पी लिया। 20 हजार की रोटी होटल वाले ने बेच दी तो उस पर टैक्स लगेगा तो एक होटल हजार डेढ़ हजार की रोटी तो महीने भर में बेच सकता है। इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी बिक्री दो हजार रुपये महीने की हो गई तो आप कहेंगे कि 25 हजार हुए तो लाओ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
जब लगेगा तो रोटी वाला रोटी पर लेगा। यह टैक्स मुझे जँचा नहीं....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने रोटी पर टैक्स नहीं लगाया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रेस्ट्रां वे चला रहे हैं....

श्री मथुरादास माथुर : 30 हजार की टर्नओवर पर लगाया है। रेस्टरां वाले टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन जो मोटे होटल हैं वे तो देंगे। नीरोज वगैरह नहीं देंगे क्या ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर सुबह से शाम तक 100 रुपये की बिक्री नहीं करेगा तो वह लोगों को मजदूरी कैसे देगा। 100 रुपये में से 50 रुपये तो कमा नहीं सकता।

आपने कहा कि साबुन पर से सेल्स टैक्स छोड़ रहे हैं लेकिन वह हाथ से काम करता हो। एक आदमी एक मशीन लेकर बैठता है और तीन मजदूर रखता है तो उसको देना पड़ेगा। टाटा कम्पनी या सनलाइट बनाने वाली एजेन्सी तो हमारे पास नहीं है। छोटा आदमी काम नहीं कर पाता है। दो आदमी रख कर काम कराये तो सेल्स टैक्स लगा दिया। आप यह तय करें कि मशीन लगाकर काम करेगा तो उस पर नहीं लगायेंगे....

श्री मथुरादास माथुर : मेरा मतलब यह है, गोकुलप्रसाद जी, कि कुटीर उद्योग के अन्दर एक घर में मर्द, बीवी और बच्चे मिल कर साबुन बनाने का काम करते हैं और बेचते हैं तो वह कुटीर उद्योग है उस पर नहीं लगेगा। लेकिन जो आदमी बिजली की मशीन लगाकर दो नौकर रखता है तो वह हो गया प्रोडक्शन का मामला। इसलिए मैंने उनके लिए माफ किया है जो खुद उद्योग करते हैं हाथ से बनाते हैं और बेचते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : प्रोडक्शन का मामला नहीं है। घर वाले 100 रुपये का साबुन बना पाये तो क्या कमायेंगे। वह तो 3-4 आदमी मिल कर काम करेंगे....

श्री मथुरादास माथुर : 2-4 आदमी मिलकर सहकारी समिति बनाकर काम करेंगे और मजदूर नहीं रखें और मालिक काम करें तो मैं दूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो आप ऐसा तय कर दें कि 5-7 आदमी रख कर जो नाई दुकानों की लाइन बना कर बैठे हैं उन पर भी लगेगा। मैं नहीं चाहता कि रामानन्द जी के पैट्रोल पम्प पर 7 आदमी काम करें तो आप उसको बन्द कर दें। तो साबुन वालों ने क्या गुनाह किया....

श्री मथुरादास माथुर : पैट्रोल पर सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया है और हमने भी लगाया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बिक्री कर जो आप बढ़ा रहे हैं तो इससे आप यह मान कर चलते हैं कि खरीद कर खाने वालों के जबान नहीं है वह नहीं बोलेंगे। यह मेरी मान्यता है कि आप लैण्ड रेवेन्यू इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि गंगानगर की तरह आन्दोलन चलेगा हालांकि 125 रुपये में बोरी आज बेचते हैं गेहूं की जब कि वे पहले 7 रुपये में बेचते थे। उन पर आप लैण्ड रेवेन्यू नहीं बढ़ायेंगे। पहले जागीरदार आधी बंटाई

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

लेता था उसको दे दिया करते थे। उस पर आप नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो छोटे जोत हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ दें। जिनकी कमाई पूरी नहीं होती है, जिनको रोटी पूरी नहीं होती है, जिनके पास 5-7-10 एकड़ जमीन है उनको छोड़ दें, लेकिन उसके बाद वाले जो बचते हैं उन पर लगायें। आपने सीलिंग करना तय किया था लेकिन आज तक उन पर सीलिंग लागू नहीं किया और आज हजारों बीघा जमीन वे दबाये बैठे हैं। मुझे मालूम है कि 5-5 हजार बीघा जमीन जिनके पास है उन्हें अभी तक आपने सीलिंग का नोटिस भी नहीं दिया। उनसे आमदनी होगी लेकिन उन पर आप टैक्स नहीं लगायेंगे। अगर आज आप एग्रीकल्चर टैक्स लगा देंगे तो लोग ब्लैक का पैसा उसमें लगाने की नहीं सोचेंगे और न हर व्यक्ति अंगूर की खेती करने को तैयार होगा और यह कहेगा कि हमारे यहाँ लाख डेढ़ लाख का अंगूर पैदा हुआ है और जो ब्लैक मार्केट का पैसा लाकर उसे खेती की कमाई बताते हैं वह नहीं बता सकेंगे। अब लोग उसमें जमा कर देते हैं और आप उन पर टैक्स नहीं लगा पाते हैं। तो छोटी जोतों को छोड़ दें जैसी कि आपने पहले घोषणा की थी। अगर आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स नहीं लगायेंगे तो खेती करने वाला दुकान भी करता है, यहाँ आकर भी बैठता है और दूसरी जगह भी जाता है और आकर सबकी आमदनी खेती में घुसा देता है और टैक्स की चोरी वहाँ होती है। उसको रोकने के लिए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नहीं लूंगा। मेरे दूसरे भाइयों ने लिया है उससे आधा भी नहीं लिया है।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मनोरंजन कर के बारे में, सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा शहर है जयपुर और 8-10 लाख की आबादी यहाँ पर है और वह इतना गंदा रहता है और यहाँ पर इतना अन्धेरा रहता है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ पर इतनी गन्दगी रहती है और अन्डर-ग्राउन्ड ड्रेनेज नहीं बना पाते हैं, जिससे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। आज शहर सड़ रहे हैं, गन्दगी से भरे पड़े हैं, वहां पर व्यक्ति परेशान हैं गन्दगी की वजह से लेकिन वहां पर आप अन्डर-ग्राउन्ड ड्रेनेज नहीं बना सकते हैं। नगर परिषद् बना नहीं सकती क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। शहरों में जो लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा देख कर अपना मनोरंजन करते हैं उनके ऊपर आप मनोरंजन कर लगाते हैं। उस मनोरंजन कर के पैसे को भले ही उस शहर में आप मत लगाइये, उस शहर को भले ही उस कर की आमदनी मत दीजिये, लेकिन आप शहरों में अन्डर-ग्राउन्ड ड्रेनेज बना दें तो शहरों में सफाई तो रहे। क्या है आज जयपुर शहर की स्थिति, सड़कों की बात जाने दें, लेकिन गलियों में जाके देखिये, रौरव नरक है। यही हालत आज राजस्थान के सारे बड़े बड़े शहरों की है, चाहे जोधपुर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

की बात ले लें, चाहे गंगानगर की जहां गंगा बहती रहती है, गंगानगर में थोड़ा सा भी पानी भर जावे तो वह सूखता नहीं है और उससे गन्दगी बढ़ती है। लेकिन मनोरंजन कर जो लेते हैं उसके लिए आप कहते हैं कि मनोरंजन कर का पैसा हम ले लें और सब शहरों में गन्दगी दे देंगे। मेरा निवेदन है कि जो मनोरंजन कर से आमदनी होती है वह उन्हीं शहरों को दे दीजिये ताकि लाखों आदमियों को गन्दगी से मुक्ति दिलाने के लिए नगरपरिषद् द्वारा इन्तजाम हो। आज नगर परिषद् आक्ट्राय लगाते लगाते हैरान हो गई है। कभी कोई राणावत कमीशन की रिपोर्ट आती है, कभी कोई कमीशन की रिपोर्ट आजाती है जिसके कारण नगर परिषद् को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है। नगर परिषद् की आमदनी का कोई स्रोत है तो वह आक्ट्राय है, उसको वह बढ़ा देती है लेकिन उसकी भी एक सीमा है। इसलिए मेरा निवेदन है जो अभी आप मनोरंजन कर में से नगर परिषद् को हिस्सा देते हैं, वह देते हैं उसमें क्या करते हैं कि किसी को चालीस हजार दे दिये, किसी को पचास हजार दे दिये, इस तरह से वह पैसा बांटते हैं जैसे कोई शादी विवाह में भूर-सी बांटते हैं। इस कारण ही आज शहरों के अन्दर गन्दगी की हालत है। हम शहर वाले आपको टैक्स देते हैं इसलिए हम कहते हैं कि शहरों की हालत ठीक करो। व्यवस्था ठीक करो। मनोरंजन कर से जो आमदनी होती है उसको उसी शहर को देने की व्यवस्था करो।

इसके अलावा और कर लगाते हैं, सेल्स टैक्स लगाते हैं, यात्री कर लगाते हैं। यात्री कर के बारे में मेरी शिकायत है कि आप यात्री कर रात दिन बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं अजमेर से जयपुर आता हूं तो देखता हूं कि कोई रास्ते चलता मजदूर, गरीब मजदूर डेढ़ रुपये की मजदूरी करता है, वह बस में आये तो उसे आज सवा रुपया टैक्स देना पड़ता है। अगर एक घर के छः आदमी मजदूरी करने जाते हैं तो छः सवाया साढ़े सात भेंट करने पड़ते हैं। जब कि एक आदमी कार में बैठ कर आता है, वह जयपुर के भले ही दिन में दस चक्कर काट जाय, उसको एक पैसा भी यात्री कर का नहीं देना पड़ता। आप कहेंगे कि उससे परिवहन कर मिलता है। तो परिवहन कर तो बस वाले भी देते हैं। उन्होंने क्या परिवहन कर नहीं दिया जो यात्री कर भी उनसे लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका यात्री कर उन लोगों के लिए है जिनके पास में कार रखने की क्षमता नहीं है, उस पर आप यात्री कर लगाते हैं। इसका मतलब साफ है कि गरीब है उसको तो टैक्स देना पड़ता है और अमीर को नहीं। नहीं तो आप इसी हिसाब से उन लोगों पर भी टैक्स लगायें जिनके पास में प्राइवेट कार हैं। अगर उसको कार नहीं पोसायेगी तो वह कार नहीं रखेगा और देश का पैसा इधर उधर नहीं जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राइवेट कार पर भी आपको कर बढ़ाना चाहिए। आप कहेंगे कि प्राइवेट कार पर भी बढ़ाया है तो क्या वह आपने इस अनुपात से बढ़ाया है जिस अनुपात से यात्री कर बढ़ाते जा रहे हैं? मैं कहता हूं कि यात्री कर इसी हिसाब से उन पर भी लगाइये।

दूसरा आपका आबकारी कर है, मैं थोड़ा इसके लिए भी कह दूं। आज

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

राजस्थान में बहुत महुआ होता है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। इस कारण आज गांव गांव में महुवे से शराब निकाली जाती है और उसको बेच बेच कर लोगों को शराबी बनाया जाता है। महुए से शराब निकाल कर टैक्स की चोरी करके लोगों को सस्ती शराब देते हैं। और लोग कहते हैं कि शराब की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वह पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता है और बेईमान लोग बीच में खा लेते हैं उस पैसे को। कुछ लोग सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कहते हैं कि वह बीच में पैसा खा जाते हैं। मैं यह नहीं कहता, अधिकारियों और कर्मचारियों के घर में वह पैसा नहीं पहुंचता है। मेरे मन में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आदर है, जो सैल्स टैक्स और आबकारी टैक्स के लोग हैं। बहुत नेक आदमी हैं ईमानदार आदमी हैं और उन्होंने इन्तजाम अच्छा किया है। लेकिन वह लोग गावों में घर घर में नहीं पहुंच सकते हैं। जिन घरों में महुए से शराब निकाली जाती है। अभी चैत का महीना चल रहा है, इस समय जो महुआ आयेगा, वह महुआ हर घर के अन्दर इकट्ठा होगा और साल भर तक उसकी शराब निकाली जायगी। मेरा निवेदन है इस शराब को आप बन्द कीजिये।

तो मेरा निवेदन है कि टैक्सेज को बढ़ाने की चेष्टा मत कीजिये, रोटी पर टैक्स, साबुन पर टैक्स, जो साबुन का व्यापार दस पचास आदमियों ने शुरू किया है और दो सौ, तीन सौ आदमी इसमें खप गये हैं वह आपके इस टैक्स के कारण बन्द हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि आप मशीन से बनने वाले साबुन पर टैक्स लगाइये। मैं इससे निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि अभी फिर घण्टी बजेगी....

श्री सभापति : मेहरबानी हुई !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : और शराब को आप बिल्कुल बन्द कर दीजिये अगर देश को बचाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वाह वाह ! वाट अबाउट मांग !

श्री मनोहरसिंह मेहता : मांग पर भी हो लेकिन अभी आप एक पर ही कन्सेंट्रेट करें।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं इन मांगों के सम्बन्ध में थोड़े में अपने विचार रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज राजस्थान में दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य सरकार अपनी आमदनी का मुख्य जरिया इस टैक्सेज के माध्यम को ही बनाती जा रही है। मैंने अभी दो तीन दिन पूर्व जब वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट पर हुए वादविवाद का उत्तर दिया था, उस दिन भी आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि राजस्थान के अन्दर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है और नॉन-टैक्स रेवेन्यू घट रही है उन्होंने उसका कुछ स्पष्टीकरण भी दिया। मैं उस विवाद में इस समय पड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह निश्चित बात है कि आज राजस्थान सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया यह टैक्सेज का माध्यम ही रहा है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान सरकार की टैक्स लगाने की नीति इतनी दोषपूर्ण है कि उसके कारण आज राजस्थान में जो अलग अलग नगर मार्केटिंग सेन्टर्स के नाम से डवलप होने चाहिए थे वे राजस्थान में नहीं हो पाये हैं। पंजाब हरियाणा दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात यह हमारी सीमा पर लगते हैं और इन सीमावर्ती राज्यों में जो टैक्सेशन का ढांचा है उस ढांचे के मुकाबले राजस्थान में जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वह इतना दूषित और दोषपूर्ण है कि उसके कारण आज राजस्थान के कई सीमावर्ती स्थानों पर जो जो प्रमुख नगर हैं और जो जो राज्य के बड़े बड़े नगर हैं वे एक मार्केटिंग सेन्टर के नाते से डवलप नहीं हो पाये हैं। मुझे याद अच्छी तरह से है कि वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि हम पड़ौसी राज्यों की बिक्री कर की दरों का अध्ययन करने के पश्चात राजस्थान बिक्री कर में की दरों का समानीकरण करेंगे, जिसके कारण जो स्मगलिंग होता है या जो व्यापार के केन्द्र राजस्थान के नगर बनने चाहिए उसके स्थान पर आगरा या दिल्ली या दूसरे स्थान जो अन्य राज्यों के हैं वह बनते जा रहे हैं। राजस्थान में मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से कि कोई भी नगर एक बड़ा भारी मार्केटिंग सेन्टर के नाते से हम डवलप नहीं कर पाये हैं। आज भी लोग आस पास दिल्ली आदि जाकर अपना सामान खरीद कर लाते हैं क्योंकि दिल्ली में सेल्स टैक्स की दर बहुत कम है और उत्तर प्रदेश की दरों में भिन्नता है, मध्य प्रदेश में भी यही हालत है, यही हालत पंजाब और गुजरात में है। आज उन राज्यों के मुकाबले में इस राज्य के सेल्स टैक्स दर का रेशनेलाइजेशन होना चाहिए। मैं यह आशा करके चलता हूं कि इन पड़ौसी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठ कर इस प्रकार की समान नीति निर्धारित की जाय जिसके कारण टैक्सेशन के स्ट्रक्चर के कारण राज्य के व्यापार को नुकसान न पहुंचे। लेकिन बड़ा खेद है कि राजस्थान सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाई है। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं इस सदन में अनेक माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार रखते हैं और जो विचार रखते हैं उसमें इस बात पर जोर देते हैं कि राजस्थान के पड़ौसी राज्यों में बिक्री कर की दर यह है और राजस्थान में यह है। इस असमानता के कारण हमारे सारे व्यापार का सेन्ट्रलाईजेशन जो राजस्थान में होना चाहिए वह दूसरे प्रान्तों में होता जा रहा है। यह बड़ा गम्भीर विषय है जिस पर मैं आशा करता हूं राज्य सरकार सोचेगी।

सभापति महोदय, अभी प्रारम्भ में मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में हमारी टैक्सेज के माध्यम से आमदनी बहुत बढ़ रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के अन्य राज्यों में इतने टैक्सेशन का भार किसी भी राज्य में नहीं है जिस प्रकार से राजस्थान में दिन दूनी और रात चौगुनी टैक्स के माध्यम से आमदनी बढ़ाई जा रही है। उसमें सबसे बड़ा टैक्स का माध्यम बिक्री कर है। सभापति महोदय, 1959-60 में बिक्री कर से 308 लाख रुपये की आमदनी थी, 3 करोड़ 8 लाख की आमदनी बिक्री कर

Page No 169

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
की मद में 1959-60 में हुई, और दस वर्ष की अवधि के बाद 1969-70 में जो सम्भावित आमदनी बताई गई वह लगभग 27 करोड़ के करीब अनुमान था, लगभग 900 पर्सेन्ट का इन्क्रीज, सभापति महोदय, किसी राज्य का यह आंकड़ा वित्त मंत्री महोदय बता सकते हैं? यह कह सकते हैं कि हमारे यहां पर इसके कारण से कुछ व्यापार में वृद्धि हुई है, कुछ व्यापार में वृद्धि है, कुछ टर्न ओवर बढ़ सकता है लेकिन टैक्सेशन का इन्सीडेंस हर साल बढ़ता आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्य के लिए जो व्यापारिक दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, यहां कोई इन्डस्ट्री नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई मार्केटिंग सेन्टर नहीं है, तो इतना पिछड़ा हुआ राजस्थान राज्य और वहां टैक्सेज का इतना हैवी इन्सीडेंस कि दस साल के पीरियड में 900 पर्सेन्ट इन्क्रीज्ड रैवेन्यू, सेल्स टैक्स से होती है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के व्यापार को बड़ा धक्का लगाने वाला है, राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी हानि पहुंचाने वाला है।

इस तरह, सभापति महोदय, 59-60 में 48 लाख की आमदनी है, और 69-70 में 334 लाख की आमदनी है। यह इन्क्रीज 900 पर्सेंट हुई है, इसी तरह मनोरंजन कर में 600 प्रतिशत की इन्क्रीज हुई है। मनोरंजन कर में 59-60 में जहां 19 लाख की आमदनी होती थी वहां 69-70 में इससे आपको 105 लाख की आमदनी हुई है। इस तरह से और, और टैक्सेज में बड़ी भारी बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह 900 पर्सेन्ट टैक्सेशन से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी हुई है।

इन आंकड़ों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह था कि आज इस बिक्री कर, मनोरंजन कर, यात्रा एवं माल कर के माध्यम से राजस्थान की जनता पर टैक्सेज का भार, टैक्सेज से आमदनी पिछले दस वर्षों में लगभग 900 प्रतिशत, 800 प्रतिशत और 700 प्रतिशत आपने बढ़ाई है। यह राजस्थान की जनता के साथ घोर अन्याय है। आज मंहगाई दिनों दिन बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है पर हर साल इस प्रकार टैक्सेज में बढ़ोतरी करने की आपकी परम्परा बन गई है, आपने हर साल टैक्सेज बढ़ाने की नीति बना ली है। हर साल बजट पेश होगा तो यह मान कर चला जाता है कि इस टैक्स में बढ़ोतरी होगी। यह राजस्थान सरकार का रवैया, रीति नीति बन गई है जब भी बजट पेश होगा तो टैक्सेज में बढ़ोतरी होगी। सेल्स टैक्स में वृद्धि होगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वित्त मन्त्री की कामधेनु ही सेल्स टैक्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो कामधेनु उस हिसाब से है, 28 करोड़ रुपया साल की आमदनी, इस तरह हर व्यक्ति पर, गोद का बच्चा है, उस पर भी इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन 7 रुपया आता है। यह तो वह आमदनी है जो कन्सोलिडेशन फंड में, पब्लिक एक्सचैकर में जमा होती है। इतना ही रुपया सेल्स टैक्स से करप्शन टैक्स में जाता होगा, वह कम नहीं है। लिबरल रेट भी रखी जाय तो जितने टैक्स की वित मंत्रीजी सदन में घोषणा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
करते हैं उतना ही बाहर हो जाता है। तो इस तरह से 14 की बजाय 28 बैठेगा।

सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मेरी मान्यता है आपने इन सदन में आश्वासन दिया था, यह बिक्री कर की व्यवस्था इतनी दूषित है, इससे इतना भ्रष्टाचार फैलता है कि आज गली-गली, शहर शहर, नगर नगर में भ्रष्टाचार के अड्डे खुल गये हैं। सेल्स टैक्स के अधिकारियों की आये दिन शिकायतें आती हैं। मेरे पास सारे सबूत तो नहीं हो सकते, जांच करवाई जाय तो पता चलेगा कि सेल्स टैक्स के माध्यम से सेल्स टैक्स के अधिकारी कितना पैसा खाते हैं, कितना हैरेश करते हैं। पुलिस के सिपाही का जितना डर नहीं उतना सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर का डर लोगों को लगता है। वे चाहें जिसको बेइज्जत कर दें, चाहें जिसको बेआवरू कर दें, चाहें जिसकी बहियां जब्त कर लें, हर आदमी को बेईमान समझना, राजस्थान में इस तरह यह विभाग काम कर रहा है। पुलिस का तो कई जगह लोग मुकाबला कर लेते हैं, मैं मुकाबला करने को अच्छा नहीं समझता, लोग पुलिस को चोरों का विभाग समझने लगे हैं, कोई चोर पकड़ लिया, पीट दिया, राजस्थान का पुलिस का महकमा चोरों का महकमा है पर यह राजस्थान का बिक्री कर का महकमा डाकुओं का महकमा है, जिसका मुकाबला करने की जनता की हिम्मत नहीं है।

मैंने पिछली बार सदन में यह सवाल उठाया था। पिछले वर्ष मुख्य मंत्री की साल गिरह के सिलसिले में 73 हजार रुपया जयपुर में इकट्ठा किया गया। कांग्रेस पार्टी अपना टिकट बना कर कुछ चन्दा इकट्ठा करे, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। हर राजनैतिक पार्टी को चन्दा इकट्ठा करना पड़ता है। पांच,पचास रुपयों के कुपन बना कर कोई पार्टी चन्दा इकट्ठा करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती पर आज राजस्थान में मुख्य मंत्री की सालगिरह के नाम पर सारे राजस्थान में जबर्दस्ती पैसा वसूल किया गया....

श्री मूलचन्द डागा : जबर्दस्ती नहीं, स्वेच्छा से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने सुखाड़ियाजी को यह धनराशि भेंट करने के लिये, राजस्थान के अन्दर 53-53 हजार 53 वीं वर्ष गांठ पर राजस्थान के शहरों, नगरों में अन्य विभागों के अधिकारियों व बिक्री कर विभाग के अधिकारियों ने पैसा इकट्ठा किया और वह बाद में कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया। सभापति महोदय, यह मामला पहले भी इस सदन में उठाया गया था और इसीलिये उठाया गया था कि राजस्थान सरकार ध्यान दे, इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान गया और राजस्थान सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किया गया:

"It has been brought to the notice of the Government that Collectors of various districts ask the officers of Commercial Taxes Department to raise funds and subscriptions on various occasions from the public. Such

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

practice of involving officers of the Commercial Taxes Department in collection of funds is not considered desirable. It is, therefore, enjoined that no officer of the Commercial Taxes Department shall collect funds for any purpose on any occasion."

This letter is dated 19 th July, 1969.

मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या इस आदेश का पालन किया गया? जो इस राजाज्ञा के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया, कहां कहां के मामले आपके ध्यान में आये?

श्री मथुरादास माथुर : यहां सदन में भी कहा गया था और उसके पहले कई तरह के सेविंग वगैरह फंड खड़े होते हैं, उस बारे में डिपार्टमेंट ने सर्कूलर निकाला। आपने जिक्र किया उस समय मैंने कहा था कि जिन लोगों से चन्दा-इकट्ठा किया गया, उनकी ओर से शिकायतें यदि पेश होंगी तो एक्शन लिया जायेगा, पर इस प्रकार की कोई शिकायत पेश नहीं की गई।

श्री भैरोंसिह : जिस आधार पर सर्कूलर निकाला था, उस आधार पर क्या एक्शन लिया गया?

श्री मथुरादास माथुर : हमने जनरल निकाला क्योंकि इस तरह की चर्चा आई, पर किसी ने मेरे पास लिख कर शिकायत पेश नहीं की। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई शिकायत पेश करे; हम एक्शन लेंगे कलेक्टर्स भी कहें चन्दा इकट्ठा करने के के लिये, वेलफेअर का चन्दा है, चिल्ड्रन्स फंड है, क्लब है, इनके लिये चन्दा इकट्ठा करने के लिये हमारे डिपार्टमेंट को कहते हैं कि चन्दा इकट्ठा करो तो हमारे कमिश्नर ने सर्कूलर निकाला था कि, इस प्रकार चन्दा इकट्ठा नहीं किया जाय।

यह बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि बताइये, मेरे पास कम्प्लेन्ट करो, मैं एक्शन लूंगा। I will enquire in to it.

श्री भैरोंसिह : यह तो आपने इसमें लिखा है : "It has been brought to the notice of the Government........"

ऐसा आपके नोटिस में आया है तभी तो आपने सर्कूलर निकाला।

श्री मथुरादास माथुर : That the collectors यह लिखा है, पढ़िये।

श्री भैरोंसिह : आपके नोटिस में आया है कि कलेक्टर्स ने किया तो आपने क्या कार्यवाही की?

श्री मथुरादास माथुर: स्माल सेविंग के सिलसिले में, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो आफिसर्स कहते थे कि तुम खरीदो। उनको इस सर्कूलर से मना कर दिया।

(6 म. प)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह जो चंदे की बात है मुझे मालूम है कि भीलवाड़ा के अधिकारियों के लिए डाक कमरा बन रहा

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हैं, तो उनके क्लब के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्री ने निवेदन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑफिसर्स क्लब के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑफिसर्स क्लब बनाते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर लिया है तो किस तरह से चंदा इकट्ठा होता है, जो नान-पोलिटिकल करैक्टर का है और चैरिटीबल भी हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि पिछले वर्ष जब यह बात नोटिस में आई, सुखाड़िया सालगिरह के लिए चंदा करने की बात सदन में कही गई, तो आज तक क्या किया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा, मेरे पास शिकायत नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सदन में शिकायत हुई।

श्री मथुरादास माथुर : नाम नहीं लिया गया कि किस अधिकारी ने किया। सरक्यूलर जब मौजूद है। अगर कोई सरक्यूलर की ब्रीच करे तो I will take action.

श्री भैरोंसिंह : आपने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा था कि जांच किस बेसिस पर कर ली जाय, मुझे बता दें कि एक्स. सी. टी. ओ. ने या डिप्टी कमिश्नर एक्स वाई जेड ने फलां लोगों से इतना पैसा वसूल किया।

श्री रामसिंह कुड़ी : नाहर साहब अब आपके नोटिस में लाए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे नोटिस में नहीं है। वह कहते हैं कि भीलवाड़ा में क्लब का मकान बनवा रहे हैं।

श्री रामसिंह कु : जांच होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त मन्त्री ने कहा कि हमने जुलाई, 1969 में इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जुलाई, 1969 के बाद अगस्त महीने में नागौर में मुख्य मन्त्री को 53 हजार की थैली भेंट की गई। याद है आपको ?

श्री मथुरादास माथुर : की गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें आपके जो वहां के सी. टी ओ. हैं श्री रामेश्वर त्रिवेदी, आपको स्मरण होगा, उन्होंने ढाई हजार रुपये एक स्थान पर लिये। वह स्थान है मेड़ता, वहां के ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से ढाई हजार का चंदा 53,000 की थैली के लिये वसूल किया। वहां एसोसिएशन की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास हुआ :

"आज दिनांक 7-8-69 को एसोसिएशन की आवश्यक मीटिंग प्रेजीडेन्ट साहब के कोठे पर हुई। विषय : सेल्स टैक्स ऑफिसर नागौर वाले पधारे। सुखाड़िया साहब के आने के उपलक्ष में थैली नागौर से भेंट करने हेतु चंदा इकट्ठा करना—सर्व सम्मति से तय हुआ कि जो रकम जोरावरमल पवनकुमार के यहां रखी हुई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
है, उसमें से ढाई हजार रुपये उठाकर चंदे में दे दिया जाय।"

यह ढाई हजार सुखाड़िया साहब के नागौर पधारने पर सी. टी. ओ. श्री रामेश्वर त्रिवेदी द्वारा कहने पर प्रस्ताव पास किया गया और ढाई हजार उनको इस सम्बन्ध में दिया गया। कहा गया था कि अकाल में शायद यह रुपया दिया जायेगा लेकिन वह रुपया मिलाकर जो 53 हजार की थैली सुखाड़िया साहब को नागौर में उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष में भेंट की गई जिसमें ये ढाई हजार रुपये भी हैं। सी.टी.ओ. श्री रामेश्वर त्रिवेदी ने एक व्यापारिक संस्था से वसूल किये जिसके बारे में प्रस्ताव पारित हुआ। यह रुपया दिया गया, बही खातों में लिखा गया, वह रुपया 53 हजार के साथ शामिल किया गया। सुखाड़ियाजी को थैली भेंट की गई। लोगों से कहा गया कि रुपया अकाल राहत के कामों में देंगे लेकिन वह कांग्रेस कमेटी को दिया गया। उनको क्या अधिकार है और आपको क्या अधिकार है कि आप जनता से पैसा वसूल करें सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, सुखाड़िया जी की सालगिरह मनायें, उनकी वर्षगांठ मनायें, और पैसा वसूल करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव फंड में दिया जाय मैं समझता हूं, यह राज्य सरकार पर कलंक की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी कोई शिकायत राज्य सरकार के पास आज तक नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : श्री गोरधन सोनी ने बहुत दिन पहले दी है।

श्री मथुरादास माथुर : उसकी शिकायत है डेगाना के अन्दर इसी सी. टी. ओ. जिसका नाम आपने लिया है, के बारे में और उस शिकायत पर जांच के आदेश दे चुके हैं, मगर यह कि जबर्दस्ती वहां पर मेड़ता में थैली के लिए रुपया इकट्ठा किया, इस प्रस्ताव की नकल मेरे पास आज तक नहीं आई है।

श्री गोरधन सोनी : 6 विधायकों ने कहा है कि सुखाड़िया जी को थैली भेंट करने के लिए व्यापारियों से चन्दा इकट्ठा कर लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास 6 विधायकों की शिकायत नहीं आई। सिर्फ यह शिकायत आई कि डेगाना के अन्दर तलाशी ली गई, औरतों के साथ यह हुआ, उसकी शिकायत आपने की है, उसकी जांच के लिए आदेश दिया गया है और सी. टी. ओ. को भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। वरना यह 6 विधायकों और 5 विधायकों की जो शिकायत है, वह मेरे पास आज तक नहीं आई। अभी जो माननीय सदस्य ने कहा है और गोरधन जी सोनी जांच करवाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।

श्री गोरधन सोनी : हम तो चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जांच करायेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : बराबर, लिख कर देंगे तो कराऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजीब बात है। आपके सामने तथ्य रख रहे हैं, फोटोस्टेट कापीज दे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है। ढाई हजार एसोसिएशन ने दिए हैं, उसकी जांच कराऊंगा कि जबर्दस्ती लिए हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जबर्दस्ती का सवाल नहीं है। आपके सी. टी. ओ. ने पैसा वसूल किया।

श्री मूलचन्द डागा : अगर ग्रैन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्वेच्छा से चन्दा इकट्ठा किया है तो उसके लिए अगर कोई शिकायत हो तब तो.......

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह भी सरकारी अधिकारी के मार्फत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बतायें कि इस प्रकार कोई सी. टी. ओ. यदि कलेक्शन करे तो गलत है या सही ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी राजनैतिक संस्था के लिए चन्दा करे तो गलत है और मेरा जुलाई का सर्क्यूलर भी साफ है कि पोलिटिकल चाहे नॉन-पोलिटिकल ईविन कलेक्टर के कहने पर भी मत करो, हमारी मन्शा साफ है। सतीशचन्द्र जी ने जो बात रखी है, उसकी जांच कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : सालगिरह कल्चरल या पोलिटिकल है ?

श्री मथुरादास माथुर : कल्चरल, पोलिटिकल, इमोशनल व सोशियल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्क्यूलयर से कवर होता है।

श्री मथुरादास माथुर : उससे सभी कवर होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि ढाई हजार आपके सी. टी. ओ. ने ग्रैन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से इकट्ठे किए हैं तो फिर आपके सर्क्यूलर के खिलाफ होने की बात एक्शनेबल है ?

श्री मथुरादास माथुर : जांच करेंगे। हैं, इसमें संदेह क्या है ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपके प्रस्ताव में लिखा है कि सी. टी. ओ. आने वाले हैं क्या सबूत है कि वे आ गए और पैसे दे दिये गए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पक्का खाता है एसोसिएशन का, इंद्राज है कि पेमेंट किया गया है। प्रस्ताव पास हुआ है: "ढाई हजार रुपए सो आज हस्ते त्रिवेदी सी. टी. ओ., नागौर वाले को दे दिए गए।"

श्री मूलचन्द डागा : दस्तखत नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दस्तखत बहीखातों में नहीं हुआ करते। डागा साहब, ऐसा है कि त्रिवेदी साहब आपके रिश्तेदार तो नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जांच करायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब रिश्तेदार भी नहीं हैं तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जांच करायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज विभाग के बारे में जो आम धारणा बन गई है जिसके कारण राजस्थान के कौने कौने में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जैसी घटना दो साल पहले जयपुर में घटी किस तरह से आतंक मचाया, जुलूस निकाला गया, उसी प्रकार डेगाना में, गंगा पुर में शिकायतें हुई और राजस्थान के हर जिले में सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें, साधारणतः सभी सदस्यों से मिलती होंगी। मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार से उठाते हैं कि जिस प्रकार से चुंगी कर समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया है, रोड्स ट्रॉन्सपोर्ट के स्मूथ रनिंग के लिए आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट न हो, चुंगीकर की व्यवस्था समाप्त करने के लिए सराहनीय कदम राज्य सरकार ने उठाया है, उसके विभिन्न पहलू हैं। नगरपालिकाओं की आमदनी कम नहीं होगी उस पर सदन में विचार करेंगे। उसी प्रकार से बिक्री के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार पर क्यों नहीं दबाव डालते हैं कि बिक्री कर को कम्पलीटली समाप्त कर देना है। इसके कारण करप्शन बढ़ रहा है, इसके कारण लोगों का हरेशमेन्ट होता है, इस ओर लोगों में डिस्कन्टेन्टमेंट है, परेशानी लोगों को होती है। इसलिए इसके स्थान पर आप दूसरी व्यवस्था सोचिये। प्रोग्रेसिव तरीके की कोई व्यवस्था कीजिये। सम्पूर्ण सेल्स टैक्स को बन्द किया जाय, समाप्त किया जाय। जो प्रोडक्शन की स्टेज है वहां पर आप ऐसा टैक्स लगा दीजिये जिससे टैक्स का इवेजन नहीं होगा और टैक्स का भार भी लोगों पर अधिक नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मेरी इस मांग को अन्य माननीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है कि बिक्री कर की जो व्यवस्था है, बिक्री कर को समूलतः समाप्त कर देना चाहिये और इसके स्थान पर प्रोडक्शन की स्टेज पर, मैन्युफेक्चरिंग टैक्स लगा देना चाहिये ताकि इससे होने वाले घाटे की पूर्ति हो सके और इसकी समाप्ति से न केवल आम जनता परेशानी से बचेगी बल्कि सरकार को भी फायदा होगा और टैक्स इवेजन नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं एक दो छोटी मोटी बातें कह कर इस सम्बन्ध में अपने कथन को समाप्त करूंगा। मैंने पिछली बार जिस दिन वित्त मंत्री जी सदन में अपना भाषण दे रहे थे, मछलियों पर लगाये गये कर के बारे में, फिशरीज के बारे में मुद्दा उठाया था। सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह फ्रेश मछली मेरे हाथ से फिसल रही है। मैं नहीं जानता उस ताजा मछली को पकड़ने में वित्त मन्त्री जी कहां तक सफल हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : वे रोज ताजा मछली पकड़ते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन बहुत दिनों के बाद उनका उन ताजा मछलियों पर ध्यान गया है। मुझे खेद है जिस प्रकार का टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इस बार बनाया गया है, मानो ढूंढ कर कोई चीज बचे ही नहीं, मिसाल के तौर पर, सलमा-सितारा, गोटा-किनारी और कुछ न हो तो केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोल पर कर बढ़ाया उस पर आपने और बढ़ा दिया, मैं समझता हूं समाजवाद के सम्बन्ध में बम्बई में प्रस्ताव जरूर पास किये गये, लेकिन जो उन्होंने समाजवाद की इस सदन में घोषणा की और समाजवादी बजट बनाने की बात कही, सोशलिस्टिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बजट बनाने की बात कही लेकिन कहीं इसमें सोशलिज्म दिखायी नहीं देता और ऐसा दिखाई देता है कि कोई मास्केटो नेट हो जिसमें मास्केटो नहीं घुस सकता उसी तरह का सोशलिस्टिक बजट है लेकिन उसमें सोशलिज्म नहीं घुस पाया है। मुझे बड़ा खेद है, यह देख कर मैं जिस इलाके से आया हूं वहां के सम्बन्ध में कुछ बातें आप से निवेदन करूं। हम सब राजस्थान की बात करते हैं, हम सब राजस्थान से चुनकर आये हैं और समग्र राजस्थान की हमें बात करनी भी चाहिये। डागा जी की तरह केवल रोज पाली के बन्धों की बात कह कर अपने आपको सीमित न कर लें।

सभापति महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके में, जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, 30 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक हैं।

(व्यवधान)

मेरी भावना इसके अन्दर रखता हूं। ऐसा नहीं की वित्त मन्त्रीजी जिस दिन उनकी श्रीमती आईं उस दिन दो घन्टे जोश के साथ बजट भाषण दे गये और जब उनका उत्तर देने का मौका आया तो टांय टांय फिस।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 पर्सेन्ट अल्प संख्यक लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं। उनका कार्य है प्रति दिन मजदूरी करना, दस बारह किलो मछली पकड़ कर टोकरे में रखना और बेचना। तीन चार हजार परिवार के लोग ऐसे हो सकते हैं जो नगीनों की कटाई, छंटाई और मैन्युफेक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ये लोग जो यह काम करते हैं उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ है, कुछ मकान पक्के बनने लगे हैं। दोनों प्रकार के तबके के लोग बहुतायत में हैं। जयपुर शहर में नगीनों का काम करने वाले 90 प्रतिशत मेरे क्षेत्र में रहते हैं। मछली वाले हैं, गरीब लोग हैं उनके पक्के मकान नहीं बन पाये हैं। मुझे एक बात तो यह समझ में नहीं आई कि सरकार ठेका देगी और एक लाख की रकम ले लेती है। आपने ठेका दे दिया और उसने मछली वहां से निकाल ली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेल कहां हुआ? आप जैसे पत्थरों का ठेका देते हैं, पत्थर निकालने का ठेका देते हैं, आप उन पर सेल्स टैक्स लेते हैं यह बड़ा भारी प्रश्न है। ठेके की रकम एक लाख रुपया ले ली। 1½ लाख की मछली निकाली। ठेका देने के बाद सेल और पर्चेज नहीं हैं। मछली निकालता है, ट्रक में भरता है और दिल्ली और कलकत्ता ले जाता है। सेल कहां हुई? नाके पर सेल्स टैक्स वसूल करते हैं। मैंने उदाहरण दिया। मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। तालाब से निकाली गई मछलियां ट्रक में भरी गयीं और दिल्ली ले जायी गयीं। नाके पर उन्हें रोका। पांच सौ रुपया मांगा। ट्रक अधिक देर रुकता है तो मछलियां पेरिश हो जाने का डर, खराब और सड़ जाने का डर। दो सौ रुपये दिये और वे मेरे पास आकर रोये। मैंने कहा कि मैं इस सवाल को उठाऊंगा। आप लोगों पर टैक्स लगाते हैं, लाखों रुपया लोगों की जेबों से लेते हैं लेकिन आपको सोचना चाहिये कि फ्रेश मछली की सेल बहुत कम है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बहुत कम लोग मछली खाते हैं। दिल्ली, कलकत्ता और हावड़ा में जाती हैं। 3 पर्सेन्ट का सैल्स टैक्स किस लिये ? वित्त मंत्री समझते हैं कि इस टैक्स के बिना काम ही नहीं चलने वाला है, राजस्थान का घाटा पूरा नहीं हो सकता, राजस्थान का दिवाला निकलवायेंगे। आप एक काम कीजिये। एक लाख ठेके के लेते हैं तो आप 3 हजार और वहां पर ले लीजिये। नाके पर ट्रक रोक लिया, मछली बरबाद हो जावेगी, चौधरी साहब बता सकते हैं। मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं है कि कितनी देर में पेरिश हो जावेगी। ऐसा पेरिशेबल आर्टिकल जिसकी राजस्थान में खपत न हो, वैसे लीगल नहीं है, इल्लीगल है और इस बारे में मेरा दिमाग साफ है कि यह लीगल नहीं है, ताजा मछली के बगैर काम नहीं चलता, ताजा मछली के बगैर आपका पेट नहीं भरता तो आप ठेके के साथ ही ले लें लेकिन यहां पर जो 3 पर्सेन्ट लगाया है उसको छोड़ दें, उन गरीब लोगों को तंग मत करें। उधर माल निकाला, ट्रक में वर्फ में दबाया और दिल्ली और हावड़ा में बेच दिया। इस पर सरकार विचार करेगी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं आखिरी बात कहूंगा।

श्री सभापति : आप 35 मिनिट बोल चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत कम बोलता हूं। सुबह तो आपकी दिलचस्पी का प्रश्न था। आप चाहते थे रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : डागाजी का टिकिट पक्का हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाहर साहब एप्रिशियेट करेंगे कि आखिर हमारे टैक्सेशन का ढांचा इस तरीके का होना चाहिये कि जिससे राजस्थान में जगह जगह मार्केटिंग का स्तर बन सके, उद्योग पनप सके इन्डस्ट्रीज और ट्रेड का डेवलपमेन्ट हो सके और कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो कि वहां के उद्योग बिलकुल समाप्त हो जायं। आज हिन्दुस्तान और राजस्थान को इस बात का गर्व होना चाहिये कि विदेश में राजस्थान का यह जयपुर शहर प्रेशस स्टोन्स और सेमी-प्रेशस स्टोन्स के कारण बहुत प्रसिद्ध है और फोरिन एक्सचेन्ज की इतनी अरनिंग देता है। जयपुर दूसरे मुल्कों में इस कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसके कारण टूरिस्ट आते हैं, यात्रा करने आते हैं, यहां जयपुर को देखने के लिये आते हैं और माल खरीद कर भी ले जाते हैं। यहां से बहुत सारा माल बाहर भी जाता है। जयपुर में इसकी खपत बहुत कम होती है। हिन्दुस्तान में दो ही शहर इसके लिये हैं—जयपुर और बम्बई। सभापति महोदय, सेमी प्रेशस स्टोन्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा। लेकिन हमारी जो टैक्सेशन की नीति है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि उसके आधार पर स्थिति क्या बनती जा रही है। आज हिन्दुस्तान से जाने वाले माल का सबसे ज्यादा कम्पीटिशन, वर्ल्ड कम्पीटिशन इजरायल, वेस्ट जर्मनी और जापान से है और प्रेशस, सेमी प्रेशस स्टोन के मुकाबले में हमको ये तीनों देश वर्ल्ड में टिकने नहीं देना चाहते हैं और यही कारण है कि डेढ़ साल से हमारा बड़ा भारी कम्पीटिशन है और टैक्सेशन स्ट्रक्चर के कारण यह कहते हुए मुझे खेद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होता है कि सन् 68 में हिन्दुस्तान से 626 लाख याने 6 करोड़ 26 लाख का सेमी प्रेशस स्टोन का एक्सपोर्ट हुआ था लेकिन सन् 69 में, इस साल के 4-6 महीनों के ही आंकड़े मेरे पास हैं 626 लाख से घट कर 477 लाख पिछले साल यह हो गया है। इस प्रकार से, सभापति महोदय, करीब करीब 50 पर्सेन्ट कमी हुई है। इसका कारण यह है कि कम्पीटिशन तगड़ा है, टैक्सेशन ज्यादा है। दूसरी तरफ इजरायल, वेस्ट जर्मनी और जापान की सरकारें इस ट्रेड को अपने यहां बढ़ावा दे रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। आज इसकी खपत हिन्दुस्तान में बहुत कम है। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य हमारे में नहीं होगा जो नगीने को खरीदता हो। हमारे यहां कौन लोग हैं जो नगीने को खरीदते हैं, जयपुर में, राजस्थान में कुछ एक दो लोगों को छोड़ कर 90 प्रतिशत से ज्यादा माल एक्सपोर्ट होता हैं और एक तरह से हमको फोरिन एक्सचेंज मिलता है। फोरिन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं। इस दृष्टि से मैं समझता हूं इस पर जो टैक्स लगाया है एक, दो पर्सेन्ट उसका मैं विरोध करता हूं। यह जो 2 पर्सेन्ट टैक्स लगाया हैं वह मल्टीप्लाय टैक्स है? मैं आपको कोई नगीना बेचता हूं, उसको दूसरा जो खरीदता है वह तीसरे को बेचता है और चौथे को वह नगीना पसन्द आये तो वह खरीदता है इस तरह यह कन्टीन्यूअस प्रोसेस है और उस पर यह टैक्स-मल्टीप्लाय होता जाता है और अल्टीमेटली एक विशेष सर्किल में ही यह टैक्स बढ़ता जाता है। और इस टैक्सेशन से बहुत ज्यादा भार बढ़ता जाता है। सभापति महोदय, मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नगीने के उद्योग के ऊपर इस जयपुर शहर में करीब 4 हजार प्राणी और उनका टोटल मिलाकर करीब 35 हजार प्राणी अपनी आजीविका चला रहे हैं जो कि अत्यन्त गरीब हैं और अल्प संख्यक हैं जो मजदूरी करने वाले हैं, घिसाई का काम करने वाले हैं। वे इस धन्धे से अपना पेट भर रहे हैं और यह हालत हो गई है कि हिन्दुस्तान का जो कारीगर है, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे जापान और जर्मनी वाले हमारे इन कारीगरों के मुकाबले, जब कि उन्होंने मशीनें ईजाद कर ली हैं, ये कारीगर कहीं पैदा नहीं होते हैं इनका जो आर्ट है वह अन्य मुल्कों में कहीं नहीं है, ऐसे हमारे कारीगरों को ये विदेश वाले हिन्दुस्तान से ले जा रहे हैं और अपने यहां इस आर्ट को डवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि जयपुर का जो यह प्रमुख गृह उद्योग है, यह गृह उद्योग समाप्त न हो जाये और बिजनैस का सैन्टर बम्बई या दूसरी जगह न हो जाये और इस टैक्सेशन की पालिसी के कारण यह जयपुर नगर चौपट न हो जाये। इसी सिलसिले में, सभापति महोदय, कुछ कहना चाहूंगा। सन् 67 में हमारी आमदनी हुई—टैक्सेज के कुछ परिवारों के बिजनैस के सैन्ट्रल सर्वे के आधार पर जो आंकड़े मुझे मिले हैं वे बता रहा हूं—एक लाख छः हजार याने टैक्सेशन में 85 परिवारों के सैम्पल सर्वे से यह आमदनी हुई और एक साल बाद आपको मिला है एक लाख 81 हजार। याने एक साल में 70% की इन्क्रीज हुई है। 85 प्रतिशत सैम्पल सर्वे के आधार पर। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस टैक्सेशन की पालिसी में कम्पलीकेसी है, डेलीकेसी हैं। मैं इस बात को प्लीड नहीं करना चाहता हूं कि जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाये परन्तु यह एक डेलीकेट मामला है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिसके कारण करप्शन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आप इसको समाप्त करें। मैं सरकार को आश्वासन देता हूं कि मैं भरसक कोशिश इस बात की करूंगा कि इसके टैक्स से अगर आपको 5 लाख मिलने वाले हैं, याने 1970 में ज्वेलर्स से 5 लाख का टैक्स आपको मिलने वाला है तो मैं आपको यह वादा करता हूं कि सरकार के किसी भी चरिटीवल वर्क में ज्वैलर्स से 5 लाख की जगह 8 लाख रुपया सरकार की इच्छानुसार कार्य के लिये, उस काम के लिये आपको दिला दूंगा। लेकिन टैक्सेशन के झांसे में आप इनको न घसीटें। सेल्स टैक्स के अधिकारियों द्वारा इन्हें जिस प्रकार से हरैस किया जाता है, इन लोगों की दुकानों को जिस प्रकार से सील बन्द कर दिया जाता है, इस प्रकार इन अधिकारियों ने इस बाजार में आतंक फैला रखा है और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है कि शरीफ लोगों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और सदन के सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि ज्वैलर्स जो कमाते हैं उसका एक प्रतिशत समाज के लिए भी खर्च करें और मुझे खुशी है यह बताते हुए कि इसके लिए एक ज्वैलर्स चैरिटेबल सोसायटी बनी हुई है और इसका परिणाम हुआ है कि इस सोसायटी की ओर से अस्पताल में काटेज वार्ड का निर्माण हो रहा है, मैन्टल हास्पिटल के सामने एक धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है और इसके ही परिणाम स्वरूप चौड़ा रास्ता में अमर मैडिकल सोसायटी भवन का निर्माण हो चुका है ओर दुर्लभजी द्वारा 30 लाख की लागत से जयपुर में एक मैटरनिटी नर्सिंग होम बनाया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : दुर्लभजी कोई टैक्स नहीं देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यहां दुर्लभ जी की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं किन्हीं बड़े आदमियों की भी वकालत नहीं कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे फिसल गये हैं........

श्री मथुरादास माथुर : वे एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस टैक्स में कोई कमी करने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि कमी करने का कोई तरीका बैठा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जितना टैक्स मिलता है उतना किसी चैरिटेवल काम के लिये, स्कूल भवन, अस्पताल के प्रोजेक्ट, जिसमें भी आप कह दीजिये 5 लाख का टैक्स है, तो उसके स्थान पर 6 लाख रुपया आपको चैरिटेबल काम के लिए इनसे मिल जायेगा लेकिन सेल्स टैक्स विभाग के माध्यम से आप इनको हरैस मत कीजिये। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक साल आप इसका भी एक्सपेरीमेंट करके देखिये। टैक्सेशन से जितना एडीशनल बर्डन होता है उसको समाप्त कर दीजिये। टैक्सेशन के इन्क्रीज से आपको अतिरिक्त एक लाख या दो लाख मिलने वाला है तो मैं आपको एश्योर करूंगा कि हम और आप चलेंगे, और कोई भी आपका एक्सपेन्डीचर हो उसको बता दीजिये, जितना आपका टैक्स होता है उससे ज्यादा आपको मिल जायेगा लेकिन टैक्सेशन के जरिये आप उनको मारने की कोशिश मत कीजिये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मामले पर मंत्री महोदय इस दृष्टि से विचार करें। क्या आप यह चाहते हैं कि जयपुर में यह उद्योग पनपे ? इन पर इसलिये टैक्स लगावें कि अमुक आदमी से क्यों मिले, मुझसे क्यों नहीं मिले। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। इनकम टैक्स ये देते है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि आप बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज को भी कन्सेशन देते है, क्यों ? क्या वे लोग गरीब हैं ? आप उनको कई तरह के कन्सेशन औद्योगीकरण के नाम पर देते हैं। सस्ती बिजली, सस्ता पानी और सस्ती भूमि और तरह तरह के कन्सेशन देते हैं लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में विशेषकर जयपुर में चलने वाले इस उद्योग को जिससे हजारों परिवार पलते हैं और जी रहे हैं, जिसका वर्ल्ड में कम्पीटीशन है और उसके मुकाबले टिकना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि उनके साथ भी आप हमदर्दी रखें। आपको इतना ब्लण्ट नहीं बनना चाहिये। यह जयपुर का मामला है इसलिये आप यह चाहते हैं कि मैं जयपुर के इस ट्रेड को खत्म करूंगा। जयपुर का व्यापारी चाहे तो बम्बई, दिल्ली में बस जाये इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। मैं समझता हूं कि इतना ब्लण्ट व्यवहार, इतना ब्लण्ट रिप्लाई आपको देना शोभा नहीं देता।

श्री मथुरादास माथुर : Are you sure that I have given this reply, Satish Chandraji ? आपको विश्वास है कि मैं लोगों से नहीं मिलता हूं। You know my nature.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is why I am surprised.

श्री मथुरादास माथुर : मेरी आदत नहीं है कि मैं मेरे से मिलने आने वालों को इस तरह से जवाब दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और खास तौर से जौहरियों के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं सब की बातें सुनता हूं जो कोई भी मेरे पास आते हैं आप उनका केस रिप्रेजेण्ट करें टैक्स ज्यादा है कम होने चाहिये क्योंकि आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका दृष्टिकोण भी यही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका भी दृष्टिकोण वैसा ही दिखता है।

श्री जयकिशन : प्रेक्टिकल इनका है थ्योरिटिकल आपका हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इस दृष्टि से विचार करें। वर्तमान में जो टैक्स उन पर है They must paygeneral tax लेकिन उसके अलावा जो आप सेल्स टैक्स के नाम पर उनसे और अधिक वसूल कर हैरान करना चाहे यह उचित नहीं होगा। आप उनको ऐसे कामों में लगाने के लिए कहिये जो जनता के हित के काम हों वे खुशी से उन कामों को करेंगे। इसी तरह से आप फिशरीज के सम्बन्ध में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज टेक्सेशन के जो कायदे कानून बने हुए हैं उनमें आमूल चूल

(श्री सतीशचन्द्र अग्राल)
परिवर्तन किया जाय जिस आधार पर हर्रेशमेण्ट कम हो और लोगों का रेंजीमेन्टेशन कम हो जाय।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सतीशचन्द्रजी ने जयपुर के जौहरियों की वकालात की और मछली वालों की की, जिनकी नगण्य संख्या है इनकी तो आपने वकालात की है लेकिन आप एक बड़े तबके को भूल गये। मैं यह भी सोच रहा था कि उनको बजट में भी कहीं स्थान मिलेगा लेकिन आज भी वे गरीब लोग बिचौलियों के कारण मारे जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरे अनुमान से जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड से मुझे फिगर्स मिले हैं उस आधार पर हमारे जयपुर में करीब पांच छः हजार रिक्शे हैं। रिक्शों के मालिक जिनके नाम पर लाइसेन्स है उनकी संख्या सत्तर से नब्वे पर्सेण्ट के बीच है। इन रिक्शा चलाने वालों से ये लोग दिन में दो दफा आठ आठ रुपया किराया लेकर उनको यह रिक्शा देते हैं। उस रिक्शे की कीमत 400 रुपया है चलाने वालों से प्रति दिन पांच छः रुपया मालिक को उस किराये के रिक्शे के रूप में देना पड़ता है।

इसी तरह से जो हाथ ठेले हैं, जो हाथ से चलाये जाते हैं उनकी भी संख्या 300-400 के करीब है। वे ठेले भी 150 रुपये की कीमत के बन जाते हैं उनका भी सवा डेढ़ रुपया किराया लिया जाता है। मुझे यह भी जानकारी है कि एक महानुभाव ऐसे भी हैं जिनके जयपुर में करीब 175 रिक्शा हैं....

एक माननीय सदस्य : उनका नाम क्या है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उनका नाम कहने से लाभ नही। वह 800 रुपया प्रतिदिन चालकों से लेता है। दुर्भाग्य यह है कि रिक्शा लाइसेन्स है मालिक के पास। इस कारण लाईसेन्स की कीमत भी बढ़ गई है जो करीब 1,800 रुपया है। जब रिक्शा 400 रुपये में मिल सकता है वहां इन गरीब रिक्शा चालकों से पांच और छः रुपया प्रति रोज लिया जाता है। अगर इसी तरह से यह रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चार वर्ष तक लगातार चलाता रहे तो वे इस योग्य भी नहीं रहेंगे कि उनको फेमिली प्लानिंग करने की आवश्यकता हो। इसलिये जब मुझे मालूम पड़ा पाकिस्तान में रिक्शा बन्द हो रहे हैं। आप कलकत्ता में जाकर देखिये इससे भी दर्दनाक वहां हालत मिलेगी हाथ से वे रिक्शा चलाते हुए दिखाई देंगे। उनको देखते ही हमारी आत्मा कुलबुलाने लगती है। मैंने सोचा कहीं न कहीं इसके बारे में कानून होगा। मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री को भारतवर्ष के अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों को, साथ ही केन्द्र के मन्त्रियों को एक बिल बना कर रिक्वेस्ट की कि कम से कम पांच लाख लोग ऐसे बिचौलियो के कारण मारे जा रहे हैं। मैं सोचता हूं माननीय वित्त मन्त्री जी को वर्षों से रिक्शे में बैठने का मौका नहीं मिला होगा। मैं देखता हूं ये रिक्शा चालक ठंड के दिनों में जिनके कपड़ों पर 25-25 थे गलियां लगी हुई होती हैं बिना पैर में जूते के भारी ठंड में रिक्शा चलाते हुये

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दिखाई देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप भगवान के नाम पर भारतवर्ष में ऐसा कानून बनाइये जिसमें राजस्थान पहल करे कि अब नये रिक्शा चालकों को लाइसेन्स नहीं देंगे लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मुझे केवल एक पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री गुरुनामसिंह का जवाब मिला, अन्य किसी भी राज्य के मंत्रियों ने जवाब नहीं दिया। पंजाब के मुख्य मंत्री ने बताया यह धन्धा बड़ा हीन है, अमानवीय काम है इसको हम बन्द करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हम हर साल दस प्रतिशत इसमें कमी करते जायेंगे, दस वर्ष में जाकर यह बिलकुल समाप्त हो जायेंगे लेकिन दस वर्ष में तो रिक्शा चालकों की हालत क्या हो जायगी? एक तो मेरा यह निवेदन है कि आप इसको बन्द करिये।

दूसरा आप मालिक के नाम रिक्शा लाइसेन्स देना बन्द करिये और जो रिक्शा चलाता है उसी के नाम लाइसेन्स दीजिये और इस तरह से रिक्शे वालों से उस रिक्शे की लागत ले लीजिये। मैंने जो बिल ड्राफ्ट किया उसकी कापी मैंने विधि विभाग को भी दी और उनके साथ डिस्कस किया। मैंने उनसे पूछा आपको इस प्रकार का बिल लाने में कठिनाई क्या है? मुझे जवाब मिला लोकल सेल्फ गवर्नमैन्ट बिल को पेश करना चाहती है। लेकिन मुझे खेद है कि जो बिल इस सत्र में पेश होने वाले हैं उनमें उस बिल को न देखकर दुःख हुआ। इसलिये मैं यह मानता हूं कि आने वाले वर्षों में शायद वह पेश नहीं हो पायेगा.......

श्री भैरोंसिंह : आप इस बारे में सरकार को तैयार कर लें विरोधी दल आपको सहयोग देगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विधि विभाग से यह राय मिली है कि इस प्रकार का कानून लाने में कोई कठिनाई नहीं है, संविधान के अन्तर्गत भी कोई बाधा नहीं है। अगर लोकल सैल्फ गवर्नमैन्ट बिल रख रहा है तो मेरे नाम कमाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सरकार उस बिल को पेश तो करे।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 में बना इसमें 56 में अमेण्डमेण्ट हुआ। जब यह एक्ट बना उसके बाद देश को आजादी मिली और हमारे भारतवर्ष में जनतन्त्र की स्थापना हुई। आज हालत यह है कि इस एक्ट के तहत दस बारह इन्स्पेक्टर्स की फौज आ जाती है। एक तो मेकेनिकल इन्सपेक्टर है पी० टी० इन्सपेक्टर है, इमरजैन्सी ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर है इस तरह से आप देखेंगे दसियों आदमी इसको चेक करते हुए दिखाई देंगे। ये इन्सपेक्टर रात को भी जहां कहीं खड़े हो जायेंगे वहीं पर आप देखेंगे सौ 200 रुपये इकट्ठा कर लेंगे। सतीशचन्द्र जी साहब बता रहे थे जितने टैक्स आप लेजिटिमेट रूप से वसूल करते हैं उससे अधिक कई गुना टैक्स ये इन्स्पेक्टर लोग वसूल कर लेते हैं जो आपके खजाने में जमा नहीं होता। इसमें गलती नहीं है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय इसकी जांच करवायें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, इसमें थोड़ा सा चेन्ज करिये। जितना इस तरह से एक तरह से लूटपाट करके वे

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
पैसा बटोरते हैं उसे वापिस शराब पीकर सरकार में जमा करा देते हैं। यह भी बात वित्त मन्त्री महोदय के ध्यान में रहनी चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कहता हूं इस ट्रान्सपोर्ट के मामले में राजस्थान हिम्मत दिखाये और पहल करे और परमिट सिस्टम जो आज है उसको समाप्त कर दे। आज तो रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी, स्टेट ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी किस तरह से तै करती है कि इस रूट पर इतनी ही गाड़ियां चलनी चाहियें और वे आठ-दस जने बैठ कर यह तै कर देते हैं और फिर इसमें भयंकर भ्रष्टाचार चलता है। अब मुझे नहीं मालूम कि वे किस तरह से यह करते हैं, उनकी क्या नोलेज है, बेस क्या है?

मैं तो एक बात कहना चाहता हूं यह परमिट सिस्टम बन्द कर दीजिये। जो गाड़ी लेकर आपके पास आवे उसको आप इजाजत दे दीजिये। कुछ एक दो कण्डीशन्स रख दीजिये कि ये राष्ट्रीयकृत रूट हैं इन पर नहीं चलेगी कोई और गाड़ी और आज 70 है तो 60 या 62 से पहले की बनी हुई गाड़ी को इजाजत नहीं देंगे बस और फिर आप पर सीट के हिसाब से उससे पैसा लेकर इजाजत दे दें। अब अगर कम्पीटीशन होता है तो वह जाने। जो इस ट्रेड में नया आवेगा या पुराना होगा वे अपनी जानें। मैंने यह बात सरकारी अधिकारियों के सामने कही वो कहने लगे, अरे साहब, अगर ऐसा हो गया तो सड़कों पर लॉ आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जावेगी। अन्धेर हो जावेगा। एक आदमी जो साठ हजार गाड़ी पर खर्च करता है, वह मर जावेगा। पर मुझे समझ में नहीं आता कि यह कहां तक ठीक है। मैंने इसकी मिसाल ढूंढने की भी कोशिश की। तो जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, नार्वे और स्वीडन जो डेमोक्रेटिव और सोशलिस्टिक कन्ट्रीज हैं वहां यही सिस्टम है। वहां कहीं ये आर. टी. ओ. और एस. टी. ओ. नहीं हैं यह परमिटबाजी नहीं है। दो बन्धन हैं वहां पर जो मैंने ऊपर बताये। अन्यथा जो चाहे वह सर्विसेबल गाड़ी सड़क पर लगा दे कोई रोक नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि पूरी खुली छूट देने से लॉ आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जावेगी तो आप इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो महीने के एण्ड तक या फलां तारीख से पहले पहले आवेगा गाड़ी लेकर उनको इजाजत मिल जावेगी।

श्री सभापति : अच्छा हो कटौती प्रस्ताव पर ही सीमित रहें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टैक्सेज का स्ट्रक्चर बदलना चाहिये। इसमें ये जो बिचौलिये सरकार ने खड़े कर दिये हैं उनको समाप्त किया जावे। समाजवादी समाज में बिचौलिये किसी तरह के हों सबको समाप्त कर दीजिये। समाजवादी स्ट्रक्चर कायम करने के लिये कई प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स को आपको बदलना होगा। कल माइनर-मिनरल कन्सेशन रूल्स का सवाल आया। सौ रुपया देकर जो माइनर मिनरल का एरिया लेता है उसके बीच में भी बिचौलिया होता है। इसलिये इन इन्स्टीट्यूशन्स को बदलने का तै करना पड़ेगा। इस तरीके को बदलना पड़ेगा। व्हीकल्स पर भी लिबरल पालिसी आपकी होगी तभी एक बात होगी कि आपको पैसेन्जर टैक्स लगाने की

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरह से जो टैक्स मिलेगा वह इतना ज्यादा होगा पर सीट की कैपेसिटी से कि जिससे आपकी पूर्ति हो जावेगी।

1959 में हमारी ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी या कमीशन भी बैठा था। उसने भी कुछ प्रिन्सिपल्स तै किये थे जो इसी प्रकार के थे। राजस्थान में नेशनेलाइज्ड रूट का 6 पर्सेन्ट बैठता है कुल तो अभी भी रूट्स 94 पर्सेन्ट खाली हैं और जैसा भाई मनोहरसिंह जी मेहता ने कहा आपको हर पंचायत को जोड़ देना चाहिये। पर यह तभी होगा जब लिबरली इसको तै करेंगे और इन आर. टी. ओ. और एस. टी. ओ. के सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। मैं मानता हूं लाख लाख रुपया एक एक परमिट का ब्लैक मार्केट में मिलता है, रिश्वत के तौर पर मिल जाता है। उससे ब्लैक मनी बनती है। इससे नेशन का लोस होता है। उस पर इन्कम टैक्स नहीं ले सकते आप। इसलिए यह गलत चीज है। भगवान के नाम पर इसे बन्द कर दें। लास्ट में पोर्शन पढ़कर अपना कथन समाप्त करूंगा:—

In a conference of the Directors of Transport at Mussoorie, the following recommendation was made amongs others:—

"The permit should be given to whoever produces a serviceable vehicle."

यह वन ऑफ दी आइटम था। पर इस चीज को मिनिस्टर ऑफ रेल्वे ने नहीं माना। वहां तक तो ठीक है। पर जब आप यह कहते हैं कि गरीब आदमी गाड़ी खरीदेगा तो उसको नुकसान होगा तो मैं पूछता हूं कि बस स्टेण्ड पर 20-25 चाय की केन्टीनें चल रही हैं, उनको भी आप कभी कन्ट्रोल करने गये हैं ? पांच, पचास, सौ, दो सौ रुपया लगाकर वह गरीब चाय की होटल या दुकान खोलता है पर अगर उन बीस की जगह चालीस हो जाते हैं तो कोई रोकता है उनको ? उनके इस तरह से सम्भावित अनइकोनोमिकल कम्पीटीशन से आप कभी चिन्तित हुए हैं ? तो फिर इसकी आप चिन्ता क्यों करते हैं ? इसमें जो साठ हजार या लाख लगावेगा वह स्वयं सोचेगा ? तो आप तो जनता के हित में इस चीज को भी सस्ती होने दीजिये। इससे ब्लैक की पूंजी नहीं बढ़ेगी यह और भी लाभ होगा। तो मेरा निवेदन है कि मेरे इस सुझाव पर सरकार ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, टैक्सों के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी ने जिस तरीके का बजट पेश किया है और उस में जो टैक्सों में बढ़ोतरी या कुछ रियायतें घोषित की हैं उसमें दर असल वही दशा है जो पहले थी। उसी तरह से इसे रखा गया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान में हमें अपने साधन बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं यह भी मानता हूं कि हम साधन जुटावें और अगर चाहें वित्त-मन्त्री और उनकी सरकार तो ऐसे साधन जुटाये भी जा सकते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हम यह समझते थे कि अब की बार जो बजट होगा उसमें आम जनता को साधारण लोगों को टैक्सों में कुछ राहत मिलेगी खास तौर पर, जिसको वित्त मन्त्रीजी कामधेनु कहते हैं-सेल्स टैक्स उससे आम आदमी को राहत मिलेगी और नये तरीके के टैक्सेशन का सुझाव दिया जावेगा जिससे कि साधन सम्पन्न लोगों पर उस का बोझा पड सके, पैसा भी मिल सके और लोगों को राहत भी मिल सके।

परन्तु मुझे यह देखकर खेद हुआ कि एक तरफ इतनी संकट की स्थिति, वित्तमन्त्रीजी साधनों की तलाश में और इस बजट में ये टैक्स भी लगायें, पर दूसरी तरफ रियायतें साधन सम्पन्न लोगों को दीं, इसका क्या करण है ? मैंने बजट के जनरल बहस में भी इस प्रश्न को उठाया था पर वित्तमन्त्रीजी ने उत्तर नहीं दिया। यह जो अर्बन लेंड टैक्स है, 64 में लगाया गया था। पर अभी तक उसकी वसूली नहीं की गई, क्यों नहीं की गई इसका उत्तर तो वे देंगे। कहीं कहीं असेसमैंन्ट का काम शुरु हो रहा था और अब एक धड़ाके से वित्तमन्त्रीजी की ऐसी क्या कृपा हुई उस तबके पर कि जो लेंडेड तबका है जो बहुत साधन सम्पन्न तबका है उसको पिछले 6 वर्षो का टैक्स एकदम से उनको गिफ्ट कर दिया। उनको छूट दे दी। उन्होंने अपने ही आंकड़ों से उस समय इस टैक्स का दस लाख का एस्टीमेशन किया था। 64 के अपने बजट भाषण में वित्तमन्त्रीजी ने ये आंकड़े गिनाये थे कि इससे दस लाख की आमदनी होगी। पर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार वित्तमन्त्री की आदत होती है नये टैक्स लगाते समय उसके वनुमान वास्तव से बहुत कम बताते हैं। इसमें मुझे ऐतराज नहीं। पर जिस तरह से यह टैक्स तजवीज किया था उसके अनुसार भी लगाया जावे तो 25 लाख से कम की सालाना आमदनी इससे होती। इस दृष्टिकोण से हिसाब लगावें तो विगत 6 वर्षों में 1॥ करोड़ रुपया बनता है जिसकी आपने उनको छूट्टी दे दी है। बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े जागीरदारों को इन सारे लोगों को जो धन्धा ही यही करते हैं प्लॉट लेने का और बेचने का और जो मिडिल मैन का काम करते हैं उनको आपने यह खुली रियायत दी है। तो इस पर से मैं यह जानना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि क्या कारण है इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है इस छूट देने का उनके पास कि उन्होंने अपने बजट भाषण में एक लाइन कहकर यह छूट दे दी। जब आप इतने आर्थिक संकट में हैं, जबकि आपने इस तरह के टैक्स तजबीज किये है 56 लाख रुपया आपने पैसेन्जर और गुड्स टैक्स का लगाया है। जबकि मैं समझता हूं कि आपने एक करोड़ रुपया सैल्स टैक्स का बढाया हैं। तो यह बढौतरी आपने जो बिलकुल सामान्य लोगों पर की है उसके मुकाबले में आप 1½ करोड़ चन्द संपन्न लोगों को छोड़ रहे हैं पिछले छः वर्षो का। आप वसूल करते तो यह इन लोगों पर बोझ नहीं डालना पड़ता। मैं यह जानना चाहूंगा वित्त मन्त्री जी ने इस प्रकार की रियायत क्यों दी ? हम तो यह उम्मीद करते थे और मैं समझता हूं इसमें गुंजाइश है। अरबन लैन्ड टैक्स जो शुरू किया था उसको आप प्रोग्रेसिवली इन्क्रीज कर सकते थे। आप स्लेब सिस्टम पर और ज्यादा बढ़ा सकते थे। जिनके ज्यादा प्लाट्स हैं, और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिनकी कीमतें बढ़ भी गई हैं। इसलिये उसके अन्दर जस्टीफिकेशन हो सकता था लेकिन आप उसको छोड़ रहे हैं। आप उस मछली को पकड़ रहे हैं, आपको मछवा नजर आ रहा है, आपको होटल में चाय पीने वाला नजर आ रहा है, आपको सोड़ा पीने वाला नजर आ रहा है, सामान्य बसों में सफर करने वाला नजर आया है तो मैं इस प्रकार से कहूंगा यह जो इस तरह का टैक्स इम्पोज किया है यह सब गरीब जनता पर है, जिसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। उसको आपको वापिस लेना चाहिये। मैं सेल्स टैक्स की बात को ज्यादा दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप नई डाइरेक्शन देना चाहते हैं तो जैसा मैंने उस रोज निवेदन किया था फेडरल रिलेशनशिप, इकोनोमिक एण्ड फाइनेनशियल रिलेशनशिप के बारे में हमारे और सेन्टर के बीच बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ रिसोरसेज हैं जैसे सेल्स टैक्स, इसको सेन्टर में दें और एक्साइज ड्यूटी में बदल दें ताकि कीमत में लग जाय और जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन होता है उसको प्रोत्साहन न मिले। मैं यह नहीं कहता कि तमाम रिसोरसेज सेन्टर में चले जायें। दूसरे रिसोरसेज जिसमें इस प्रकार की समस्या नहीं होती वे स्टेट को मिल जाय। वैल्थ टैक्स, इन्कम टैक्स हो सकते हैं, एस्टेट ड्यूटी टैक्स हो सकता है और कई किस्म के टैक्सेशन जिनमें फ्लेक्सेबिलिटि है—जो ऊपर के तत्वों पर लगाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं इस पर पुनः विचार होकर, सैन्टर और स्टेट में इन टैक्सेशन के बारे मे विचार होकर तय होना चाहिये और यह सैल्स टैक्स बुनियादी तौर पर, आम लोगों पर न पड़कर एक्साइज ड्यूटी मे बदल कर रखा जाय। लक्ज्यूरी की चीजों की तरफ ध्यान देकर लगाया जाय ताकि आम लोगों पर इसका असर न पड़े।

मैं यह कहूंगा, आज आपके सामने यह प्रश्न बार बार पेश किये जाते हैं कि आपने बिजली के जितने कान्ट्रैक्ट किये हुये हैं जो सस्ते रेट पर हैं, कई माइन्स के कोन्ट्रेक्ट हैं जो पुरानी दर पर हैं। आप कहेंगे पुरानी स्टेट्स के समय के दिये हुये हैं या फिर आपने ना समझी में कर लिये थे—यह आप कानुनी पहलू पेश करते हैं। हम उनको चेलेन्ज नहीं कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं अगर उस कान्ट्रेक्ट को चेलेन्ज नहीं कर सकते हैं तो आप उस पर सर-चार्ज लगा सकते हैं। बिजली की रेट है आप कह सकते हैं इस रेट तक वालों को डी. सी. एम. का केस न लें जनरेलाइज कर लें और कहें इतनी रेट पर बिजली देते हैं—3 पैसे के रेट पर जो बिजली देते हैं उस पर 20 पैसा सर चार्ज लगेगा या 10 पैसा लगेगा। जो आपको घाटा पड़ता है उसको इस तरह पूरा कर सकते हैं। माइन्स के जो पुराने ठेके हैं उन पर भी इस तरह टैक्सेशन लगाकर आमदनी को पूरा कर सकते हैं। उसमें कोई कानूनी खामी का सवाल नहीं आता है। उन लोगों को आपकी इच्छा रियायत देने को हो केवल इसलिये कि चन्दा मिलने से सहूलियत होती है। 53 हजार रुपया इकट्ठा करना हो तो केवल टेलीफोन से इकट्ठा कर सकते हैं या इलेक्शन के अन्दर चन्दा इकट्ठा करना है तो वह बात दूसरी है। इन पुराने ठेकेदारों को जो बहुत ही कन्सेशनल रेट्स पर है आज को आर्थिक स्थिति में और जबकि आप टर्न देना चाहते हैं समाजवाद को। साधन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सम्पन्न और साधन हीन दोनों के आधार पर समाजवाद लाना चाहते हैं तो करें—

(6.55 म. प्र.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

आखिर सदन में यह विचार भी पेश किया गया था आज भी यह विचारणीय है। आज जो कोन्ट्रेक्ट देते हैं वह भी साधन सम्पन्न लोगों को देते हैं। साधन सम्पन्न तबके में कौन है? हमारे यहां राजस्थान के अन्दर या तो जमीन के बड़े बड़े मालिक या कारखानों के मालिक, बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ठेकेदार या मोटे तौर पर कह सकते हैं बड़े बड़े आॅफिसर। यही साधन सम्पन्न तबका है, उन पर आप टैक्स लगाये, जो पुराने कॉन्ट्रेक्ट की रेट है उसमें सर चार्ज लगायें दूसरे मुद्दों पर लगाते हैं, इर्रिगेशन पर सर चार्ज लगाते है, लैन्ड रेवेन्यू पर सर चार्ज लगाते हैं तो कॉन्ट्रेक्ट पर क्यों नहीं लगायेंगे। जितना ज्यादा कॉन्ट्रेक्ट हो उतना ही सर चार्ज लगायें, जितने बड़े कन्जूमर हैं इतना लाख खर्च करने वाले हैं तो आप कह दें इतना सर चार्ज लगेगा। कन्जम्पशन के बेसिस पर स्लेब बेसिस बना दीजिये। इससे साधन सम्पन्न लोगों पर टैक्स लगेगा लेकिन आपका तो उल्टा तरीका है जो ज्यादा कन्ज्यूम करते हैं उसको कन्सेशन देते हैं और थोड़ा कन्जूम करने वालों को ज्यादा देना पड़ता है। आप बेसिक कन्जम्पशन पर बेसिक अर्निंग रखें। इस तरह से कान्स्टीट्यूशन के अन्दर जो पावर्स हैं उनके तहत आप साधन सम्पन्न लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं और प्रपोर्शनेटली आप साधन हीन लोगों को राहत दे सकते हैं लेकिन मैं देखता हूं वित्त मंत्री जी ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और अगर वित्तमंत्री जी ने अरबन लैन्ड टैक्स को 6 साल पिछले को माफ कर रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर यह समझूंगा कि वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने सिन्डीकेट छोड़कर इन्डीकेट का जामा पहन लिया हो, लेकिन उनकी आत्मा उनका दिमाग, उनका मन पूरी तरह सिन्डीकेट से लगा हुआ है। उसी दृष्टि को वे आज चला रहे हैं लेकिन मैं कहूंगा आपका बस का नहीं है तो आप समाजवाद को बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं आप अपने बजट भाषण में समाजवाद का प्रिएम्बल लगाते हैं समाजवाद का तर्क देते हैं। अभी माननीय सदस्या जो बहुत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोलती थी वह फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगी कि प्राइवेट लोगों को परमिट दे दें। ऐसी नीति है तो मैं समझता हूं आपकी नीति आज जो समाजवाद की तरफ जाना चाहती है आज फ्रस्ट्रेशन में उसके खिलाफ खड़ा कर रही है। आज इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है।

(7 म. प.)

सभापति जी, कुछ एस. टी. ओ. के जरिये चन्दा वगैरह इकट्ठा करने की बात है। एक सरक्यूलर भी पेश किया गया। मैं समझता हूं और कहना चाहता हूं कि यह सरक्यूलर बेशक आपने जारी कर दिया है लेकिन आप प्राईवेट में उन आॅफिसर्स को यही कहते हैं कि यह सरक्यूलर तो ऐसे ही चला करते हैं और काम जो करना है सो किये जाओ। वर्ना कोई वजह नजर नहीं आती कि आपके इस सरक्यूलर का कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

असर नहीं है। इस सरकुलर के बावजूद गाड़ी वैसे ही चलती जा रही है जैसे पहले चलती आई है। मैं पिछली मई के महीने में जैसलमेर गया। वहां ऑफिसर्स का क्लब बन रहा था। मैं वहां बाजार से निकला तो वहां पर पिछले भयंकर अकाल की वजह से लोगों के अन्दर परेशानी थी। लोगों ने वहां पर परचियां दिखाई। ऑफिसर्स के क्लब के लिए सी. टी. ओ. थे वह और दूसरे ऑफिसर्स कहा जाता है वहां पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप यह कहें कि वह लिख कर दें कि हम से जबरदस्ती वसूल किया है, वहां के सी. टी. ओ. की कोई शिकायत करे तो आप निश्चय मानिये कि उनका असेसमेन्ट अगली साल में क्या होगा उनके साथ क्या बीतेगी ? आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप नोट करो कि जैसलमेर में पिछले मई के महीने में इस तरह से पैसा इकट्ठा किया गया है, आप उसकी इन्क्वायरी करायें आप सोचें कि व्यापारी कहे कि हमने चन्दा दिया है और जबरदस्ती लिया है तो इतनी हिम्मत उनकी कहां। उनकी गरदन उनके हाथ में नहीं होती तो वह चन्दा देते भी नहीं।

इसी तरह से आपका एन्टरटेनमेन्ट टैक्स है। मई में वहां एक सिनेमा कराया गया। ऑफिसर्स लोगों ने इसकी न इजाजत ली, एन्टरटेनमेन्ट के एग्जम्पशन की कोई इजाजत नहीं ली। अगर आप चाहेंगे तो मैं डेट वगैरह भी दे दूंगा। कौन सा सिनेमा दिखाया गया वह भी दे दूंगा। मेरी जानकारी के अन्दर कोई एग्जम्पशन नहीं मिला। आप पता लगायें पिछले मई या अप्रैल में कौनसा इस तरीके से सिनेमा चला था। वहां की सारी पब्लिक जानती है। अखबारों में भी यह बात निकली है। लेकिन इस तरह बड़े बड़े ऑफिसर्स लोगों द्वारा बड़ी बड़ी रसीदों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टिकट काटी गई और उसका यदि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स होता तो वह बड़ी रकम होती। वह पैसे कहां गये कहा नहीं वह दूसरी बात है लेकिन इन दोनों बातों की मैं चाहूंगा कि आप इन्क्वायरी करायें।

सभापति महोदय, अभी रोडवेज के बारे में किया गया। मुझे खेद है यह कहते हुए कि राजस्थान में अभी केवल 6 परसेन्ट रोड माइलेज पर हमारा नेशनेलाईजेशन हुआ है। और नेशनेलाईजेशन का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो यह मंत्रिमण्डल है जो कि नेशनेलाईजेशन नहीं होने देता रूट्स का। चाहे वह उदयपुर डिवीजन हो चाहे वह बीकानेर डिवीजन हो, चाहे वह जोधपुर डिवीजन हो और चाहे वह जयपुर डिवीजन में भी कुछ हिस्सा हो। जब भी कोई सवाल आता है सबसे पहला दुश्मन इस रोडवेज कारपोरेशन का यह मंत्रीमण्डल है जो कि उसको बढ़ने नहीं देता। हमें पता लगा कि गुजरात के अन्दर 95 परसेन्ट नेशनेलाईजेशन हो गया। वहां पर सरकार को एक पैसा मुआवजे का देना नहीं पड़ा नेशनेलाईजेशन करने में। जब रूट परमिट खतम हुआ तभी इस पर कारपोरेशन की गाड़ियों के परमिट मिल गए और पुरानी बसें खतम हो गयीं। 75 प्रतिशत गांव वहां से कनेक्टेड हैं। हमारा यहां क्यों नहीं होता यह पिछला इतिहास है। अभी समाजवाद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं आपने पांच लाख रुपया कारपोरेशन को दिया है। अगली साल के अन्दर वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कितना इससे बढ़ायेंगे। इस पैसे से कितनी तो बसें ले आयेंगे, क्या वर्कशाप बनायेंगे या कितनी नई गाड़ियां रूट पर चलायेंगे।

दूसरा दुश्मन आपका आर. टी. ए., एस. टी. ए. और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट है जो कि प्राईवेट धन लेकर ओरीयेन्टेड हैं। उनकी दरख्वास्तें कैंसिल करते हैं। आप लोगों ने ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है कि वह पूंजीपतियों के एजेन्ट हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि कारपोरेशन दरख्वास्त दे और आर. टी. ए. में इस तरह के फैसले हों कि वहां पर उनको परमिट नहीं मिलकर पुरानी चलती रहती हैं।

तीसरे नम्बर पर मैंने देखा कि दुश्मन पुलिस है। आप सिंधी कैम्प पर जाइये। हमारे एम. एल. ए. क्वार्टर्स से जाते हैं तो वह कहते हैं अजमेर जायेंगे। जबरदस्ती खोसते हैं थैले को कि अजमेर के लिए गाड़ी खड़ी है। आपकी पुलिस रोक नहीं सकती। कारपोरेशन वालों से कहा तो वह कहते हैं कि हम तो कहते कहते थक गये लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि पुलिस को उन प्राईवेट लोगों से पैसे मिलते हैं। आप अपनी आंख के नीचे नहीं रोक सकते। आप जयपुर में नहीं रोक सकते तो राजस्थान के दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की चीजों को कैसे रोक सकेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आज कारपोरेशन की हालत है, जिस तरह की गाड़ियां हैं उसके अन्दर मैं यह समझता हूं कि आपकी नीयत यही कहलवाने की है और आज इसका श्रीगणेश कांग्रेस की बेंचेज से हो गया कि इस कारपोरेशन को खत्म करके तमाम रूट्स को प्राईवेट लोगों को दे दो। हमारा कारपोरेशन कामयाब नहीं होगा। यह सैद्धांतिक भाषण इधर से दिलवायेंगे कि हम पहले कहते थे कि नेशनेलाईजेशन गलत है, घाटा होगा और इसलिए आप उसको प्रेक्टिकल करके इनकी थ्योरी को आप साबित करना चाहते हैं। यह आपका तरीका है। अब आप ख्याल कीजिए कि रोडवेज का आपने किराया बढ़ाया है। मैं अलवर से आया हूं 5 रुपये 55 पैसे पहले लगते थे उसके अब 5 रुपये 80 पैसे हो गये। रेल के अन्दर जो मेल और एक्सप्रेस के 4 रुपये 95 पैसे लगते हैं और जो पैसेन्जर है उसके सिर्फ 4 रुपये लगते हैं। आपकी गाड़ियां मेल की जैसी हों यह तो आप भी क्लेम नहीं करेंगे। अगर गुड्स ट्रेन की बात करें तो शायद उससे मेल खा जायें लेकिन वह पैसेन्जर गाड़ी की तरह भी है तो रास्ते में कहीं कुछ टूट जाता है, कहीं कुछ टूट जाता है। बेचारे ड्राईवर क्या करें। वह कहते हैं हम क्या करें आप बैठते हैं कुछ करो। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, यह हालत वहां की हो रही है। लेकिन आपने किराया 1 रुपया 80 पैसे रेल से बढ़ा दिया। रेल में जब थर्ड क्लास का फेयर बढ़ाया गया तो उसका विरोध हुआ, सारी जनता ने विरोध किया, हमारे प्रतिनिधि जो पालियामेन्ट में बैठे हैं उन्होंने विरोध किया और आखिर में रेलवे मिनिस्टर को वापिस लेना पड़ा। यह कहना पड़ा कि मैंने देख कर पेश नहीं किया था।

यह है जैसा कि रेलवे बोर्ड से आया था जल्दी में उसी तरह का रख दिया था। तो आपका क्या जस्टीफिकेशन है? आपका क्या जस्टीफिकेशन है थर्ड क्लास पैसेन्जर्स पर बढ़ाने का और डिस्क्रीमिनेशन करने का रेलवे से ज्यादा किराया वसूल करने का क्या आपका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जस्टिफिकेशन है ? तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपकी रोडवेज के बारे में नीति है उस नीति में बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मैं जानता हूं कि पिछली बार खेरली मथुरा लछमनगढ़ इस रूट को नेशनेलाईजड होने की बात चली थी। गजट के अन्दर आगया और गजट में आने के बाद वहां पर लोगों ने पैसा इकठा किया। जो एसोसियेशन है उसके जरिये वहां पर पैसा इकट्ठा किया गया-एक बस हमारे मजदूरों की को-आपरेटिव सोसाइटी की भी है तो उनको बुलाया नहीं। इनको छोड़ो। इनको बुला लिया तो सारा भंडा-फोड़ हो जायेगा अगर उनको मीटिंग में बुलाया तो। सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया यहां के एक मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले मंत्री थे तो रेट सस्ता था और अब मंत्री और हैं तो कुछ मंहगा है ! पहले 10 हजार में काम बन सकता था तो अब 20 हजार में होगा। इस तरह के विचार से पैसा इकठ्ठा हुआ, सभापति महोदय, और आखिर में उसको नेशनेलाइज नहीं होने दिया। (शेम शेम) उसको नेशनेलाइज नहीं किया और वापिस ले लिया जगह जगह पर इस तरीके के नोटिसेज निकले हैं। आप इस बात की अगर इन-क्वायरी करना चाहें तो इनक्वायरी के अन्दर यह साबित हो सकता है कि अलवर, खेरली लछमनगढ़ का यह जो रूट है तो इसमें तो रेकार्ड की बात है कि नेशनेलाइज करने के लिये नोटिस निकला है और वह वापिस लिया गया है, लेकिन यह फैक्ट की बात है कि उसको नेशलाइज करने के लिये निकले हुए नोटिस को वापस लेने के लिये पैसा इकठा किया है, और मेरी जानकारी के अनुसार 20 हजार रुपया उसके लिये खर्च किया गया है। यह नोटिस वापस हो गया है और आप यह किराया बढ़ा रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नेशनेलाइजेशन को प्रोत्सा-हन दें। जो आपके सोर्सेज आफ इनकम हैं उनको बढ़ाने के बजाय आप लगातार सोर्सेज को घटाते जा रहे हैं आप उनको छोड़ते जा रहे हैं। मैंने जनरल डिबेट के ऊपर सजेस्ट किया था कि आपके पास सोर्सेज हैं। आप गावों के ऊपर, आप ईरिगेशन प्रोजेक्टस पर बैटरमेन्ट लेवी लगा रहे हैं, और शहरों में विकास की कीमतें बढ़ गई हैं जमीनों और मकानों की सारे के सारे की कीमतें बढ़ गई हैं तो इनके ऊपर केपिटल लेवी के रूप में या डवलपमेंट टेक्सेज के रूप में टैक्स लगाने की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता ? वित्त मंत्रीजी, आपका दिमाग कामधेनु सेल्स टैक्स की तरफ ही जाता है । आपने पिछले सेशन में इन्डस्ट्रियल और कमर्शियल हाउसेज पर टैक्स लगाने की बात कही थी तो उनको तो इस से एलाऊ करते चलें जायेंगे और आप प्रापर्टी सेक्शन पर टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं इसलिए आप डायलेट्री टेक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको लगातार मीटिंग के बाद सीटिंग करके टालना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वही स्थिति जो अरबन लैंड टैक्स की हुई है वही इन्डस्ट्रीयल और कार्माशियल टैक्स की होने वाली है। आपकी हिम्मत नहीं है, आपका दिल नहीं है, इस सब प्रापर्टी सेक्शन पर टैक्स लगायें। ये सारी बातें अपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भाषण को लच्छेदार करने के लिए, वातावरण बनाने के लिये सदन में कह जाते हैं और दिल में उनको अधिकार देकर उसको रिडन्डेन्ट बना देते हैं, और वह बात खत्म हो जाती है। यह आपकी नीति जनता के सामने साफ तौर पर आ रही है इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी को रिओरियेन्टेड अपनी पालिसीज को करना चाहिये जैसा कि आपके नेता प्रधान मंत्री ने बम्बई के अन्दर किया है और अपनी गलती को स्वीकार किया है पिछले 22 वर्षों में हमने गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाया है। हमने इस खाई को ज्यादा चौड़ा कर दिया है। आप इस खाई को पाटना चाहते हैं तो आपकी यह जो दिशा है वह उस कार्य को पाटने की दिशा नहीं है। आपकी जो दिशा है वह उसको ज्यादा चौड़ी करने की दिशा है। आपको रिओरियेन्ट करनी होगा, आपको उस नीति में बुनियादी तौर पर परिवर्तन करना होगा और जो मैंने कुछ सुझाव आपको दिये हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप गम्भीरता से उन पर विचार करें। आपको नये साधन मिलें उसमें यह हाऊस आपकी मदद करेगा मदद करना चाहेगा बशर्ते कि आप इन लोगों को गरीब लोगों को टैक्सों के अन्दर राहत दें, उनको ज्यादा सुविधायें दें। उनसे इस तरह से जो पैसा आप इकठा करते हैं वह आम जनता के काममें लगाते हुए दिखाई पड़े। इस प्रकार के आप प्रोविजन रखें।

सभापति महोदया, ...

एक माननीय सदस्य : सभापति हूं न कि सभापति महोदया।

श्री रामकिशन : प्रेम हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य जो भीलवाड़े से आये हैं उन्होंने रिक्शा चालकों ठेला चालकों और उनके शोषण का जिक्र किया है। एक माननीय सदस्य ने यात्रीकर के सम्बन्ध में कारों के कर का भी जिक्र किया है। मैंने जनरल डिबेट में इस बात को कहा था कि ये लक्जूरियस कन्वेयान्स हैं इनके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है? क्या आपको कान्स्टीट्यूशनल पावर्स नहीं हैं? क्या आपकी लिस्ट के अन्दर यह नहीं है कि जिसके अन्दर आप टैक्स लगा सकें? या क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है ? वित्त मंत्रीजी से मैं यह उम्मीद करूंगा कि वह इस बात का उत्तर दें कि आपकी यह जो कन्वेयान्स है और जो किराये पर चलने वाला है जो कि अपनी गाड़ी नहीं रख सकता है उससे स्टेट फाइनेंस में पैसा नहीं लेना चाहते हैं और इस बढ़ी हुई रेट पे लेना चाहते हैं और उस कार-ओनरको जिससे कि रोड टैक्स अभी आप जमा कराते हैं उसकी कैपेसिटी कहीं ज्यादा है कहीं ज्यादा है वह आप जितना भी टैक्स लगा देंगे तो भी वह पैदल चलने वाला नहीं है। वित्त मंत्रीजी, आप खुद पर ले लीजिये। आप से साइकल पर नहीं चला जा सकता है जितना भी टैक्स लगायें, चाहे 10 प्रतिशत लगा दें आपका बस नहीं है कि आप स्कूटर पर चढ़ सकें, न आप तांगे पर चल सकते हैं और न आपसे साईकल पर चला जा सकता है। अगर आप शहरी सेक्शन पर, प्रापर्टी सेक्शन पर, साधन-सम्पन्न सेक्शन पर पैसा लेना चाहते हैं तो आप इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कन्वेयान्स पर टैक्स लगायें। आप इस तरीके पर बाल डान्स को देखिये वह भी एक जगह है जहां से आपको पैसा मिल सकता है। वह फिसल रहा है आपके हाथों से। इस तरह की बहुत सी लक्जुरियस चीजें हैं, बहुत से लक्जरी के तरीके हैं कि उनके ऊपर आपका हाथ जा सकता है।

इतना ही कहकर मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी रिओरियेन्टेड करें अपनी टैक्सेशन पालिसी को और नइ दिशा उसको देने का प्रयत्न करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय. मैं एक बात कहना चाहता हूं और दो मिनिट में ही सारी बात कहना चाहता हूं कि आपके पंजीयन अधिकारी जो हैं उसको आप ठीक करें। पाली जिले में 15 और 10 रुपये बीघे में चाही जमीन बेच दी गई है और उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि वह जमीन 500 रुपये को कीमत की है। मेरा कलेक्टर के कार्यालय में एक केस था तो मैने देखा है कि पंजीयन अधिकारी ने जो जमीन हजारों रुपये की कीमत की होती है उसको कोड़ियों की कीमत पर रजिस्टर किया है। यह लास किसको है? आज वे बातें कलेक्टर कार्यालय, पाली में जेर तजवीज हैं। अगर जमीनों की इस प्रकार बिक्री हुई है और वेल्यू की किसी ने जांच नहीं की है तो यह पंजोयन अधिकारी ने बड़ा गलत कदम उठाया है उसमें आप जांच करें। आज हजारों बीघा जमीन जिसको कीमत मेरे ख्याल से 500 रु. प्रति बीघा हो सकती है कम से कम तो यह जांच कौन करे पंजीयन अधिकारी की ?....

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०) : सभापति महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था मैं यह चाहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य हैं पिछड़े वर्ग के वे अपने भाषण को छपा लेने की कोशिश करते हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि सारे सेशन में वे अपने टूटे-फूटे विचार रखना चाहते हैं तो उनको अवसर नहीं दिया जाता है तो मैं आपके द्वारा यह मौका चाहूंगा....

श्री मूलचन्द डागा : जरूर!

मैं बहुत शोर्ट में कह दूंगा। आपको पहले मौका दिया जाय और मेरा समय भी आपको दिया जाय.......

श्री खेतसिंह : डागा जी तो पिछड़े वर्ग के हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह आपको सचेतक की व्यवस्था है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक अनुभव आपके सामने रखा है कि पंजियन अधिकारी वैल्यूएशन नहीं करता है।

दूसरी बात पंजीयन अधिकारी की क्या है कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के माननीय सदस्य बोले, उनकी सारी जमीन ट्रान्सफर सवर्ण को करता है-आपके टेनेन्सी एक्ट में मना है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों की जमीन सवर्ण को ट्रान्सफर नहीं कर सकते। वह कहता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में मनाही नहीं है हम कर सकते हैं........

श्री हरिवल्लभ शर्मा : डागा जी, आप तो काननी आदमी है, क्या वह मना कर सकता है?

श्री मूलचन्द डागा : बराबर। कानून में मना है, इसलिए पहले वह इन्क्वायरी करे, जांच करे। इसका मतलब है····

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कानून में हैं तो करेगा ही।

श्री मूलचन्द डागा : आपके कानून में मना किया हुआ है शिड्यूल्ड कास्ट्स की जमीन की बिक्री नहीं हो सकती है, यह टैनेन्सी एक्ट में है····

श्री शंकरलाल : रजिस्ट्रेशन में डीड जरूर रजिस्टर हो सकती है। वह सही है लेकिन रजिस्ट्रेशन डीड हो सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात चाहता हूं कि इन्क्वायरी करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जब कि कानून में इतनी बात लिखी है कि जो जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स की है वह जमीन बिक नहीं सकती है। तो इतना जरूर उसमें लिखें कि यह जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स की है इस जमीन की बिक्री नहीं हो सकती। लेकिन इस बात की इन्क्वायरी नहीं हो तो कानून में संशोधन होना चाहिए····

श्री शंकरलाल : हां, संशोधन होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह बात कही है, जमीन की गिफ्ट डीड होती है, जितनी जमीन ट्रान्सफर होती हैं वह बिना मूल्यांकन किये हुए हो जाती है। हर एक आदमी जिस जमीन की कीमत बीस हजार की है उसे वह पांच हजार में बेच देता है लेकिन यह जमीन इस दर की है, इस मूल्य की है इसका वेल्यूएशन होता नहीं है और रजिस्ट्रेशन होता है। यह सबसे बड़ी बात, सभापति महोदया, रोजमर्रा की बात है कि आपके यह पंजीयन अधिकारी पांच पांच रुपये ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के, चार चार रुपये ले लेते हैं। लेकिन उसकी रसीद किसको मिलती है? इसको रोकने का क्या तरीका है? आज कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने जाता है वह रजिस्ट्रेशन फीस अलग देगा और दूसरी फीस अलग देगा। नहीं दे तो एक दिन में तो क्या, दो दिन में भी रजिस्ट्री नहीं होगी····

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह कौन से महकमे में नहीं है? क्या आपके सेल्स टैक्स में नहीं है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेल्स टैक्स में नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस अपनी बात रखना चाहती है, एक महकमे की हो या दूसरे किसी महकमे की उसको वह छिपा नहीं सकती है। लेकिन यह आप कराते हैं गलत काम। हम तो उसका विरोध करते हैं। हम यह करने नहीं देते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का काम करवा लाते हैं।

तो इस बात की रोक क्या हो सकती है—कभी पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्रेशन विभाग इस बात पर विचार करे कि कौनसा कदम है जिससे इस प्रकार की रिश्वत को रोका जा सकता है। इसका कारण यह है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं उसमें है कि रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या जो तहसीलदार है वह खुद उसकी जांच करे। लेकिन वह रजिस्ट्रेशन करते समय अहलकार, एल. डी. सी. या यू. डी. सी. जो लिख देता है उस पर रूटीन में दस्तखत कर देता है····

श्री खेतसिंह : आपके दो मिनिट तो कभी के हो गये।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो प्रवृत्ति आज कल के पंजीयन अधिकारियों में है, उसके अलावा एक बात क्या होती है, जो तहसील में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए वह तहसील में न होकर ज्यादातर जिलों पर कर देते हैं, जो गलत काम करना होता है वह जिलों पर कर देते हैं। जमीन पर कब्जा होता नहीं है, तहसीलदार है या रजिस्ट्रार है उसके द्वारा जमीन की बिक्री की रजिस्ट्री कर ली जाती है जब कि वह जमीन बेची नहीं है, जो उस जमीन के ऊपर काबिज होता है कब्जा उसी का होगा, वह जमीन बेची नहीं गई है, केवल मोर्टगेज की है उसके इतने रुपये उसको मिलेंगे। वह पूछे तो भी उसकी जांच करने की, यह इन्क्वायरी करने की बात नहीं करता है और जमीन वाले का अंगूठा निशानी करवा देता है—यह रामानन्द, यह पूनानन्द। यह कोई बात नहीं पूछना चाहता है, वह रुटीन की बात समझता है। फीस आ गई और काम बना। मेरे ख्याल में इस तरह से तहसीलदार का भी हाथ मिला हुआ है। इस प्रकार बहुत गलत काम हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई इन्क्वायरी करने वाला नहीं है, किसी प्रकार की। कोई विधवा जाती है, और श्रीमान जो जमीन लेता है वह सब बातें जानता है। वह कहता है कि जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जब कि उसमें बेचान लिख दिया है ? वह पूछता है, क्या हुआ कर दिया रजिस्ट्रेशन तहसीलदार कहता है - हां। बेचान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह कहता है, रेहन रखी है। लेकिन उसमें तहसीलदार कोई जांच नहीं करता। कई दफा कोर्ट में पंजीयन अधिकारी को बयान देने पड़ते हैं तो कह देता है कि मैंने पूछताछ की थी। तो आप कोई तरीका इस प्रकार का निकालें जिससे यह प्रवृत्ति रुके जिससे पंजीयन अधिकारी एक तो सरकार की फीस खत्म करता है, सरकार की आमदनी खत्म करता है। उसके साथ साथ वह सब काम यू. डी. सी. पर छोड़ देता है, उसकी फीस अलग लगती है और वेल्यूएशन नहीं होने के कारण हजारों रुपयों का गवर्नमेंन्ट को लॉस होता है। और किस प्रकार से एन्क्वायरी होती है, उसका मैंने आपको इन्स्टान्स बताया है। अभी मैंने देखा है, गवर्नर के भाषण के अन्दर सीलिंग की बात कही गई तो उधर धड़ा धड़ जमीन बिकने लगी 99 और 101 के अन्दर। अरे भई क्यों, कि बहुत जमीन है, दो-दो सौ रुपये में बिक रही है चाही जमीन और उपजाऊ जमीन....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाद में लीगेलाइज हो जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : हां वह हो जायेगी मैंने कहा कि इस प्रकार से जमीन बिकती है....

श्री दिग्विजयसिंह : समाजवाद हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : आपने भी यह कदम उठाया होगा।

श्री दिग्विजयसिंह : बहुत। बहुत !

श्री मूलचन्द डागा : बोलिये, आपके सामने एडमिट करते हैं। इससे ज्यादा कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में हमारे माननीय सदस्य ने भी कदम उठाया है ...

श्री दिग्विजयसिंह : आपने राय दी थी।

श्री भैरोंसिंह : वह वकील की हैसियत से दी होगी, एम. एल. ए. की हैसियत से नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वकील की हैसियत से राय दी होगी।

श्री मूलचन्द डागा : तो पंजीयन अधिकारी की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठायें—इसके बारे में मैं यह बात कहना चाहता हूं।

दूसरी बात गाड़ियों की बात है, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मैने अपने निर्वाचन क्षेत्रकी कोई आठ या दस शिकायतें पेश की हैं कि पाली से सोजत तक आपका बस रूट चलता है, वहां पर कितनी गाड़ियां चलती हैं ? कितनी गाड़ियां चलती हैं प्राईवेट ? मैं एक बात बताऊं कि कम से कम दो सौ पैसेन्जर पाली से सोजत के बीच में चलते हैं-कहीं तो टेम्पो चलता है, कहीं छोटी गाड़ियां अलॉऊ कर दी हैं। क्या इसका कारण है ? आपकी गाड़ियां खाली जांय, सरकार घाटा उठाये और पाली से सोजत के बीच में टेम्पो चलते रहें और इतने चलते हैं कि उनसे पूछे तो कहते हैं कि सरकार ने परमीशन दी है। यह सरकार कैसे पाली से सोजत तक के लिए परमीशन देती है ?

श्री रामसिंह कुड़ी : आपकी सरकार है।

श्री मूलचन्द डागा : तीसरी बात, पाली से गांवों में गाड़ियां जाती हैं···

श्री दिग्विजयसिंह : समाजवाद है।

श्री मूलचन्द डागा :··· मोकलसर जाती हैं, उन गाड़ियों में लोग खींचखांच करके भरे हुए होते हैं, गाड़ी में नीचे भरे हुए होते हैं और ऊपर भी भरे हुए होते हैं; जैसे किसी मेले में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। कहते हैं। उनसे कैसे ले जाते हो, इतने मत ले जाओ एक्सिडेंट का खतरा है···

श्री शंकरलाल : रामलीला नाम है उस गाड़ी का।

श्री मूलचन्द डागा : रामलीला नाम है गाड़ी का।

यह हम देखते है, गाड़ियां चलती हैं, सभापति महोदय, रोज उन गाड़ियों में लोग गांवों से आते जाते हैं एक गाड़ी की जगह तीन गाड़ी की सवारी भर लेते हैं। आपके इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर पर इन्सपेक्टर लेकिन कुछ नहीं होता है। इस बात पर आपका ध्यान बार बार आकर्षित हम करते हैं।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, टैक्सेशन की बाबत बात करते हैं, म्यूनिसिपेलिटी का जो हाउस टैक्स था, मान लीजिये, जिन म्यूनिसिपेलिटी ने लगा लिया तो ठीक और उदयपुर ने नहीं लगाया, जोधपुर ने नहीं लगाया तो उनका क्या हुआ ? जिन म्यूनिसिपेलिटी ने हिम्मत करके टैक्स लगा दिया तो लगा दिया, नहीं लगाते हैं तो नहीं लगायें। वाटर टैक्स की रिकवरी कर ली तो कर ली, नहीं कर ली तो नहीं। तो मैं सरकार से एक बात कहता हूं कि आपके सामने कोई आवाज उठाये, विरोध करे, जिससे आपको डर हो तो वहां तो बन्द नहीं तो आप टैक्स वसूल कर लेंगे। यह जो पॉलिसी है, जो नीति है, इससे मालूम होता है कि कई बार हम लोग ठीक ढंग से नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)
चलते। इतना कह कर मैं मेरा समय मेरे मित्र को देना चाहता हूं, वह बोलें।

श्री कल्याण मल : यह आप कोई दान नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : श्री गोरधन सोनी। आप समय का ध्यान रखिये। उसके बाद (श्री कल्याणमल से) आप बोलें।

श्री भैरोंसिंह : हमारा भी नम्बर है।

श्री सभापति : श्री गोवर्धन सोनी। आप संक्षेप में कहें।

श्री गोवर्धन सोनी (मेड़ता) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आबकारी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इसके सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने काफी बातें कही हैं, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि सारे देश में पूर्ण शराबबन्दी कर देनी चाहिये, इससे ही देश की उन्नति हो सकती है और देश का अधःपतन रुक सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक निश्चित अवधि में पूर्ण शराबबन्दी हमारे राज्य में हो जानी चाहिये। इससे हमारे देश का हित है, हमारे प्रान्त का हित है और जनता का हित है।

इसके बाद में बिक्री कर के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। आज बिक्रीकर की उलझन भरी व्यवस्था के कारण लोगों को बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, इसलिये इसमें सरलीकरण होना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान में कई बातें ऐसी हैं जिनसे राज्य सरकार को भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं और व्यापारियों को तो उससे बड़ी भारी परेशानियां उठानी ही पड़ती हैं। आज सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर गांवों में जाते हैं तो दुकानदार दुकानों को बन्द करके चले जाते हैं। सेल्स टैक्स वाले टैक्स की वसूली तरीके से करें, लेकिन आज जो तरीका और आतंक सेल्स टैक्स वालों का है वह इतना बुरा है कि इससे यह महसूस होता है मानो यह कोई राज्य का डिपार्टमेंट नहीं डाकुओं का डिपार्टमेंट है।

इसलिये यह आवश्यक है कि बिक्री कर के बारे में लोगों को समझाया जाये और बिक्री कर कानून का सरलीकरण कर के इसे सुधरे हुए स्वरूप में लाया जाय। इस तरह की सुविधा दी जाय तो सरकार की और व्यापारियों की काफी दिक्कतें कम हो सकती हैं।

मैं डेगाना की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 6 महीने पहले डेगाना में, सी. टी. ओ. गये और एक पार्टी के यहां रात को 8½ बजे सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर को भेजा। उसने चैकिंग करना शुरु किया। दुकान का मालिक आया और उसने पूछा कि क्या बात है ? तो इन्सपेक्टर ने कहा कि हम बहियां ले जाना चाहते हैं। दुकानदार ने कहा कि आपको बहियां लेजाने का अधिकार नहीं है। सी टी ओ. बहियां ले जा सकते हैं। आप सी. टी. ओ. नहीं हैं। इस पर कहा सुनी हो गई और इन्सपेक्टर जबरदस्ती बहियों को ले जाने की कोशिश करने लगा। इस पर दुकानदार ने रसीद मांगी तो उसने रसीद देने से इन्कार कर दिया, इस पर आस पास के दुकानदार इकट्ठे हो गये और झगड़ा इस रूप में हो गया कि दुकानदार तो कहता था कि बहियां नहीं ले जाने दूंगा और इन्सपेक्टर ने कहा कि बहियां ले जाऊंगा। इस पर इन्सपेक्टर ने सी.टी.ओ.

(श्री गोवर्धन सोनी)

को इतल्ला दी। इसके बाद समझाने पर बहियां ले जाने दी। इसके बाद का जो काण्ड हुआ, उससे इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का सिर शर्म से नीचे झुक जाना चाहिये। सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने उस घर को तीन औरतों का और तीन चार आदमियों का जो वहां पर मौजूद नहीं थे, उनका नाम झूठा लिखा दिया और उनके खिलाफ बिलकुल झूठा फौजदारी का केस बना दिया। इस प्रकार की बातें, वैसे वसूली के लिए सेल्स टैक्स के अधिकारी कानून के माफिक कुछ भी करें पर झूठे फौजदारी केसेज बना दें और वह भी औरतों के खिलाफ बना दें, जो आदमी उस समय वहां पर नहीं थे उनके खिलाफ झूठा फौजदारी केस बना दें, यह यह एक जघन्य अपराध है, इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिये। वहां के सी. टी. ओ. को मैंने लिखा कि यह क्या तरीका अपनाया है कि झूठा केस बना दिया, पर उसने कोई जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद मैंने असिस्टेन्ट कमिश्नर, जोधपुर को लिखा पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, इस पर मैंने कमिश्नर, जयपुर को लिखा कि इस इस तरह का अन्याय व्यापारी के साथ हुआ है। झूठे केसेज आपके सेल्स टैक्स के अधिकारी व्यापारियों के खिलाफ बनाते हैं। यह खराब बात है। पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने वित्त मन्त्री जी को लिखा पर दुर्भाग्य से वित्त मन्त्रीजी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने मुख्य मन्त्रीजी को लिखा तो उन्होंने जवाब दिया। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था में एक एम. एल. ए. सी. टी. ओ. को लिखता है, असिस्टेन्ट कमिश्नर को लिखता है, कमिश्नर को लिखता है, वित्त मन्त्री को लिखता है, और उनके द्वारा उसको जवाब तक नहीं दिया जाता है, इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती। झूठा केस बना कर सी. टी. ओ. इस प्रकार की कार्यवाही करे और उसके सम्बन्ध में लिखने पर भी कुछ भी सुनवाई तक न हो, जवाब तक नहीं दिया जाय। यह हाल है।

इसके साथ ही साथ मैं नागौर का उदाहरण सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। वैसे पुलिस विभाग भ्रष्ट है पर सेल्स टैक्स विभाग इससे भी ज्यादा भ्रष्ट है। नागौर में सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर, दूसरे अधिकारी दुकानदारों के पास गये और कहा कि पैसे लाओ। दुकानदार इस डर से कि ये लोग हर तरह से हैरान करेंगे, उनको पैसे दे देते हैं। इस लिये मैं वित्तमन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। व्यापारी आपको इनकम देते हैं। आपको व्यापारियों की इज्जत करनी चाहिये। जो गलती करे उसको सजा मिले पर जो लोग आपको टैक्स देते हैं, जिन लोगों के जरिये आपको इनकम होती है, उन लोगों को आपके विभाग के अधिकारियों द्वारा बेइज्जत किया जाय, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नागौर में सेल्स टैक्स अधिकारियों ने चन्दा इकट्ठा किया। नागौर का सी. टी. ओ. मेरे पास आया चन्दा इकट्ठा करने और कहा कि नागौर में कॉलेज बन रहा है। मैंने कहा कि नागौर में कॉलेज बन रहा है तो चन्दा इकट्ठा करने का काम जनता में काम करने वाले करें आप क्यों कर रहे हैं। अगर सुखाड़िया जी को थैली भेंट करने के लिये पैसा जमा करना है तो कांग्रेस वाले करें। कांग्रेस अधिवेशन के लिये चन्दा इकट्ठा किया गया तो कांग्रेस वालों द्वारा इकट्ठा

(श्री गोवर्धन सोनी)

किया जाना चाहिये जनता के आदमियों को इकट्ठा करना चाहिये या पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया जाना चाहिये । अफसर लोग जनता पर जोर डाल कर चन्दा इकट्ठा करें यह अच्छी परम्परा नहीं है । इससे बुरी चीजें पैदा होती हैं, और जिस कार्य के लिये लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं. उस कार्य के लिये भी मजबूर हो कर डर के मारे चन्दा देना पड़ता है ।

इस लिये, सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हों, इस प्रकार की व्यवस्था करें । और यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी में सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिये व्यापारियों के दुखदर्द को सुनने के लिये एक जिला हैड क्वार्टर पर एक साल में एक दफा आप व्यापारियों की एक मीटिंग बुलायें और व्यापारियों से पूछें कि उन्हें क्या क्या किस किस प्रकार की तकलीफें हैं । इस प्रकार की व्यवस्था करने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी । वे अपनी परेशानियां आपके सामने रख कर अपनी तकलीफों को कानूनी और वाजिब तरीकों से रफा कर सकेंगे, और राजस्थान सरकार के अधिकारी भी किसी प्रकार की ज्यादती उनके साथ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको यह डर रहेगा कि व्यापारियों की वित्तमन्त्री जी के साथ मीटिंग होगी तब वे हमारी नाजायज हरकतों की शिकायत कर देगें । इसलिये मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हर जिला हैड क्वार्टर पर साल में एक बार व्यापारियों के साथ वे मीटिंग रखें और उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करें ।

अभी कुछ दिनों पहले एक आदेश निकाला गया जिसके अन्तर्गत 40, 41 और 42 नं. के फार्म व्यापारियों के लिये भरना जरूरी हो गया है । जो माल भेजना चाहें वे इन फार्मों को भर कर भेजें और जिसके यहां माल भेजा गया है, वह भी इन तीनों फार्मों को भरे । आज रजिस्टरों में इस प्रकार की एन्ट्रीज की जाती हैं तो ऊपर से यह फार्म भराने की क्या आवश्यकता प्रतीत हुई है । तो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जितना कानून को उलझन में डालेंगे उतनी ही स्थिति उलझन भरी हो जायगी । आपका बिक्री कर कानून पहले से ही उलझन भरा है इसको और उलझन भरा बनाने से व्यापारी तो उसको मेन्टेन नहीं कर सकेंगे और अधिकारियों को रिश्वत लेने का मौका मिलेगा । आज व्यापारी पूरे रजिस्टर मैन्टेन करते हैं, उनमें यह सब एन्ट्रीज होती हैं फिर यह फार्म नं. 40, 41 और 42 व्यापारियों से भरवाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी ? मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी इन तीनों फार्मों को रद्द कर देगें ।

इसके साथ ही साथ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जो बड़ी महत्त्वपूर्ण है । गुड़, शक्कर वगैरह यू. पी. से आता है । यदि 40 रुपया क्विन्टल का माल है तो चैक पोस्ट्स वाले 80 रुपया क्विन्टल के हिसाब से उनसे टैक्स वसूल करते हैं । जो पैसा दे देता है उसको तो यों ही छोड़ देते हैं और जो पैसे नहीं देता है, उससे इस

(श्री गोवर्धन सोनी)
तरह दुगुनी टैक्स की वसूली कर लेते हैं।

मेरे कहने का मतलब है कि बिक्री कर हर ट्रक के आने पर चार्ज करते हैं यह अन्याय है। अगर वित्तमंत्री सतर्कता बरतना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि वह उनको नैतिक रख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैक पोस्ट्स पर यह कर दें कि वह ट्रक नम्बर ले लें, सेल्स टैक्स नम्बर ले लें और जिले के जिस व्यापारी का माल आता है, उसकी वह सूचना दे दें, सी. टी. ओ. उसकी जानकारी कर ले कि वास्तव में माल आया, लेकिन चैक पोस्टस् पर ट्रक वालों को तंग करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। जिस ट्रक वाले ने ज्यादा पैसा दे दिया तो उसको छोड़ दिया, जिसने पैसा नहीं दिया उससे माल की कीमत से अधिक टैक्स वसूल कर लिया जाता है....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह टैक्स के मामले में किसी तरह से उपयुक्त नहीं है। कई चीजों पर लास्ट पॉइन्ट पर है। वित्तमंत्री ने स्टेटमैंट में कहा है कि सूबे पर लेटेस्ट पाइन्ट पर कर दिया। इससे कठिनाई होती है, उनको डी. फार्म देना पड़ता है। तो वित्तमंत्री उचित समझें तो मेथी, मिर्ची धनिया इन पर 3 प्रतिशत बिक्री कर लगायें। अगर राज्य के अन्दर रहता है तो 3 प्रतिशत रखें। धनिये, मिर्ची मेथी, हर गरीब आदमी के खाने की चीज है। इस पर 6-7 प्रतिशत ज्यादा है लास्ट पाइन्ट पर गड़बड़ी होती है और टैक्स आता है वह केंद्रीय सरकार को जाती है। अगर वित्तमंत्रीजी इन पर 3 प्रतिशत लगा दें और फर्स्ट पाइन्ट पर लगा दें तो व्यापारी को डी. फार्म देने की दिक्कत दूर हो जायगा और वित्तमंत्री को ज्यादा टैक्स आ जायगा और सी. एस. टी. व्यापारी को नहीं देना पड़ेगा। इससे व्यापारियों को सुविधा मिलेगी।

सेल्स टैक्स में एक नई योजना आपने चला दी है। सेल्स टैक्स अधिकारी एडवांस टैक्स लेने के लिये निकल पड़ते हैं और व्यापारियों को जबरदस्ती दबाकर एडवांस टैक्स देने के लिये बाध्य करते हैं। किसी तरह से व्यापारियों को दबा कर एडवांस टैक्स वसूल नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में कुछ महंगाई बढ़ गई और उसके हिसाब से टर्न ओवर की सीमा भी बढ़ाई गई तो इस समय मेरे खयाल से ए.सी.टी.औ. को 3 लाख के टर्न ओवर करने वाली फर्म्स की जांच करने का अधिकार है और फैसले का अधिकार है। इसकी जगह अगर 10 लाख रुपये की सीमा तक का अधिकार ए. सी. टी. ओ को दिया जाय तो इससे लोगों को राहत मिलेगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा।

उसके बाद सी. टी. ओ. के लिए 20-25 लाख तक के पावर्स हैं अगर वह 50 लाख तक के टर्नोवर की पावर्स उनको दी जायं तो लोगों को स्पेशल सर्कल में नहीं जाना पड़ेगा। इससे भी व्यापारियों को सुविधा मिलेगी।

सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि वहां के व्यापारी को अपील के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए, कोटा जाना पड़ता है और एपेलेट ऑथोरिटी अजमेर में है। यह पाबन्दी ठीक नहीं है। दो जगह पर परेशानी उठानी पड़ती है।

(श्री गोवर्धन सोनी)

ये जो कर बढ़ाये गये हैं, ऐसी चीजों पर बढ़ाये गये हैं कि जिनसे आम जनता प्रभावित होती है। सीमेंट पर 10 से 12 प्रतिशत कर दिया और यात्रीकर भी बढ़ा दिया। पेट्रोल पर बढ़ाया। शराब ऐसी चीज है जिस पर कर बढ़ाना उपयुक्त है लेकिन बाकी जितने टैक्स बढ़ाये गये हैं बिल्कुल अनुपयक्त हैं, उससे गरीब जनता प्रभावित होती है.......

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं ज्यादा इस बारे में नहीं कहता हूं। सेल्स टैक्स प्रणाली में सरलीकरण करें। सेल्स टैक्स ऑफिसर और इन्सपेक्टर का व्यापारियों के साथ अच्छा व्यहार हो, जिससे अच्छा वातावरण हो और आपस में मतभेद न हों।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल। (अनुपस्थित)

श्री महेन्द्र कुमार।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु०) : सभापति महोदय जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में खैरवाड़ा तहसील में सरकार ने जो नशाबन्दी की है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन फिर भी सही रूप से नशाबन्दी नहीं हुई है। गांवों में लोग शराब निकालकर पीते थे या बेचते थे वह तो दरअसल में बन्द हो गया है, लेकिन शहरों में जैसे डूंगरपुर, सागवाड़ा, खैरवाड़ा इस तरह के कुछ कस्बे हैं उनमें शराब अभी भी बन्द नहीं हुई है। उदाहरण के लिए सरकार एक तरफ तो नशाबन्दी करती है दूसरी तरफ इस तरह के सोर्सेज रखती है जिससे वापस शराब बनाकर लोग पीयें या बेचें। हमारे डूंगरपुर में कई लोगों के पास में महुआ नहीं था लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना महुआ आ गया कि जो हमारे डूंगरपुर शहर में सागवाड़ा में जगह 2 महुए की दुकाने लोगों ने खोलदीं और लोग जाकर उससे महुए लाकर शराब बनाते हैं और शहर में आकर बेचते हैं। शहर में लोग शराब पीने लगे हैं कि मेरे खयाल से कि पहले जो लोग पीते थे, वह इतना नहीं पीते थे और सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारी शराब पीना सीख गये हैं। उसकी एक मिसाल देता हूं। अभी डूंगरपुर जिले में आयुर्वेद विभाग का एक अधिकारी था। रात को 10-11 बजे शराब पी और पीकर आयुर्वेद विभाग की एक नर्स थी, उसके घर पर 12 बजे गये, पता नहीं उसके साथ बुरा व्यवहार किया या नहीं किया, लेकिन इतने में उसका पति भी कहीं से शराब पीकर आगया और दोनों में जूतमजूती होगई लड़ते लड़ते सड़क पर आगये। पुलिस घूम रही थी, उसने उनसे कहा कि तुम लड़ना चाहते हो अपने अपने घरों में जाओ लेकिन उस अधिकारी ने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दी। पुलिस वाले ने सिटी लगाई। 5 10 सिपाही आगये। दोनों को कोतवाली ले आये और उनकी अच्छी मरम्मत की। उनकी पेंट खुलवाली और उनको उल्टी पहनादी, आगे वाला साइड पीछे और पीछे वाला आगे और उनको अस्पताल ले गये और मुआइने के लिये सी०एम०ओ० को देखते ही विभाग के इन्सपेक्टर ने कहा कि तुम कौन हो, मैं भी डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मैं भी डाक्टर हूं, मैं तुम्हारा मुआइना करूंगा। क्या करोगे मेरा ?

(श्री महेन्द्रकुमार)

कहने का मतलब है कि बहुत बुरी यह घटना घटी कि सारे शहर में सन्नाटा छा गया कि सरकारी अधिकारी शराब पीकर इस तरह के काम करते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मंत्री) : नाम बता सकते हो ?

श्री महेन्द्रकुमार : बताऊंगा । वहां के लोगों ने उस अधिकारी के खिलाफ आयुर्वेद मंत्री व डायरेक्टर को रिपोर्ट की कि उनको यहां से तुरंत हटा देना चाहिये, लेकिन सरकार की तरफ से उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, दो महीने तक वह वहीं रहे । इस तरह से हमारे यहां बहुत दुकानें हैं, वह कम से कम बन्द कर दी जाएं और डूंगरपुर व बांसवाड़ा और जहां जहां नेशाबंदी की है, वहां महुए की दुकानें नहीं होनी चाहिये नहीं तो महुए के पेड़ काफी हैं और महुआ गिरेगा । इसमें फल लगेगा तो लोग इकट्ठा करेंगे और व्यापारी खरीदने के लिये पहुंचेंगे तो शराब बनाकर बेचेंगे तो शराब वापिस पीना शुरू कर देगें ऐसी मुझे आशंका है । इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे वहां पर महुए की बिक्री बिल्कुल बंद करना चाहिए, तभी तो नशाबंदी रह सकेगी नहीं तो लोग इधर उधर से महुआ लेकर बेचते हैं और शराब निकालकर शराब पिलाते हैं । हमारे यहां खास तौर से आदिवासी लोग हैं, खाने को नहीं होता है, शराब की बोतल बनाकर ले जाते हैं, दो तीन रुपये उनको मिल जाते हैं इसलिए महुए की जो बिक्री है, बिल्कुल बंद कर दी जाय, यह कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार की कर नीति अपनायी गयी है उस कर नीति का सीधा प्रभाव एक तो मूल्यों पर पड़ता है और दूसरा आम जनता और खास तौर से जिन लोगों का व्यापार एवं धन्धा है उन लोगों के सामने समस्या उत्पन्न होती है ।

सभापति महोदय, भारत सरकार और राज्य सरकार ने कई बार इस बात की घोषणा की है कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन के कारण जिस प्रकार का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है उसको ध्यान में रखते हुए इस बात की चेष्टा की जावेगी कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा न बढ़े लेकिन राज्य सरकार के आंकड़े देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि राजस्थान में इनडाइरेक्ट टैक्सेशन डाइरेक्ट टैक्सेशन के मुकाबले बहुत गति से बढ़े । यदि 51-52 को बेस इयर माना जाय और इन्डेक्स और ले लिये जाय डाइरेक्ट टैक्सेशन 698 तक बढ़े हैं इनडाइरेक्ट आंकड़े 813 पर आते हैं ।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन की ज्यादातर कन्ज्यूमर पर मार पड़ती है कन्ज्यूमर किस श्रेणी का होता है उसमें भी अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । राजस्थान में जिस प्रकार का करों का ढांचा है, उसमें आम जनता कन्ज्यूमर की श्रेणी में आकर खड़ी रहती है और राजस्थान की आम जनता यदि उसकी पर केपिटा इनकम के बेसिस पर केवल राजस्थान की पर केपिटा इनकम ही नहीं, विभिन्न श्रेणी की आय को लेकर उन पर पर केपिटा निकाली जाय

(श्री भैरोंसिंह)

तो आप यह स्वीकार करके चलेंगे कि जिन लोगों के पास आय के सोर्सेज कम हैं, इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का भार उनको बहुत ज्यादा वहन करना पड़ता है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन के कारण जनता के समक्ष वित्तीय संकट उपस्थित हुआ है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और विचार के आधार पर लोगों को इनडाइरेक्ट टैक्सेशन के भार से बचाने की हर सम्भव चेष्टा राज्य सरकार को करनी चाहिये। यदि इनडाइरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर राज्य सरकार ने कन्ज्यूमर को मारने की कोशिश की तो जनता की आय घटेगी तो सरकारी आय में भी निश्चय रूप से कमी आवेगी।

सभापति महोदय, अभी सदन में कई माननीय सदस्यों ने टैक्सों के बारे में कई सुझाव दिये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार के टैक्स लगायें, टैक्स की मेथडोलॉजी होनी चाहिये। दुर्भाग्य है कि कई वर्षों तक लगातार सरकार को सावधान करने के बावजूद सरकार ने अब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की कि जिससे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाये कि कर लगाये उससे राज्य सरकार को कितनी आमदनी हुई। यह कई बार प्रश्न विधान सभा में रखा गया और कई बार आश्वासन भी दिये गये कि वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है भविष्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये इसको सरकार स्वीकार करके चलती है यथासंभव यथा शीघ्र सरकार इसका व्यवस्था करगी। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चहता हूँ कि गये वर्ष जो आपने इनडाइरेक्ट टैक्स लगाये और जितने जितने कर लगाये उनके हिसाब से जितनी आमदनी होनी चाहिये थी, टारगेट्स जितने थे और जिनकी बजट में घोषणा की थी, उतने टैक्स नये करों के कारण मिले या नहीं ? मैं समझता हूं, राज्य सरकार के पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं। राजस्थान का वित्तीय और स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट के आंकड़ों को इकट्ठा करके, उनको कम्पाइल करके पेश करता है किन्तु न तो इस बारे में रिसर्च की व्यवस्था है और न हो सर्वे की व्यवस्था है और यही स्थिति सेल्स टैक्स और पेसेन्जर टैक्स में है। इस प्रकार की व्यवस्था किसी विभाग में नहीं है। सरकार भी अन्धेरे में है। जब टैक्स लगाना है तो अमुक चीजों पर टैक्स लगाकर घाटे की पूर्ति की चेष्टा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कितनी इन टैक्सेज से आमदनी हुई है और उस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही पता लग सकेगा कि इस प्रकार की टैक्स में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

दूसरा आस्पेक्ट है कि किस वस्तु पर टैक्स लगे। टैक्स का रिटर्न देखना पड़ेगा और साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि आम व्यापारी ट्रेड पर क्या असर पड़ता है। क्या इम्पेक्ट पड़ता है यह देखना पड़ेगा। इस इम्पेक्ट की स्टेडी राजस्थान सरकार ने नहीं की। तो कई वस्तुएं ऐसी होंगी जिन पर ज्यादा टैक्स लग जावेगा और कई मुक्त होकर चलेंगी। लेकिन जब तक ट्रेड के लिए विचार करके न चलें राज्य सरकार की आमदनी नहीं बढ़ सकती। उदाहरण के तौर पर मैं

(श्री भैरोंसिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के व्यापार को छोड़ दीजिये लेकिन राजस्थान सरकार और उसके डिपार्टमेंट जो 1 करोड़ की पर्चेजेज करते हैं, टेन्डर्स इन्वाइट करेंगे तो जो फर्म्स हैं बाहर की और जयपुर में जिन्होंने एजेन्सी ले रखी है या जो फर्म है उसका टेन्डर मन्जूर नहीं करते हैं तो वे भी इन्टरस्टेट टैक्स और जो सेल्स टैक्स के कारण से बाहर के व्यापारी के टेन्डर स्वीकार करेंगे और उससे राज्य सरकार को अपनी खरीद फरोख्त में ज्याद नुकसान होगा। उसको बेस मान कर चलें तो राजस्थान का पर्चेजर कितना सामान दिल्ली पंजाब, कलकत्ता, बम्बई से खरीदता होगा इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर विचार करे, इम्पेक्ट कितना होगा इस पर विचार करे। गति आयी या अवरोध हुआ राजस्थान में इस पर विचार करे। अभी सेल्स टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जो टैक्स लगे हुए हैं उसी से राज्य सरकार को आमदनी होगी और जिनको मुक्त करना चाहेंगे तो मुक्त भी कर सकेंगे।

सभापति महोदय, तीसरा प्रश्न सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेटेस्ट आंकड़े हैं वे 30-10-69 के हैं 193.92 लाख रुपये थे। इसी प्रकार पैसेन्जर टैक्स 47,20,463। इसी प्रकार एन्टरटेनमेंट टैक्स और दूसरे टैक्सों की बकाया है। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, एक्साइज में 31-3-68 तक 122.25 लाख रुपया बकाया थी। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सेल्स टैक्स वसूल करने वाले व्यापारी, जो कर दाता है उनसे व्यापारी लेते है, सरकार के खजाने में वे जमा करायें। जिस प्रकार देने वाला पैसेन्जर टैक्स का भुगतान करता है, जो लेता है वह राज्य सरकार के खजाने में जमा कराये, एक्साइज टैक्स देने वाले दे देते हैं राज्य सरकार के खजाने में जमा होना चाहिये लेकिन वह नहीं आता है।

(8 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि दुनिया भर कि व्यवस्था आप करें, जो क्रिमिकल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टैक्स वसूल करने वाले जनता के साथ करते हैं। राज्य सरकार कह सकती है कि आज तक एक भी उसने प्रोसिक्यूशन किया है? पैसेन्जर टैक्स के नाम पर, उपाध्यक्ष महोदय, हर यात्री से पैसा वसूल किया जाता है। गाड़ी में बैठे तो पैसा तो वसूल होगा, लेकिन वर्षों तक वह पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है यह सरकार की प्रशासनिक अयोग्यता के सिवाय और कुछ नहीं है। 47 लाख रुपयों में से 6.20 लाख लिटिगेशन्स में, 3.82 लाख रुपया डिपार्टमेन्टल एडजस्टमेन्ट्स में, 1,490 रुपये लेंड और 1,000 का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। 1.67 हजार रुपया अनरिकवरेबल है। धीरे-धीरे इस प्रकार की बकाया चलती रही तो मान कर चलिये वित्त मन्त्री जी, जिन लोगों ने पैसा जमा कर लिया जनता का पैसा जिनके पास पड़ा है, इधर राजस्थान के खजाने में घाटे कि स्थिति है और उधर राजस्थान सरकार कर लगाकर चल रही है लेकिन लोगों

(श्री भैरोंसिंह)

में हमारी जो बकाया पड़ी है, उस बकाया के ऊपर लोग इन्ट्रेस्ट वसूल करते हैं। हमारा पैसा हमारे खजाने में जमा नहीं होता है। लोग ब्याज लेकर मुनाफा कमाते हैं और राजस्थान सरकार कान में तेल डालकर पड़ी रहती है। इसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से वित्त मन्त्री महोदय को जिम्मेदार ठहराता हूँ। वित्त मन्त्री की एफिशियन्सी इसमें नहीं है कि आप कितना टैक्स लगाते हैं। दो बातों में वित्त मन्त्री की एफिशियन्सी मानी जा सकती है। एक तो प्रशासन में मितव्ययता क्या आई है और दूसरी इस बात में कि जो टैक्स लगाया है और लोगों से टैक्स वसूल करके वह टैक्स उन लोगों ने अपने पास तो नहीं रख लिया है, वह राज्य सरकार के खजाने में जमा होना चाहिये, वह क्यों नहीं हुआ ? जब से माथुर साहब आप वित्त मन्त्री बने हैं टैक्स की बकाया बढ़ती ही गई है। हर वर्ष टैक्स की बकाया बढ़ी है, और गरीब लोग दबा कर बैठे हों ऐसी बातें भी नहीं है। उपाध्यक्ष जी, ये बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसेन्जर टैक्स को दबा रखा है, सैल्स टैक्स को दबा रखा है। एन्टरटेनमेन्ट का पैसा अपने पास रख लिया है, एक्साईज ड्यूटी को दबा रखा है, और सरचार्ज जो वसूल किया जाता है वह पया दबा रखा है। इसके लिए मैं वित्तमन्त्री महोदय को दर्ज करना चाहूंगा कि आपकी इतनी बड़ी अयोग्यता किसी मन्त्री के लिए नहीं हो सकती है। जनता का पैसा लोगों ने वसूल कर लिया है और वह रुपया जहां जमा होना चाहिये था, वहां जमा नहीं कराया है। आवश्यकता इस बात की थी कि ऐसे लोगों को फौरन पकड़ा जाता, यह अलग बात होती कि वे कानून के जरिये बच निकलते और अगर उनमें से दो-चार आदमियों को जेल हो जाती तो जनता से पैसा उन्होंने वसूल कर लिया है वह पैसा आज इन लोगों के काम में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार एक्साईज के बारे में और शराब बन्दी के बारे में कई बार कह चुकी है। यहां पर कई बार समाजवाद का जिक्र आता है। 67-68 से मैं यह देख रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि शराब बन्दी के भाषण कांग्रेस के लोगों की तरफ से हुए हैं और मैंने भी उनको यहां पर सुना है। इस बार 67 के बाद मनोहरसिंह जी मेहता के आने के बाद उन्होंने शराब बन्दी कि जिस प्रकार से वकालत की है, मैं समझता हूँ विधान सभा में आज तक किसी ने इस प्रकार की वकालत नहीं की है। हम लोग जिस तरह से शराब बन्दी की बात करते हैं और सरकार भी शराब बन्दी की बात करती है, कांग्रेस के लोग भी इस बात को कहते रहते हैं कि टेकचन्द समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार शराब बन्दी की नीति अपनायेगी, यह बात यहां बार बार कही जाती रही है। गत दो वर्षों से राजस्थान सरकार ने भी वास्तविक रूप से शराबबन्दी के प्रचार में सक्रिय रूप से काम किया है, वह इसका प्रचार कर रही है और यह प्रचार भी खूब किया गया है कि राजस्थान सरकार शराब बन्दी करेगी। सरकार ने इस प्रकार की जो स्थिति पैदा की है उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं। परन्तु इसके साथ ही आपके आंकड़े देखें तो शराब की बिक्री

(श्री भैरोंसिंह)

में, शराब के पीने में कोई कमी नहीं हुई है। सूखे के दिनों जो कभी एक्सपेक्ट करके चलते थे, वह नहीं आई है और न बिकने के कारण यह हुई है। इसका एक ही कारण है और वह यह है कि गारन्टी के अनुसार ठेकेदारों को शराब पूरी सप्लाई नहीं हो सकी और इस कारण कम बिक्री हो सकी है लेकिन शराब बन्दी के कारण यह हुई है, यह मैं मानकर नहीं चलता हूं।

करीब 6-7 वर्ष पहले भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय ने यह गारन्टी सिस्टम यहां पर इन्ट्रोड्यूस किया था और इस सदन के माननीय सदस्यों को स्वीकार करने के लिये उन्होंने आग्रह किया था, यह कह कर कि गारन्टी सिस्टम से शराब बिक्री में कमी होगी और इसकी जांच कर ली गई है। मैंने उस समय भी वित्त मन्त्री महोदय को कहा था—इससे लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा होगा। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया था कि इस प्रकार की व्यवस्था भूतपूर्व अजमेर रियासत में थी और वह वहां सफल रही और राजस्थान में भी इसको सफलतापूर्वक इन्ट्रोड्यूस कर सकेंगे और इसको कार्य रूप में परिणित कर सकेंगे। इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था और गारन्टी सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया गया था और इसके साथ सवाल आया कि हमें इसके अनुसार जितनी शराब सप्लाई करनी चाहिये थी वह हम सप्लाई नहीं कर पाये हैं। इसके लिये मुखर्जी कमेटी का रेफरेंस आपने दिया है कि वह इस प्रश्न की जांच करें और जिस साल आपने गारन्टी दी उस साल उसके अनुसार कितनी शराब आपको उपलब्ध करनी थी? जहां यह मैन्युफैक्चर होती है इसका कितना इन्डेन्ट आपने भेजा है? आपकी रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चर की कितनी होती है और उसके अनुसार कितना आपने इन्डेन्ट किया है जिसके अनुसार कि आपका यह ठेके का प्रोग्राम है? अमुक महीने में, तीन महीने के बाद और 6 महीने के बाद कितनी शराब चाहेगी? लेकिन सरकार की ओर से कोई इन्डेन्ट नहीं भेजा गया और ठेकेदारों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर सारी शराब मांगने की कोशिश की और जब उनको पता लगा कि, राज्य सरकार के पास गुड़ नहीं है, यू. पी. से शराब के लिये स्प्रीट नहीं आई है और यू. पी. की सरकार वह देने को तैयार नहीं है।

(8.06 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तो उन्होंने अपनी मांग को बढ़ाया और इस मांग की पूर्ति न होने और उसके आधार पर जब गारन्टी का किराया लेने का प्रश्न आया तो उन्होंने इस बात को उठाया कि गारन्टी के अनुसार शराब की सप्लाई नहीं हुई है वे गारन्टी का पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं। इस पर मुखर्जी कमेटी अपाइन्ट की गई। केवल 62-63 और 63-64 का रेफरेंस उस कमेटी के लिये था। इसके आगे कौनसी फार्मेलिटी आप अपनायेंगे। इसको कोई लेना देना नहीं था। 62-63, 63-64 और 64-65 की बकाया रिकवरी के लिये आपने मुखर्जी

(श्री भैरोंसिंह)

कमेटी का नाम ले लिया और एक कमेटी का गठन कर दिया और उसके अनुसार 55 लाख रुपये की जो बकाया थी उसमें से 19 लाख रुपये को आपने राइट ऑफ किया और 8 लाख किया जावेगा, इसका फैसला कर दिया, और उसके बाद 12 लाख रुपया और बकाया ठेकेदारों में 9 तारीख तक थी और आज भी वह बाकी पड़ी है। इसका प्रश्न जब पैदा होता है तो मैं अधिक तो नहीं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का यह एक बड़ा स्कैन्डल है जिसकी एन्क्वायरी होनी चाहिये कि यह क्यों हुआ ? मैं पूछना चाहता हूं कि 62-63 की गारंटी के अनुसार जब आप शराब नहीं सप्लाई कर सके, दूसरे साल भी आपने गारंटी दी, उस गारंटी को देते समय आपने इन ठेकेदारों को इस आधार पर कन्सेशन दिया कि पिछले साल सप्लाई नहीं कर सके, उस घाटे की पूर्ति करने के लिये गारंटी कम कर के हम इन ठेकेदारों को ठेका दे रहे हैं ? यह गारंटी 62-63 से शुरू होकर 68-69 तक चलती आई और दोनों तरह से ठेकेदार इसका फायदा उठाते रहे और गारंटी के नाम पर अगले वर्ष का ठेका कम करके इस आधार पर लिया कि गारंटी के आधार पर हमें नुकसान हुआ यह दो प्रकार के कन्सेशन्स आपने दिये हैं। यह दो करोड़ का मामला है बल्कि मैं कहता हूं कि जहां तक मुझे याद है, इस बारे में जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि गारन्टी का जो प्रश्न है वह केवल 2 करोड़ रुपये का है। मेरे हिसाब से 80 लाख रुपये का प्रश्न है। 80 लाख रूपये राइट ऑफ करने का अधिकार होना चाहिये, 80 लाख राइट ऑफ करने का अधिकार फाइनेन्स कमिश्नर मुखर्जी को होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं यह अधिकार उनको नहीं दिया जाना चाहिये। अगर इसमें सरकार की गलती है तो हम इसको सहन करेंगे और इसकी स्वीकृति देंगे, हम इसका भार भुगतेंगे। इसके लिये एक कमीशन एपॉइण्ट किया जाय जो सारे उन काण्डों की जांच करे जिसमें शराब सप्लाई क्यों नहीं कर सके ? उसमें ठेकेदार की गलती है या सरकार की गलती है। ठेकेदारों की कमियों के कारण सरकार को नुकसान उठाना पड़ा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह जो राइट ऑफ करने का मामला है। लाख दो लाख का नहीं सत्तर अस्सी लाख तक यह पहुंचता है। सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस संबन्ध में राज्य सरकार कमिशन की नियुक्ति करे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अध्यक्ष महोदय उदाहरण रूप में मैं कहना चाहता हूं 66-67 में जयपुर के ठेकेदारों को छूट दी। 1 लाख 61 हजार 933 रुपये इसी प्रकार 64-65 में अजमेर के ठेकेदारों को 2 लाख 800 रुपये की छूट दी गई। उसमें यह लिखा गया कि 1967 में आम चुनावों के बाद जो कर्फ्यू लगा था इस कारण ठेकेदारों की शराब नहीं बिकी इसलिये उनको रियायत देना उचित समझा गया। यह तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान में कभी किसी हिस्से में 144 धारा लगती है, कभी साइरन बजता है, तो ब्लेक आउट होता है कई बार जन आन्दोलन भी होते हैं। इस तरह से यदि कर्फ्यू के नाम पर रियायत देना शुरू

(श्री भैरोंसिंह)

कर दिया तो मैं समझता हूं राज्य सरकार ही नहीं बल्कि यह सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि इस गारन्टी सिस्टम के अन्दर आवश्यकता इस बात की है कि इसकी जांच की जाकर जो दोषी हो उसको दण्ड दिया जाय। अगर वास्तविक तौर से रियायत पाने का अधिकार है तो वह दिया जाय मेरा ऐसा मानना है कि यह बहुत बड़ा जंजाल है। अधिकारियों ने जो काण्ड किये हैं उसी के कारण राज्य सरकार को यह हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, गारन्टी सिस्टम बन्द हुआ तो ठेके का सिस्टम आया। पब्लिक ऑक्शन होगा। इस बारे में जो बीकानेर से मेरे पास तार आया है वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:—

"हमारी नीलामी बोली नहीं ली गई, बोली दस बजे खत्म कर दी। पुराने ठेकेदार को 10 लाख में दे दिया, हमारी 15 लाख की बोली नहीं ली हमारी रकम जमा कराई हुई है।"

आज के पांच दिन पहले एक विश्वसनीय अधिकारी ने जो हमें तीन चार बातें कहीं वे इससे सही मालूम हुई। उन्होंने कहा, कि बीकानेर का ठेका नीलाम होने वाला है। ठेका होगा तो क्या होगा उसने यह बात बताई थी विरोधी दल का कोई सदस्य उस समय जाकर खड़ा हो जाय वहां उस ठेके के ज्यादा पैसे देने वाले भी होंगे लेकिन उनको नहीं दिया जायेगा। उनका मामला टैकनिकल वे में रिजेक्ट किया जायेगा और पुराने ठेकेदार को ही ठेका दिया जायेगा। ऐसी हालत में निवेदन करना चाहता हूं इस तार को पढ़ने के बाद जो बातें इसमें कही गई थीं वह सच निकलीं।

श्री अध्यक्ष: क्या उस अधिकारी के नाम का उल्लेख हो सकता है?

श्री भैरोंसिंह: यह ब्रीच ऑफ कॉन्फीडेन्स होगा। वैसी स्थिति में एक ठेके की हालत ऐसी है तो बाकी के ठेकों की हालत क्या होगी?

अन्त में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ राज्य सरकार शराब बनाती है और अभी सवाईमाधोपुर में एक सेठ को शराब बनाने का ठेका दिया गया। उदयपुर में फलीं सहाब को ठेका दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उदयपुर के ठेकेदार को क्यों ठेका देते हैं, आपने सवाई माधोपुर के करोड़पति सेठ को लाइसेन्स क्यों दिलवाया? यह सब होने के बाद भी राज्य सरकार शराब नहीं बना सकती? क्या इसको मोनोपोलाइज नहीं किया जा सकता? क्या आप फॉरेन लिकर नहीं बना सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अच्छी से अच्छी शराब बनाने वाले हैं। उनको सरकार नौकरी दे उनसे जानकारी लेकर बढ़िया से बढ़िया शराब का निर्माण कर सकते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार राजनैतिक दृष्टि से कुछ लोगों का पालन-पोषण करना चाहती है। सवाईमाधोपुर में एक सेठ को प्रसन्न करना चाहती है। एक तरफ तो आप राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रीयकरण का सवाल नहीं है। शराब बनाने का कॉन्ट्रेक्ट आपका है। क्यों नहीं आप उदयपुर डिस्टिलरी को अपने कब्जे में लेते हैं? सवाईमाधोपुर में जो आपने बढ़िया

(श्री भैरोंसिंह)

शराब बनाने का लाइसेन्स दिया आप खुद उसको क्यों नहीं बनाते ?

आज समाजवाद का नाम बहुत लेते हैं लेकिन आप हिन्दुस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखेंगे जहां प्रोडक्शन सरकार कर रही है और उसी उत्पादन को सरकार मोनोपोलाइज्ड करने को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार अपने प्रोडक्शन के लिये मार्केट पैदा कर सकती है। उससे प्रतिवर्ष दो करोड़ से अधिक आय हो सकती है। वैसी हालत में आपको टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज होता क्या है कि इसकी आय ठेकेदार लेकर चले जाते हैं। यदि यह धन्धा आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो जनता के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन भी कम हो जायगा। आप जब राष्ट्रीयकरण की बातें करते हुए भी यह नहीं कर पा रहे हैं मैं जनसंघी होते हुए भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन शराब की दुकानों का राष्ट्रीयकरण करें इस पर भी आपकी आत्मा नहीं जागती है तो मैं यही समझूंगा कि बोतल पी पी कर आप केवल समाजवाद का नारा लगाते हैं करने को आप कुछ नहीं करते। इन्ही शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण करें।

एक माननीय सदस्य : आपकी आत्मा की पुकार भी बोतल पीकर जागी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी एक आवश्यक सूचना देंगे ?

गंगानगर जिले की समस्याओं से सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति के गठन की सूचना

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की समस्याओं के संबन्ध में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान यह बताया गया कि इस जिले की विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी आवंटन कब्जा तथा गैर कानूनी तबादले आदि के मामले हैं। इस शिकायत की वास्तविकता जानने और कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार ने यह तय किया है कि एक उच्चस्तरीय समिति उपनिवेशन मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित की जावे। यह समिति निम्नांकित मुद्दों पर विचार करेगी:—

(1) राजस्थान कैनाल, गंग एवं भाखरा परियोजना क्षेत्रों में हुए अवैधानिक पुख्ता व आरजी, नीलाम, आवंटन एवं कब्जे आदि की जांच;

(2) उपरोक्त परियोजना क्षेत्रों में हुए अवैध भूमि हस्तान्तरण एवं तबादले आदि की जांच;

(3) जिन मामलों में उपनिवेशन सबन्धी नियमों की व आवंटन की शर्तों की अवहेलना की गई है उनकी जांच;

(4) जांच से जिन मामलों में भूमि आवंटन, नीलामी व कब्जे अवैध पाये जांय उनके विषय में क्या कार्यवाही की जाना चाहिये ? विशेषकर खड़ी फसल की कुर्की के सम्बन्ध में और उन अधिकारियों के लिये जिनके कारण ऐसे अवैधानिक आवंटन एव कब्जे हुए;

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(5) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध कब्जों की शिकायत सही पाई जाय उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय;

(6) इस प्रकार के अवैधानिक नीलाम भूमि आवंटन तथा अवैध कब्जों की रोकथाम के लिये भविष्य में नियमों एवं कार्यप्रणाली में क्या संशोधन किया जाय;

समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :—

(1) श्री शोभाराम, उपनिवेशन मंत्री, अध्यक्ष।

(2) श्री मनफूलसिंह, कांग्रेस।

(3) श्री महादेवप्रसाद गुप्ता, समाजवादी पार्टी।

(4) श्री हेतराम बेनीवाल किसान सभा।

(5) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, किसान सभा।

(6) श्री जत्थेदार अनोखसिंह, अकालीदल।

(7) राजस्व सचिव

(8) उपनिवेशन आयुक्त।

(9) एक वरिष्ठ वेतन शृंखला के आर. ए. एस. अधिकारी को समिति का सचिव नियुक्त किया जायगा।

किसान संघर्ष समिति से भी अपने दो प्रतिनिधि मनोनीत करने के लिये निवेदन किया गया था लेकिन उन्होंने 8 आदमियों के नाम भेजे हैं। उनसे कहा गया है कि वे अपने दो सदस्यों के नाम भेजें और जब ये नाम आ जायेंगे तो उन को भी इस समिति में सदस्य नियुक्त कर दिया जावेगा। इसके अलावा एक हरिजन सदस्य भी शीघ्र नियुक्त कर दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें मनफूलसिंह जी का नाम कैसे आया ? केवल शोभारामजी को लेने की बात थी और किसी मंत्री को लेने की बात नहीं थी। इनके बारे में तो अनेक शिकायतें है इन्होंने खुद ने नाजायज जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनके खुद की जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं होंगे जानकारी दे दी गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी के विरुद्ध शिकायत का मामला आयेगा तो उस समय संबन्धित सदस्य उपस्थित नहीं रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : किसान संघर्ष समिति के दो प्रतिनिधि लेने की बात आपने कही है। आठ व्यक्तियों की लिस्ट दी है। मेरा निवेदन है कि इस आन्दोलन में किसान संघर्ष समिति की प्रमुख भूमिका रही है वैसी हालत में उनके सदस्यों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये। जब आपने मनफूलसिंहजी को समिति के सदस्य के रूप में रख लि... तो किसान संघर्ष समिति को अधिक रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यहां सदन में कितनी ही बार यह विवाद आया है सदन की कमेटी बनाने की भी बात थी मनफूलसिंह जी के जमीन के बारे में। मैं इसके मेरिट में जाना नहीं चाहता। जो कमेटी जज का काम करेगी जिसमें एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसके खिलाफ

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आरोप हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह अच्छी शुरुआत की है बहुत बड़ा काम इस कमेटी को सौंपा है। अगर शुरू में ही इसका गठन ऐसे आदमियों को लेकर किया जाता है तो इसका अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्ट कर दूं केवल ऐलीगेशन लगा देने से पूर्ण नहीं हो जाता है जबतक प्रूव नहीं हो पाता। किसी भी सदस्य का सवाल हो केवल मनफूलसिंह जी का प्रश्न नहीं है। किसी सदस्य के बारे में प्रश्न खड़ा होगा तो उस समय वह शरीक नहीं होगा, फैसला करने में वह नहीं रहेगा।

दूसरे इस बात को भी स्पष्ट कर दूं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा किसान संघर्ष समिति के सदस्य इसके साथ काम करे मैं यह चाहता हूं इसके अन्दर यह प्रश्न न रहे कि नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं। इस लिये मैंने कहा दो मेम्बर जब भी वे सजेस्ट करेंगे इसमें ले लिये जायेंगे। एक आध मेम्बर की और बात होगी तो देख लिया जायगा। एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेट करने की भावना होनी चाहिये किसान संघर्ष समिति सामाजवादी पार्टी को अपने साथ मिलाकर चलती है। एक सदस्य का नाम ले चुके हैं। एक आध और होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय ! मिनिट का समय....

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग की मांगों को लेकर........

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, केवल 5 मिनिट का मुझे समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सिर्फ थोड़ा समय चाहता हूं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले शराब के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने 72 तक शराब बन्दी के लिये राज्यपाल जी से अभिभाषण में कहलवाया था वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां गत वर्ष साढ़े पाँच लाख का मुनाफे का अनुमान था और अब वर्ष की समाप्ति पर साढ़े सात लाख का मुनाफा नजर आयेगा। इस मुनाफे को देख कर सरकार के मुंह में पानी आरहा है तो वे कत्तई इसको बन्द करने की कोशिश में नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कम से कम गरीब तबके के लोग जहां रहते हैं वहां तो सरकार दुकान नहीं खुलवावे। ठेका आप एक दुकान को देते है और वह ठेकेदार चार चार जगह शराब बेचता है, ऐसी छूट नहीं होनी चाहिये। इसके बारे में कई बार कहा गया है, वित्त मन्त्री जी ध्यान नहीं देते हैं। ठेकेदार लोग पिछड़े लोगों की बस्तियों में दुकान खोलते हैं जहां गरीब तबका रहता है। गरीब तबकों के लोगों के हर मौहल्ले में शराब की दुकानें मिलेंगी और

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इसी वजह से आमदनी बढ़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें न खोली जायं और जहां पर सार्वजनिक स्थान हो वहां पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सेल्स टैक्स से गांव वाले बड़े परेशान है। सेल्स टैक्स ऑफिसर गांव में जाते हैं और गांव वालों को बहुत परेशान करते हैं। वित्त मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं। पाली, जोधपुर और पीपाड़ के चमड़े का काम करने वाले लोगों की दिक्कतों के बारे में गत वर्ष भी चमड़े पर टैक्स नहीं हो मैंने निवेदन किया था। चमड़े का काम करने वाले पिछड़ी जाति के लोग हैं। आपने कहा था 20 हजार की छूट देदी है लेकिन मैंने निवेदन किया था कि वे लोग अनपढ़ हैं हिसाब नहीं रख सकते हैं। मैंने उन लोगों की यह भी दिक्कतें बताई थीं कि बाहर से चमड़ा इकठ्ठा करके शहरों में चमड़ा लाते हैं और जो चौकियां आपने कायम कर रखी हैं वे उनको परेशान करते हैं। पहले आप सेल्स टैक्स लेते है अब आपने परचेज टैक्स भी लगा दिया। उन बेचारे गरीबों के पास कोई हिसाब भी नहीं होता है। भेड़ पालकों से वे गांवों में जाकर खाल ले आते हैं और आपकी जो सेल टैक्स चौकियां है उन लोगों को बहुत परेशान करती हैं, और भ्रष्टाचार के नाते किसी से 5 रुपया किसी से 10 रुपया वसूल कर लेते हैं। आप एक तरफ यह कहते हैं कि उन लोगों को जो कम काम करते हैं छूट दे रखी है एक तरफ उनकी जानको चौकियां बिठा रखी हैं जो राजस्थान के बाहर चमड़ा जाता है उस पर आप चौकियों पर टैक्स लें। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर जो हाथ से चमड़ा कमाने का काम करते है, जो यह धन्धा अपनी औरतों से करवाते, बच्चों से करवाते हैं उन लोगों पर चमड़े का टैक्स माफ करना चाहिए। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां कोई चमड़े की फैक्ट्री नहीं है। चमड़े की फैक्टरियां तो मद्रास और कानपुर में है। जो चमड़ा हाथ से कमाया जाता है उस पर अवश्य छूट दें। वित्तमन्त्रीजी आपसे हाल ही में एक प्रनिनिधि मण्डल भी मिला था लेकिन आपने कहा बताया अगर इस बजट भाषण से पहले आते तो कुछ न कुछ कर देता। मैं निवेदन करूंगा······

श्री अध्यक्ष: बस समाप्त कीजिए। आर्डर प्लीज। वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय कर विभाग की ओर अन्य विभागों की मागों को लेकर सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने इस ओर और उस ओर बैठने वालों ने अपने अपने विचार रखे। करीब 130 कट मोशन्स मुख्तलिफ विचार के लिए आये और 41 माननीय सदस्यों ने हमारे विभाग के अन्दर सुधार के लिए सुझाव दिए। उसके लिए मै शुरू में ही धन्यवाद दे देता हूं। मगर मैं यह भी, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से विचार जो सुनने में आए या गलत फहमी के कारण थे या मैं उनको सही तरह से बजट भाषण देते समय या उसका उत्तर देते वक्त ठीक नहीं समझा सका।

अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अबकारी के विषय में और आबकारी

(श्री मथुरादास माथुर)
विभाग के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि इस विभाग को लेकर काफी इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार को काफी ज्ञान की बातें कही हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की आबकारी नीति को सदन के सामने बजट पेश करते वक्त और उत्तर देते वक्त बिस्तार पूर्वक रख चुका हूं। माननीय सदस्य सदन में बैठने वाले कुछ साथी इमानदारी से इस बात में विश्सास करते हैं कि हमारे यहां नशाबन्दी होनी चाहिए, मैं उनकी इज्जत करता हूं और सराहना करता हूं। वे चाहते हैं और भाषण देते वक्त इस तरह की बात कह भी देते हैं कि राज्य सरकार को इसमें घाटा हो, तो यह घाटा भी बर्दाश्त करना चाहिए। विकास के काम हमारे ठप्प हो जाय तो परवाह नहीं—हमें आबकारी कर कतई बन्द करना चाहिए और इससे 8 करोड़ की आमदनी होती है उसकी परवाह नहीं है' इस तरह के विचार के लोग भी सदन में हैं.........

श्री विजयसिंह : 8 करोड़ से 4 करोड़ रह जायेगी।

श्री मथुरादास माथुर : मगर मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार नशाबन्दी में विश्वास करते हुए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है चहुंमुखो विकास के लिए साधनों को जहां तक हो सके साधन सम्पन्न वालों से साधन उपलब्ध करके हमारी सेवायें और हमारे विकास की योजनायें चलती रहें। इन दो मुद्दों को लेकर चलना पड़ता है। अगर यही मान लिया जाय और इसी मुद्दे को मान लिया जाय कि विकास का काम ठप्प हो जायगा जिसकी भी गति मंद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं वह गति तेजी से आगे बढ़े उसके बजाय वह अवरुद्ध हो जाय तो माननीय सदस्य जानते हैं जो कुछ भी भारत का संविधान है और जब सविधान बना था, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं योजनाओं के आधार पर इस देश का कार्यक्रम बनेगा। इसलिये संविधान के अन्दर जो कुछ भी प्रावधान हैं जो वित्तीय प्रावधान हैं जो कुछ भी प्रिन्सिपल चैकर या आर्टिकल्स हैं और जिनके मुताबिक जो शिड्यूल बने हैं उनमें करों को उगाहने का निर्धारण करने का अधिकार भारत सरकार को ज्यादा है, प्रदेश की सरकार को बहुत कम है।

मुझे बहुत ही भरोसा देकर कहा गया कि मैं कर विभाग को कामधेनु के रूप में देखता हूं। पर मैं क्या करूं ? मजबूर हूं ? मजबूरी है यह मेरी। आप भारत के संविधान का अध्ययन कर लें। शिड्यूल पढ़ लें। भैरोंसिंह जी कह रहे थे एग्रीकल्चरल लैंड पर डाइरेक्ट टैक्स लगा नहीं सकते.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस स्ट्रेक्चर में ही चैन्ज की बात करें आप।

श्री मथुरादास माथुर : थोड़ा सब्र करें आप। मैं निवेदन करूं। थोड़ी आमदनी बढ़ी है पर लगता है कि यह मेरे परव्यू से बाहर चली जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स इन्कम टैक्स मैं नहीं लगा सकता। इसलिए मेरी मजबूरी है।

आबकारी कर आठ करोड़ का है और 30 करोड़ सेल्स टैक्स से लेकर चालिस करोड़ इक्ट्ठा करके बजट के वक्त हम आपके

(श्री मथुरादास माथुर)

पास आते हैं। अब इन चालीस करोड़ से स्कूलें बनती हैं, सड़कें बनती हैं अस्पताल चलते हैं। पर फिर भी और अधिक कॉलेजों की मांग की जाती है, यह भी कहते हैं सड़कें और बढ़ाओ। हरेक माननीय सदस्य अपने अपने इलाकों में विकास की तस्वीर को तीव्र गति से चलाना चाहते हैं। यह स्वाभाविक भी है उनके लिये। इसलिए मैं मजबूर हूं मुझे तो इन दोनों में समन्वय करना पड़ता है। अपने जजबात लेकर कुर्बानी नहीं कर सकता, तो उनके जजबातों की कुर्बानी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। विकास की गति भी तेज करनी पड़ती है कि कहीं हम औरों से पीछे नहीं रह जावें। यह हमारा दुर्भाग्य था कि रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना था जिनमें विकास कुछ हुआ नहीं था तो उसको विकास शील बनाने की दिशा में गति देने के लिये हमें ज्यादा पैसा कैपिटल में खर्च करना पड़ा जिसका व्याज हमें चुकाना पड़ रहा है। लेनदारी भी बढती जाती है, देनदारी भी बढ़ रही है। लेने वाले पिछे भी पड़े रहते हैं फिर भी विकास हमें करना पड़ता है। तो आप इस सारे बैंक ग्राउण्ड में भी सोचें।

एक साधू बनकर यह नहीं सोचें कि चाहें सड़कें बन्द हो जावें, स्कूल बन्द हो जावें पर शराब बन्द होनी चाहिए। यह आप कह सकते हैं, एक कह सकते हैं, दो कह सकते है, पांच कह सकते हैं पर जब विकास की बात आती है तब वही व्यक्ति पूछेंगे शिक्षा में कॉलेज कितने खोले जावेंगे, सड़कें कितनी बनाई जावेंगी, अस्पताल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? इसलिए दिल में कितनी ही भावना रखते हुए कि गरीबों को इस शराब से बचाया जावें, और अमीर पीते हैं तो पीने दिया जावे, पर गरीबों को बचाने की कोशिश करनी चाहिये, इस बात का प्रयत्न करता हूं। इसलिये सरकार की मद्य-नीति को समझ लीजिये। दो विचार इसमें नहीं हैं। सरकार के कहने और करने में भी फर्क नहीं है। पर मजबूरियों से थोड़ा धीरे धीरे चलने की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। इस दिशा में भी चल सकें और विकास के दूसरे काम भी पूरे कर सकें। आजकल की योजनाओं में दिमाग ओरियन्टेड है, इसलिये यह सब करना पड़ेगा मद्य-निषेध में राज्य सरकार का पूरा विश्वास है। पर कोई चाहता हो कि इस साल पूरा हो जावे, या सात आठ जिलों में पूरा कर दिया जावे, भरतपुर को पूरा कर दिया जावे या गंगानगर को पूरा कर दिया जावे फिर तो मैं पूरे के पूरे राजस्थान में ही क्यों नहीं कर दूंगा? इसलिये मुझे दो दिन करवाने पड़े हैं। इस वक्त छः जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर आदि में किया है उदयपुर की कुछ तहसीलों में बढ़ाया है इस तरह काफी क्षेत्रफल को इसमें डालने की कोशिश की है।

साथ साथ यह भी देखना पड़ता है। मनोहरसिंहजी मेहता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ मेरे कानून बनाने से काम नहीं होता है। सदन में भी इस पर चर्चा हुई थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जहां बन्द किया है, वहां इल्लिसिट का चलन बढ़ गया है। पहले तो वहां चन्द शराब की दुकानें होती थीं। पर आज बन्द हो जाने से करते क्या हैं कि महुवा का पेड़ बहुत है वह लेकर एक कनस्तर में महुवा और पानी डालकर फिरा करते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)
एक एक मील पहाडों की चोटियों पर, टीलों पर रहते हैं। अगर पता लगने पर इन्सपेक्टर पहुंच जावे तो तीर कमान लेकर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो एक तरफ तो सरकार की आमदनी कम हो गई उधर वे लोग हमें मजबूर करते हैं प्रिवेन्टिव फोर्स रखने के लिए, इसमें और खर्चा करो और फिर कहीं फायरिंग हो जावे और कोई उसमें मर गया तो सब जगह हंगामा हो जावेगा। तो आमदनी कम हो, प्रिवेन्टिव फोर्स बढ़ाओ इल्लिसिट को रोको और दुनिया भर का खर्चा करो और फिर इसे चलाओ। इसलिये इस प्रकार की वित्त मन्त्री की जो स्थिति है उसमें आपको मुझ पर दया करनी चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बड़ी दया आती है, ऐसी दया की भीख क्यों मांगते हैं, आप तो इसे छोड़ दीजिए। अलग हट जाइये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों के जजबात का पूरा खयाल रखते हुये भी हरेक के जजबात पूरे नहीं हो सकेंगे पर कहीं न कहीं जजबातों की तन्त्री हिलती हुई नजर आवेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार की मद्य-निषेध की नीति के बारे में सोचें।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट हो गई वह तो अब।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अभी नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है कि मैं पीछे नहीं हटा हूं। हम बराबर आगे बढ़े हैं। लास्ट ईयर दो दिन बन्द करते थे। आप भी समझते हैं कि हफ्ते में दो दिन बन्द हो जावे तो सरकार का कितना नुकसान हुआ? पर एटीट्यूड था सरकार का। इससे सरकार को एक करोड़ की आमदनी का घाटा हुआ। भारत सरकार पचास लाख देगी। पहले कहते थे देंगे। अब देंगे या न देंगे, यह तो वसूली होने पर पता लगेगा। जो सदन के इस ओर या उस ओर या बीच में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि हम में वही जजबात हैं, जो आपके हैं। इस बारे में माथुर साहब बड़े मजबूत हैं। पर नाचता हुआ मोर जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो आंसू गिराता है।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि मद्य-निषेध नीति की विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद अब आबकारी के मुद्दे पर आता हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और कहा कि यह तो कामधेनु है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भारत सरकार ने 50 पर्सेन्ट देने की बात कही थी, क्या इससे बैक आउट हो गई है?

श्री मथुरादास माथुर : हो गई वह, मैंने बजट स्पीच में कह दिया था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बैक आउट हो गई, दो दिन का आठ करोड़ का है तो 50 पर्सेन्ट सबसिडी देगी, वह स्थिति तो है न?

श्री मथुरादास माथुर : मैं डिटेल में कह चुका हूं। 70 करोड़ रुपये से हम चौथी योजना में डेफिसिट थे फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी । इसलिये मैं कहता हूं मद्रास के मुख्य मन्त्री ने ठीक कहा है इसे सेन्ट्रल सब्जेक्ट कर देना चाहिये । अब तो प्रोहिविशन की चर्चा करने वाले दो ही प्रान्त रह गये हैं गुजरात और राजस्थान । मद्रास भी था । पर फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के वाद वहां के मुख्य मन्त्री ने कह दिया है कि उन्हें इसका प्रोवीजन इरेज करना पड़ेगा या फिर भारत सरकार इसे सेन्ट्रल सबजेक्ट बनाले । उत्तर प्रदेश और पंजाब हमारे पड़ौस में आते हैं। अलवर से आने वाले पानी विजली सैस आबियाना आदि की जब बात चलती है तो सब जगह पंजाब की चर्चा करते हैं। तो पंजाब के विकास के साथ राजस्थान का भी विकास हुआ है । उस पंजाब ने बीस करोड़ की आमदनी इससे करने का फैसला किया है। मैसूर ने भी प्रोहिविशन से इन्कार कर दिया । सब स्टेटों ने जिन्होंने प्रोहिविशन किया था, बैंक आउट हो गये हैं उससे । अब राजस्थान को वैट (गीला) से ड्राई हो तो इसके लिये समय तो लगेगा। धोती भी गीली हो जावे तो उसे भी सूखने में समय लगता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कोई ठेकेदार का हामी नहीं हूं। सदन इसको वहुत गम्भीरता से समझ ले । ठेकेदारों को एक पैसे की भी छूट नहीं देना चाहता लेकिन एग्रीमेन्ट में कोई बात हो, कोर्ट ने स्टे कर दिया हो, हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया हो, रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर दिया हो तो फिर मजबूरी यह है कि वह फैसला दूसरों पर भी लागू करना होता है । मुकर्जी कमेटी बैठाई थी । मैं आपको एक बात और बतान्दूं कि वित्त मंत्री भी राइट ऑफ नहीं करता है। पूरी कैबिनेट के सामने सवाल आता है और वह सोच समझ कर फैसला करती है कि इतना राइट ऑफ कर देना चाहिए । फिर उसके हिसाब से कमेटी बनाते हैं, रूल्स वनते हैं, नार्म्स तय करते हैं और तब राइट ऑफ किया जाता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वसूली में ढिलाई करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्या वसूली में ढिलाई कतई नहीं होती है वह आंकड़े देखें जो कि पांच-सात साल के हैं। पॉच-सात करोड़ में से 69 लाख का एरियर है । आप परसेंन्टेज लगायें कि यह कितना आता है । अब कोई मर गया होगा किसी का कोर्ट का स्टे आ गया होगा । इसलिए इसके ऊपर वैठकर चिन्तन करें । तो मैं एक एक पैसा भी लोगों से वसूल करता हूं हर एक से और गरीब से गरीब से भी । क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता राज्य का पैसा इसलिए यह जो आंकड़े माननीय सदस्य बोल जाते हैं और फिर चले जाते हैं तो मेरे लिए फिर कहना और समझाना मुश्किल हो जाता है ····

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय वित्त मंत्री जो आपने जो बकाया के लिए बताया और मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट पर राइट ऑफ करने की वात कही । हमें तो जानना चाहते हैं कि कुल गारन्टी की रकम बकाया कितनी थी और जो राइट ऑफ कर दिया वह फाइनल हो गया या और करना वाकी रह गया ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा है कि शराब के लिए दुकानदारों को इन्डेन्ट देना पड़ता है और उसके ऊपर हम उनको सप्लाई करते हैं। अगर उसका इन्डेन्ट नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। ढाई हजार दुकानें हैं इसलिए इसके बारे में वर्क आउट करके 19 लाख का राइट ऑफ कर दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 19 लाख तो आप कर चुके हैं अब तो नहीं करना है ?

श्री मथुरादास माथुर : 1961-62, 62-63 और 63-64 का हुआ है। अब उसके बाद में थोड़ा रह गया तो पता नहीं यह आंकड़े एक साल के नहीं हैं। यह चलते आ रहे हैं 5-7 साल से। मैं पहले जब एक्साइज मिनिस्टर था तो उस समय से तीसरे प्लान के चलते आ रहे हैं और वह बढ़ते बढ़ते चले आते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह आंकड़े एक साल के नहीं हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं उनकी बकाया के भी आंकड़े आप देख लें और उनके मुकाबले में यदि हमारी स्टेट के ज्यादा हों तो आप मानो कि मैं नाकाबिल हूं और मुझे त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन हमारे यहां के आंकड़े दूसरी स्टेटों से ज्यादा नहीं हैं बल्कि कम ही हैं। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी ठेकेदार के हामी नहीं हैं। हम मना कर देते हैं तो वह हाईकोर्ट में चले जाते हैं, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, रेवेन्यू बोर्ड में चले जाते हैं और वहां जाने का उनका कानूनी अधिकार है········

श्री कृष्णकुमार गोयल : जयपुर और अजमेर वाले हाईकोर्ट में गये थे ?

श्री मथुरादास माथुर : रेवेन्यू बोर्ड में गये थे। वहां से फैसला हो गया और उसके बाद में हमने कहा कि हम खुद जानते हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि टोटल सप्लाई ऑफ लिकर मान लीजिए कि 16 लाख गैलन देनी पड़ती हैं और हमारा मेन सोर्स इनकम का हमारी डिस्टीलरी है और वहां से फिर हमने 12 लाख गैलन ही दी तो इतना तो हम भी कहते हैं कि 4 लाख गैलन हमने सप्लाई नहीं की। अब जब कि हमने इतनी सप्लाई की नहीं और बाहर से वह लाता नहीं है और मान लें कि उसकी टोटल कास्ट $1\frac{1}{4}$ करोड़ की हुई तो उसके रेमिटेन्स के लिए ढाई हजार दुकानदार हैं उनको देना पड़ता है और इसके एनटाइटल्ड हैं। पंजाब में रूल है कि गारन्टी मनी और रेवेन्यू अलग अलग गिनी जाती है और वहां क्लॉज है : Wherever there is a short fall, the Excise Commissioner is authorised to give remission to that extent. इसलिए यह लेजीटीमेट रेवेन्यू नहीं है। यह एस्टीमेटेड गारन्टी है। अगर गवर्नमेन्ट सप्लाई नहीं करेगी तो उसके बाद में रेमिशन के लिए क्लेम करते हैं और राइट ऑफ का सवाल पैदा होता है·······

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या जयपुर के लिए भी यही बात है कि आप सप्लाई नहीं कर पाये ?

श्री मथुरादास माथुर : सभी के लिए यह बात है, जयपुर हो, जोधपुर हो या अजमेर हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जयपुर में जो राइट ऑफ किया है उसके लिए कह रहे हैं कि करफ्यू लगा हुआ था इसलिए राइट ऑफ किया।

श्री मथुरादास माथुर : करफ्यू लगा हुआ था और 15 दिन तक रहा। जोधपुर के लोग अब मेरे पास आये कि वहां बम पड़े और 20 दिन दुकानें बन्द रहीं। अब एक महीने में आप ही देखो कि तीन-चार लाख का शराव वेचते हैं और जितने दिन दुकानें बन्द रहीं तो वह नहीं वेच पाये। अब महीने भर तक दुकानें बन्द रहें और सप्लाई नहीं हो तो शराब कोई कहां से वेचेगा। अब मार्च का महीना आखिरी होता है और उसके अन्दर गारन्टी पूरी करनी पड़ती है और उन दिनों करफ्यू लग जाये तो ठेकेदार मारा जाता है। तो इसके लिए भी कुछ न कुछ करना होता है। तो हर केस केविनेट में तय होता है। वित्त मन्त्री, आप या हमारा कमिश्नर नहीं करता है। तो यह गारन्टी की बात हुई और राइट ऑफ करने की बात हुई।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मेरे यहां से दुकान उठनी चाहिए, मेरे यहां से शराब की दुकान हटनी चाहिए, शराब पीने वाला कहता है कि मेरे यहां से दुकान उठ जानी चाहिए। अब आप ही बताओ कि जब सभी कहें कि हमारे यहां से दुकान हट जानी चाहिए तो फिर कहां खुलें यह दुकानें। इसके लिए हमने रूल्स बना दिये हैं कि शराब की दुकान किसी मन्दिर के पास नहीं, शराब की दुकान किसी मस्जिद के पास नहीं होगी, शराब की दुकान किसी स्कूल और अस्तताल के पास नहीं होगी। शहर के अन्दर ये सभी जगह होती हैं.......

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कितनी कितनी दूरी पर ?

श्री मथुरादास माथुर : सौ गज की दूरी पर। कोई गांव छोटा है तो गांव में हम नहीं रखते। कभी कहते हैं कि मेरे यहां शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिए तो कभी गोकुलप्रसाद जी कहते हैं कि मेरे यहां नहीं रहनी चाहिए.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : रोडवेज के स्टेण्ड के पास नहीं होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : हां रोडवेज के स्टेण्ड के पास नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं उनके यहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो अब कहां हो यह भी मुझे बतादें। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स में प्रावधान है उसके हिसाब से दुकानें हम हटा देते हैं। पीने वाले भी कहते हैं कि मेरे घर के बाहर दुकान नहीं होनी चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एकसे ज्यादा दुकान क्यों खोलते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जो ठेकेदारों के साथ एग्रीमेंट है उसके अलावा खोलते हों तो आप मुझे बताओ वह गैर कानूनी है और उसको हटाना चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अगर आप जयपुर में 4 ठेके देते हैं तो 4 ही दुकान होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, दुकानों की यह स्थिति है जो मैंने अभी अर्ज कर दी। जो आपके एक्साइज रूल्स में है अगर उसमें कोई दुकान रह गयी है तो मुझे बताओ। अगर कोई दुकान हटवानी है तो उसके साथ ही साथ दूसरी जगह भी सजेस्ट कर दिया करो मैं कर दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सवाई-माधोपुर में किसी सेठ को दिया है लाइसेन्स तो उसे स्टेट अण्डरटेकिंग में क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह कहा जाता है कि सवाई माधोपुर में डिस्टीलरी बनाने का या शराब बनाने का किसी को लाइसेन्स दिया है यह बात गलत है और कोई लाइसेंस शराब बनाने का नहीं दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट से दिलवाया है ?

श्री मथुरादास माथुर : एक तो बात यह हुई और दूसरी बात यह है कि बीयर मैन्युफैक्चर करने के लिये जो माननीय सदस्या समझती हैं कि शराब और बीयर में फर्क है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी तरह से ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको निवेदन करता हूं कि कोई भी इन्डस्ट्री जो कि 25 लाख के नीचे की होती है उसका लाइसेन्स राज्य सरकार देती है और यदि 25 लाख के ऊपर कोई इन्डस्ट्री कायम होती है तो भारत सरकार उसको लाइसेन्स देती है। अब भारत सरकार ने किसी को सवाई माधोपुर में बीयर मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेन्स दे दिया। हमने भी दरख्वास्त दी कि हमें लाइसेन्स मिलना चाहिए। राज्य सरकार की मद्य निषेध की नीति के अनुसार और टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शराब की स्ट्रेन्थ कम कर देनी चाहिए और अंततोगत्वा बीयर को छूट दे रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे यहां तो हम शराब बन्द ही कर देंगे तो यहां की बीयर मध्यप्रदेश जायेगी, पंजाब में बिक जायेगी और इसमें जो काम में लायेंगे तो हमने लाइसेन्स दे दिया, ऐसा भारत सरकार ने कहा। अब बताओ क्या गुनाह किया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भारत सरकार कुछ भी करती रहे और हम दर्शक होकर देखते रहें ?

श्री मथुरादास माथुर : बीयर का कारखाना है शराब का नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भारत सरकार ने जब लाइसेन्स दिया तो राज्य सरकार से नहीं पूछा ? आपने कोई कन्सेन्ट नहीं दी ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं पूछा, सच्ची बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : कोई कन्सेन्ट नहीं दी ?

Page No 219

श्री मथुरादास माथुर : वह तो लाइसेन्स लेकर आ गये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वह सेठ कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं नहीं जानता वह सेठ साहब हैं, कलाल हैं पता नहीं मुझे । अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि दूसरी बात मैं मेहता साहब से पूछूंगा । भैरोंसिहजी ने सजेशन दिया है । मैन्युफैक्चरिंग इसलिए करने लगे हैं कि शुगर फैक्ट्री हमारी थी तो हर शुगर फैक्ट्री में मोलासिज निकलते हैं । बाई प्रोडक्ट उसकी मोलासिज होते हैं तो उसने स्प्रिट बनाई जाती है न कि शराब । तो यह समझ लेना चाहिए कि मोलासिज को डिस्टिल करके स्प्रिट बनाते हैं और इस तरह की कम से कम 10-12 गुजरात के अन्दर डिस्टिलरियां लगी हुई हैं । आम तौर से यह स्प्रिट इन्डस्ट्री में काम आती है, एज्यूकेशनल कॉलेजेज में काम आती हैं, अस्पतालों में आम आती हैं । गंगानगर शुगर फैक्ट्री में शराब नहीं बनाता हूं स्प्रिट बनाता हूं और स्प्रिट से शराब बनाकर आगे देता हूं····

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो क्या फर्क पड़ गया ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह कहना था कि डिस्टिलरी में स्प्रिट मैन्युफेक्चर करते हैं तो मेरी मजबूरी है क्योंकि शुगर फैक्ट्री हमारे पास है । दुकानों पर एल. डी. सी., यू. डी. सी. को बैठाकर शराब बेचने से राष्ट्रीयकरण हो जायगा या समाजवाद आ जायेगा तो भैरोंसिहजी समाजवाद को मुझ से ज्यादा समझते हैं····

एक माननीय सदस्य : दोनों बराबर समझते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझ से ज्यादा समझने वाले रामानन्दजी हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर से साफ हो गया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपकी वजारत के बाद बिक्री में तरक्की हुई है या तनज्जुली हुई है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सा.नि.मंत्री) : क्या कहते हैं !

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां शराब की बिक्री किसी साल में कम हुई है और किसी साल में ज्यादा हुई है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : 10 साल से आप मन्त्री हैं फिर भी आप नहीं बतलाते हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बाद में पूछना है या बीच बीच में ।

श्री मथुरादास माथुर : बाद में ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कर पर आता हूं और खास तौर से सेल्स टैक्स के बारे में । बड़े उपदेश सुनने को मिले हैं इस विषय के बारे में कि मेरी कर लगाने की नीति खराब है, मेथेडोलॉजी खराब है, करों के बारे में परेशानियां हैं, बड़ा

(श्री मथुरादास माथुर)

भ्रष्टाचार है, जुल्म है, सब सुन लिये। मगर एक कहावत है कि खोदा भाखर और निकला चूहा। आज तक कोई शिकायतें नहीं आई हैं। नागौर वाले सी. टी. ओ. की शिकायत दो महीने से आ रही है जो कि मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वह चन्दा करता है तो उसकी जांच के लिए ऑर्डर कर दिये हैं। जांच हो जायगी और गुनहागार होगा तो सजा पा लेगा और बेगुनाह होगा तो बरी हो जायेगा। आपकी कोई शिकायत नहीं कर विभाग के बारे में लेकिन कर विभाग की शिकायत है आप से कि आप लोगों की उन्हें हमदर्दी नहीं मिलती है। हम लोग जुल्म नहीं करते हैं क्योंकि कर विभाग पुलिस नहीं है। हम लोग कर हाथ जोड़कर वसूल करते हैं, और नहीं देते हैं और चोरी करते हैं तो उसके हिसाब से जो अधिकार सदन ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं देने वाले इधर उधर शिकायतें करते हैं आप लोगों से। कोई जुर्म उनके साथ नहीं किया गया है।

मैं दो-चार बातें सदन में निवेदन करूंगा कि जवाहरात और डायमण्ड्स और स्टोन्स के बारे में पूछा गया कि और भी जगह कर कहां कहां हैं। आपके यहां 5 पर्सेन्ट कर था, माननीय अध्यक्ष, दो साल पहले एक प्वाइन्ट पर। (विपक्ष की ओर संकेत करते हुए) सुन लें कि 5 पर्सेन्ट था लास्ट पाइंट पर। बड़ा हंगामा हुआ था उधर से। हमारे यहां के विभाग के फैसले का जिक्र किया। मैं चन्दा लेना नहीं चाहता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हों। राज्य सरकार चन्दे की भूखी नहीं और न सरकारें चन्दे से चला करती हैं। बिरलाजी ने चन्दा दे दिया, बांगड़, सोमानी, सिंघानिया और कई हैं, लेकिन जो कानून आपने बनाया है उसके हिसाब से मैं कर लूंगा। वे चन्दा दें या नहीं उन्होंने अस्पताल बनाया तो वे दानवीर कहलाते हैं। मेरे यहां तो कर देने के लिए राजस्थान के नागरिक की हैसियत से आते हैं। इसलिए उस हिसाब से काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपये ले लिए एक साथ। ज्वैलर्स से मैं वह नहीं लूंगा। सैल्स टैक्स वाले जब घुसते हैं मकान में और पकड़ते हैं तो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी भी पकड़ी जाती है। डर तो इस बात का है। इसलिए यह सारा हंगामा होता है। अध्यक्ष महोदय, 5 पर्सेन्ट था पहले तो मल्टीपल पाइन्ट पर कर दिया उन लोगों के एसोसियेशन से डिसकशन करने के बाद में और इस सदन में दो साल पहले यह किया गया और स्लेब बना दिये गये और 1 पर्सेन्ट कर लगेगा, और उन्होंने कहा कि ट्रान्जेक्शन तीन हैण्ड्स में होते हैं इसलिए आपको तीस पर्सेन्ट मिल जायेगा। इस तरह की बात कही मगर जब हमने आंकड़े देखे तो दो हैण्ड का एक्सचेन्ज होता है तो उससे दो पर्सेन्ट मिलता है। कहां 5 पर्सेन्ट था और कहां दो पर्सेन्ट मल्टीपल पाइंट करने के बाद में।

दूसरे प्रदेशों के बारे में पूछा था तो आन्ध्र प्रदेश में 6 पर्सेन्ट, आसाम में 5 पर्सेन्ट, दिल्ली में 8 पर्सेन्ट, गुजरात में 8 पर्सेन्ट केरल में 5 पर्सेन्ट, मद्रास में 7 पर्सेन्ट, मध्यप्रदेश में 11 पर्सेन्ट बंगाल, यू. पी., पंजाब में 6 पर्सेन्ट, महाराष्ट्र में 6

(श्री मथुरादास माथुर)
पर्सेन्ट। मैने वही सामने रखा है जो उन्होंने बताया है। उसमें हेर-फेर की है!

एक माननीय सदस्य : हेर-फेर करना तो आपकी आदत है।

श्री मथुरादास माथुर : स्लेब सिस्टम वही, मल्टीपल सिस्टम वही है जो कि सदन में मन्जूर किया है, लेकिन तीन हैण्ड्स में एक्सचैन्ज नहीं होता है और एवरेज मे दो हैण्ड्स में एक्सचैन्ज होता है तो मैंने कर दिया है 2 और 2 चार पर्सेन्ट। इसके पहले पांच पर्सेन्ट था। ज्वेलर्स के बारे में यह कहा गया कि वे बम्बई चले जायेंगे। जायें तो मेरा क्या? पचासों बातें कही जाती हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय कि जो कर मैंने लगाया है यह कर बहुत उपयुक्त लगाया है। इस बारे में मैं असमर्थ हूं और दुबारा सोचने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जौहरियों के मामले में ऐतराज क्यों है?

श्री मथुरादास माथुर : अब उसके बाद में······

एक माननीय सदस्य : काफी जवाब दे दिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : सैटिस्फाइड हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एक आबकारी के नीलाम के बारे में बीकानेर की बात कही है कि 7 लाख में आक्शन हुआ है तो वह गलत है। वह 11 लाख 54 हजार में हुआ है लास्ट ईयर जो रेट थी गारन्टी की उसमें 20 पर्सेन्ट बढ़ाकर जो रेट मुकर्रर की गई थी वह 51 लाख 54 हजार·······

एक माननीय सदस्य : 11 लाख 54 हजार।

श्री मथुरादास माथुर : 11 लाख 54 हजार थी वहीं बिड आई है। जो लास्ट ईयर गारन्टी थी उस पर 20 पर्सेन्ट ज्यादा बोली आई है। एक आदमी ने कहा था कि मैने सिक्योरिटी डिपाजिट करा दी लेकिन मुझे बोली नहीं लगाने दी। मेरे डिप्टी कमिश्नर भी वहां पर मौजूद थे एक्साइज ऑफिसर के अलावा तो उससे रिपोर्ट मंगाई है। अगर रुपया जमा हो गया था और बोली नहीं लगाई गई तो फौरन रिपोर्ट पेश करें। अगर यह साबित हो जायेगा कि अर्नेस्ट मनी जमा करा दी और अगर अर्नेस्टमनी जमा नहीं कराता है तो बोली बोलने का हकदार नहीं है, लेकिन अगर उसने जमा करा दी तो मैं रिआक्शन कराऊंगा। कोई ठेकेदार हमारे लिए लोकल नहीं है और न कोई फोरेनर है। जो राज्य को रुपया देता है वह हमारा ठेकेदार है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, बाकी के टैक्सों के बारे में, करों के बारे में·······

श्री शंकरलाल : छोटी-मोटी बातें हैं।

श्री मथुरादास माथुर : छोटी-मोटी बातें बहुत कही गई हैं।

आपने आइल इन्डस्ट्री का कहा तो मैंने यह आइल इन्डस्ट्री पर 1 पर्सेन्ट और

(श्री मथुरादास माथुर)
3 पर्सेन्ट इस तरह से 4 पर्सेन्ट तय किया था यू. पी. के मुकाबले में किया था। यू.पी. में आज बदल जाय और रोज ही बदल जाय तो मैं क्या करूँ? अब आपने कहा है तो देखते हैं एक सवाल में....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा है....

श्री मथुरादास माथुर : क्या होता है अगर कम आयेगा तो मेरे पास चले आयें कि रिटर्न कम हो रहा इसलिए दुवारा किया जाय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा है....

श्री अध्यक्ष : एण्ड में माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह फसल का टाइम है। अगर आइल सीड्स पर एडवर्स इफेक्ट होगया तो साल भर वैसे ही चला जायगा। इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा।

श्री मथुरादास माथुर : डबल नहीं होगा। दो बातें होती हैं सेल्स टैक्स में हर एक आता है कहता है डबल हो जायगा। हरएक कहता है, गरीब मर जायेंगे। ज्वेलर आते हैं, कहते हैं, गरीब मर जायेंगे। पापड़ वाले आते हैं, कहते हैं, गरीब मर जायेंगे। गरीब ही गरीब मरते हैं। मैं भी इस बात का हामी हूं कि गरीब न मरें....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : थोड़ा लिबरल तरीके से कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने इस टैक्स को भरतपुर और अलवर के आइल मिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स से डिस्कस करने के बाद में यू. पी. के आधार पर कर दिया। अब यू.पी. ने बदल दिया। तो यू. पी. में टैक्स क्या बदलते हैं, गवर्नमेंट भी बदलती है। आगे जाकर क्या हो—यह पता नहीं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां का कर पड़ोसी राज्यों से ज्यादा नहीं होना चाहिए....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जनवरी 69 में हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सब बातों का जवाब दूंगा। और भी कोई ऐसी चीज हो जो समझ में नहीं आये तो बाद में पूछ लें या फिर बाद में डिस्कस कर लें।

मेरा निवेदन है कि न तो मैं इन्डस्ट्री उठाना चाहता हूं और न कर को कम करना चाहता हूं। इन्डस्ट्री भी बढ़े और कर भी बढ़े—मैं दोनों बातें चाहता हूं वैसे भी उच्चत्तम और मध्यम की मिल कर बात वैठती है। मैं निवेदन करता हूं कि रात दिन जो वित्त मंत्रियों की कान्फ्रेन्स होती है उसमें हम फैसला करते हैं—यह तेरा कर है, यह ज्यादा है। इससे हमारा ट्रेड बिगड़ जायगा। तुम बढ़ा दो वह कहता है तो बढ़ा देते हैं। इस तरह से डिस्कशन करते हैं। ऑफिसर्स अलग डिस्कस करते हैं और ऑफिसर्स से डिस्कस करके फिर तय हो जाता है। लेकिन जब मैं दुबारा जाता हूं तो मेरे पड़ौसी राज्यों के फाइनेन्स मिनिस्टर

(श्री मथुरादास माथुर)
बदलते हुए नजर आते हैं। तो मेरी तो मुश्किल हो जाती है। पंजाब के बदल गये, हर दफा बदल जाते हैं। पहले वहां कांग्रेस आई, फिर अकाली दल आ गया। इस प्रकार तीन चार दफा बदल गये। यह मेरी मजबूरी है और मैं आपकी दया मे जारी हूं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक सर्टीफिकेट परमानेन्सी का इश्यू हो जाय।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी वर्क चार्ज पर हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है कि आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिये। दिल्ली की तो अजीब गवर्नमेंट है। आप जानते हैं वह टैक्स घटा दे. रेवेन्यू घटा तो भी कोई बात नहीं है, भारत सरकार उसको अपने आप कम्पेन्सेट करती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यू. पी. के अन्दर जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उससे कम्पेरीजन करते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : दिल्ली का ट्रेड ज्यादा है राजस्थान से टैक्सेशन कम होने के कारण।

श्री मथुरादास माथुर : दिल्ली की बात छोड़ दीजिये। मैं निवेदन करूं कि हम कोशिश करते हैं, प्लानिंग कमीशन कोशिश करता है। वैसे दिल्ली वालों को आप भी समझायें, हम भी समझायेंगे....

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह बढ़िया है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या चली गई। मैं गोटा, किनारी, पापड़, बड़ी के बारे में कहना चाहता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: छोड़िये !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कलर इन्डस्ट्रीज !

श्री मथुरादास माथुर : कलर इन्डस्ट्री घाटे में नहीं रहेगी, आप बेफिक्र रहें। कोई कलर नहीं गिरता है, कलर, डिस्टेम्पर। आप समाजवादी होकर भी एसी बात कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : उम्र के साथ जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ छोटे मोटे पाइन्ट थे। माननीय सदस्य हैं नहीं इसलिए उनका जवाब देने का अर्थ नहीं है। कोई उनमें जनरल पॉलिसी की बात नहीं है तो फिर क्यों समय खराब करें....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अर्बन लैण्ड टैक्स !

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रश्न उठाया गया अर्बन लैण्ड टैक्स चालू कर दिया जाय। मेरी मुश्किल यह है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे। मैं यहां पर कार्मशियल और इन्डस्ट्रियल टेनीमेंट्स पर टैक्सलगाने के लिए बिल लाया, यह सलेक्ट कमेटी में भेजा गया। सलेक्ट में यह राय बनी कि तीन एजेंसियां इस टैक्स को वसूल करती,

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं हमारे कान्स्टीट्यूशन के अन्दर जो शिड्यूल है उसमें जो आइटम हैं लैण्ड टैक्स का, वह तीन एजेंसियां वसूल करती हैं—एक तो म्युनीसिपैलिटी लेती है हाउस टैक्स फिर गवर्नमैंट ने लैण्ड टैक्स अर्बन लगा कर लागू कर दिया। तो सलेक्ट कमेटी के अन्दर राय थी कि तीन एजेंसियों को कान्स्टीट्यूट करके एक एजेंसी टैक्स वसूल करे और फिर तीनों के अन्दर उसके अलग अलग हिस्से बांट दिये जांय। यह बात रही। फिर यह बहस उठी कि म्यूनीसिपैलिटी को पचास पर्सेन्ट दें या सेंट पर्सेन्ट। यह बहस चल रही थी कि गवर्नमैंट ने घोषणा कर दी की आक्ट्राय को खत्म करके टर्न ओवर पर टैक्स लागू करेंगे। राजस्थान में इन्डस्ट्री बढ़े, व्यापार बढ़े, ऐसी बात नहीं है कि उनको मदद देने की हमारी इच्छा नहीं है। यह आप समझ लीजिये कि इच्छा और ईमानदारी आपमें है, तो उतनी ही इच्छा और ईमानदारी हम में भी है, आप में यह भावना है तो यह भावना हम में भी है। फर्क इतना है कि आप उधर बैठे हैं इसलिए जोर से बोल सकते हैं और हम इधर बैठे है इसलिए धीरे से बोलते हैं। अब सलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हुआ कि ऑक्ट्राय हटे और टर्न ओवर पर टैक्स लागू किया जाय तो सवाल पैदा हुआ कि म्यूनीसिपैलिटी की ऑक्ट्राय हटे और टर्न ओवर टैक्स हम वसूल करें, म्यूनीसिपैलिटी का जो हाउस टैक्स है वह हम वसूल करें तो फिर म्यूनीसिपैलिटी के पास क्या रह जायगा? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमैंट की इन्स्टीट्यूशन्स को खत्म कर रहे हैं। यह भावना पैदा हुई तो मुझे दो बातों में से एक को छांटना पड़ा कि ऑक्ट्राय को एबालिश करूं, या फिर दो तीन बिलों को कंसोलिडेट करके एक करूं, तो राज्य सरकार ने महसूस किया कि ऑक्ट्राय को तो खत्म करना जरूरी है। वह अब आ रहा है सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ, और यह तय हो गया कि कन्सोलिडेट नहीं करना है, तो अब लैण्ड टैक्स वसूल करने के लिए बिल शीघ्र ही सदन के सामने आयेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले छः साल का क्यों छोड़ दिया?

श्री मथुरादास माथुर : इस पर मैं पुनः विचार करूंगा। वापिस इसमें आपका और हमारा एकेडेमिक डिस्कशन हो जायगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि यह टैक्स रोक दिया तो असैसमेंट भी नहीं हुआ, फिर वसूल क्या करेंगे। असैसमेंट होगा तो उसके बाद यह टैक्स लिया जायगा। फिर भी अगर कोई असैसमेंट हो गये हैं तो बजट भाषण के बाद भी कई बातों पर मैं विचार करूंगा....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बारदाने का।

श्री मथुरादास माथुर : बारदाने का वसूल नहीं किया है, न वह वसूल करूंगा।

श्री अध्यक्ष : छ ोसाहब!

श्री मथुरादास माथुर : अब किसी माननीय सदस्य की कोई शंका रह गई हो तो बता दें ... ...

कई माननीय सदस्य : कोई नहीं रही !

श्री अध्यक्ष: श्री मेहता !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपका प्रश्न लम्बा चलेगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पैसेन्जर टैक्स····

श्री मथुरादास माथुर : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) किसको सुनूं।

श्री अध्यक्ष : आप डांइरेक्ट कह देते हैं। श्री महेता !

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने जो 24 फरवरी, 1969 को भाषण दिया था और तारीख निश्चित की थी उस पर तो आप कायम हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तारीख बदली नहीं है जी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप दृढ़ता से कह दीजिये कि कायम हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप क्या चाहते हैं ? तारीख बदलने की घोषणा की हो तो आप प्रश्न पूछिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं बदली है, दृढ़ हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने फरमाया कि विकास पर खर्च करना है तो आपके ध्यान में होगा कि विनाश के नाम से विकास नहीं होगा। विकास के लिए आपकी आमदनी भी शुद्ध होनी चाहिए। यह आपके ध्यान में होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह क्या प्रश्न है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : शुद्ध काम करने के लिए शुद्ध आमदनी होनी चाहिए यह आप ध्यान में रखिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा यह प्रश्न था, पैसेन्जर एण्ड ड्स टैक्स वसूल करते हैं····

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ गया मैं भूल गया था। पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स के बारे में दो सवाल रामनारायण जी ने करे, आपने भी करे····

श्री बृजप्रकाश गोयल (उप मन्त्री) : चैक पोस्ट के बारे में भी।

श्री मथुरादास माथुर : हां, चैक पोस्ट के बारे में भी है। जो बिल इन्ट्रोड्यूज किया है सदन में उसमें देखा होगा कि गुड्स टैक्स लम्पसम लिया जाता है तो मैंने कह दिया है कि पैसेन्जर टैक्स भी लम्पसम लूंगा। लेकिन यह कम्पलसरी नहीं कर सकता। इसलिए रेट्स तय किये हैं, जो लम्पसम नहीं पे करना चाहें, जो लम्पसम देना नहीं मानेंगे उनके लिए मैं टिकट चिपकाऊंगा। यह दोनों बातें उसमें कह दी हैं। आपने कहा था वह बात मान ली है····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक चीज और थी। इसमें वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि अलग कलेक्शन होता है ····

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में वित्त मन्त्री इस वक्त जबाब देने में असमर्थ हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : विचार तो करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में विचार कई दफा हुआ है । अलग विभाग के मन्त्री हैं उनसे प्रेरणा लेकर और मुख्य मन्त्री से चिन्तन करके राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल डिस्कशन में आया नहीं, न कट मोशन था । लेकिन मैं जानकारी के लिए कह देता हूं कि रजिस्ट्रेशन फी के बारे में एक नया प्रश्न पैदा हो गया है हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद····

श्री अध्यक्ष : चूंकि कट मोशन नहीं था इसलिए आप चाहें तो उत्तर दें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मैं पहले ही कह रहा हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : ज्ञात होगा तो दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल आपकी जानकारी के लिए है । रजिस्ट्रेशन फी को कोर्ट ने माना है कि यह फीस नहीं है, टैक्स है । क्योंकि इसकी इन्कम ज्यादा होती है खर्च के मुकाबले । इसलिए रजिस्ट्रेशन फी को फी नहीं मान कर उसको टैक्स का रूप दिया है । अभी कोटा के अन्दर पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट को बेस करके एक जजमेंट हुआ है । सिविल कोर्ट मे डी. सी. एम. ने लीज डीड के ऊपर 6 लाख 93 हजार का स्टाम्प दिया था । उस सम्बन्ध में दावा किया तो यह जजमेंट दिया है कि 93 हजार तो एक्सेप्ट किया है छः लाख की डिग्री राजस्थान सरकार के खिलाफ की है । इसको आप एक्जामिन करा लें ।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न मेरे सामने नहीं आया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसको एक्जामिन करा लेना ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कहा हैं उसके ऊपर लॉ डिपार्टमैन्ट की लीगल ओपिनियन ले ली जायगी ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने वित्त मन्त्री जी को निवेदन किया था कि पीपाड़ वगैरह में चमड़ा लाते हैं तो आपने जो चौकियां कायम कर रखो हैं, वे परेशान करते हैं····

श्री अध्यक्ष : चमड़े का खयाल है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : खयाल है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि 10 हजार तक का चमड़े का काम करेंगे तो उनसे कुछ नहीं लेंगे न उनसे हिसाब लेंगे । तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो चौकियां राजस्थान की राजस्थान में ही कायम कर रख जोधपुर, जयपुर, नसीराबाद आदि में वे चौकियों वाले चमड़े का काम करने वालों को परेशान करते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में चौकियों को आदेश होने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री !

श्री मथुरादास माथुर : चौकियों को आदेश दे दिये जायेंगे ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जोधपुर का ही मसला है ।····

श्री मथुरादास माथुर : एक बात एक माननीय सदस्य ने चैक पोस्ट्स के बारे में कही थी कि उनसे ज्यादा वसूल कर लिया जाता है। इसके लिए हमने आदेश दे दिया है कि बाहर से जो माल आये, उसके लिए एक फार्म प्रेसक्राइब कर दिया है, उस फार्म को भर कर ड्राइवर के साथ भेज दें। वह फार्म पेश करने पर चौकियों पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,76,42,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 2 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 87,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 4 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 5 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,22,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 6 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 7 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये आने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 13,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 3 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि को 9 बज कर 14 मिनिट पर दिनांक 21-3-70 के प्रातः 8 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE BUDGET SANCTIONED UNDER THE HEAD "TELEPHONE" DURING THE YEAR 1967-68, 1968-69 AND 1969-70 AND EXPENDITURE DURING THESE YEARS.

Year	Budget Sanctioned	Expenditure	Remarks.
(1) 1967-68 (1-4-67 to 31-3-68)	50,000.00	40,890.00	
(2) 1968-69 (1-4-68 to 31-3-69)	40,000.00	53,909.00	
(3) 1969-70 (1-4-69 to 20-1-70)	40,000.00	73,837.25	
	1,30,000.00	1,68,636.00	

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE TRUNK CALLS/LOCAL CALLS FROM APRIL, 1967 TO 11TH MARCH, 1970.

Month & Year 1		Trunk call 2	Local call 3	Total 4
May,	1967	—	10703.59	10703.59
June,	1967	109.30	—	109.30
-do-		622.25	—	622.25
July,	1967	469.55	—	469.55
Aug.,	1967	—	5,793.05	5793.05
Sept.,	1967	—	11,570.25	11,570.25
Dec.,	1967	—	7,354.85	7,354.85
Jan.,	1968	—	—	—
Jan.,	1968	987.45	—	987.45
Feb.,	1968	67.01	—	67.01
Feb.,	1968	203.10	3,198.00	3401.10
Feb.,	1968	11.60	—	11.60
Total		2,470.26	38,419.74	40,890.00

Page No 230

1		2	3	4
May,	1968	—	2,295.95	2,295.95
June,	1968	1,387 55	2,911.65	4,299.50
July,	1968	339.00	—	339.00
Aug.,	1968	—	5,010.40	5,010 40
Aug.,	1968	488.75	—	488.75
Oct.,	1968	—	3,314.25	3,314.25
Oct.,	1968	—	5,247.51	5,247.51
Nov.,	1968	1822.75	—	1822.75
Nov.,	1968	5.00	—	5.00
Dec.,	1968	4.50	10678.20	10682.70
Jan.,	1969	—	4,701.20	4,701.20
Feb.,	1969	—		—
		1060.15	—	1060.15
Feb.,	1969	16.00	—	16.00
Feb.,	1969	—	14571.00	14571.00
March,	1969	4.50	—	4.50
		50.00		50.00
	Total.	5,178.20	48,730 46	53,908.66
April,	1969	504.10	3.042.10	3546.20
April	1969	491.60	—	491.60
May,	1969	—	17,261.60	17,261.60
June,	1969	16.00	—	16.00
July,	1969	711.50	3016.55	3728 05
July	1969	37.50	—	37 50
Aug.,	1969	1,180.30	—	1180.30
Aug.	1969	4 00	—	4.00
Aug.	1969	39.00	—	39.00
Aug,	1969	—	10,241.30	10,241.30
Sept,	1969	500.00	—	500 00
Oct.,	1969	—	3,281.17	3,281.70
Nov,	1969	774.60	—	774.60
Nov,	1969	—	14,296.20	14,296.20
Dec.,	1969	144.00	—	144 00
Dec.,	1969	31.50	—	31.50
Dec.,	1969	1,342.60	—	1,342.60
Feb.,	1970	966.20	3,152.10	4,118.30
March,	1970	1126.00	10,499,80	11,625.80
	Total....	7,848.90	6,4791.35	72,660.25

Page No 231

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 199 की सूची)

APPENDIX 'C'

BUNDI DISTRICT —

S. N.	Name of Localities	Tehsil
1	2	3
1.	Bundi	Bundi
2.	Devpura	Bundi
3.	Talera	-do-
4.	Hindoli	Hindoli
5.	Imertia	-do-
6.	Lakheria	K. Patan
7.	Chattarpura	Bundi
8.	Nainwa	Nainwa
9.	Motipura	Hindoli
10.	Harna	-do-
11.	Bhimganj	-do-
12.	Tonkra	Bundi
13.	Aktasa	-do-
14.	Alfanagar	-do-
15.	Pach-ki-Baori	Hindoli
16.	Keshoraipatan	K. Patan
17.	Dhirpur	Nainwa
18.	Sunthali.	-do-
19.	Algojia	Bundi
20.	Barundhan	-do-
21.	Namana	-do-
22.	Sitapur	-do-
23.	Kurad	do-
24.	Haripura	-do-
25.	Sunderpura	-do-

1	2		3
26.	Motipura (Malik pur)	Bundi	
27.	Gagas	-do-	
28.	Andhed	-do-	
29.	Korama	Nainwa	
30.	Laxmipura	Talera.	
31.	Ishwar Nagar	K. Patan.	
32.	Jamitpura	Bundi.	
33.	Bundi Road	K. Patan..	
34.	Suwasa	Bundi	

Localities electrified 1969-70

1.	Badanaygaon	Hindoli	(spill over)
2.	Ragunathpura	-do-	,,
3	Gudha	Bundi	1969-70 programme.
4.	Ramnagar.	-do-	,,
5.	Bazed	-do-	,,
6.	Bichari.	Hindoli	,,
7.	Bibanva.	-do-	,,

सूची 'बी'

जिला बूंदी में निम्नलिखित गांवों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र आये हैं परन्तु अभी तक लाइन नहीं खेंची गई है(कनेक्शन नहीं दिया है)और उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है: —

क्र० सं०	नाम ग्राम	प्रार्थना-पत्र	अर्जी प्राप्ति का मास
1.	अल्का नगर	कृषि 1	दिसम्बर, 1969
2.	सीतापुर	उद्योग 1	दिसम्बर, 1969
		डोमेस्टिक 31	दिसम्बर, 1969
3.	ईश्वर नगर	डोमेस्टिक 23	दिसम्बर, 1969
4.	रघुनाथपुरा	डोमेस्टिक 1	दिसम्बर, 1969

APPENDIX 'C'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

List of Villages Electrified during Fourth Plan i.e. The Year 1969-70.

	Name of localities	Tehsil	Date of electrification	Remarks
1.	Badanaya gaon	Hindoli	1-9-1969	(Spill Over)
2.	Ragunathpura	-do-	1-9-1969	-do-
3.	Gudha	Bundi	5-2-1970	1969-70 Programme.
4.	Ramnagar	-do-	6-2-1970	-do-
5.	Bazad	-do-	25-2-1970	-do-
6.	Bichari	Hindoli	28-2-1970	-do-
7.	Bibanwa	do-		

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम बघेरा में चारागाह की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

205. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी तहसील के ग्राम बघेरा के चारागाह में किन किन आसामियों ने कितनी कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है ?

(2) उक्त आसामियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार इन्हें बेदखल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की तहसील केकड़ी के ग्राम बघेरा के चारागाह भूमि में पटवारी बघेरा के अनुसार 10 आसामियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा था। जिसकी सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त आसामियों के विरुद्ध धारा 91, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मुकदमें चलाये गये जिनमें 3 अतिक्रमी के सम्बन्ध में बेदखली के आदेश दिये गये, बाकी 7 व्यक्तियों के प्रकरण विचाराधीन हैं।

सूची

क्र० सं०	नाम	ख० नं०	रकबा		
			बी०	बि०	बि०
1.	घीसा बघेरा कुमावत नया-गांव	6	4	00	00
2.	रामकरण दरोगा बघेरा	6	15	00	00
3.	मूलसिंह वगैरा बघेरा	6	15	00	00
4.	हरनाथ बघेरा	6	4	00	00
5.	हरनाथ जाट बघेरा	6	0	5	00
6.	रामकल्याण बघेरा	6	0	5	00
7.	गंगा कीर बघेरा	6	1	2	00
8.	छीतर सीता कीर बघेरा	6	1	10	00
9.	कल्याण दरोगा बघेरा	6	2	15	10
10	सुखा बलाई बघेरा	6	5	10	00

नल कूपों पर व्यय

206. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल सहायता विभाग ने नल-कूप खुदवाने के लिए राजस्थान भू-जल मण्डल को गत वर्ष कितने कितने रुपये दिए और कितने नल कूप कहां बनाये गये तथा उन पर कितने कितने रुपये खर्च हुए? प्रति घन्टा पानी के डिस्चार्ज के आंकड़ों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नल कूपों के लिए स्थानों का चयन करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(3) राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा की गई सर्वे रिपोर्ट का स्थान चयन करते समय कहां तक ध्यान रखा गया?

(4) कितने नल कूप कहां कहां पर असफल रहे, उन पर कितना कितना खर्चा हुआ और उन स्थानों के लिए राजस्थान भू-जल मण्डल की सर्वे रिपोर्ट में क्या बताया गया था?

(5) नल कूप असफल रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) अकाल सहायता विभाग ने नल-कूप बनाने के लिये गत वर्ष में 60,00,000/- रु० की स्वीकृति दी थी तथा व्यय 51,12,000/- रु० का हुआ। राजस्थान भू-जल मंडल द्वारा बनाए गये नल कूपों के नाम उन पर हुआ व्यय तथा प्रति घंटा क्षमता के आंकड़ों सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नलकूपों का स्थान चयन करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिनमें मुख्य भू-जल अभियन्ता एवं सचिव भी एक सदस्य हैं। इस समिति की सिफारिशों पर नलकूपों का स्थान निश्चय किया जाता था।

(3) स्थानों का चयन करते समय भू-जल मंडल की सर्वे रिपोर्ट्स का ध्यान रखा गया था। जिन स्थानों का सर्वे नहीं हुआ था, उनका नलकूप लगाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था। जहां टैक्नीकल डेटा उपलब्ध नहीं था, तथा पानी की अत्यन्त आवश्यकता थी वहां परीक्षण नल कूप भी खोदे गये थे।

(4) जहां जहां पर नल कूप असफल रहे तथा उन पर जितना खर्चा हुआ उसे दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उन स्थानों पर नल कूप बनाने के लिए सर्वे रिपोर्ट्स में भी संदेहात्मक ही बताया गया था, क्योंकि पूर्ण टैक्निकल डेटा उपलब्ध नहीं था।

(5) नल कूप असफल इसलिए हुए क्योंकि उन स्थानों पर या तो जलयुक्त स्ट्रेटा नहीं मिला अथवा उनमें न पी सकने लायक खारा पानी निकला।

LIST OF TUBEWELLS CONSTRUCTED UNDER RELIEF PROGRAMME DURING THE YEAR 1968-69

S. No.	Location	District	Amount (exp. incurred In Rs.)	Discharge in IGPH
1	2	3	4	5
1.	Pali-I (Diggi)	Jaisalmer	58,254	8,000
2.	Ranu	,,	51,740	5,000
3.	Kuri	,,	58,655	8,000
4.	Sam (Bidan)	,,	44,328	1,500
5.	Jetha	,,	88,580	30,000
6.	Sangar	,,	57,384	8,000
7.	Nachana	,,	34,944	15,000
8.	Rajmathai-I	,,	32,120	16,000
9.	Sajeet	,,	51,644	5,000
10.	Pāli-II	,,	30,446	Abandoned.
11.	Bhala	,,	—	-do-
12.	Bhoo	,,	23,603	-do-
13.	Rajmathai	,,	38,827	-do-
14.	Bajju	Bikaner	68,659	5,000
15.	Mithidia	,,	46,680	6,000
16.	Mothigarh	,,	45,928	4,000
17.	Maghasar	,,	48,080	6,000
18.	Lalemdesar	,,	46,108	4,000
19.	Godu	,,	39,151	5,000
20.	Barsalpur	,,	A/C sheet not received	
21.	Barsingsar	,,	29,898	Abandoned
22.	Chandasar	,,	39,562	-do-
23.	Doongargarh	Churu	36,554	5,000
24.	Khinvasaria	Jodhpur	29,908	15,000
25.	Jethania	,,	20,876	25,000
26.	Shergarh	,,	36,341	6,000
27.	Kalu	,,	20,233	15,000
28.	Chadi	,,	33,032	5,000
29.	Chamu	,,	25,250	6,000

Page No 237

1	2	3	4	5
30.	Pilwa	Jodhpur	25,610	12,000
31.	Asarlai	,,	18,861	18,000
32.	Banasar	,,	68,139	4,000
33.	Lotra	,,	30,077	12,000
34.	Dhanwara	,,	30,378	5,000
35.	Chabba	,,	13,189	Abandoned.
36.	Naneo	,,	27,668	-do-
37.	Baori	,,	34,334	-do-
38.	Khajwana	Nagaur	37,280	4,500
39.	Arwar	,,	18,861	3,500
40.	Degana Rly. Station	,,	19,486	4,000
41.	Degana village	,,	21,915	2,000
			(A/C Sheet of Dev. is still awaited)	
42.	Panchodi	,,	21,500	5,000
43.	Nimbi-Jodhan	,,	33,785	4,000
			(A/C Sheet of Dev. is still awaited)	
44.	Jodhiasi	,,	12,269	Abandoned
45.	Balaji	,,	25,347	-do-
46.	Dharvi	Barmer	55,026	4,000
47.	Kotra	,,	51,176	6,000
48.	Ratri	,,	34,964	15,000
49.	Padru	,,	21,387	15,000
50.	Doli	,,	12,626	1,000
51.	Dhorimana	,,	19,667	5,000
52.	Sajeetra	,,	50,589	5,000
53.	Loharva	,,	15,978	5,000
54.	Mungeria	,,	6,931	Abandoned
55.	Khudal	,,	23,479	-do-
56.	Khandap	,,	7,940	-do-
57.	Ranasar	,,	23,771	-do-
58.	Thubli	,,	31,777	-do-
59.	Nand	,,	4,433	-do-
60.	Sarnu	,,	12,195	-do-
61.	Bhagli	Jalore	14,717	12,000

ग्राम पाड़लिया में नीलाम की गई भूमि

207. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या उपनिवेशन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-11-67 को जिला कोटा की तहसील दीगोद के ग्राम पाड़लिया के तालाव की भूमि ख. नं. 207 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा भूमि नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा नीलाम की गई है ? अगर हां, तो किसे व कितने रुपये में ?

(2) क्या यह सही है कि एस.डी.ओ. कोटा ने इस नीलाम को अस्वीकार कर दिया था ? अगर हां, तो क्यों व कब ? कृपया निर्णय की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त नीलाम बहाल कर दिया है ? अगर हां, तो कब व क्यों ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कृषि उपज मण्डी कमेटियां

208. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान की किस किस मण्डी में कृषि उपज मण्डी कमेटियां काम करती हैं और कब से ? मण्डी कमेटियां बनाने के पीछे सरकार की क्या भावना है ?

(2) क्या इस कानून के तहत 18 प्रकार के लाइसेन्स लोगों को लेने पड़ते हैं जिससे काफी परेशानी है ?

(3) क्या यह सच है कि व्यापारियों को भी मण्डी कमेटियों से काफी परेशानी होती है क्योंकि एक जिन्स को उनको कई फार्मों में दर्ज करना पड़ता है ? जब कि व्यापारियों ने इस कानून के खिलाफ कई मण्डियों में स्टे ले रखा है ? यदि हां, तो कितनी मण्डियों में ?

(4) क्या सरकार इस कानून में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कृषि उपज मंडी समितियों के नाम, उनकी स्थापना और नियमन कार्य प्रारम्भ करने की तिथि सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है । मण्डी समितियों के बनाने के पीछे सरकार की भावना कृषि उपज के क्रय-विक्रय के अच्छे प्रकार से नियमन करने और सुव्यवस्थित मण्डियां स्थापित करने की है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं केवल कुछ मण्डियों के व्यापारियों ने उन पर मण्डी अधिनियम लागू करने के विरुद्ध अदालतों से स्टे लिया हुआ है । ये मण्डियां हैं :

अलवर 2 पार्टियों ने, खेड़ली 1 पार्टी ने, हनुमानगढ़ 7 पार्टियों ने, श्री गंगानगर 1 पार्टी ने, जयपुर फल सब्जी 1 पार्टी ने ।

(कृषि मंत्री)

(4) मण्डी कानून में संशोधन करने हेतु नाहर कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

निजी तालाबों से मछली पकड़ने के आदेश

209. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि फिशरीज डिपार्टमेन्ट को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति की निजी झील में से मच्छी निकाल कर बेच सकता है? यदि हां, तो कौन सी धारा के तहत? आदेश या धारा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1965-66 में जिला बून्दी एवं जिला टोंक में विभाग द्वारा किन्हीं निजी तालाबों में से मच्छियां निकाली गई थीं? यदि हां, तो कौन कौन से तालाबों से?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी में बांसी के तालाब में विभाग द्वारा मछली नहीं निकालने दी और जिलाधीश बून्दी से आदेश प्राप्त किये गये?

(4) क्या यह सत्य है कि तालाव नगर, तहसील देवली जिला टोंक में से मछलियां निकाल कर बेची गई हैं? यदि हां, तो कितने की बिक्री हुई?

(5) क्या यह सत्य है कि नगर तालाब तहसील देवली जिला टोंक किसी की निजी सम्पत्ति है जिसके विषय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डायरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी को स्टे आदेश दिनांक 14-2-63 को ही जारी हो गये थे जो आज भी बदस्तूर कायम हैं?

(6) जब स्टे ऑर्डर्स डायरेक्टर एनिमल हस्बेन्डरी के पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भेजे हुए हैं तो फिर नियम विरुद्ध कार्यवाही क्यों की गई?

(7) क्या सरकार जिस व्यक्ति ने ऐसी कार्यवाही की है जो कि नियम विरुद्ध है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत ही निजी तालाबों में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मछलियां 10,897 रुपये 5 पैसे की बिक्री।

(5) तालाब के स्वामित्व सम्बन्धी मसला रेवेन्यू बोर्ड के विचाराधीन है, जहां तक स्टे आर्डर का प्रश्न है वह बदस्तूर अभी तक कायम है।

(6) जन स्वास्थ्य के खतरे में होने के कारण जिलाधीश के मौखिक आदेशानुसार यह कार्यवाही की गई।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि विकास का कार्य-क्रम

210. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या कृषि मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के लिये भूमि विकास (Land Development) का कोई कार्य-क्रम तैयार किया है ?

(2) यदि हां, तो बाडमेर जिले के कार्य-क्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केवल कुछ जिलों के लिए ही भूमि विकास का कार्य-क्रम (Land Development) तैयार किया गया है।

(2) बाड़मेर जिले के लिए अभी तक कोई कार्य-क्रम तैयार नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 4

(अ० ता० प्र० सं० 259 की सूची)

सम्मिलित सेवा वर्ग

सन् 1955	में	1	व्यक्ति
सन् 1956	में	2	व्यक्ति
सन् 1957	में	2	व्यक्ति
सन् 1958	में	4	व्यक्ति
सन् 1959	में	5	व्यक्ति
सन् 1960	में	5	व्यक्ति
सन् 1961	में	1	व्यक्ति
सन् 1962	में	2	व्यक्ति

कुल : 22 व्यक्ति

लिपिक वर्ग

सन् 1959	में	1	व्यक्ति
सन् 1960	में	3	व्यक्ति
सन् 1962	में	1	व्यक्ति

कुल : 5 व्यक्ति

परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्र. सं. 275 की सूची)

बीकानेर जिले में भेड़ पालकों की सहकारी समितियों की सूची

सूची परिशिष्ट (क)

क्रम संख्या	गांव का नाम	नाम समिति
1.	बादनू	बादनू शीप ब्रीडिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०
2.	उदसर	उदसर ,, ,,
3.	रामसर	रामसर ,, ,,
4.	बंडासर	बंडासर ,, ,,
5.	रोडा	रोडा ,, ,,
6.	मूवांसर	मूवांसर ,, ,,
7.	डमासर	डमासर ,, ,,
8.	दावा	दावा ,, ,,
9.	डिलवा	डिलवा ,, ,,
10.	मूंडसर	मूंडसर ,, ,,
11.	रामसर	रामसर ,, ,,
12.	जरखा	जरखा ,, ,,

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं० 280 की सूची)

गाड़ी नं० आर. एस. एल. 6805 के खर्चे की वर्ष वार सूची

वर्ष	संचालन	संधारण
1967-68	रु० 6,317.58	1,024.48
1968-69	रु० 6,093.72	1,990.30
1969-70	रु० 4.965.20	3,918.21

परिशिष्ट 7

(अ: ता. प्र. सं० 282 की सूची)

परिशिष्ट (क)

जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में संचालित औषधालयों की सूची

सं० क्रम	स्थान जहां औषधालय संचालित हैं
1.	प्रतापगढ़
2.	रठन्जना
3.	अमलावद
4.	वसाड़
5.	सेलारपुरा
6.	प्रतापगढ़ यूनानी
7.	गादोला
8.	सुहागपुर
9.	सालमगढ़
10.	कोटडी
11.	खरोट

परिशिष्ट (ख)

सूची जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ के औषधालयों में कार्यरत वैद्य

क्र० सं०	नाम औषधालय	नाम कार्यरत वैद्य	कार्यरत दिनांक	गृह जिला
1.	खरोट	श्री मांगीलाल	नवम्बर, 65	चित्तौड़
2.	रठन्जना	श्री गोवर्धनलाल	मार्च, 69	नागौर
3.	अमलावद	श्री कल्याणमल	अक्टूबर, 69	भीलवाड़ा
4.	बसाड	श्री श्रीधर उपाध्याय	जुलाई, 68	चित्तौड़
5.	सेलारपुरा	श्री पुरुषोत्तमलाल	10-11-66	मध्यप्रदेश
6.	गादोला	श्री गौरीशंकर	12-6-66	चित्तौड़
7.	प्रतापगढ़	श्री मेहन्दी हुसैन	22-9-66	भरतपुर
8.	प्रतापगढ़	श्री कृष्णानन्द	अक्टूबर, 69	चित्तौड़
9.	सुहागपुरा	श्री गजानन्द	फरवरी 68	सीकर
10.	कोटडी	श्री वासुदेव	नवम्बर, 63	डूंगरपुर
11.	सालमगढ़	श्री चतुर्रविहारीलाल	जुलाई, 67	चित्तौड़

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
1		1	माच	मार्च
2		2	बरहवां दिवस	बारहवां दिवस
9		12	औधोगिक	औद्योगिक
11	शीर्ष		(श्री द्दद्धिचन्द जैन)	(श्री वृद्धिचन्द जैन)
11		10	या	क्या
20	अन्तिम से	4	जबट	वजट
33	शीर्षक		तार कित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
37	शीर्ष		(श्री मुकटबिहारी गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
43	,,		(श्री केसरीसिह हाढ़ा)	(श्री केसरीसिह हाड़ा)
49	अन्तिम से	9	समय समय प्रतिवेदन	समय समय पर प्रतिवेदन
51		14	राजस्व मंत्री को कर दिया है।	राजस्व मंत्री कर दिया है।
53	शीर्षक		अतारांकित प्रश्नोत्तर–0 मार्च, 1970–अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर–20 मार्च, 1970–तारांकित प्रश्नोत्तर
54		3	(अनु ास्थित,	(अनुपस्थित,
57	अंतिम से	14	कृप ा	कृपया
59	शीर्ष		(श्री पृथवीसिह)	(श्री पृथ्वीसिह)
97		6	श्री मोहन सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया।
113	अंतिम से	14	दखिाल	दाखिल
122		11	envolope	envelope
123	शीर्षक		शासकीय सतव्य	शासकीय वक्तव्य

1		2	3	4
123	अंतिम से	13	इस	इज़
123	,,	7	थ्री मूलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
128	,,	4	दे	ने
133		9	में	मैं
134		14	Pleadingrs	Pleadings
138	अंतिम से	7	क्वाश	क्वेश
139		2	rot	not
140		7	coert	court
142		14	कन्र	कर्जे
146	अंतिम से	11	राय के के	राय के
149		2	यो	तो
153		8	विध	विय
157		4	मतगणना गड़बड़ी	मतगणना में गड़बड़ी
159		12	इनको	इनकी
163	अन्तिम से	13	केश	केस
163	,,	2	नहीं कह कह रहा	नहीं कह रहा
165		13	रिर्टनिंग आफिर	रिटर्निंग आफिसर
166	अन्तिम से	12	श्री सतीश न्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
168	,,	16	थ्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
169	,,	4	कड़ा	बड़ा
174	,,	2	है हो ।	है ।
182		2	करना	करनी
182	अन्तिम		नह	नहीं
19.		19	रखते	रखते
196	अन्तिम		ओपटर	आपटर
198	,,		धार	धारा
228	अन्तिम से	8	a	an

1	2	3	4
231	अन्तिम से 5	ज्यपाल	राज्यपाल
262	14	में।	मैं
269	5	वित्त	वित्त
299	अन्तिम से 11	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
305	12	डवेज	रोडवेज
305	13	कटर्स	कन्डेक्टर्स
305	14	सर्विसेज भी	सर्विसेज में भी
305	15	रोडवे	रोडवेज
305	17	मलती	मिलती
305	अन्तिम से 4	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
311	5	खाता	खाना
319	8	मत्रीगण	मंत्रीगण
319	17	के इस	के साथ इस
339	14	टक्स	टैक्स
344	6	श्री रामसिह कु	श्री रामसिह कुडी
363	13	हर स ल	हर साल
369	अन्तिम	वनुमान	अनुमान
375	अन्तिम से 9	स	से
377	4	।कतनी	कितनी
383	12	नइ	नई
384	14	ता	तो
386	17	चाइती	चाहती
387	अन्तिम से 16	पूछा ा	पूछना
391	12	श्री गोवर्धन सोनी	(श्री गोरधन सोनी)
393	शीर्ष	(श्री गोवर्धन सोनी)	श्री गोरधन सोनी
393	2	इत्तल्ल	इत्तला
403	14	टैस्स	टैक्स

1		2	3	4
407	अन्तिम से	9	पया	पया
407	,,	7	दर्ज	अज
415	,,	13	मी	भी
418	,,	10	लि	लिया
419	,,	6	आघ	आध
422	,,	2	अबकारी	आबकारो
423	,,	5	वालों	वालों
433	अन्तिम		अस्तताल	अस्पताल
434	अन्तिम से	15	हौ	हो
435		1	ऑडर	ऑर्डर
435	अन्तिम से	5	फक	फर्क
437		9	पूछुंगा	पूछूंगा
445		7	मरी	मेरी
445	अन्तिम से	14	रेवेन्यू घटा तो	रेवेन्यू घटा दें तो
445	अन्तिम		श्री कृष्णकमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
446	अन्तिम से	2	सलेक्ट में	सिलेक्ट कमेटी में
447	शीर्ष		(श्री मथुरादास माथु)	(श्री मथुरादास माथुर)
448	अन्तिम से	4	छो	छोड़ो
449		10	श्री महेता	श्री मेहता
452	अन्तिम से	10	रख जोधपुर	रख कर जोधपुर
460	,,	8	मैं	में